राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 67 वां दिवस [संख्या 33

बृहस्पतिवार, दिनांक 25 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, श्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उपनिवेशन, खाद्य, यातायात, विद्युत, पंचायत, आयुर्वेद, समाज कल्याण, विकास व सैनिक कल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 764

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : जरूरी प्रश्न है इसलिए इसका जवाब होना चाहिए।

श्रीमती गौरी पूनिया !

श्री अध्यक्ष : आखिर में ले लेंगे।

नागौर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत व्यय की गई राशि

765. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में 1971-72 में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत किस किस कार्य में कुल कितनी कितनी राशि अब तक खर्च की गई है तथा किस किस पंचायत समिति में कितने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है? कृपया पंचायत समिति वाइज कार्यों की सूची सदन का मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में उपरोक्त प्रोगाम के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य में कुल कितना रुपया इस वर्ष के अन्त तक व्यय हो सकेगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विकास विभाग से सम्बन्धित है इसलिए मैंने उन्हें ट्रांसफर कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा !

Page No. 2

कृषि भूमि पर बने वाड़ों व मकानों के सम्बन्ध में जारी किए गए डिमाण्ड नोटिस

766. श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा तहसील की ओर से भीलवाड़ा नगर परिषद् क्षेत्र की सीमावृद्धि के कारण उसमें आए हुए गांवों की बिना नाम कृषि भूमि पर बने बाड़ों और मकानों के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को कितने रुपयों के डिमाण्ड नोटिस दिए गए हैं ?

(2) जिन्हें नोटिस दिए गए उन ग्रामवासियों का उन मकानों और बाड़ों पर क्या सन् 1963 से पहले का कब्जा नहीं है ?

(3) यदि हां, तो परिपत्र क्रमांक एफ 3 (19) राज/ख/ग्रुप/63 के अन्तर्गत इन्हें नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है जब कि ये बाड़े और मकान भीलवाड़ा नगरपरिषद् क्षेत्र की सीमावृद्धि के कारण इस नगर परिषद् क्षेत्र में आने के पूर्व गांवों में बने हुए हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) भीलवाड़ा तहसील की ओर से भीलवाड़ा नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा वृद्धि के कारण उसमें आए हुए गांवों की बिला नाम या कृषि भूमि पर बने बाड़ों और मकानों के सम्बन्ध में 468 व्यक्तियों को 13,75,360 रुपयों के नोटिस दिए गए हैं।

(2) जिन्हें नोटिस दिए गए हैं उन सब का तो उन मकान व बाड़ों पर सन् 63 से पहले का कब्जा नहीं है। अलबत्ता बहुत मामले ऐसे भी हैं जिनमें ऐसे मकान व बाड़े सन् 63 से पहले बने हैं।

(3) ऐसे मकानों को परिपत्र सं. 2 (19)/राज/ख/जी/आर/63 के अन्तर्गत नियमन इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि वे नगर परिषद् सीमा तथा उसकी दो मील की परिधि में स्थित हैं व उक्त परिपत्र के पैराग्राफ नं. 11 (ए) (1) तृतीय परंतुक (III) के अनुसार उनका नियमन वर्जित था।

श्री भंवरलाल भदादा : ऐसा है साहब कि यह जो मकान जिन गांवों में बने हुए हैं आज भी गांवों में स्थित हैं और 63 के पहले वाड़े बन चुके हैं। 63 के नियमानुसार गांवों की जो रेट है उसके आधार पर उनको रेगुलराइज करना चाहिए। नहीं करने से काश्तकार बड़ा परेशान हो रहा है, तकलीफ हो रही है। यहां तक कि जितने रुपयों के डिमाण्ड नोटिस दिए गए हैं उतने की तो उनके पास खेती और सम्पत्ति भी नहीं है। इसके लिए सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और तुरन्त रेगुलराईज करना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब ये नियम बने तब 25 मई, 63 तक उन लोगों को रियायत दी गई जिनको इस तरह का रेगुलराईज कराना था। इसके लिए तहसीलदार के सामने दरख्वास्त पेश करने की जिम्मेदारी काश्तकार की थी। जिन्होंने दरख्वास्त नहीं दी तो इसमें काश्तकारों का कसूर है, गवर्नमेंट की गल्ती नहीं है। फिर भी हम यह सोच रहे हैं कि जिनके ऐसे केसेज हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उन पर ठीक से कार्यवाही की जावे।

Page No. 3

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ऐसे काश्तकारों के जिनके बाड़े और रेजिडेंशियल के मामले हैं तो यह तो एक पर्टीक्यूलर जगह का मामला सदन के सामने आया है, लेकिन सारे राजस्थान में इस प्रकार के मामले हैं। आप कहते हैं कि जिन्होंने अप्लीकेशन नहीं दी उनका रेगुलराईजेशन नहीं हो सका तो इसमें देखने की बात यह है कि जब उनका पुराना कब्जा है तो गवर्नमेंट को उन्हें देखकर मुनासिब कार्यवाही नियमानुसार करनी चाहिए और गवर्नमेंट स्वयं कार्यवाही कर सकती है। गवर्नमेंट इसके बारे में कोई नीति बनाए। काश्तकारों को बाड़ों, नाड़ों और मकानों के लिए बड़ी गम्भीर समस्या है। हजारों की डिमाण्ड निकाल दी है जिसको उनकी सारी मिल्कियत का बेचान करें तो भी वसूल नहीं हो सकते।

श्री भंवरलाल भदादा : 15 अगस्त तक आवास की समस्या हल करने की सरकार ने घोषणा की है। रेगुलराईजेशन के केसेज बार बार आते हैं तो उनके कष्टों का निवारण करने के लिए सरकार को कोई न कोई घोषणा करनी चाहिये। दूसरा इसमें काश्तकारों का कोई कसूर नहीं है। पहले काश्तकारों को ग्राम पंचायत ने पट्टे दिए हैं और उन पट्टों के आधार पर ही कब्जे हुए हैं। उसके अन्दर अगर दण्ड वसूल करना है तो ग्राम पंचायत से वसूल करना चाहिए और काश्तकारों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके लिए जैसा कि निवेदन किया है कि चाहे किसी की गल्ती हो फिर भी सरकार गम्भीरता से सोच रही है कि किसानों को और ज्यादा तकलीफ नहीं हो, उनको सही हक मिले इस पर विचार करके, उनके पट्टे नहीं भी बने हुए हों, पंचायत ने भी नहीं बनाए हों तब भी सहानुभूति पूर्वक विचार करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : छोटे छोटे काश्तकारों की ऐसी जमीनें हैं.......

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो इस तरह से नाजायज आराजी काश्तकारों को पट्टे दिए गए थे उनकी 25 पैसे प्रति गज की रेट है और यह रेट इतनी महंगी रेट है कि इसी कारण से रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा है। किसान इतनी रेट देने में असमर्थ है। इसलिए मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको आबादी की जमीन में कन्वर्ट क्यों नहीं कर देते, जिससे सारी समस्या हल हो जाय।

श्री भंवरलाल भदादा : चार आने का सवाल नहीं है, वहां पर 8 रुपया, 12 रुपये के नोटिस दिए गए हैं, जो नगरपरिषद् क्षेत्र में लागू होती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह बात सही है कि जो नगरपरिषद् के पास के गांव हैं उनमें 8 रुपया या 12 रुपये की रेट मुकर्रर करते हैं, इसको शहर के आदमी तो दे सकते हैं लेकिन काश्तकार नहीं दे सकते। इसके लिए सोच रहे हैं और उनके हित में जो बात है वही करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये जो म्यूनिसिपल लिमिट बनने के पहले के कब्जे हैं उनमें क्या करेंगे ?

Page No. 4

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितने पहले के कब्जे हैं यह तो सबूत की चीज है। आपने देखा होगा कि नाहरी के नाके में अपने पुराने कब्जे दिखाने के लिए एक झोंपड़ी की कीमत जो नई की पचास रुपये की थी वहां पुरानी की कीमत सौ रुपये तक रही है क्योंकि पुराना कब्जा बनाना चाहते हैं। यह सब देखकर ही किया जाएगा। जिन्होंने जेन्यून कब्जे किए हैं उन्हें बेदखल नहीं करेंगे और ठीक रियायती कीमत पर सबको दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

नियोजन कार्यालयों पर खर्चा

767. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार को सन् 1970-71 में नियोजन कार्यालयों पर कुल कितना खर्चा वहन करना पड़ा और इस अवधि में नियोजन कार्यालयों के मारफत कितने बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति हुई?

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : इस वर्ष में कुल 11,09,099 रुपया इन कार्यालयों पर खर्च हुआ। इस अवधि में 13691 व्यक्तियों को रोजगार इनके मार्फत मिला।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार ने यह उचित समझा कि यह जो खर्चा हुआ है ग्यारह लाख का वह बहुत ज्यादा है और नियोजन कार्यालयों के मारफत जितने बेरोजगारों को लगाया गया वह संख्या कम है खर्चे को देखते हुए?

श्री ओंकारलाल चौहान : खर्चे को देखते हुए लगता तो ऐसा ही है। ग्यारह लाख रुपये खर्च हुए और 13691 लोगों को रोजगार इसके माध्यम से मिला है।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार इन नियोजन कार्यालयों पर जो फालतू खर्चा हो रहा है जो एक्सेस स्टाफ कार्य कर रहा है, इन सबकी इकोनोमी करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री ओंकारलाल चौहान : इसकी इकोनोमी के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन नियोजन कार्यालयों के सम्बन्ध में एक गम्भीर शिकायत यह रहती है कि जो रिक्वीजीशन मांगते हैं उसके अन्दर जो गरीब आदमी हैं उनके नाम तो नहीं भेजते लेकिन जो पैसे देते हैं उनके नाम भेज देते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष, अभी तक तो ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं, जैसा कि अभी आपने हाउस के सामने कहा है, मैं इसकी जांच करा लूंगा अगर इस प्रकार की कोई शिकायत होगी तो।

श्री शंकरलाल : नियोजन कार्यालयों के अलावा एक मैनपावर होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन अलग होता है और औद्योगिक संस्थानों का रजिस्ट्रेशन अलग होता है। इस प्रकार उनका कोई को-आर्डीनेशन नहीं है?

श्री ओंकारलाल चौहान : जहां तक को-आर्डिनेशन का सवाल है, सब अपना अपना काम करते हैं।

Page No. 5

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मदगफ्फार-अली।

सवाई मानसिंह अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था

768. **श्री मोहम्मदगफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में सन् 1957 से 1967 तक इन-डोर तथा आउट-डोर रोगियों की सालाना संख्या कितनी थी तथा इन्हीं वर्षों में दवाइयों की खरीद की मदों पर क्या बजट था ?

(2) क्या यह सच है कि दवाइयों का बजट आवश्यकतानुसार नहीं है ?

(3) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व जयपुर राज्य में भी ग्लूकोज अस्पताल में पूरी जरूरत के अनुसार तैयार किया जाता था जब कि अब अधिकतर इन-डोर रोगियों को भी ग्लूकोज और सैलायन अपने खर्चे से खरीदना पड़ता है ?

(4) क्या यह सत्य है कि जिस ग्लूकोज की बोतल की तैयारी करीब 1) रुपया से भी कम की कीमत आती है अब वह इन-डोर पैसेन्ट को 6)50 पैसे या 7) रुपये में खरीदनी पड़ती है ?

(5) क्या यह सत्य है कि राज्य में डॉक्टरों के निजी प्रेक्टिस करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ?

(6) क्या यह सत्य है कि सवाई मानसिंह अस्पताल के कुछ बड़े डॉक्टरों को प्राइवेट क्लीनिक्स में जैसे कि गोलछा क्लिनिक व अन्य क्लिनिकों में कार्य करने की इजाजतें मिली हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इसका गलत प्रभाव अस्पताल में दाखिल होने वाले लोगों पर नहीं पड़ता है या काम में हर्ज नहीं होता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

ग्लूकोज का उपयोग अधिक मात्रा में होने के कारण जब समाप्त हो जाता है तो रोगियों को जो बाहर से खरीद सकते हैं खरीदने को कहा जाता है।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

परन्तु वे लोग अस्पताल के निर्धारित समय के बाद काम करते हैं अतः शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। वैसे इस प्रश्न पर पुनर्विचार हो रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मोहम्मदगफ्फार अली : मंत्री महोदय, यह आप बताने की कृपा करें कि कुल कितना कंजम्प्शन होता है ग्लूकोज का।

श्री हरिदेव जोशी : लगभग हर रोज...

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली खड़े रहे)

आप विराजिये। लगभग ढाई सौ से तीन सौ बोतलें।

श्री मोहम्मदगफ्फार अली : और फैक्ट्री में कितनी बनती हैं?

श्री हरिदेव जोशी : लगभग दो सौ।

श्री मोहम्मदगफ्फार अली : यह बताने की कृपा करेंगे, आप फरमाते हैं कि उनके ऊपर पाबन्दी लगाने की बात सोचेंगे?

श्री हरिदेव जोशी : पाबन्दी कैसे नहीं है। कैपेसिटी एक्सपेन्ड करने की बात है, यह हो सकती है तो देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : कैपेसिटी एक्सपेन्ड कब तक कर देगें?

श्री हरिदेव जोशी : अन्डर कन्सीडरेशन है किन्तु ऑफ हेन्ड कुछ नहीं कह सकता हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : छः गुना ज्यादा पे करना पड़ता है। यह इम्पारटेन्ट फैक्टर है।

श्री हरिदेव जोशी : यह ठीक है। लेटेस्ट पोजीशन निवेदन कर दूँ। वह यह है कि किन्हीं परिस्थितियों के अन्दर अमुक ऑपरेटस और अमुक कन्डीशन के बिना इसको एक्सपेंन्ड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सर्टेन बजट की जरूरत है जिसको डिसकस किया है और वह अन्डर कन्सीडरेशन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इसके ऑपरेटस एक्सपेन्शिव हैं?

श्री हरिदेव जोशी : जैसा कि कहा है इसको एक्सपेन्ड करने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 769.

माफी की भूमि का स्थाई आंवटन

769. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या उप-निवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला गंगानगर के गंग नहर क्षेत्र में कितने भूमिहीन किसानों को 25 मार्च, 1970 से पहिले माफी की भूमि का स्थाई आंवटन किया गया?

(ख) उनमें से कितनों को खातेदारी दी जा चुकी है और कितनों को देनी बाकी है?

(ग) जिन माफीदारों से भूमि संबंधी कीमत की किश्तों के सम्बन्ध में रकम वसूल की जा चुकी है उन्हें सरकार कब लौटा देगी तथा उनसे वसूली करने का क्या कारण है?

उप-निवेशन मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) जिला गंगानगर के गंग नहर क्षेत्र में 25 मार्च, 1970 से पहले माफी की भूमि 1550 माफीदारान को स्थाई आंवटन किया गया है?

(ख) जिन माफीदारान को भूमि का स्थायी आवंटन किया गया है उन सबको खातेदारी हकूक दिये जा चुके हैं।

Page No. 7

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(ग) जिन माफीदारान से भूमि संबंधी कीमत की किश्तों के सम्बन्ध में रकम 24-3-70 को या इससे पूर्व वसूल की जा चुकी है उसे वापिस लौटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो आदेश जारी होते हैं वे जारी होने की तारीख से लागू होते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : क्या यह सही है कि उनसे रकम वसूली नहीं की जाये, यह आदेश पहले दिये जा चुके हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 25-3-70 को।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : 25-3-70 को घोषणा की थी और यह कहा गया था कि ये आदेश पहले जारी किये जा चुके हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : क्या मन्त्री महोदय इसकी जानकारी करने की कोशिश करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : और ऐसे आदेश जारी हो गये होंगे तो क्या कार्यवाही करेंगे। क्या वह रकम वापिस लौटा दी जायेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर ऐसे आदेश जारी हो गये हैं और इस तरह के आदेश जिस दिन से जारी किये गये हैं और इस आदेश के बीच में किसी ने रुपया जमा करा दिया है तो उसको लौटाने की गवर्नमेंट इच्छा रखती है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : क्या सरकार आज जो कह रही है उसको महत्त्व देकर उसकी जानकारी करा कर उस पर अमल करेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जानकारी करायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : ऐसे अनेक माफीदारान हैं जिनको खातेदारी राइट्स नहीं दिये गये हैं। क्या यह सही है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, अभी एक रजिस्टर्ड लैटर मेरे पास चेयरमैन माफीदारान का आया है। उन्होंने लिखा है कि वे अभी तक भटक रहे हैं और उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं। यह मैंने सदन में आकर खोला है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसे अलग से बाकी रह गये हैं और उन पर प्रश्न पूछेंगे तो आपको जवाब दे दिया जायेगा।

प्रश्न सं. 770

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये।)

श्री राम रघुनाथ !

हरसोर बांध का पुल

771. **श्री राम रघुनाथ** (डेगाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में हरसोर बांध पर से होकर गांव हरसोर के पास, पार जाने के लिए क्या आज से करीब 3 वर्ष पूर्व एक पुल का निर्माण किया गया था।

(2) यदि हां, तो क्या वह पुल बन कर पूर्ण होते ही टूट गया था ?

(3) क्या वह कार्य विभागीय था अथवा ठेके से करवाया गया था ?

(4) क्या उसकी जांच की गई थी ? अगर हां, तो दोषी कौन पाया गया ? क्या इन्जीनियर अथवा ठेकेदार ? अगर जांच नहीं की गई तो क्यों तथा इसके टूटने के क्या कारण थे और दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(5) इस पुल के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा स्वीकृत धनराशि में से कितना व्यय इस पर हुआ ? व्यय शुदा धनराशि का भुगतान किसको किया गया ?

राज्य मन्त्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ठेके से करवाया गया था।

(4) जी नहीं। क्षति अत्यधिक एवं असाधारण वर्षा और बाढ़ के कारण हुई थी। इसलिए जांच की आवश्यकता नहीं थी।

(5) 23,000 स्वीकृत धनराशि के विपरीत 23500) का व्यय इस कार्य पर हुआ जिसका भुगतान श्री मदनलाल राठी ठेकेदार को किया गया।

श्री राम रघुनाथ : अध्यक्ष महोदय, इस पुल के सम्बन्ध में जांच इसलिये आवश्यक थी कि जो मेटिरियल वहां पर लगा वह ठीक नहीं था। मैं यह पूछना चाहूँगा कि इसकी जांच नहीं करायेंगे तो क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री मूलचन्द : जांच का जहां तक प्रश्न है मैं समझता हूँ कि प्रश्न नहीं उठता है। अत्यधिक वर्षा के कारण यह पुल टूट गया था। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम रघुनाथ : मैं यह पूछना चाहूँगा कि यह पुल अधिक वर्षा से नहीं टूटा था बल्कि मामूली वर्षा से टूट गया था। वहां पर सीमेन्ट की जगह पर हल्का मेटेरियल लगाया गया था जो कि अच्छा नहीं था। मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराना आवश्यक है।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : जहां तक हमारी जानकारी है वर्षा के कारण नीचे की नींव जमीन के अन्दर जो पिलर्स थे वे गिर गये हैं और अब चार साल के बाद वहां पर सीमेन्ट लगी थी या मिट्टी लगी थी इसकी जांच करना सम्भव नहीं है।

Page No. 9

श्री राम रघुनाथ : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो नींव है, या फाउन्डेशन है वह उखड़ी नहीं है। उसकी पट्टियां वह गई है और पिलर्स आज मौजूद है। अगर आप जांच कराना चाहें तो जांच कराई जा सकती है। मैं मंत्री महोदय का इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक ठेकेदार ने पुल बनाया और वह टूट गया। इसका मालूम हो जाने के बाद भी मन्त्री महोदय इसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। इसकी जांच कराई जाये। ठेकेदार इस प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं और इसी प्रकार का काम करते हैं कि बांध या पुल बनने के पहले ही टूट जाते हैं। इसकी जांच कराई जानी चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोई ऐतराज नहीं है। क्या माननीय सदस्य यह मानते हैं कि चार साल के बाद सीमेन्ट, पत्थर बह गये, उनकी जांच हो सकती है सही तरीके से ?

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : मेटिरियल कैसा लगा इसकी जांच होनी चाहिये

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यहां पर प्राइमा फेसी करप्शन की बात एस्टेबलिश हो गई है। पुल बनते ही टूट गया। इसमें ठेकेदार का प्रोसीक्यूशन किया जाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसा माननीय सदस्य कहते हैं कि ऊपर की चीज हो वही है तो उसकी जांच कराई जा सकती है।

श्री राम रघुनाथ : तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया है कि उसकी जांच करादी जायेगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : पुल बनने के कितने दिन बाद टूट गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिस साल बना या, उसी साल जो वर्षा हुई उसमें टूट गया।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : ठेकेदार को बिल का पेमेंट करने के पहले या बाद में ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पेमेंट तो होता रहता है। उसका बाकी का पेमेंट सिक्युरिटी का पेमेन्ट नहीं किया गया है। जो रनिंग बिल है उसका पेमेन्ट हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डेढ़ लाख, डेढ़ करोड़ रुपयों का एडवांन्स ठेकेदारों को हो जाता है। वह चाहे इर्रीगेशन विभाग हो या पी. डब्ल्यू. डी. विभाग हो ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सारा काम 23 हजार का है। डेढ़ लाख या डेढ़ करोड़ के पेमेन्ट की बात नहीं है। कुल 23 हजार का पेमेन्ट है। इसका जो बिल है उसको पेमेन्ट नहीं किया गया। रनिंग बिल का पेमेन्ट कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : अब जांच के बाद ही पेमेन्ट किया जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी हां, इसका फाइनल पेमेन्ट जांच के बाद किया जायेगा ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली): क्या यह सही है कि इसका पेमेन्ट हो चुका है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसी कि मुझे जानकारी है इसका फाइनल पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : रनिंग बिल का पेमेन्ट किस अधिकारी के वेरीफिकेशन से हुआ है। इसकी जानकारी की जानी चाहिये कि रनिंग बिल का पेमेन्ट किस अधिकारी के वेरीफिकेशन से किया गया है और उसके खिलाफ आपने कार्यवाही करने के लिये कोई कदम उठाया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जांच नहीं हुई है कि किस कारण से ब्रिज टूट गया। इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही करना या उसको दोषी कैसे ठहराया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 772. श्री मूलचन्द सामरिया !

किसानों से अनाज की खरीद

772 **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार 1972-73 में किसानों से अनाज खरीदने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार अनाज की खरीद के लिए सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई ?

खाद्य मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) राज्य सरकार सीधा किसानों के माध्यम से अनाज खरीदने का विचार नही रखती बल्कि किसानों को गिरते भावों से राहत पहुँचाने हेतु केन्द्रीय सरकार के खाते में खाद्य निगम के माध्यम से गेहूँ क्रय करने की व्यवस्था की है। धनराशि की व्यवस्था खाद्य निगम अपने स्तर पर करेगा।

(2) जी नहीं। आर्थिक सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। अलबत्ता उन्हें क्रय कार्य के लिये अग्रिम राशि खाद्य निगम से राजकीय गारन्टी पर दिलाने की व्यवस्था विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जब बाजार में भाव गिर जायेंगे तब आयेंगे क्या ? उससे पहले क्यों नहीं आते हैं। या तो कह दें कि खाद्य निगम के भरोसे न रहें। भाव गिर जाते हैं उसके बाद में आते हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह : फिर निगम ने एजेन्ट मुकर्रर कर दिये हैं क्या ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी हां।

श्री राजेन्द्रसिंह : किन किन मंडियों में ?

Page No. 11

श्री ओंकारलाल चौहान : जिन जिन मंडियों में भाव गिर रहे हैं उसके हिसाब से अनाज की खरीद चल रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह : क्या सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि अनाज के भाव न गिरें और अगर गिर जायं तो उस समय खरीदने का प्रबन्ध करती है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी हां।

श्री राजेन्द्रसिंह : डाइरेक्टली नहीं खरीद करती हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्यों नहीं खरीदती है ? जब भाव निर्धारित किये हुए हैं तो सरकार को बन्दोबस्त करना चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या सरकार को-आपरेटिव सोसाइटीज को एडवान्स देने का विचार कर रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य !

राष्ट्रीयकरण की विचाराधीन योजनाएं

773. **श्री निरंजनाथ आचार्य** (मावली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के गठन के समय जाइंट एल. आर. के पास किस किस तारीख को किस किस मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजनाएं कब कब से विचाराधीन थी। कृपया तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

( ) इन योजनाओं पर कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(3) पथ परिवहन निगम के गठन से लेकर अब तक किन किन मार्गों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कब कब योजनाएं प्रकाशित की गई ?

(4) उक्त योजनाओं पर जाइन्ट एल. आर. ने कब कब क्या क्या निर्णय लिए और अब उनके पास कौन कौनसी योजनाएं विचारधीन हैं ?

(5) क्या यह सही है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट एवं नियमों के अन्तर्गत उन मार्गों पर परमिट दिये जाने व परमिटों को रिन्यू करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी क्योंकि राष्ट्रीयकरण की स्कीम प्रकाशित होने के पश्चात् स्कीम में उल्लेखित मार्गों पर न तो नया परमिट ही दिया जा सकता है और न पुराने परमिटों का ही रिन्यूअल ही किया जा सकता है। यदि हां, तो उक्त स्कीम प्रकाशित होने के कारण ऐसे कौन कौन से मार्ग अब तक रहे हैं जिन पर न तो नये परमिट ही दिये जा सके और न ही पुराने का रिन्यूअल किया जा सका ? कृपया सूची मय उन तारीखों के जिस दिन परमिटों की अवधि समाप्त होती है दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखी जाय।

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) निगम के गठन के समय राष्ट्रीयकरण की कोई योजना जोइन्ट एल. आर. के पास विचाराधीन नहीं थी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री हरिदेव जोशी)

(3) निगम के गठन के बाद मार्गो के राष्ट्रीयकरण के लिए अब तक प्रकाशित की गई प्रारूप योजनाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) इन 76 योजनाओं में से रायसिंहनगर-रावतसर, पदमपुर-गंगानगर, रायसिंहनगर-पदमपुर हनुमानगढ़-रावतसर एवं गंगानगर-हनुमानगढ़ की योजनाएं 1-7-68 को पूर्ण हो चुकी हैं और जयपुर-नयाला की 1 जून, 1971 को पूरी हो गई हैं। अन्य 42 योजनाएं जोइन्ट एल. आर. के पास व 28 योजनाएं डिप्टी एल. आर. के पास अभी विचाराधीन हैं, सभी योजनाओं में प्राइवेट मालिकों की तरफ से गवाहों के बयान लिये जा रहे हैं।

(5) जी नहीं। किसी भी मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना प्रकाशित हो जाने के पश्चात् उस मार्ग पर यदि राज्य पथ परिवहन निगम अनुज्ञा-पत्र लेना चाहे तो राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उसे अस्थाई अनुज्ञा-पत्र प्रदान कर सकते हैं। यदि निगम ऐसे मार्ग के अस्थाई अनुज्ञा-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करें तो राज्य परिवहन प्राधिकरण अन्य किसी व्यक्ति को ऐसे मार्गों के अस्थाई अनुज्ञा-पत्र प्रदान कर सकते हैं।

जिन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजनाएं विचाराधीन हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से पुस्तकालय में रखी गई)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जिन मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में योजनाएं विचाराधीन हैं उनके पुराने परमिट्स को रिन्यू किया गया है, यह मैं मानता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अलग अलग केसेज में अलग अलग स्थिति हो सकती है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अगर अलग अलग केसेज का आप विश्लेषण करें तो किन किन का रिन्युअल हुआ, और किन किन का रिन्युअल नहीं हुआ, और रि-नियुअल नहीं हुआ तो किन आधार पर नहीं हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : यह इन्डिविजुअल केसेज पर निर्भर करेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस प्रकार से राज्य सरकार की नीति है कि राष्ट्रीयकरण की योयना जिन रूट्स की विचाराधीन है तो उनका रिन्युअल नहीं होना चाहिए। अगर उन पर बसेज नहीं चले तो हाई कोर्ट से स्टे आता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरा प्रश्न मंत्री महोदय यह है कि नोटिफिकेशन के बाद चूंकि राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ ऐसी स्थिति में जो पुराने परमिट होल्डर्स थे वह चलते रहे और उन्होंने रिन्युअल नहीं कराया तो क्या यह स्थिति ठीक है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि अलग 2 केसेज में अलग 2 स्थिति है। हो सकता है कि किसी ने रिन्युअल करवाया हो और किसी ने नहीं करवाया हो। मैं नहीं कह सकता कि किस ने करवाया है और किसने नहीं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सामान्यत: यह आपकी जानकारी में हो । इस विश्लेषण से यह हो गया है कि कई ऐसे हैं जिन्होंने रिन्युअल नहीं कराया है, यह ठीक है ?

श्री हरिदेव जोशी : आपके प्रश्न की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम ने इसके बाद में टेम्पोरेरी परमिट के लिए एप्लाई किया अथवा नहीं किया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह प्रश्न तो आपने तई रख लें, लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका स्पष्टीकरण कर दें ।

श्री हरिदेव जोशी : अगर राजस्थान पथ परिवहन निगम ने टेम्पोरेरी परमिट के लिए एप्लाई कर दिया तब तो आर. टी. ए. दोषी है और यदि राजस्थान पथ परिवहन निगम ने एप्लाई नहीं किया है तो आर. टी. ए. दोषी नहीं है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अब उसका उत्तर दे दें । जो कि आपने प्रश्न पूछा है अब उसका उत्तर दे दें ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उसका ही कर रहा था ।

प्रश्न संख्या 774

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 775

श्री मोहनलाल छंगाणी !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री राजेन्द्रसिंह ।

भारत पाक युद्ध के दौरान सैनिकों के परिवारों को सुविधाएं देने की घोषणा

776. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान सरकार द्वारा सैनिकों के परिवारों को कुछ सुविधा देने का निश्चय किया गया था ? यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधाएं घोषित की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा व उदयपुर के न्यासों द्वारा भू-खण्ड देने का निर्णय लिया गया था और जिसका विवरण समाचार पत्रों में छपा था ? यदि हां, तो किन किन परिवारों को कहां कहां पर भू-खण्ड आवंटित कर दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भी राज्य सरकार ने कुछ भू-खण्ड आवंटन के लिये घोषणा की थी, यदि हां, तो किन किन परिवारों को कहां कहां पर भू-खण्ड आवंटित किये जा चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) सुविधाएं देने सम्बन्धी सूचना सदन की मेज पर रख दी है । इनके अतिरिक्त युद्ध में घायल हुए राजस्थान के सैनिकों के आश्रितों को 500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय और लिया गया है ।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, अजमेर और सवाई माधोपुर जिले के अतिरिक्त सभी जिलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

ंचायत समिति श्री डूंगरगढ को कृषि फार्म के लिये आवंटित भूमि

777. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखां): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ (जिला चूरू) ने कृषि फार्म के लिए भूमि अलॉट करवाई है? यदि हां, तो कितनी किस प्रकार की भूमि किस की सलाह से आवंटित करवाई है?

(2) क्या इस भूमि की मिट्टी की परीक्षा करवाली गई है? यदि हां, तो क्या यह कृषि योग्य है।

(3) क्या यह सही है कि इस फार्म की भूमि चिकनी काली मिट्टी वाली है जिसमें कुछ भी उगता नहीं है?

(4) क्या यह सही है कि गत खरीफ की फसल में इस फार्म की भूमि को नोतोड़ करवाया गया और काश्त भी की गई? यदि हां, तो इस नोतोड़ पर कितना खर्च किस प्रकार लगा और किस से नोतोड़ व काश्त करवाई? क्या ट्रैक्टर से काम करवाया?

(5) जिस ट्रैक्टर ने इस फार्म पर काम किया क्या वह समिति के प्रधान का स्वयं का ट्रैक्टर ही था? उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर देते हुए यह बतलाया जाय कि किस के नाम से बिल बना कर इसका पैसा समिति से कब और कितना उठाया गया है?

(6) इस फार्म पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है और आय कितनी हुई है? लकड़ियों से कितनी आय हुई और कृषि पैदावार कितनी हुई?

पंचायत मन्त्री (श्री भोंकारलाल चौहान) : (1) जी हाँ, कृषि प्रसार अधिकारी की सलाह व पंचायत समिति की स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार 100 बीघा भूमि आवंटित करवाने की कार्यवाही की गई थी।

(2) जी हां, परीक्षण से भूमि कृषि योग्य होना बताया गया है।

(3) भूमि अच्छी किस्म की काली मिट्टी की होना बताया गया है। उक्त भूमि में अभी काश्त नहीं की गई है लेकिन वर्षा ऋतु में घास अच्छी पैदा होती है।

(4) भूमि को काश्त करवाने के लिए उसमें खड़े हुए फोग, कैर, व झाड़ियां खोद कर निकाले गये और ट्रैक्टर से जुताई व पाट देने का कार्य करवाया गया। फोग, कैर व झाड़ियां निकालने में 588 रु. मजदूरों को मजदूरी चुकाने में व्यय हुए व ट्रैक्टर से जुताई करवाने व पाट देने में 3200 रु. खर्च हुए।

(5) फार्म पर ट्रैक्टर से कार्य टेन्डर मांग कर करवाया गया। श्री दुलाराम को जिनका न्यूनतम टेन्डर था, दि. 13-9-71 को 3200 रु. का भुगतान किया गया। ट्रैक्टर किसका था, यह जानकारी नही है।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(6) फार्म पर अब तक कुल 3788 रु. व्यय हुआ है। गत वर्ष वर्षा की कमी के कारण काश्त से कोई आय नहीं हुई। लकड़ियों की नीलामी की कार्यवाही चालू है।

गांव डाडूसर के पास की बस्ती

778. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव डाडूसर की सीमा में जायसर गांव की आबादी से लगती हुई बस्ती भूतपूर्व जागीरदार के वक्त से बसी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आबादी जो कि गांव डाडूसर से 5 मील एवं मालासर ग्राम पंचायत मुख्यालय से सात मील की दूरी पर स्थित होने के कारण बीकानेर, गंगानगर रेल्वे लाईन से उत्तर पश्चिम की ओर डाडूसर गांव के रकबे को गांव जायसर की सीमा में सम्मिलित करना जनहित में है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत जायसर ने उक्त रकबे को जिसमें आबादी बसी हुई है जायसर गांव के रकबे में सम्मिलित करने की मांग की है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उपनिवेशन मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

ग्राम पंचायत जायसर की मांग पर इस रकबे को जायसर गांव में शामिल करने पर निर्णय लिया जा सकता है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत, जायसर ने इस सम्बन्ध में जमीन के नक्शे और प्रस्ताव पंचायत ने कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट, बीकानेर को आज से साल भर पहले भेजे जा चुके हैं। अब तक इस आबादी के रकबे को ग्राम पंचायत जायसर में शामिल नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम यह मानते हैं कि यह जो रकबा है वह इस पंचायत में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय जमीन भी इस पर नहीं आई है, और पंचायतों का फैसला तो पंचायत विभाग द्वारा होगा।

श्री भीमसेन : जब मन्त्री महोदय स्वयं चाहते हैं तो फिर अड़चन क्या है। आप स्वयं चाहते हैं कि रकबा इसमें ले लिया जाय तो अड़चन क्या है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोई अड़चन नहीं है। राजस्व विभाग को निर्णय करना पड़ेगा।

श्री भीमसेन : यह रकबा जायसर गांव को ट्रान्सफर होकर इसमें शामिल किया जाय यह निर्णय कोलोनाइजेशन विभाग को करना है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह निर्णय जल्दी कर लिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 779

श्री अध्यक्ष : श्री चिम्मनसिंह भाटी !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

पंचायत समिति सांचोर की पाठशालाओं के शिक्षकों के मामले

780. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) पंचायत समिति, सांचोर की प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों के कितने केसेज वेतन फिक्सेशन तथा एरियर क्यों और कब से बाकी है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें। इसकी जिम्मेवारी किसकी है ?

(2) उक्त शिक्षकों का कब तक वेतन फिक्सेशन कराकर एरियर का भुगतान करा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

(3) उक्त पंचायत समिति में कितने ग्राम सेवकों का वेतन फिक्सेशन होना कब से बाकी है ? उनका वेतन फिक्सेशन कब तक कराकर भुगतान करा दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में मेरे पास जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए निवेदन है कि इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्रीमती मदनकौर !

रूरल वर्क्स प्रोग्राम के तहत पाली व अजमेर जिलों में स्वीकृत कार्य

781. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत पाली और अजमेर जिलों में एनीकट बांध आदि लघु सिंचाई के कितने कार्य स्वीकृत किए गए है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इसी प्रकार क्रेश प्रोग्राम चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसे सिंचाई के कौन 2 से कार्य इन जिलों में करने के प्रस्ताव हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे बांधों के निर्माण की अनुमति सिंचाई आयोग से हो गई है ?

(4) क्या सिंचाई आयोग की अनुमति के बिना ही ऐसे कार्य प्रारम्भ किए गए हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सिंचाई आयोग की क्या उपयोगिता समझती है ?

(5) क्या इन जिलों में बांध बनाने से पूर्व इनकी उपयोगिता को पूर्णतया आंका गया है ?

(6) क्या ये बांध व्यक्ति विशेष या प्रभावशाली वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए हाथ में लिए गए हैं या लिये जा रहे हैं ?

(7) क्या इन एनीकट या बांध निर्माण से जोधपुर-बाड़मेर और जालौर जिलों में पेयजल और कृषि पर विपरीत

(श्रीमती मदनकौर)
प्रभाव पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस संबंध में जागरूक है ?

(8) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति क्या है ?

राज्य मन्त्री, सिचाई (श्री मूलचन्द) : (1) रूरल वर्क्स के लिए अजमेर जिला नहीं चुना गया है पाली जिले में स्वीकृत कार्यों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) सूची "ब" संलग्न है।

(3) राज्य में कोई सिंचाई आयोग नहीं है और ऐसे कार्यों की स्वीकृति के लिए कोई सिचाई आयोग की स्वीकृति की जरूरत नहीं है।

(4) जैसा बताया गया है राज्य में कोई सिंचाई आयोग नहीं है और केन्द्रीय सिचाई आयोग का कार्य ऐसे कार्यों को स्वीकृत करना नहीं है।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं।

(8) रूरल वर्क्स के कार्य सूखा ग्रस्त जिलों में किए गए हैं और केन्द्रीय सरकार की तरफ से स्पोन्सर्ड प्रोग्राम है।

क्रेश प्रोग्रम गावों में बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने की गरज से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पोन्सर्ड किया हुआ है इन दोनों प्रोग्रामों के तहत सिचाई के कार्य लिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, अजमेर और पाली जिलों में बांध जितने भी बनते हैं उनके बारे में पिछली बार भी सदन में बार बार यह ऐतराज उठाया था कि यह बांध बनने से जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में पानी की कमी हो जाती है और कुए सूख जाते हैं और इसलिए मैंने प्रश्न किया था कि इन जिलों में जो भी बांध बनें उनको अच्छी तरह से एक्जामिन करा लिया जाय कि उनकी क्या उपयोगिता होगी, और क्या यह जो नदी नाले आगे जाते हैं वहां पर पानी पर क्या असर पड़ेगा, यह जांच कराने के बाद ही यह काम हाथ में लिए जायं। मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि इस बात की जांच नहो की गई है और न इरादा रखते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूं कि जब तक किसी बांध की उपयोगिता की जांच न करली जाय तब तक काम प्रारम्भ नहीं किया जाय, तो राज्य सरकार इसमें अपनी क्या नीति रखना चाहती है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो उलटा जवाब दिया है। हाउस में एक कमेटी बनी थी। यह मामला तो बहुत लम्बा चौड़ा है। इस कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है। उसमें यह है कि 10 वर्ष तक पाली जिले में कोई बांध नहीं बनाया जाये। इससे बाड़मेर और जालोर जिले पर भी असर पड़ा है।

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट विचाराधीन

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
है। फैसला हो जाने के बाद बांध योजना शुरू होती है। एस्टीमेट होकर यह शुरू की जाती है। अगर किसी बांध से किसी गांव का नुकसान होता है तो ऐसा बांध हम नहीं बनायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंग कैनाल भी तो है।

श्रीमती मदनकौर : उस कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है, तब तक ऐसा कोई कार्य हाथ में नहीं लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चाहे वह गंगानगर हो या बाड़मेर ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसे कार्य नहीं किये जायगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : डायरेक्शन भी मिल गये हैं। मोतीराम कमेटी ने इसको इग्जामिन भी किया था जिसका पानी लूनी नदी में जाकर गिरता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर मोतीराम कमेटी ने इस प्रकार की सिफारिश की है तो ऐसा बांध नहीं बनवायेंगे।

श्रीमती मदनकौर : आप को इतना भी पता नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कमीशन की रिपोर्ट सदन की पटल पर रखने के भी आदेश दिये गये थे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह रिपोर्ट आनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कैबिनेट के विचाराधीन है, इसलिए नहीं रखी है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : कब तक विचार कर लेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : शीघ्र कर लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उस समय काम शुरू हो गया हो।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम ऐसा कोई बांध नहीं बंधवायेंगे जो रिपोर्ट के खिलाफ हो।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, पहले सरकार ने यह फैसला किया था कि जब तक मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जायेगी....

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर आब्जर्वेशन्स के खिलाफ कोई काम हुआ है, आप बतायेंगे तो हम जांच करायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह हाल सारी नदियों पर है। आप का विभाग क्या कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा ले लिया है।

श्री लक्ष्मणसिंह : जहां पर नदी पर बाँध बनाते हैं, इस लिए कि वहां पर लाभ होगा तो लाभ के बजाय वहां पर दुगनी और तिगुनी हानि हो जाती है। कैबिनेट क्या सोच रही है ? इस सदन में इस कार्यक्रम पर विचार भी हुआ था। यह निर्णय लिया गया था कि बांध भविष्य में नहीं बनाये जायेंगे। मन्त्री महोदय को कदाचित जानकारी नहीं

(श्री लक्ष्मणसिंह)
है। यह कैबिनेट स्तर पर बात हुई थी। इसलिए बांध अगर बनाते हैं तो उन्हें रुकवा दिये जायें। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो कि हानिकारक हो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

उदयपुर आयड़ नदी का पुल

782. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर में आयुर्वेद सेवाश्रम के पास वाले पुल (जो कि आयड़ की नदी के ऊपर बना हुआ है) को चौड़ा करने की योजना कब से प्रारम्भ हुई है और कब समाप्त होने की योजना है ?

(2) उदयपुर नगर में पुलां गांव के पास वाले पुल को चौड़ा करने की योजना कब से प्रारम्भ हुई है और कब तक समाप्त हो जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माणमंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) 18-4-71 से कार्य प्रारम्भ हुआ है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(2) इस पुल का सुधार कार्य तथा मरम्मत कार्य वर्ष 1971-72 में कराया गया है। पुल को चौड़ा कराने की योजना भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अर्थाभाव था तो यह योजना क्यों शुरू की गई है ? एक रास्ता तोड़ कर अगर लकड़ी का खम्भा खड़ा करना था तो अच्छा होता यह प्रारम्भ ही नहीं करते।

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने जितना पैसा दिया उतना काम शुरू कर दिया गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा पुल बनाते हैं कि दो गाड़ियां आजायें तो एक गाड़ी नदी में गिर जायेगी। अगर गिर जायेगी तो यह पूरा हो जायेगा। आज वहां यह कहा जाता है कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री मैसूर चले गये। इसलिए यह कार्य भी मैसूर चला गया।

एक माननीय सदस्य : अब आप हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मगर कार्य तो यह करने वाले हैं।

प्रश्न संख्या 783

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री मोहरसिंह !

चूरू भालेरी सड़क के निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

784. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चूरू से भालेरी सड़क के निर्माण में आई हुई भूमि का मुआवजा उसके मालिकों को दे दिया गया है ? यदि हां,

(श्री मोहरसिंह)

तो कब और कितना ? यदि नहीं दिया तो क्यों ?

(2) इस सड़क का निर्माण कब शुरू किया गया था और अब यह मुआवजा कब तक चुका दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि यह मुआवजा शीघ्र चुकाये जाने का आश्वासन विधान सभा में दिया गया था ? यदि हां, तो कब ? और कब तक उस आश्वासन को पूरा किया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं। अवार्ड के अभाव में मुआवजा भुगतान नहीं हुआ है।

(2) सड़क निर्माण कार्य प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल में प्रारम्भ हुआ था। कृषकों से रजामन्दी फार्म भराये गये हैं। अवार्ड वर्ष 72-73 में प्राप्त होने की आशा है।

(3) आश्वासन की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

श्री मोहरसिंह : रजामन्दी के फार्म नहीं भराये गये हैं, अब भराये गये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं देखूंगा, पैसा देने का सवाल है, एक महीने में पेमेण्ट हो जायेगा।

प्रश्न संख्या 785

श्री अध्यक्ष : श्री गोरधनसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री पी. के. चौधरी

फेमिली प्लानिंग सब सेन्टर्स पर बनाये गये भवन

786. श्री पी. के. चौधरी (सांभर) : क्या चिकित्सा एवं परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में फेमिली प्लानिंग सब-सेन्टस के लिए प्रत्येक पंचायत समिति में किस किस स्थान पर कितने मकान बनाए गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इन भवनों के निर्माण पर कुल कितनी रकम खर्च हुई है ?

(2) जिन पंचायत समितियों में फेमिली प्लानिंग सब-सेन्टर्स के लिए भवन बने हुए हैं उनमें से कितनों में स्टाफ नियुक्त किए गए हैं और कब से ? बाकी सब-सेन्टर्स में स्टाफ कब तक नियुक्त किया जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह काफी लम्बा चौड़ा सवाल है। पूरी जानकारी नहीं आई है। इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्रीमती भगवतीदेवी !

पंच सरपंच एवं प्रधानों के दैनिक भत्ते

787. श्रीमती भगवतीदेवी: (भिनाय) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कर्मचारी, विधान सभा सदस्य एवं लोकसभा सदस्य के दैनिक भत्तों में समय समय पर वृद्धि की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि स्वायत्त-शासन इकाइयों अर्थात्, पंचायतों, पंचायत समितियों में पंच, सरपंच एवं प्रधान के दैनिक भत्तों में इनके निर्माण के बाद से अब तक वृद्धि नही की गई है ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सच है कि सरपंच एवं पंचों को किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि अवैतनिक कार्य करते हैं तथा प्रधान को भी बहुत कम अलाउन्स दिया जाता है। क्या सरकार इनके कार्य को देखते हुये उनके भत्ते में वृद्धि का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या राज्य सरकार पंचायतों को अधिक अधिकार एवं आय के स्रोत देने पर भी विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान): (1) राजकीय कर्मचारी व विधान सभा सदस्यों को मिलने वाले दैनिक भत्तों में वृद्धि की गई है। लोकसभा सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) सरपंच एवं पंच को नियमानुसार कोई वेतन नहीं मिलता। प्रधान को नियमानुसार मानदेय मिलता है। भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) पंचायत राज के मूल्यांकन के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय कमेटी नियुक्त हुई है वह इस प्रकार के मामले पर भी विचार कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल !

पांचना बांध

788. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गम्भीर नदी पर पांचना बांध बनाने की केन्द्रीय या राज्य सरकार की योजना है ?

(2) यदि हां, तो इसका कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

(3) क्या यह सत्य है कि इसका सर्वे हो चुका है ? यदि हां तो इस पर कुल कितना खर्चा आवेगा और इस पर केन्द्र सरकार कुल लागत का कितना खर्चा वहन करेगी ?

राज्य मन्त्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) गम्भीर नदी पर पांचना बांध बनाने की कोई योजना नहीं है। पांचना नदी पर पांचना बांध बनाने की राज्य सरकार की योजना है।

(2) इस योजना का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने व आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर ही शुरू किया जा सकेगा।

(3) जी हां, इस पर 103 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है। इस योजना का कार्य राज्य के प्लान बजट में से ही किया जावेगा। केन्द्र द्वारा खर्च वहन करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल !

बामनवास-लिवाली सड़क का कार्य

789. श्री भरतलाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सवाई माधोपुर जिले में बामनवास में लिवाली रोड योजना में है अथवा नहीं ?

(2) क्या इस रोड पर विभाग द्वारा कुछ काम कराया गया है या नहीं ?

(3) यदि कोई काम कराया गया है तो उस पर कितनी धनराशि किस वर्ष में खर्च की गई है तथा अब कब तक यह रोड तैयार हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) योजना में स्वीकृति नहीं है।

(2) वर्ष 1966-67 तथा 67-68 में कार्य कराया था।

(3) वर्ष 1966-67 तथा 67-68 में क्रमानुसार 3180/-तथा 4739/-रुपया व्यय हुआ है।

श्री भरतलाल : अध्यक्ष महोदय, जब योजना में नहीं था तो कार्य क्यों कराया गया है?

श्री हरिदेव जोशी : नॉन प्लान से हुआ होगा।

श्री भरतलाल : आपके डिपार्टमैन्ट ने पैसा लगाया है। अध्यक्ष महोदय, चार मील का टुकड़ा है, उसको नॉन प्लान में ही करवा दें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं देख लूंगा।

लालगढ़ बांध का सर्वे

790. श्री मुंशीलाल महावर (बस्सी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लालगढ़ बांध का सर्वे हुआ है? यदि हां तो इस बांध के जीर्णोद्वार का महत्त्व समझते हुए क्या राज्य सरकार इस कार्य को बरसात के पूर्व पूर्ण कराने का इरादा रखती है?

राज्य मन्त्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) : जी हाँ। ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत इस कार्य ....

श्री अध्यक्ष (श्री मुंशीलाल महावर से) : आप विराज जाइए।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मन्त्री से) आप तो बोलिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अजी साहब मुंशी आदमी है, क्यों कष्ट दे रहे हैं?

श्री मूलचन्द : का सर्वे कराया गया हैं। धनाभाव के कारण बरसात से पहले इसे पूरा कराना सम्भव नहीं है।

श्री मुंशीलाल महावर : ऐसा है, अभी सर्वे हुआ है, सत्तर हजार का एस्टीमेट बना है, यह क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत नहीं आ सका, इसे अगली बार बजट में लेंगे या नहीं इसके बारे में उत्तर दें।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): इसका 61 हजार का तखमीना बना है और इसको क्रेश प्रोग्राम में ले सकते थे, लेकिन क्योंकि इस बांध की ऊंचाई और करनी है, इससे भूमि डूब में आती है, जो भूमि डूब में आती है इसका कम्पेन्सेशन देने का क्रेश प्रोग्राम में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। आयन्दा हम सोचते हैं, इसको प्लान के अन्दर ले लें और बाकी का क्रेश प्रोग्राम में ले लें तो यह काम आयन्दा ले सकते हैं।

श्री मुंशीलाल महावर : मेरा निवेदन यह हैं कि बरसात होने के बाद इसमें पानी आयेगा उससे पचास खेत और सैकड़ों बीघा जमीन बरबाद होती है, इसलिए इसके महत्त्व को समझते हुए इसका जीर्णोद्धार करना है। आप नाकेबन्दी करवा देंगे तो इससे फायदा होगा। इसलिए महरबानी करके आप आश्वासन दें तो अच्छा होगा।

Page No. 23

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तालाब सिल्ट से भर चुका है, इस बांध को ऊंचा करके ही पानी इसमें भर सकता है, और कोई जरिया नहीं है सिवाय बांध को ऊंचा करने के, मैंने जैसा निवेदन किया, इससे आस पास की भूमि डूब में आती है, भूमि डूब में आने के कारण से इसे क्रैश प्रोग्राम में नहीं ले सकते। इसलिए प्लान में प्रावधान नहीं रखा था। इसलिए इस साल नहीं ले सके, आयन्दा साल लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नाकेबन्दी तो करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचरण !

हरिजनों को मकानों के लिए ऋण

791. **श्री रामचरण** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अटरू व बोरदा कालोनी के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों को मकानों के लिए 1970-71 में बगैर सूद के ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो ऐसे लोगों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त ऋण का वितरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब किया गया ?

(3) यदि ऋण का वितरण नहीं हुआ, तो उसका क्या कारण है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां, समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1970-71 में अटरू व बोरदा के हरिजनों एवं अनुसूचित जाति के....

श्री मुन्शीलाल महावर : मन्त्री महोदय ने कहा है, मैं....

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल आ गया है, उसके सम्बन्ध में न पूछें इस वक्त।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुंशी जी ने बही खाता फिर खोल लिया।

श्री ओंकारलाल चौहान : परिवारों को भवन निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया था जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) ब्याज मुक्त ऋण नियम, 1970 के अन्तर्गत ऋण लेने वाले को भूमि सरकार को गिरवी रखनी होती है (रहननामा या बाण्ड तथा दो व्यक्तियों की जमानत सरकार को देनी होती है। जो इन परिवारों ने अभी तक नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जिलाधीश, कोटा द्वारा ऋण की रकम वितरण नहीं की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री गुरुदयालसिंह संधु : जिन काश्तकारों के पास जमीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री रामचरण : जो सूची दी गई है इसमें एक किश्त दे दी गई है, वह सच है, मन्त्री महोदय बतलायें, यह सूची है....

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछ लीजिये।

श्री औंकारलाल चौहान : जो सूची दी है वह सही है और माननीय सदस्य के पास पहुंच गई है।

श्री रामचरण : यह पूछ रहा हूँ कि प्रथम किश्त दे दी गई है क्या ?

श्री औंकारलाल चौहान : मैं समझा नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह फर्मा रहे हैं कि एक किश्त दे दी गई है जिलाधीश को ?

श्री औंकारलाल चौहान : जी नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : सूची में कैसे बतलाया है ?

श्री औंकारलाल चौहान : मैं निवेदन करूं, प्रथम किश्त दे दी थी, और उन्होंने फार्मेलिटी पूरी नहीं की, इस कारण किश्त नहीं दी जा सकी।

श्री रामचरण : बात सही यह है कि दो तीन साल हो गये हैं, समाज कल्याण अधिकारी दो सो रुपये मांग रहा है, इसलिए नहीं दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द सांमरिया : दो सौ रुपये ज्यादा तो नहीं है, मेरी समझ में, इस मुताबिक आपको दे देने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरी मल !

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपका सुझाव ठीक है।

श्री मूलचन्द सांमरिया : दो सौ रुपये ज्यादा नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सुझाव आपका तजुर्बे के आधार पर है।

श्री रामचरण : हर एक से दो सौ मांग रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अपना पहले कल्याण करें या आपका कल्याण करें ?

श्री अध्यक्ष : श्री केसरी मल !

पत्थर की तुड़ाई, कटाई तथा घिसाई करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन

792. श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने पत्थर तुड़ाई, कटाई और घिसाई (स्टोन कशिंग) एण्ड ग्राइंडिंग) के कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 8 अक्टूबर, 1971 से 85.00 माहवार या 3.25 पैसा प्रति दिन दिलाना तय किया है ?

(2) क्या राजस्थान में कई जगह अलग अलग रंगों में निकलने वाले संगमरमर के पत्थरों को तोड़ने, निकालने वाले श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतन दिलाने का प्रावधान उक्त घोषणा में किया गया है ? यदि हां तो इन खानों पर काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(3) सरकार ने उपरोक्त धन्धे में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम वेतन

Page No. 25

(श्री केशरीमल) अधिनियम के तहत वेतन दिलाने की क्या कार्यवाही की ?

(4) संगमरमर की कितनी खानें हैं और कौनसी खानों में न्यूनतम वेतन दिये जाने की व्यवस्था चल रही है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) :

(1) जी हां।

(2) संगमरमर के पत्थर को तोड़ना या पीसना न्यूनतम वेतन अधिनियम के परिशिष्ट में स्टोन ब्रेकिंग एण्ड स्टोन क्रशिंग के उद्योग के अन्तर्गत आ जाता है, इसके लिए अलग से घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। इन खानों पर काम करने वाले श्रमिकों को भी यही न्यूनतम वेतन मिलना चाहिये।

(3) चूंकि यह उद्योग स्टोन ब्रेकिंग एण्ड क्रशिंग की परिभाषा में आजाता है, अतः न्यूनतम वेतन दिलाने के लिये अलग से कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। जो निरीक्षक न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त है, वे ही इस कार्य को भी देखते हैं।

(4) संगमरमर की 66 खाने है, खानों में न्यूनतम वेतन दिलाये जाने तथा निरीक्षण की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है चूंकि खाने केन्द्र के अधीन हैं इसके उपरान्त भी राज्य सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित कर देगी।

श्री केशरीमल : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो खरवा के पास खान है, वहां मजदूरों को कितना न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसी न कोई सूचना है, न किसी की शिकायत प्राप्त हुई है कि मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है वह नहीं मिल रहा है। माननीय सदस्य इस प्रकार की कोई शिकायत देंगे तो मैं जांच करा कर न्यूनतम वेतन दिलाने की कार्यवाही करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने कहा, संगमरमर की खान 66 राजस्थान में है तो इन 66 खानों में क्या यह सही है, न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है।

श्री ओंकारलाल चौहान : न्यूनतम वेतन फिक्स करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को दे रखा है, उसके अन्तर्गत यह न्यूनतम वेतन फिक्स किया गया है, लेकिन न्यूनतम वेतन को एन्फोर्स करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, जैसा पूर्व में निवेदन किया, पूर्व सवाल के अन्दर मैं निवेदन कर चुका हूँ, मैंने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय जिससे राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन फिक्स किया जाता है वह लागू करायी जाय, और जो श्रमिकों को राहत नहीं मिलती है, न्यूनतम वेतन एक्ट के अन्तर्गत, वह राहत दिलाई जा सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : संगमरमर की खान है उनमें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है, उनको डेढ़ दो रुपये दिए जाते हैं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
जबकि 3.25 देने चाहिए क्या आपने इस प्रश्न के प्राप्त होने के बाद में जानकारी की है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं निवेदन करूं इस प्रकार की समस्या है, यह जानकारी में है। हम भारत सरकार को लिख रहे हैं, और जैसा मैंने निवेदन किया, मैं लिख चुका हूं। सारे राजस्थान के अन्दर जितनी खान आती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं न्यूनतम वेतन एक्ट के सेक्शन 2 के अन्दर है :

"Appropriate Government" means in relation to any scheduled employment carried on by or under the authority of the Central Government or a Railway administration or in relation to a mine or oil field, the Central Government."

इसके एन्फोर्समेन्ट से ताल्लुक केन्द्रीय सरकार से है। मैं भी चाहता हूं, राज्य सरकार भी वास्तव में चाहती है कि जब हम न्यूनतम वेतन फिक्स करते हैं तो वह न्यूनतम वेतन लागू होने चाहिए। लेकिन एन्फोर्स की जो शक्ति और अधिकार है, वह केन्द्रीय सरकार को है, इसलिए हमने कहा है कि इसके सम्बन्ध में जल्दी विचार करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : संगमरमर की खानों में कई जगह मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार वेजेज नहीं मिल रही है—यह आपने मंजूर किया है, तो वह कौन 2 सी खाने हैं, कब से नहीं मिल रही है और आपके डिपार्टमेंट ने आपको कब रिपोर्ट दी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : इसकी जानकारी नहीं है, माननीय सदस्य अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी दे सकूंगा।

श्री केशरीमल : राज्य के श्रम विभाग को वास्तव में न्यूनतम वेतन इन खानों में लागू कर दिया गया है, यह जानकारी है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जहां न्यूनतम वेतन लागू है, केन्द्रीय सरकार को एन्फोर्स करने का हक है, उसने लागू किया और निरीक्षण भी केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है।

श्री केशरीमल : कौनसी तारीख को घोषणा की है ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

प्रश्न संख्या 430

श्री उम्मेदीलाल !

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री रामेश्वरलाल चौधरी !

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरलाल चौधरी !

स्थगित प्रश्न (दिनांक 16-5-72)

राजस्थान साहूकारी अधिनियम

518. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राजस्थान साहूकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन हेतु पिछली अवधि में लागू किए गए अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(2) राजस्थान साहूकारी अधिनियम के अधीन जिन व्यक्तियों ने लाइसेंस हेतु समय पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिए थे उनको सम्बन्धित अधिकारी ने बीकानेर खण्ड में 2-3 वर्ष के पश्चात् लाइसेंसों पर जांच के पश्चात् हस्ताक्षर किए या स्वीकार किए? क्या ऐसे स्वीकृत लाइसेंसों की समयावधि हस्ताक्षर करने की तिथि से अगले 3 वर्ष के लिए निश्चित की है? क्या यह उचित है? अगर नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही नहीं है कि इस अधिनियम से जनता को सुविधा के स्थान पर असुविधा अधिक हुई है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर सहायक रजिस्ट्रार की सिफारिश के पश्चात् रजिस्ट्रार, बीकानेर द्वारा बिना कारण बताये हर प्रार्थी को बुलाना जरूरी है?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :

(1) जी हां। विधेयक प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी?

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-5-72)

भूतपूर्व सैनिकों व भूमिहीन सैनिकों को आवंटित भूमि

559. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर में भूतपूर्व सैनिकों व भूमिहीन सैनिकों को भूमि आवंटित की गई है? यदि हां, तो कुल कितने सैनिकों को भूमि आवंटित की गई है? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन्हें भूमि आवंटित की गई है उनमें ऐसे भी कई भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हैं जो राजकीय सेवा में भी उच्च पदों पर हैं या रहे हैं? यदि हां, तो कौन कौन व किस किस पद पर थे या हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No. 28

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(3) क्या यह सही है कि यदि भूतपूर्व सैनिक राजकीय सेवा में कार्य करता हो तो उसे ऐसे आवंटन से पूर्व जिलाधीश अथवा राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या इन नियमों की पालना ऐसे आवंटनों से पूर्व की गई है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ऐसे अनियमित आवंटनों को रद्द करने हेतु कार्यवाही करेगी?

सैनिक कल्याण मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, जिन्हें भूमि आवंटन की गई है उनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सूची मुझे नहीं मिली है अभी तक!

श्री रामचन्द्र चौधरी : (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने शौर्य पुरस्कार प्राप्त किया है उन्हें पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है साधारण नियमों के तहत भूमि आवंटन करने में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 101 (3) के अनुसार कार्यवाही की जाती है जिसमें गजेटेड अधिकारियों के लिए राज्य सरकार एवं नॉन-गजेटेड के लिए जिलाधीश की स्वीकृति आवश्यक है। यह कार्यवाही हर मामले में की गई अथवा नहीं—यह कहना कठिन है। यदि कोई विशेष मामले राज्य सरकार के नोटिस में लाये जावेंगे तो उन पर कार्यवाही कर ली जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई।)

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरा एक प्रश्न है, यह प्रायर एप्रूवल राज्य सरकार की जरूरी है तो अब तक कानून के तहत जिन्हें भूमि आवंटित की जाती हैं, उनके लिए प्रायर एप्रूवल राज्य सरकार की जो आवश्यक है, वह प्रायर एप्रूवल ली गई है या सब्सीक्वेण्टली ली गई है? बिना राज्य सरकार की इजाजत के जमीन आवंटित की है तो उसे वॉइड कर सकते हैं क्योंकि यह प्रायर एप्रूवल कानून के अनुसार जरूरी है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कानून के अनुसार प्रायर एप्रूवल चाहिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अगर मैं बताऊं कई केसेज कानून के अनुसार नहीं हैं तो ऐसी एलॉटमैंट्स को कैंसिल करेंगे?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जांच करके कार्यवाही करेंगे?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जांच का सवाल नहीं है। अभी आपने कहा कि जिनको बिना राज्य सरकार की प्रायर एप्रूवल के भूमि आवंटित की गई है, ऐसे मामले मैं सदन के समक्ष पेश करता हूं, आपने कहा है कि बिना प्रायर एप्रूवल लिए एलॉटमेंट इल्लीगल हैं तो यदि मैं सिद्ध करूं कि बिना प्रायर एप्रूवल लिए एलॉटमेंट किया गया है तो उसको कैंसिल करेंगे?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कौनसी कार्यवाही करेंगे? कहिए कैंसिल करेंगे, मैं अभी अभी मामला आपको देता हूं।

Page No. 29

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : यदि राज्य सरकार ने रेग्युलराइज नहीं किया है तो बाद में कर सकती है या नहीं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी ने कहा दिया कि कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी मदद करें। स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। कानून के हिसाब से प्रायर एप्रूवल चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप जानते हैं कि जो कानूनी कार्यवाही होगी, वह की जाएगी।

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे।)

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो भी इल्लीगल एलाटमेंट्स हुए हैं भूमि के, वह कैंसिल होंगे क्योंकि प्रायर एप्रूवल नहीं था।

श्री अध्यक्ष : लीगल कार्यवाही के लिए कह रहे हैं।

श्री जेठमल आर्य।

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 17-5-72

सिरोही जिला परिषद् की बैठकें

560. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिला परिषद् की वर्ष में कितनी साधारण बैठकें हुई तथा नियमानुसार कितनी बैठकें होनी चाहिए थीं ?

(2) सिरोही जिले में, भंडार, भराना सिलदर तथा कालन्द्री पंचायतों के सरपंचों के रिक्त स्थान अभी तक क्यों नहीं भरे गए ?

(3) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की कालन्द्री पंचायत में श्री भीमराज सरपंच का कार्य अवैधानिक रूप से बिना निर्वाचित हुए ही कर रहे हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उन्होंने इस पद का दुरुपयोग करके कालन्द्री शहर में आवास की भूमि पर चार मूल्यवान प्लॉट अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम किए हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) कुल दो बैठकें हुई व नियमानुसार चार बैठकें होनी चाहिए थी।

(2) ग्राम पंचायत भटाना व कालेन्द्री के सरपंचों के स्थान रिक्त हैं। निर्वाचित नहीं कराने का आदेश राज्य सरकार का होने से रिक्त स्थान नहीं भरे गए। सिलदर का स्थान रिक्त नहीं है बल्कि उच्च न्यायालय के आदेश से सरपंच को कार्य करने से रोका गया है। जिलाधीश के द्वारा भंडार का स्थान रिक्त नहीं होना बताया गया है।

(3) जी हां।

(4) प्लॉट लेने की शिकायत की जांच कराई जा रही है।

श्री जेठमल आर्य : क्या यह सही है कि भीमराज सरपंच ने अपने नाम से प्लाट लिए हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : इसकी जांच कराई जा रही है, अगर अनियमित रूप से हैं तो कैंसिल करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री जनार्दनसिंह गलहोत : हर मामले में कहते हैं जांच की जा रही है, नतीजा तो किसी का भी सदन में नहीं आता ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई अनियमितता होती है तो जांच कराना सरकार का कर्त्तव्य है। अगर जांच में गड़बड़ी हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

श्री रोशनलाल : इसमें जांच कब शुरू की गई ?

श्री ओंकारलाल चौहान : 31-12-71

श्री रोशनलाल : दिसम्बर में जांच शुरू की गई और जांच होकर कागज नहीं आए ? चार प्लॉटों का मामला है, 4 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक कागज नहीं आए।

श्री जेठमल आर्य : वहां के सरपंच का देहान्त होगया तो श्री भीमराज अपने को सरपंच मानकर प्लाटों की बिक्री की कार्यवाही कैसे कर रहा है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : 31-12-71 को जिलाधीश के द्वारा जांच कराई जा रही है। वास्तव में इस केस में देरी हुई है। मैं जल्दी जांच पूरी कराने की कोशिश करूंगा और फिर दुबारा आदेश दूंगा कि जल्दी कार्यवाही की जाए।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): एक अवधि तो तय कर लें कि इस अवधि में हो जाएगा 12 महीने दो साल 4 साल, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कुछ तो तय करलें।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचंद्र जैन !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप अधिकारियों को समय दें एक महीने के अन्दर, 15 दिन के अन्दर, दो महीने के अन्दर जांच करके रिपोर्ट भेजें और अधिकारी उस समय तक रिपोर्ट नहीं देते हैं तो उनके साथ सख्ती के साथ बर्ताव करें, एक्शन लें, आप छोड़ देते हैं उससे सारा मामला रेड टेपिज्म में लम्बा होता चला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 17-5-72)

ग्रामीण क्षेत्र में निशुल्क प्लॉटों का वितरण

570. **श्री वृद्धिचंद्र जैन** (बाड़मेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन) जन जातियों के सभी सदस्य गांव के छोटे कारीगरों और भूमिहीन श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भवन बनाने हेतु निःशुल्क प्लॉट देने का निश्चय किया है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने क्या यह भी जानकारी प्राप्त की है कि विभिन्न जिलों में कितनी कितनी जमीन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निशुल्क प्लॉटों के द्वारा दे सकेगी ?

(3) उक्त प्लॉटों को देने की कार्यवाही के बारे में राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में जो कदम उठाए हैं उनकी प्रगति क्या रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां। नियमों में ऐसा प्रावधान है।

(2) ऐसे आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए हैं।

(3) नियमानुसार निःशुल्क भू खण्ड देने की कार्यवाही पंचायतों द्वारा की जा रही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो मैंने आंकड़े मांगे थे कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को प्लॉट दिए जा रहे हैं या नहीं, जब तक आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं तब तक सही स्थिति का पता नहीं लगता और मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ओर उदासीन है, यद्यपि केन्द्रीय सरकार से पूरी तरह से मदद दी जा रही है. सबसिडी दी जा रही है, फिर भी राज्य सरकार इस मामले में सक्रिय नहीं है और प्लॉटों का वितरण नहीं हो रहा है निःशुल्क। इसलिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकार सक्रिय होकर कदम उठाए और आंकड़े जल्दी से जल्दी एकत्रित करके हमें दे और तब तक प्रश्न स्थगित किया जाए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने जो यह कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति वालों को निःशुल्क प्लॉट्स दिए जाते हैं, यह बिल्कुल गलत है, उदयपुर में अभी 5-6 महीने पहले जो इन लोगों को प्लॉट्स दिए गए हैं, सबको कीमतन दिए गए हैं, किसी को भी फ्री नहीं दिया गया है।

श्री ओंकारलाल चौहान : जांच करवाई जाएगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जांच तो आपकी लम्बी चलती है। कह दीजिए, दो महीने में या एक महीने में और एक समिति मुकर्रर करें जो केवल जांच का काम करे।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं ... करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। माननीय सदस्य ने जो बात कही, अभी तक तो कोई भी हमारे ध्यान में यह बात नहीं लाया। आज आपने कहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं शीघ्र जांच की जाएगी और अगर ऐसा हुआ है तो ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक महीना दो महीना तय करलें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम जो कह रहे हैं वह निःशुल्क की बात अलग है। पैसे से तो देते ही हैं। जांच क्या करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : राजस्थान के स्तर पर शुल्क पर दिया हो उसकी जांच, निःशुल्क दिया हो उसकी जांच, माइने जिनसे पैसा वसूल किया उसकी भी राजस्थान के स्तर पर और जिनको निःशुल्क दिया गया है, वह भी राजस्थान के स्तर पर आंकड़ों सहित....

श्री ओंकारलाल चौहान : जिनको निःशुल्क दिया गया है, मेरे पास जानकारी मिली है राजस्व विभाग से उसमें 14 जगह 4235 व्यक्तियों को निःशुल्क भूमि का आवंटन हुआ है सारे राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 17-5-72)

तालाब रतनसागर की मोरियां

587. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जैतपुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर, में सरकारी तालाब रतनसागर की मोरियां मिट्टी आदि के कारण रुक गई हैं? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करवा दी जायेगी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तालाब का पानी सिंचाई के कार्य में आता है? यदि हां तो इससे कितनी जमीन की सिंचाई की जाती है?

(3) इसको ठीक कराने के सम्बन्ध में आज तक किन-किन को शिकायतें की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ट्रांसफर होकर मेरे पास आया है अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके यहां तो अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, अब सवाल भी ट्रांसफर होने लगे?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी हां, जवाब तो मैं दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगले दो दिन में आएगा?

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

राजस्थान नहर की लाइनिंग का कार्य

793. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान नहर की लाइनिंग के काम की प्रगति प्रायः कम है? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं तो किस गति से चल रही है?

(2) राजस्थान नहर के निर्माण में अब तक कितना अर्थ वर्क किया जा चुका है जिस पर लाइनिंग नहीं हुई है तथा इसके लिए कितनी ईंटों व टाइल्स की आवश्यकता है?

(3) क्या यह सही है कि इस लाइनिंग के लिए ईंटों व टाइल्स की व्यवस्था विभागीय भट्टों द्वारा की जा रही है? या ठेकेदारों से भी व्यवस्था करवाई जा

Page No. 33

(श्री गोपाल जोशी)

रही है ? कितने विभागीय भट्टे हैं व कितने ठेकेदारों के भट्टे हैं ?

(4) चालू वर्ष में कितनी ईंटें व टाइल्स बनाने का अनुमान है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचंद्र चौधरी) : (1) जी हां समुचित धनराशि एवं आवश्यक मात्रा में कोयला नहीं मिलने के कारण काम की प्रगति कम है।

(2) राजस्थान नहर पर लगभग 21 मील लंबाई में अर्थ वर्क किया जा चुका है जिस पर लाईनिंग नहीं हुई है। इस कार्य के लिए लगभग 6 करोड़ टाइलों की आवश्यकता है।

(3) लाईनिंग के कार्य के लिए टाईल्स की व्यवस्था विभागीय भट्टों व ठेकेदारों दोनों से ही की जा रही है। 11 विभागीय व 10 ठेकेदारों के भट्टे हैं।

(4) चालू वर्ष में मुख्य नहर लाईनिंग के कार्य के लिए लगभग 5 करोड़ टाइल्स बनाने का अनुमान है।

श्री गोपाल जोशी : ये जो भट्टे लगवाए हैं क्या आपके 6 करोड़ टाइल्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां। मैंने बताया कि 5 करोड़ टाइल्स इसी साल बनाई जायंगी।

श्री गोपाल जोशी : क्या आप बतायेंगे कि 1970-71 में कौनसा अर्थ वर्क हुआ कितने दिनों तक भट्टे खाली पड़े रहे और....

श्री रामचन्द्र चौधरी : 1970-71 के कोई आंकड़े नहीं है न आपने सवाल में ही यह पूछा है।

श्री गोपाल जोशी : क्या समय पर काम नहीं होने से अर्थवर्क खराब नहीं हुआ है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आयी।

श्री गोपाल जोशी : क्या यह सत्य है कि राजस्थान नहर का कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसका कारण यह है कि कभी ईंटें नहीं होती है तो कभी टाइल्स नहीं होते हैं। और इस प्रकार कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है जिससे कि काम समय पर नहीं होने से धन का अपव्यय होता है। अभी तक इस वर्ष में कितना अर्थ वर्क होना था और कितना अर्थ वर्क हुआ है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस साल 33 मील अर्थ वर्क होना था जिसमें से 15 मील हुआ है।

श्री गोपाल जोशी : क्या आप इसे कार्य को सन्तोषजनक समझते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : काम चल रहा है लेकिन जितना चलना चाहिये उतना नहीं चल रहा है।

श्री गोपाल जोशी : यह क्यों नहीं आवश्यकतानुसार चल रहा है। ये जिम्मेवारी किसकी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितने पैसे मिलने चाहिये थे उतने पैसे नहीं मिलने के

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
कारण व कोयले की कमी के कारण भट्टों में टाइल्स नहीं बन सकी उसके कारण।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा । आपने कुलदीप सिंह को भट्टे का ठेका दिया है 50 लाख टाइल्स के लिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सिर्फ कुलदीप-सिंह को ही थोड़े दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने कुलदीप सिंह को साजोड़ा में आर. सी. पी. को ब्रिक्स सप्लाई करने के लिये 50 लाख का ठेका दिया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने थोड़े ही दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा की तरफ (मुखापेक्ष) आप पूछना चाहें तो कुछ और पूछ लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान नहर में लाईनिंग वर्क की प्रोग्रेस कम है ? और कम है तो क्यों है, और एक साल में कितने मील लम्बी लाइनिंग का कन्सट्रक्शन होना चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस सारे का जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं। जब कट मोशन्स चल रहे थे तब मैंने सब बता दिया था। कोई डेफिनेट प्रश्न हो तो अलग बात है।

श्री गोपाल जोशी : यह काम किस गति से चल रहा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या यह सही है कि एक साल में सिर्फ डेढ़ मील का ही काम हुआ है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह गलत है 3.5 मील का लाइनिंग का काम हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत कह रहे हैं। वहां सिर्फ 1.8 मील प्रति इयर के हिसाब से काम हुआ है और अगर इससे ज्यादा कन्स्ट्रकशन हुआ हो तो मैं चेलेन्ज करता हूं मन्त्री महोदय को कि मैं हाउस से इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो वो मेरा चेलेन्ज स्वीकार करें।

एक माननीय सदस्य : हांडा साहब चेलेन्ज बहुत देते हैं। क्या बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नहरी क्षेत्र का परिवर्तन करने का आधार

764. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भाखरा नहर तथा गगनहर क्षेत्र का कितना कितना रकबा इस समय राजस्थान नहर द्वारा सिंचित हो रहा है ? सूची सदन की मेज पर गांव वार रखें।

Page No. 35

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(2) भविष्य में कितना क्षेत्र उपरोक्त दोनों नहरी क्षेत्रों का राजस्थान नहर क्षेत्र में आ रहा है?

(3) नहरी क्षेत्र का परिवर्तन किस कानून, नियमों तथा किन मान्यताओं के आधार से किया जाता है?

उत्तर

(1) भाखरा तथा गंगनहर का 73229 एकड़ रकबा राजस्थान कैनाल से सिंचित हो रहा है।

(2) यह सरकार के विचाराधीन है।

(3) भाखरा व गंग कैनाल के जिन क्षेत्रों में अच्छी प्रकार से सिंचाई नहीं हो पा रही थी और जहां राजस्थान नहर द्वारा बिना कठिनाई के उचित सिंचाई सुविधा पहुंचाई जा सकती है, ऐसे क्षेत्रों का ही परिवर्तन फिलहाल किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध पानी का उचित व शीघ्र उपयोग करने के विचार से भी परिवर्तन किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

नगरपालिकाओं की अनुदान की राशि

770. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) एवं श्री मनफूल राम (केशरी सिंहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सेक्शन आफीसर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिनांक 31-3-1972 को करीब 45 नगरपालिकाओं के लिए सड़क व नाली निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत कर अधिशासी अभियन्ता, भवन एवं पथ, सिटी डिवीजन, प्रथम जयपुर को राशि ड्रा करने के लिये निर्देश जारी किये थे।

(2) यदि हां तो क्या इसकी पालना की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता ने केवल 13 नगरपालिकाओं के स्वीकृत अनुदान की ही राशि ड्रा की है और शेष करीब 32 नगरपालिकाओं की स्वीकृत अनुदान की राशि ड्रा नहीं की गई है? इससे ये नगरपालिकायें वर्ष 1971-72 के सड़क व नाली निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि से वंचित रह गई हैं?

(4) क्या सरकार इस राशि को इस वित्तीय वर्ष में देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। क्योंकि महालेखाकार द्वारा पे ऑथोरिटी जारी नहीं की गई।

(3) जी नहीं। पे ऑथोरिटी के अभाव में किसी भी पालिका को राशि उठाई नहीं गई है।

(4) विचाराधीन है।

मौजा किशनबाग की खसरा नं. 113 की भूमि पर कब्जा

774. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर मौजा किशनबाग जहां नाहरी का नाका योजना नगर विकास न्यास द्वारा चालू है में खसरा नं. 113 रकबा 24.24 बीघा पर गत 15 वर्ष में कब कब इस भूमि पर किस किस का कब्जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार जयपुर ने उक्त भूमि को अवैधानिक रूप से सर्वश्री हरिसिंह, गिरीराज व रमेशचन्द्र पुत्र श्री जोरावरमल के नाम से नामान्तरकरण करदी है ? यदि हां, तो यह नामान्तरकरण किन आधारों पर किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने परिपत्र सं. एफ. 3 (66) राज / ख/ग्रुप 2 (62). दिनांक 11-10-63 के द्वारा इस प्रकार के फंसले को रद्द करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या आदेशों की पालना की गई या नहीं ? यदि हां, तो कब एवं नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) क्या जयपुर शहर के 10 मील के एरिया (म्यूनिसिपल सीमा) में तहसीलदार को ऐसे अधिकार है कि वह उसका निर्णय दे सके ?

उत्तर

(1) खसरा नं. 113 का रकबा 76 बीघा 3 विस्वा है। इसमें सम्वत् 2017 तक बरुदे रेकार्ड किसी का कब्जा नहीं है। सम्वत् 2018 से 2023 तक संलग्न सूची के अनुसार कब्जा रहा है। सम्वत् 2024 से अब तक यह भूमि पड़त रही है।

(2) जी हां, तहसीलदार, जयपुर के आदेश दिनांक 17-12-62 के अनुसार श्री हनुमानसिह पुत्र गिर्राज, रमेशचन्द्र पुत्र जोरावरसिंह के नाम नियमन की जा कर नामान्तरकरण संख्या 11 व 12 दिनांक 19-9-63 को 24-24 बीघा के नामान्तर करण तस्दीक किये गये हैं। डॉक्टर हरिसिंह व गिर्राज को नियमन नहीं किया गया है। बल्कि श्री हनुमानसिंह द्वारा डॉक्टर हरिसिंह को विक्रय किया गया है।

(3) जी नहीं। इस दिनांक को कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखियें)

जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर पर विद्युत विभाग की बकाया राशि

775. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर पर राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की कितनी राशि किस तिथि से बकाया है तथा इसकी वसूली के लिये कब कब नोटिस दिये ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No. 37

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग को रियायती दर पर बिजली दी जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि साधारण उपभोक्ता या लघु उद्योग द्वारा इस प्रकार की अनियमितता करने पर विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है ? यदि हां, तो फिर किन कारणों से जयपुर उद्योग लिमिटेड का इतनी राशि बकाया होने के उपरान्त कनेक्शन नहीं काटा गया ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां न्यायालय के स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के कारण कनेक्शन नहीं काटा गया ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

भीम व देवगढ़ तहसील में आयुर्वेदिक औषधालय

779. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले की भीम तहसील व देवगढ़ तहसील में वर्ष 1970-71 में कहां कहां आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की योजना थी ?

(2) क्या यह सही है कि भीम तहसील के जेतपुरा व ठीकरवारा गांव में आयुर्वेद औषधालय खोलने की स्वीकृति दे दी गई थी ? यदि हां, तो अब तक वहां औषधालय क्यों नहीं खोले गये तथा अब कब तक औषधालय खोलने का विचार है ?

उत्तर

(1) 1970-71 में सारे राजस्थान में 35 आयुर्वेद औषधालय योजनानुसार खोले गये । तहसील भीम के गांव बखाता में भी उस वर्ष एक औषधालय खोला गया । तहसील देवगढ़ के लिये कोई नियमित (अ. पंचायत समिति, जिला परिषद) प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

(2) जी नहीं, इन स्थानों के लिए स्वीकृति वित्तीय अभाव के कारण नहीं दी गई । वित्तीय उपलब्धि पर ही इन स्थानों पर औषधालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

ग्राम सित्तोड़ में प्राथमिक शाला का भवन

783. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि पंचायत समिति नादोती, मुख्यालय वामनवास (सवाई माधोपुर) के अन्तर्गत सित्तोड़ ग्राम के लोगों ने कुछ वर्ष पूर्व लगभग 20 हजार रुपये लगाकर प्राथमिक शाला का भवन बनाया था ?

(ख) क्या यह सच है कि पंचायत समिति द्वारा चलाया जा रहा प्राथमिक स्कूल काफी समय से उक्त भवन में चल रहा था ?

(श्री मीठालाल)

(ग) क्या यह सच है कि अब शाला को एक अन्य भवन में स्थानान्तरण कर दिया है? यदि हां तो क्यों?

(घ) ग्रामवासियों का ऐसे कार्य में योगदान देने सम्बन्धी उत्साह भंग न हो, इसलिए क्या सरकार उक्त शाला को पुनः पहले वाले भवन में चलायेगी? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। कुछ समय चलाया था।

(ग) जी, नहीं। शाला पंचायत समिति द्वारा बनाये गये भवन में चल रही है।

(घ) प्राथमिक शाला पंचायत समिति द्वारा बनाये गये भवन में चल रही है। अतः उसका ग्रामवासियों द्वारा बनाये गये भवन में चलाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम देवीपुरा में बांध का सर्वे

785. श्री गोरधनसिंह (सीकर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम देवीपुरा, पंचायत समिति, शाहपुरा (जयपुर) में एक बांध का सर्वे किया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि चुनावों से पूर्व इस पर कार्य भी शुरू हुआ था जो बाद में अब तक बन्द पड़ा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस बांध के निर्माण से बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोका जा सकता है और अनुकूल जल सप्लाई से हजारों बीघा बंजर भूमि उपजाऊ बन सकती है?

(4) अब इस बांध का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस विभाग में ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(3) इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण ही नहीं कराया गया इसलिए कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10-5-72 व 17-5-72)

ग्राम पंचायत बभेड़ा (हिन्डौन) के बांध की मरम्मत

430. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत बभेड़ा, तहसील हिन्डौन में एक पुराना पक्का बांध था जो अब टूटा पड़ा हुआ है?

(2) क्या यह सच है कि इस बांध के टूट जाने के बाद आस-पास के करीब

(श्री उम्मेदीलाल)
इस ग्राम के कुओं का पानी बहुत नीचे (लगभग 40 हाथ पानी नीचे) चला गया है ?

(3) क्या यह सच है कि पानी का तल नीचे जाने के कारण कृषि उत्पादन कम हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऐसा हो सकता है।

(3) कृषि उत्पादन पर प्रभाव हो सकता है। बांध पंचायत समिति के नियंत्रण में न होना बताया गया है। जिलाधीश को लिखा गया है कि वे जानकारी कर बतावें कि मरम्मत करवाने पर कितना व्यय होगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़गढ़ तहसील की चरागाह की भूमि

305. श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चित्तौडगढ़ तहसील में कितनी भूमि चरागाह के रूप में अब तक छोड़ी गई है ? कृपया ग्राम पंचायतों के नामों के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

चित्तौड़गढ़ तहसील में 27 ग्राम पंचायतों में कुल 17087 एकड़ भूमि चरनोट के रूप में छोड़ी है। ग्राम पंचायत-वाइज सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

नीम-का-थाना तहसील में सिंचाई कार्य

306. श्री मालाराम (नीम-का-थाना): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना तहसील में बिहार बांध का निर्माण कार्य राज्य सरकार ने कराया था ? यदि हां तो निर्माण कार्य अब बन्द क्यों कर दिया है ?

(2) क्या सरकार के पास इसको पूर्ण कराने के लिये कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(3) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना तहसील के फतेहपुरा ग्राम में एक स्थान पर बांध हेतु सर्वे किया जा चुका है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(4) क्या सरकार इस चालू वर्ष में इस बांध के निर्माण कार्य को हाथ में लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो यह बांध कब तक पूरा हो जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना तहसील के दीयात एवं टोडा के बीच में बांध के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है जिससे 20,000 एकड़ भूमि की सिंचाई एवं 50 गांवों में पीने के पानी का

(श्री मालाराम)

समस्या हल हो सकती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

(6) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना तहसील में भगोर बांध जिसका कि सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा जिसके निर्माण से 15-20 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है साथ ही हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

(7) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना तहसील के राणासर बांध जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उसके निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तथा जिसके निर्माण से 15-20 गांवों में, पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है एवं कुओं में पानी ऊपर आ सकता है साथ ही हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई भी हो सकती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

(8) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना तहसील के मांकड़ी बांध जिसका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है उसके निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? तथा जिसके निर्माण से 15-20 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है एवं कुओं में पीने का पानी ऊपर आ सकता है साथ ही हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। डिजाईन में परिवर्तन हो जाने के कारण काम को रोकना पड़ा।

(2) जी हां। लगभग दो साल में पूरा होने की सम्भावना है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है और तखमीना बनाया जा चुका है। इस बांध में मुख्यतया आस पास के कुओं का जल स्तर ऊंचा हो सकता है प्रशासनिक स्वीकृति की और आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर ही इसे कराया जा सकेगा।

(7) जी नहीं।

(8) जी नहीं।

वैराठ तहसील में सिंचाई कार्य

307. **श्री हनुमानसहाय (वैराठ)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि वैराठ तहसील के टंकू बांध का अमलोदा-बढ़ा दिया की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और इसका कार्य कब शुरू किया गया है और अब कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जावेगा ?

(2) क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग ने वैराठ तहसील के पान्दोका बंधा, कांकिलजी का बंधा भामोद, छीड का बंध, रुगनाथपुरा, नीमली का बंधा बंधवाये जाने हेतु सर्वे कराया है ? यदि हां तो सर्वे कार्य कब तक पूरा होगा और इन

(श्री हनुमानसहाय)
बांधों के निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा और यदि सर्वे नहीं कराया है तो कब तक कराया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, टंकू बांध की तकनीकी स्वीकृति सन् 1971 में हो चुकी है इसका निर्माण कार्य वर्ष 70-71 में प्रारम्भ करवाया गया था। वित्तीय वर्ष 1973-74 में इसके पूरे होने की सम्भावना है।

(2) केवल नीमली बंध का सर्वेक्षण कराया गया है और इसकी स्वीकृति ग्रामीण रोजगार योजना में हो चुकी है यह कार्य 30 जून तक पूरा होने की सम्भावना है।

अन्य कार्यों का सर्वे अभी नहीं करवाया गया है और न ही इस वर्ष में इस का सर्वे करने का कोई कार्यक्रम है।

चक 24 बी. बी. बारानी भूमि की कीमत

308. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक 24 बी. बी. बारानी भूमि की कीमत सरकार द्वारा क्या निर्धारित की गई है ?

(2) क्या यह सच है कि पिछले चार पांच वर्ष में वर्षा न होने से उस भूमि से कोई आय नहीं हुई और जिन भूमि हीनों को उस भूमि का आवण्टन किया गया है, वे किश्त देने में असमर्थ हैं ?

(3) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भूमि मण्डी पदमपुर से एक मील से अधिक फासले पर है इसलिए भी उसकी अधिक कीमत नहीं लगाई जा सकती ? क्या सरकार इसकी कीमत कम करने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 250 रुपये प्रति बीघा। पिछले पांच वर्षों में से वर्ष 1967 व 1968 में वर्षा होने से भूमि से आय हुई थी परन्तु वर्ष 1969 व 1970 व 1971 में वर्षा न होने से बारानी रकबा काश्त नहीं हुआ और आय भी नहीं हुई परिणामस्वरूप 67 आवंटियों ने अपनी किश्तें नहीं भरी हैं।

(2) चक 24 बी. बी. के 29 मुरब्बे अर्थात् 725 बीघा रकबा मौजूद मण्डी पदमपुर से एक मील के अन्दर है जिसकी सरकारी शरह 250) रुपये प्रति बीघा है तथा इस कीमत के अलावा एक मील के अन्दर की भूमि की मण्डी रेट 62.50 रु. प्रति बीघा बारानी है।

(3) इसी चक के 150 मुरब्बे अर्थात् 3750 बीघा रकबा मण्डी से एक मील से अधिक दूरी पर है जिसकी शरह भी 250 रु. प्रति बीघा बारानी है। मण्डी से एक मील अधिक दूरी रकबे पर मण्डी रेट 62.50 प्रति बीघा बारानी नहीं लिया जाता है, इस लिये इस रकबे की कीमत कम है। कीमत कम करने का राज्य सरकार विचार नहीं रखती है।

Page No. 42

सांचोर के हायर सेकेन्डरी स्कूल भवन की जमीन

309. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले के सांचोर कस्बे के हायर सेकेन्डरी स्कूल भवन की जमीन में अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा किया था और उस पर शिक्षा विभाग ने कब्जा हटाने के लिए शिकायत की थी?

(2) क्या यह भी सही है कि शिकायत पर अनधिकृत कब्जा हटाने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या अब तक कब्जा हटाया गया है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सही है कि श्री सवा वल्द रामजी कौम कलवी साकिन बोढावाड़ी हाल सांचोर ने स्कूल की जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया था जिसे सम्बन्धित तहसील द्वारा बेदखल व जुर्माना किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। कब्जा हटाने की कार्यवाही जिला स्तर पर विचाराधीन है।

सवाई माधोपुर जिले के कृषकों को पास-बुकों का वितरण

310. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) सवाई माधोपुर जिले की कितनी तहसीलों में कृषकों को पास-बुक वितरण करने का कार्य पूरा हो चुका है?

(2) तहसील टोडाभीम एवं नादौती के कौन कौन से गांवों में पास-बुक वितरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन कृषकों को अब तक पास बुकें नहीं दी गई हैं उनको अब कब तक पास बुकें दे दी जावेंगी?

(4) क्या पास-बुकों के वितरण में सरकार को कोई कठिनाई है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में अब तक 55,000 पास-बुकें वितरण हेतु दी गई हैं। जिनको इस जिले की तहसीलों में वितरण हेतु भेज दी गई थीं। इनमें से 54,615 पास-बुकें कृषकों को वितरण हो चुकी हैं। केवल 315 पास-बुकें तहसील हिन्डौन 100, महुवा, 85 बोंली 50 व सपोटरा में 150 वितरण हेतु शेष हैं।

(2) तहसील टोडाभीम व नादौती में क्रमशः 5030 व 4600 पास-बुकें वितरण हेतु दी गई थीं वह समस्त पास बुकें कृषकों को वितरण हो चुकी हैं। और पास-बुकें बीकानेर प्रेस से प्राप्त नहीं हुई हैं। प्राप्त होते ही वितरण की व्यवस्था की जावेगी। जो पास-बुकें तहसीलों में वितरण हुई हैं वह करीब करीब तहसील के समस्त ग्रामों में थोड़ी थोड़ी वितरित हो चुकी हैं।

Page No. 43

(राजस्व मंत्री)

(3) बीकानेर प्रेस से 71-72 की पास बुकों का 50,000 का कोटा अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होते ही वितरण की व्यवस्था की जावेगी।

(4) जी नहीं।

उपनिवेशन अधिनियमों के अन्तर्गत 'डी-कोलोनाइज' गांव

311. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर व बीकानेर तहसील ने उन गांवों को डी-कोलोनाइज करने के आदेश जारी कर दिये हैं जो उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत थे?

(2) क्या यह सही है कि ये गांव कोलायत तहसील के उन गांवों से, जो उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत लिये गये थे, राजस्थान नहर के अधिक निकट हैं?

(3) क्या यह सही है, कि कोलायत तहसील के उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले गांवों को "डी-कोलोनाइज" करने की सिफारिश तत्कालीन मुख्य मन्त्री, वित्त मन्त्री एवं उपनिवेशन मन्त्री कर चुके हैं, परन्तु फिर भी इन गांवों को "डी-कोलोनाइज" करने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। लूनकरणसर तहसील के केवल 51 व बीकानेर तहसील के 18 गांवों को डी-कोलोनाइज किया गया है जहां न पानी पहले मिला है और न भविष्य में मिलने की आशा है।

(2) प्रश्न अस्पष्ट है। क्योंकि दूरी मुख्य नहर से या उसकी शाखाओं या उप-शाखाओं किस से चाही गई है साफ नहीं है।

(3) राज्य सरकार ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

डूंगरपुर जिले में सिंचाई विभाग का डिवीजन

312. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले में सिंचाई विभाग के कितने डिवीजन वर्ष 1968-69 में कार्य कर रहे थे तथा अभी कितने डिवीजन कार्य कर रहे हैं? इनके कार्य प्रारम्भ करने की तिथि, कर्मचारियों की वर्गानुसार संख्या तथा इन पर प्रति वर्ष होने वाले व्यय की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) डूंगरपुर जिले में वर्ष 1968-69, 1969-70, 1970-71 व 1971-72 में सिंचाई विभाग द्वारा कौन कौन से कार्य हुए तथा उन पर कितना कितना व्यय हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) गत वर्ष किस किस कार्य का कितना कितना पैसा स्वीकृत हुआ, कितना

Page No. 44

(श्री महेन्द्रकुमार)
व्यय हुआ और कितना लैप्स हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी स्थानीय (डूंगरपुर-बांसवाड़ा-उदयपुर जिलों के) नहीं हैं ? यदि नहीं, तो वर्तमान कार्य करने वाले कर्मचारियों में स्थानीय कर्मचारियों का क्या प्रतिशत है ? संवर्ग के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। सरकार स्थानीय व्यक्तियों के लिये क्या कर रही है ?

(5) क्या यह सत्य है कि विगत वर्षों की तुलना में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1971-72 में कम कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में वर्ष 1968-69 में डिवीजन ऑफिस नहीं था। यहां पर डिवीजन ऑफिस 1970-71 से अकाल राहत कार्यों के हेतु दिनांक 14-5-70 से खुला था। इससे पहले इस जिले के सिंचाई कार्य बांसवाड़ा स्थित सिंचाई विभाग के डिवीजन ऑफिस द्वारा कराये जाते थे। डूंगरपुर डिवीजन में कार्य कर रहे कर्मचारियों की वर्गवार सूची व उस पर होने वाले खर्च की सूची 'अ' संलग्न है।

(2) ग्रामीण विकास योजना व लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत व्यय की सूची 'ब' संलग्न है।

(3) सूची 'स' संलग्न है।

(4) इस खण्ड में राजपत्रित कर्मचारी व अधिदर्शकों तथा अन्य में 4 कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी स्थानीय हैं। चाही गई सूचना सूची 'द' में संलग्न है।

(5) सन् 1971-72 में डूंगरपुर खण्ड के अधूरे कार्य ग्रामीण विकास योजना में लिये गये हैं। प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति के अभाव में कार्यों में तेजी नहीं आ सकी। इसके कारण स्वीकृत राशि का पूर्ण व्यय नहीं हो सका।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बैराठ तहसील के तहसीलदार गिरदावर एवं पटवारियों के विरुद्ध शिकायतें

313. श्री हनुमानसहाय (बैराठ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बैराठ तहसील में अप्रेल, 1967 से अब तक किस किस व्यक्ति को तहसीलदार, गिरदावर, पटवारियों के पदों पर स्थानान्तरण किया गया है ? कृपया उनके नाम, निवास स्थान तथा स्थानान्तरणों के कारण बतायें।

(2) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें समय समय पर राज्य सरकार के पास प्रस्तुत हुई हैं ? यदि हां, उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) बैराठ तहसील में अप्रेल, 1967 से अब तक जिन जिन व्यक्तियों को

Page No. 45

(राजस्व मंत्री)

तहसीलदार, गिरदावर एवं पटवारियों के पदों पर स्थानान्तरण किया गया है उनके नामों की सूची 'क' मय कारण एवं निवास स्थान के संलग्न है।

(2) जी हां, प्राप्त शिकायतों पर जो कार्यवाही की गई उसका विवरण सूची 'ख' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम डूकिया में भूमि का आवंटन

314. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सर्व श्री भैरु, रामेश्वर, सुखदेव, हनुमान व नारायण सिंह वर्तमान विधायक के नाम ग्राम डूकिया में खातेदारी की जमीन है ? अगर हां, तो कितनी है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्री पन्नाराम पुत्र श्री तुलछाराम निवासी डूकिया दांतारामगढ़ के नाम एलॉटमेन्ट व खातेदारी की कितनी जमीन है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री गोरधनसिंह पटवारी तहसील दांतारामगढ़ के खिलाफ जनता कांकरा के सर्व श्री जीवनराम, भूरीराम, रोड़सिंह, सोहनलाल, किशोरसिंह, नन्दसिंह वगैरा ने एस.डी.ओ. सीकर के कार्यालय में शिकायत की थी ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 1-2-1972 को एस. डी. ओ. सीकर ने इन व्यक्तियों के बयान लिये हैं ? और शिकायत सही पाई गई अगर हां, तो आज तक उक्त पटवारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) खातेदारी में 110 बीघा 15 बिस्वा भूमि है। पन्नाराम के नाम कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(3) जी हां, एस. डी. ओ. सीकर के यहां मामला जांच में चल रहा है।

(4) जी हां, दिनांक 1-2-1972 को श्री मूलचन्द, सोहनलाल, भूराराम, के बयान लिये गये थे। जांच जारी है, दौरान जांच निर्णय नहीं लिया जा सकता।

टी. बी. अस्पताल, जयपुर द्वारा सामान की खरीद

315. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टी. बी. अस्पताल, जयपुर का सालाना बजट कितने का है और इस बजट में से कितनी राशि अस्पताल के कार्य में आने वाली दवाइयों, काटन, बैन्डेज, फर्नीचर, कैमिकल्स आदि जैसी चीजों के लिये रखी जाती है ?

(श्री मोहलाल छंगाणी)

(2) गत पांच वर्षों में इस अस्पताल में निम्न चीजों के किस किस कम्पनी को कितनी कितनी राशि के आॅर्डर दिये गये:—

(1) दवाइयां (2) कॉटन (3) गाज (4) बैन्डेज तथा (5) कैमिकल्स ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चीजों के आॅर्डर भारी राशि के एक कम्पनी को इसलिये दिये जा रहे हैं क्योंकि उस कम्पनी के मालिक का बड़ा भाई अस्पताल में अकाउन्टटेन्ट है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) टी. बी. अस्पताल जयपुर का सालाना बजट 1971-72 में नॉन प्लान प्लान व ई. एस. आई. को मिलाकर करीब 104(277 रुपये का था, उसमें निम्न प्रकार खरीद की गई:—

1. दवाइयां व कैमिकल्स	रुपये	1,82,593
2. कॉटन	,,	3,003.23
3. बैन्डेज	,,	527 50
4. फर्नीचर	,,	1,000.00

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

1. (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान देशीय चिकित्सा पंजीयन बोर्ड, जयपुर

316. **श्री रामसिंह कुड़ी (जायल)** : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रजिस्ट्रार, राजस्थान देशीय चिकित्सा पंजीयन बोर्ड, जयपुर को राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, सन् 1953 की धारा 32 के अन्तर्गत तारीख 4-5-53 से तारीख 31-3-72 तक किस किस व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ?

(2) राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 32 (6) के अन्तर्गत किस किस व्यक्ति की अपील को सुना गया व निर्णीत किया गया और इसका क्या नतीजा रहा ?

(3) रजिस्ट्रार, राजस्थान देशीय चिकित्सा पंजीयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर को वित्तीय वर्ष 1953-54 से वर्ष 1971-72 तक पंजीयन शुल्क के कितने रुपये प्राप्त हुए एवं क्या उस राशि में पोस्टल आॅर्डर नं. डब्लू. /6-152648 की दस रुपये की राशि व पोस्टल आॅर्डर नं. डी. /2-947697 की दो रुपये की राशि माह सितम्बर, 1964 या माह अक्टूबर, 1964 में रजिस्ट्रार ने प्राप्त की ? यदि हां, तो क्या यह राशि जमा है ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) सूची संलग्न है।

(3) प्राप्त रेकॉर्ड के अनुसार 2,90,680 रुपये दो लाख नव्वे हजार छः सो अस्सी रुपये पोस्टल ऑर्डर डब्ल्यू/6/152648 जमा नहीं हुआ है एवं पोस्टल ऑर्डर नं. डी. 2/947697, दो रुपये प्राप्त हुए हैं।

जी हां, दिनांक 1-9-64 को।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बन्ध बारेठा से वसेड़ी सड़क की मरम्मत का कार्य

317. श्री नत्थीसिंह (नदवई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वन्ध बारेठा से वसेड़ी जाने वाली सड़क पर कुछ मैटिरियल पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्यों? इस सड़क का कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

(2) क्या इस सड़क पर डामर कराये जाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू हो जावेगा? सड़क पर डामर कहां से शुरू की जावेगी एवं कितने माइल की जानी है?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क के रिमेटलिंग हेतु सामान एकत्रित किया गया था। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(2) डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

भूतपूर्व कम्पाउन्डर के विरुद्ध शिकायत

318. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री धनराज भूतपूर्व कम्पाउन्डर ग्राम रटलाई, जिला झालावाड़ में प्राईवेट प्रेक्टिस करते हैं, यदि हां, तो क्या वे चिकित्सा नियमों के अन्तर्गत यह कार्य करते हैं?

(2) क्या यह सही है कि इनके खिलाफ कुछ समय पहले एक प्रार्थनापत्र गुप्ता मैडिकल स्टोर रटलाई श्री रामचन्द्र द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में सरकार के द्वारा प्राईवेट अनक्वालिफाईड मैडिकल प्रेक्टिसनर्स के प्रेक्टिस करने के संबंध में नियम नहीं बने हैं।

(2) राज्य सरकार के आदेश सं. एफ 1 (13)(28) एम.पीएच 59/ग्रुप II, दिनांक 7-7-64 के द्वारा राजस्थान राज्य के उन सभी तत्कालीक मैडिकल प्रेक्टिसनर्स को जो कि 14 मई, 1960 को अपनी प्रेक्टिस के कम से कम 5 वर्ष पूरे कर चुके हों उन्हें ड्रग्स एवं कौसमेटिक नियम 1945 के नियम (2) ईईई (III) के अन्तर्गत ड्रग्स एवं कौसमेटिक्स एक्ट, 1940 के हितार्थ (purpose) मोडर्न साईन्टिफिक सिस्टम

(चिकित्सा मंत्री)
एक्ट ऑफ मेडिसन का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर घोषित किया गया है।

उपरोक्त प्राईवेट प्रेक्टिशनरों को जब तक रजिस्ट्रेशन के लिये भारत सरकार द्वारा एक्ट नहीं बन जाता है तब तक अस्थाई सहायता के रूप में उनके (prescription) पर औषधि डिस्पेन्स करने के लिये संबंधित औषधि विक्रेताओं को निदेश दिये जाते है जो कि प्रेक्टिसनर द्वारा अपने प्रेक्टिस के काल के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा तसदीक कराया हुआ हलफ नामा तथा संबंधित जिले के ड्रग्स इन्सपैक्टर से तसदीक करने पर किया जाता है।

(2) माह अप्रैल 1972 में गुप्ता मेडिकल रटलाई श्रीराम गुप्ता द्वारा श्री धनराज के विरुद्ध एक शिकायती पत्र जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ को प्राप्त हुआ था। जिसकी जांच ड्रग इन्सपैक्टर, झालावाड़ द्वारा की जा रही है।

नीम-का-थाना विधान सभा क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

319. श्री मालाराम (नीम-का-थाना): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कि नीम-का-थाना विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने गांवों के कुओं पर बिजली पहुँच गई है? चालू वर्ष में कितने अन्य गांवों में एवं कुओं पर विद्युत पहुँचाने का सरकार का लक्ष्य है? इस क्षेत्र के अन्य कितने गांवों का सर्वे अब तक किया जा चुका है और कितनों में बिजली की लाइनें डाली जा चुकी हैं? इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के अन्य गांवों में कब तक बिजली देने की योजना है?

उत्तर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर विद्युत मण्डल में सूचना एकत्र नहीं की जाती। अब तक नीम-का-थाना तहसील के छः ग्रामों के कुओं पर विद्युत पहुँच चुकी है। गांवों एवं कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य तहसीलवार नहीं बनाया जाता है। 1971-72 में इस तहसील के 10 ग्रामों का सर्वे किया जा कर स्कीम रिपोर्ट बनाई गई। अब तक नीम-का-थाना तहसील के 9 ग्रामों को बिजली दी चुकी है। ग्राम भागेगा में 11 के. वी. की लाईन डाली जा चुकी है। व सब स्टेशन का का कार्य चल रहा है। अन्य ग्रामों में बिजली देने की अभी कोई योजना तैयार नहीं है।

मेडिकल कॉलेजों एवं मोबाइल सर्जिकल यूनिट के स्टोर्स

320. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1968-69, 1969-70 एवं 1970-71 में सवाई-मानसिंह मेडिकल कॉलेज और उदयपुर एवं बीकानेर मेडिकल कॉलेज एवम् मोबाइल सर्जिकल यूनिट में कितनी राशि के स्टोर्स अवशेष रहे?

Page No. 49

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1968-69 में राज्य के समस्त मैडिकल कॉलेजों एवं मोबाइल सर्जिकल यूनिट में वर्ष के अन्त में स्टोर्स रखने की एक उचित सीमा व्यवहारिक आधार पर रखने का निश्चय किया था? यदि हां, तो किस आदेश संख्या एवं दिनांक द्वारा उक्त संस्थापनों को सूचित किया?

उत्तर

(1)	रु. पै.
1968-69	1,18,931.81
1969-70	1,36,226.71
1970-71	95,417.64
1968-69	87,773.90
1969-70	66,654.61
1970-71	42,254.68
1968-69	9,751.00
1969-70	13,184.00
1970-71	10 023.00
1968-69	1,20,318.96
1969-70	1,83,026 12
1970-71	2,08,628.49

(2) राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1968-69 में वर्ष के अन्त में स्टोर्स रखने की कोई सीमा व्यवहारिक आधार पर निर्धारित नहीं की और न ही इस सम्बन्ध में कोई आदेश ही दिया गया।

नागौर शहर के सरकारी भवन

321. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर शहर में स्थित कौन कौन से भवन (सरकारी) पी. डब्ल्यू. डी. की मेन्टिनेन्स लिस्ट में हैं एवं उनमें से किस किस भवन पर 1971-72 में कितना कितना रुपया व्यय किया गया एवं नियमानुसार कितना कितना रुपया व्यय किया जाना चाहिये था? इन भवनों के मेन्टिनेन्स व्यय हेतु कितना रुपया स्वीकृत था? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

नागौर शहर के भवनों की सूची (अ) प्रस्तुत है। आवश्यकतानुसार, भवन की लागत (Capital Cost) का एक प्रतिशत तक व्यय किया जा सकता था। जिले की समस्त इमारतों के लिये मरम्मत धनराशि एक मुश्त स्वीकृत की जाती है भवन वार मरम्मत धनराशि अलग से नहीं दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

नागौर जिले की सड़कें

322. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर जिले की कौन कौन सी सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. की मेन्टिनेन्स लिस्ट पर हैं एवं उनमें से किस किस सड़क पर कितना कितना मेन्टिनेन्स व्यय वर्ष 1971-72 में किया गया?

उत्तर

सूची (अ) प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

लालसोट कस्बे के मोटर स्टेन्ड के सामने वाली मुख्य सड़क की मरम्मत का कार्य

323. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि जयपुर जिले के लालसोट कस्बे में मोटर स्टेण्ड के सामने मुख्य सड़क पर वर्षा का पानी तथा शहरी पानी के आने के कारण नाला पड़ गया है तथा हमेशा सड़क पर खड्डे व पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

सड़क पर पत्थर का खुरन्जा बना हुआ है अधिक वर्षा होने पर पानी एकत्रित होता है इसे दुरुस्त करवा दिया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम भांडारेज

324. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम भांडारेज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किस तिथि से प्रारम्भ हुआ ?

(2) इसके लिये भवन निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जावेगा ?

(3) क्या सरकार ने इसके लिये कोई भूमि सुरक्षित कर रखी है ? यदि हां, तो आज तक इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही पूरी हो चुकी है और क्या क्या करनी बाकी है ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिनांक 26-6-63 से चल रहा है।

(2) भांडारेज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुरू से ही साधारण उपलब्ध भवन में चल रहा है अतः भवन निर्माण कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इस तरह का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति नीम-का-थाना के अध्यापकों का स्थानान्तरण

325. श्री केशरदेव (लक्ष्मणगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नीम-का-थाना से छः माह से पूर्व श्री रामनिवास व अन्य दो अध्यापकों के स्थानान्तरण दूसरी पंचायत समितियों में हुए हैं ? यदि हां, तो उनको पंचायत समिति से कब रिलीव किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापकों ने रिलीव होने के बाद आज

(श्री केशरदेव)

तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, । केवल दो अध्यापक सर्व श्री रामनिवास शर्मा एव मुखाराम गुर्जर अध्यापकों का स्थानान्तरण दिनांक 9-8-71 के आदेश द्वारा किया गया था । पंचायत समिति से कार्य मुक्त करने के आदेश दिनांक 11-8-71 को जारी किये गये थे ।

(2) जी नहीं । श्री रामनिवास शर्मा का स्थानान्तरण आदेश निरस्त हो गया व श्री मुखाराम, अध्यापक पंचायत समिति धोंद में कार्य कर रहे हैं । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

डूंगरपुर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य

326. श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले में देहाती रोजगार कार्यक्रम (क्रेश प्रोग्राम) के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में कौन कौन से कार्य करने का कार्यक्रम बनाया गया उनमें से कितने कितने कार्य पूर्ण हुए और कितने अपूर्ण रहे ? उन पर कितना कितना धन व्यय हुआ और कितने कितने कामगार काम पर लगे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग को जिन जिन तालाबों का कार्य दिया गया उनमें से किसी भी कार्य को उस विभाग द्वारा शुरू ही नहीं किया गया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कौन कौन से तालाब पूरे होकर काम योग्य बन गए हैं ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी, नहीं । केवल एक कार्य शुरू नहीं किया गया है । शेष सभी तालाबों पर कार्य चालू है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

पंचायत समिति चन्वर की बैठकें

327. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

विकास अधिकारी पंचायत समिति चन्वर, मुख्यालय खैराबाद ने अपने पद का चार्ज लेने के बाद इस पंचायत समिति की आज तक कितनी बैठकें बुलाई गई और कानून के अनुसार कितनी बैठक बुलानी चाहिये थीं ?

उत्तर

कुल चार बैठकें बुलाई हैं व नियमानुसार इतनी ही बैठकें बुलाई जानी चाहिए थीं ।

शिक्षा प्रसार हेतु छात्रवृत्ति

328. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गत वर्ष छात्रवृत्ति के लिए कितनी राशि रक्खी गई ?

(ख) क्या पिछड़े वर्ग में शिक्षा का प्रसार हो रहा है ?

(ग) क्या इस वर्ष में छात्रवृत्ति को राशि शिक्षा प्रसार के अनुपात में बढ़ाई जा रही है ?

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(क) गत वर्ष अर्थात् 1971-72 में विभिन्न योजनाओं में संलग्न सूची के अनुसार छात्रवृत्ति का प्रावधान रक्खा गया था।

(ख) जी हां। पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रसार हो रहा है।

(ग) जी हां। आयोजना व्यय में लगभग 20% राशि बढ़ाई गई है।

(घ) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में अनुसूचित जाति एवं जन जाति हेतु क्रमशः 1.1 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि सर्व श्री निरञ्जननाथ आचार्य, गुमानमल लोढा, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव सदस्य, विधान सभा ने शराब बन्दी करवाने हेतु आमरण अनशन कर रहे हैं श्री गोकुल भाई भट्ट की धारा 309 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा ने ग्राम भुंजासर व फलौदी, जिला जोधपुर की गांवाई पारवा की वन विभाग द्वारा तारबन्दी शुरू करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री केदारनाथ और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 22 मई, 1972 को गंगानगर के नगरपरिषद् के हरिजन कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। चूंकि हड़ताल समाप्त हो चुकी है, अतः इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

विशेषाधिकार प्रश्न पर व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री बीरबल, सदस्य, विधान सभा ने इस आशय के विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है कि निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, श्री माथुर ने अपने कार्यालय में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें अपमानित किया और इस व्यवहार से उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

(श्री अध्यक्ष)

मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 162 के अन्तर्गत इस विशेषाधिकार प्रश्न की जांच, अनुसन्धान एवं प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करता हूं।

वित्तीय समितियों के सभापति

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 183 के अन्तर्गत मैंने वित्तीय समितियों के सभापति पद पर निम्नांकित सदस्यों को नियुक्त किया है:—

1. जनलेखा समिति श्री हीरालाल देवपुरा
2. प्राक्कलन समिति श्री सम्पतराम
3. राजकीय उपक्रम समिति श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव जोधपुर में सहकारी बैंक के बारे में दिया है उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। बड़ा ही महत्त्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष: जवाब मांगा है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसे दस दिन से ज्यादा हो गये हैं। काफी महत्त्वपूर्ण मामला है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। सभी तरह के क्लीयरेन्स बन्द हो गये, जनता परेशान है। इसके लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में सारे व्यापारी परेशान हैं। व्यापारिक स्थिति खराब हो गयी है। लोगों का करोड़ों रुपये का पेमेन्ट रुका हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आज जानकारी मांगी है। कल निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव श्री गोकुल भाई भट्ट के मद्य निषेध नीति के सम्बन्ध में आमरण अनशन करने के बारे में दिया है। अध्यक्ष महोदय, श्री गोकुल भाई भट्ट के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है जिससे कि सारे राजस्थान की जनता को तथा इस सदन के माननीय सदस्यों को गहरी चिन्ता हो रही है। उसके सम्बन्ध में आपने जानकारी प्राप्त करने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप राज्य सरकार को आग्रह करें कि श्री गोकुल भाई भट्ट के स्वास्थ्य की हालत के सम्बन्ध में जनता को जानकारी दे। आज प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है। राज्य सरकार को आप बाध्य करें कि इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री गोकुल भाई भट्ट की हालत चिन्ताजनक है। उन्होंने आमरण अनशन मद्य निषेध की नीति के संबंध में कर रखा है। मैं आपके मार्फत राज्य सरकार को निवेदन करूंगा कि वह मुख्य मन्त्री महोदय को कहे कि वह एक स्टेटमेन्ट देवें इस सम्बन्ध में। पहले यह कहा गया था कि राज्य सरकार इसके बारे में जागरूक है। मुख्य मन्त्री दिल्ली इसी संबंध में गये हुए हैं और वहां पर वह केन्द्रीय सरकार से बातचीत करके कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत यह निवेदन है कि यहां पर हाउस में स्टेटमेन्ट दिलाया जाय कि वहां पर क्या क्या बातचीत हुई। अध्यक्ष महोदय, आप मुख्य मन्त्री से यह आग्रह करें कि वहां पर क्या स्थिति है और यहां पर अब उसके बाद में राज्य सरकार अपना क्या रवैया अपनाना चाहती है। मैं समझता हूं कि श्री गोकुल भाई भट्ट की हालत चिन्ताजनक है और उसके लिए राजस्थान की जनता बड़ी अधीरता के साथ राह देख रही है। इसलिये इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर आज या कल सदन के अन्दर मुख्य मन्त्री महोदय का वक्तव्य दिलवा दें। आप उनसे सारी स्थिति स्पष्ट करवा दें। राज्य सरकार को चाहिये इसके लिये कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे उस महान व्यक्ति का जीवन बच सके। मैं इस संबंध में मेरी ओर से और सदन के माननीय सदस्यों की ओर से हमारी सरकार को निवेदन करूंगा कि वह इसके बारे में वक्तव्य कल या आज दे जिससे कि सारी समस्या का समाधान हो सके। यह प्रश्न अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्त्व का है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने विचार इस संबंध में व्यक्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो श्री गोकुलभाई भट्ट ने मद्य निषेध नीति के पक्ष में आमरण अनशन कर रखा है दूसरी तरफ राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इस समस्या के लिये राज्य सरकार कोई न कोई रास्ता निकाले तो बहुत अच्छा हो। गोकुलभाई भट्ट को मैं बहुत वर्षों से जानता हूं। वे एक गांधीवादी सज्जन हैं और वयो वृद्ध हैं और उनकी परिस्थितियों के साथ भी मेरी सहानुभूति है। नशाबन्दी के सिद्धान्तों के संबंध में मेरे और उनके विचार सम्भवतः एक न हों परन्तु यह मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि आज की परिस्थिति गोकुलभाई की है वह दयनीय है। उसके साथ मेरी सहानुभूति है। सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किये हैं। उनके साथ सहानुभूति होते हुए सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मध्यमार्गीय रास्ता निकाल सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी और सदन को भी खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष : अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा। और भी आज महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिये इसके लिये मैं 1 बजे तक का समय निर्धारित करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा।

बेरोजगार इन्जिनियरों के सम्बन्ध में अल्पकालीन चर्चा

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, 18 तारीख को माननीय राज्य मंत्री गृह विभाग ने बेरोजगार इन्जीनियरों के सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य दिया था जिसके मुख्य मुद्दे ये थे कि पूल में जो स्टाइपेन्ड दिया जा रहा है उसकी अवधि दो वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष की कर दी गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट में चार पोस्ट्स खाली हैं तो पूल में सिविल मेकेनिकल स्नातक हैं या डिप्लोमाधारी हैं उनको लेने की व्यवस्था की है। कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जो डिप्लोमाधारियों को इस समय नहीं मिलीं लेकिन सीनियर सिविल मिस्त्री, जूनियर फील्ड असिस्टेन्ट, मीटर रीडर, जूनियर ड्राफ्ट्स-मैन इत्यादि 2 इन पोस्ट्स को भी डिप्लोमाधारियों के लिये रखा है। ऐसा उन्होंने कहा था। आपने यह भी बताया था कि इसी प्रकार और दूसरे जो डिपार्टमेन्ट्स हैं सिंचाई विभाग में, उनमें 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक इस प्रकार की पोस्ट्स मेकेनिकल वेल्डर्स, फोरमेन इत्यादि उनमें 50 प्रतिशत पोस्ट्स डिप्लोमाधारियों के लिये निर्धारित की हैं। आपने यह भी बताया था कि बिजली विभाग में जो पोस्ट्स पहले डिप्लोमाधारियों से भरी जाती थी उनमें 25 प्रतिशत पोस्ट्स उनके लिये निर्धारित की गयी हैं। लेकिन जो भी यह वक्तव्य था इस वक्तव्य के जरिये बेरोजगार इन्जीनियर्स को, जिस स्थिति में वे हैं, उससे राहत मिल पायेगी, ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पायगा—वह इस वक्तव्य में नहीं। अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार की ओर से जो स्टाइपेन्ड की सुविधा की गयी है यह सुविधा दरअसल एक अन्तरिम अरेन्जमेन्ट है। केवल एक प्रतीक्षा करने की बात है। यह बेरोजगारी का भत्ता मात्र है। ऐसे लोगों को रोजगार मिल गया, ऐसा नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार ने जो पानी की समस्या को हल करने के लिये और कुछ प्रावधान बजट में किये हैं उसमें कुछ इन्जीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स को एब्जोर्ब करने की बात है किन्तु वह भी समस्या बहुत थोड़ी हद तक हल होती है। एक तो मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य के जरिये कि राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार के और क्षेत्र है जहां पर कि यह जो हमारा मेनपॉवर पूल में पड़ा हुआ है उसका उपयोग करने के लिये ठोस सुझाव नहीं दिये गये हैं। मसलन एक मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान विद्युत मण्डल ने जितने इन्जीनियर्स और ओवरसीयर्स अपने यहां लगाये हुए हैं वास्तव में उन पर वर्क लोड बहुत है ऐसी मेरी मान्यता है।

(12.15 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष पदासीन)

उस मान्यता के अनुसार आपको हरएक अफसर का जो वर्क लोड है वह नियत करना चाहिये कि सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स के अन्डर में कितने डिवीजन्स होने चाहिये और एक ए. ई. एन. के नीचे कितने कार्य होने चाहिये उसके नीचे कितने कन्ज्यूमर्स होने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर के अन्दर में सात आठ सब डिविजन्स हैं। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये सब डिविजन्स भी अपने आप में बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं और इसलिये एक एस. ई. के लिये असंभव है कि वह इतने बड़े क्षेत्र पर कन्ट्रोल कर सके, उसका सुपरविजन कर सके, अच्छी तरह एफिशियेन्टली उनकी देखभाल करने के लिये एक एस. ई. के पास चार से ज्यादा सब डिविजन नहीं होने चाहिये।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऑल इन्डिया बेसिस पर इस बात का पता लगायें कि एफिशियेन्ट वर्किंग के लिये एक एस. ई. के पास कितना वर्क होना चाहिये, एक एक्स. ई. एन. के पास कितना वर्क होना चाहिये, एक ए. ई. एन. और जे. ई. एन. के पास और सुपरवाइजर के पास कितना वर्क होना चाहिये, उसके अनुसार केडर स्ट्रेन्थ मुकर्रर करनी चाहिये आज जो स्ट्रेन्थ मुकर्रर है वह बहुत कम है और इसी के कारण रोजमर्रा यह खबर सुनते हैं कि आर. एस.ई.वी. में रोज ट्रान्स-फार्मर्स जल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले एक साल में एक हजार ट्रान्सफोर्मर्स इस बिजली घर में जल गये और उनकी कीमत लगायें तो कीमत करोड़ों रुपयों के अन्दर जाकर पहुंचती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेन्ट इसमें "पेनी वाइज पाउन्ड फुलिश" की पॉलिसी को अपना रही है। कुछ लोगों के ऊपर वर्क लोड ज्यादा रख कर हम सेलेरी की सेविंग कर रहे हैं और उसके मुकाबले इतना बड़ा भारी नुकसान एफिशियेन्ट हैन्डलिंग और सुपरविजन और कन्ट्रोल न होने के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान करते हैं। मैं समझता हूं, अगर सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे कि एक्चुअल कितना वर्क लोड एक व्यक्ति पर होना चाहिये और उसके अनुसार केडर स्ट्रेन्थ तय करे तो अधिक लोगों को रोजगार दे सकती है अगर ऐसे लोग उपलब्ध न होते और वर्क लोड ज्यादा करते तो समझ में आ सकता था लेकिन आज बात उल्टी है। मैन पावर बहुत है और उनको काम देना है और दूसरी तरफ वर्क लोड ज्यादा रख कर अपना नुकसान कर रहे हैं। दरअसल आज उनका उपयोग करने के लिये सही तौर पर एफिशियेन्ट वर्क को चलाने के लिये यह आवश्यक है कि केडर स्ट्रेन्थ साइन्टिफिक बेसिस पर तय की जानी चाहिये। न केवल बिजली विभाग में बल्कि और दूसरे विभाग में भी, पी. डब्ल्यू. डी., पब्लिक हैल्थ और दूसरे जितने निर्माण कार्य जहां होते हैं और ओवरसियर्स की जरूरत है वहां साइन्टिफिक बेसिस पर केडर स्ट्रेन्थ तय करवाइये। आपकी इतनी जगह निकल आयगी हालांकि दिखता हुआ खर्चा आवेगा लेकिन एक्सपेन्डीचर कम हो जावेगा और नुकसान भी कम हो जावेगा और आपको आमदनी भी अधिक होगी और उससे आप रिएम्बर्स हो जावेंगे।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि जो आपने एक हजार डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स के पूल का निर्माण करने का तय किया है यह आइडिया अपने आपमें ठीक है। बेरोजगार लोगों को

Page No. 57

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रोजगार न मिले उनको कुछ हद तक मिले यह अन्तरिम भत्ता ठीक है।

और इस सदन में सभी ने उसे स्वीकार भी किया, लेकिन केवल स्टाइपेंड देकर यह समझें कि इससे पीछा छूट गया यह बात नहीं है। अन्दर, असल जिनको स्टाइपेन्ड दे रहे हो उनका आपके ऊपर लियत हो जाना चाहिए, उनके ऊपर आप कुछ खर्च कर रहे हैं और इसलिए उनको एब्जार्व करने की आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनको आगे किसी भी धंधे के अन्दर एब्जार्व कर सकें इस प्रकार की आपकी व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन आज खेद की बात है उपाध्यक्ष महोदय कि पूल के अन्दर जो आज डिग्री होल्डर्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं वह ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने स्टाइपेंड देकर जैसे उनका मुंह बन्द कर दिया हो, जैसे रोजगार के बारे में मान लिया हो कि यह धंधे से लग गए। यहां तक कि उपाध्यक्ष महोदय, जो भी जगह खाली होती हैं उन खाली जगहों के लिए बाहर के लोगों को भी इनवाइट किया जाता है या इन लोगों को प्रायोरिटी नहीं मिलती। मुझे जानकारी दी गयी है कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो अपना व्यास प्रोजेक्ट है इरीगेशन की इसमें करीब 150 पोस्ट्स ऐसी निकली थीं कि जो हमारा पोर्शन है, हमको उनको भरना था लेकिन उनको नहीं भरा जाकर उनको पंजाब से भरती किया गया गया। हमारा ज्वाईन्ट कन्ट्रोल है, हम यहां के लोगों को अपाइन्टमेन्ट्स नहीं दे सके जिसकी वजह से दूसरे प्रान्त के लोगों को भर लिया गया और यहां के लोग जो कि हकदार थे वह इससे वंचित रह गए।

तीसरी बात उपाध्यक्ष महोदय जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज स्थिति यह बन गई है कि इनमें जो डिग्री होल्डर्स हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं दोनों ही बेरोजगार हैं और इसलिए उनमें भी कान्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। पहले आप डिग्री होल्डर्स को सीधा ए. ई. एन. अपाइन्ट करते थे और जो जे. ई. एन. होते थे उनमें डिप्लोमा होल्डर्स से अपाइन्ट किया जाता था। जो कि ज्यादा अच्छे मार्क्स आते थे या सीनियर होते थे उनकी ग्रेड इन्क्रीमेन्ट देकर जे. ई. एन. मुकर्रर किया जाता था लेकिन अब आपके पास ग्रेजुएट्स सरप्लस में हैं और इसलिए ए. ई. एन. की पोस्ट काफी नहीं होने की वजह से जो जे. ई. एन. आप मुकर्रर कर रहे हैं उससे तो डिप्लोमा होल्डर्स को शिकायत है कि हमारे एवेन्यूज ऑफ एम्पलायमेन्ट थे वह रुक गये। अब जो उनको सुपरवाइजर्स पोस्ट पर एज ओवरसीयर पूरे के पूरे उसमें लाते थे उसमें भी आज उनका यह कहना है कि उन पोस्ट्स के ऊपर भी हर एक को कॉम्पीट करके आने का हक है वह भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है और न ही उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। इसलिए वह अपने आपको बड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं। आपने सुझाव दिया है कि गवर्नमेन्ट ने कुछ ऐसी पोस्ट्स जो कि नान-मेट्रिक के लिए निर्धारित होती थी जैसे मेकेनिक, वेल्डर्स, मोटर रीडर्स वगैरह इनकी ग्रेड्स बहुत नीचे है कृपा करके आप यह बताने का कष्ट करें कि इन पोस्ट्स को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आपने रिजर्व की है कि उसमें वह जा सकते हैं तो डिप्लोमा होल्डर्स को पे-स्केल कौन सा मिलेगा ? उनको कौन सा ग्रेड मिलेगा ? डिप्लोमा होल्डर्स का, सुपरवाइजर का 175 और उससे आगे, वह मिलेगा या जैसे मेकेनिक की पोस्ट है, मीटर रीडर की पोस्ट है या मिस्त्री की है उनका जो ग्रेड है वह ग्रेड उनको मिलेगा ? आखिर कौन सा ग्रेड मिलेगा ? और वह ग्रेड उनको मिलेगा जो कि मिस्त्री का होता है या मीटर रीडर का होता है तो आप महसूस कर सकते हैं कि उनको कैसे उससे सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि जिनको 175 का ग्रेड मिलना चाहिए उनको 110 पर फिक्स किया जाये या इससे नीचे किया जाये।........

श्री उपाध्यक्ष : आपने केवल बेरोजगारी के संबंध में रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो स्टेटमेन्ट दिया था 18 तारीख को उसी का क्लेरीफिकेशन या उसके अन्दर जो बातें रह गयी हैं उन्हीं का मैं जिक्र कर रहा हूँ। चर्चा का विषय स्टेटमेन्ट है जो कि 18 तारीख को दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आर. एस. ई. बी. के बारे में आपने कहा था कि 25 परसेन्ट पोस्ट्स जो कि राज्य विद्युत मण्डल द्वारा इस सरकार को आवश्यक रूप से अधिकार था सब आर्डीनेट इन्जीनियर्स के 25 परसेन्ट रिक्त पदों को डिप्लोमाधारियों से भरना होगा। आपके इस स्टेटमेन्ट से उनमें बड़ा असन्तोष है। उनका कहना है कि जे. ई. एन. होने के कारण हमारे ऐवेन्यूज खत्म हुए और जो सुपरवाइज पोस्ट्स जिसके ऊपर हम सेन्ट पर सेन्ट लगते थे उसमें से भी आप 25 परसेन्ट रिजर्व करने की बात कहते हैं। तो वह जायेंगे कहां ? उनके लिए कौन सा स्थान रहा यह बात वह महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह 25 परसेन्ट रिजर्वेशन की बात वास्तव में बिलकुल जस्टीफाइड किसी भी रूप में नहीं लगती। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें अपने ग्रेजुएट्स को भी एडजस्ट करना है, उनकी भी प्रतिभा का हमको उपयोग करना है लेकिन आप कहें कि इसमें 25 परसेन्ट रिजर्वेशन रहेगा यह बात ठीक नहीं मालूम होती। इससे बड़ा भारी असन्तोष उनके बीच में हुआ है।

इसी प्रकार से सरकार के जो दूसरे विभाग हैं दूसरी पोस्ट्स में 75 परसेन्ट रिजर्व करने की बात कही है वह सब आर्डीनेट इन्जीनियर पोस्ट से जूनियर पोस्ट है उसमें जाना कोई नहीं पसन्द करेगा लेकिन मजबूरी में जाना पड़े तो उनको पे-स्केल वह मिलेगी जिसके वह एन्टाइटल्ड हैं फिट होने में, तो मजबूरी में कोई चला जायेगा वर्ना आप यह स्थिति लायें कि फोर्थ क्लास की जगह है इसमें जाना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि यह समस्या का कोई समाधान नहीं है और यह उनमें जबरदस्त असन्तोष का कारण बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे पूल में जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनमें बहुत जबरदस्त असन्तोष

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। उसका कारण यह है कि डिपार्टमेन्ट ने यह तरीका अपनाया हुआ है कि वह एडहॉक अपाइन्टमेन्ट आउट ऑफ दी पूल कर लेते हैं और जिन लोगों का अपाइन्टमेन्ट हो गया फिर बाद में एप्लीकेशन्स रेगूलर रिक्रूटमेन्ट के लिए मांगते हैं और उसमें कन्डीशन यह रखी जाती है कि जिन्होंने विद्युत् मण्डल में एक वर्ष काम किया होगा जिनका एक्सपीरियन्स दो वर्ष का चाहिए या एक वर्ष का चाहिए, और इस तरीके के एडहॉक रिक्रूटमेन्ट के कार्य को आप एक्सपीरियन्स मान लेते हैं। आज किसी भी एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने अपनी मर्जी से चाहे जिसको रख लिया कोई सलेक्शन कमेटी के थ्रू नहीं लिया उसको एक्सपीरियन्स मानकर दूसरों के मुकाबले में उनको प्रायोरिटी देने के लिए इससे उनका हक खतम हो जाता है जिनका साधारण तौर से रिक्रूटमेन्ट होता तो उन लोगों का उसमें हक आता। तो इस बात को अवाइड किया जाना चाहिए। अब जो पूल के अन्दर ग्रेजूएट इन्जीनियर्स हैं या नान-ग्रेजूएट इन्जीनियर्स हैं। आज एक हजार का पूल बनाया गया था लेकिन उनमें एक्चुअली लोग एक हजार नहीं हैं, उनमें कुल मिला कर इस समय पांच सौ लोगों की संख्या है। जितने भी बुलाए थे उतने लोग आये नहीं। इसका मतलब यह है कि इधर उधर काम में किसी न किसी रूप में लग गए होंगे इसलिए पूल में जो बेरोजगार हैं उनकी प्राब्लम आपके सामने केवल पांच सौ लोगों की है। अब यह जो निकला है एडवरटाईजमेन्ट जिसमें आर. एस. ई. बी. नई भर्ती करेगी वह इन्तजारी में है कि नए साल के, नए ग्रेज्यूएट्स, नए डिप्लोमा होल्डर आ जायं तब भर्ती करेंगे। तो ये बेचारे जो पुराने बैठे हैं आठ महीनों से साल भर से वह यह महसूस करते हैं कि फिर नए आ जायेंगे उनमें फर्स्ट क्लास या ज्यादा योग्यता वाले आ जायेंगे उनके मुकाबले में इनको कम्पीटीशन में खड़ा कर दिया गया तो फिर इनका नम्बर कब आएगा। अभी एक विद्युत विभाग का विज्ञापन निकला है 9 मई को और इसमें प्रार्थना-पत्र मांगे हैं 31 मई, नहीं 30 जून तक प्रार्थना-पत्र मांगे हैं। मकसद बहुत साफ है कि तब तक रिजल्ट्स आजायेंगे, तब तक नए लोग आ जायेंगे और वे सबके सब एप्लाई कर सकेंगे और पूल वाले फिर भी वंचित रह जायेंगे। मेरा निवेदन करना है कि जो उनकी मांग है कि वह पूल वाले जो हैं हमको सेंट परसेंट जितनी भी जगह खाली हो उसमें प्रायोरिटि, फर्स्ट प्रायोरिटि देकर हमको फिक्स किया जावे, उसके बाद दूसरे लोगों को लिया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें मैं समझता हूं कि इसको सेंट परसेंट लागू करें तो एफिशियेंसी का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए कुछ परसेंट गवर्नमेंट अवश्य निर्धारित करे और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इन्हें अश्योरेंस देना चाहिए कि फिफ्टी परसेंटेज जो भी निकलेंगे, जो भी पूल वाले हैं उनमें से पचास प्रतिशत एब्जोर्ब करेंगे और पचास प्रतिशत दूसरों में से लेंगे। इस प्रकार की आप घोषणा करें तो इन लोगों को तसल्ली हो सकती है कि उनका फ्यूचर भी ब्लेक नहीं है और उनको भी अवसर मिलेगा।

अब जिस तरह से उन्होंने यह एडवरटाईजमेन्ट निकाला है उसमें आप देखेंगे

Page No. 60

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि इस एडवरटाईजमेन्ट में वह पोस्टें भी हैं जो पहले ओवरसियर्स हैं उनके लिए डिप्लोमाधारी हैं उनमें ग्रेजुएट भी एप्लाई कर सकते हैं। जिसमें ग्रेजुएट चाहिए उनमें तो डिप्लोमाधारी एप्लाई कर ही नहीं सकते, तो इसलिए उन लोगों को गुंजाइश कम रह जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वजह से इस स्थिति को सुधारने के लिए, यह आवश्यक है कि आप इसके बारे में विचार करें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अन्त में एक बात और कह कर अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी आपने अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया था कि पी. एस. सी. की तरफ से इस प्रकार के एग्जामिनेशन्स होल्ड किए जायेंगे लेकिन एग्जामिनेशन्स में तमाम डिप्लोमाधारियों को बैठने को कहा जाएगा। मेरा निवेदन है कि अभी तक सब सर्विसेज में गजेटेड पोस्ट्स के लिए ही पी. एस. सी. एग्जामिनेशन होल्ड करती है, अब आप नॉन-गजेटेड पोस्ट्स के लिए भी इस प्रकार की स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इनके लिए आप निर्धारित करें तो यह डिस्क्रिमिनेशन होगा और उनके साथ अन्याय होगा। खास तौर से जो लोग इतने अर्से से बेरोजगार बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई से नाता टूटा हुआ है, उनको इस प्रकार के टेस्टों में से गुजारना उनके साथ दुरुस्त बात नहीं है।

इसी प्रकार की बात आर. एस. ई.बी. ने भी की है कि या तो ऐसे एग्जामिनेशन पी.एस.सी. होल्ड करे या फिर आर. एस. ई. बी. होल्ड करेगी। मेरा निवेदन है कि इस बात पर भी गवर्नमेंट को पुनः विचार करना चाहिए और बेरोजगार इंजीनियर्स हैं, जो भी उनके रिप्रेजण्टेटिव्ज हैं उनसे बैठकर बात करनी चाहिए। मुझे खेद है, इन लोगों ने बताया कि बारबार उन्होंने मुख्य मन्त्रीजी से मिलने का प्रयास किया है लेकिन आज तक मुख्य मन्त्री जी से मिलने का उनको अवसर नहीं प्रदान किया गया, ऐसा उनका कहना है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो हमारे एक्स.ई.एन. और गजेटेड आफिसर होने वाले हैं उनके प्रति इस प्रकार का एटीट्यूड, यह दुरुस्त बात नहीं है, किस लेवल पर यह गड़बड़ी है, किसने मिलने नहीं दिया, किस तरह से यह हुआ, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं समझता हूं कि जो टेक्निकल हैंड्स हैं, चाहे वह डिप्लोमा होल्डर हों, चाहे डिग्री होल्डर हों, उनके प्रति, हम उनको रोजगार देने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी प्लानिंग की गल्ती की वजह से वे बेरोजगार हैं। अगर हम जले पर यह नमक छिड़कें कि उनके साथ सहानुभूति पूर्वक बात भी न करें, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश न करें, उनका समाधान निकालने की कोशिश न करें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादती है और इसलिए मुख्य मन्त्री जी को उनको अवसर देना चाहिए। बल्कि उनको बुलाना चाहिए आदर के साथ और उनसे बैठकर बात करनी चाहिए और संतोषजनक ढंग से इन बातों का हल निकालना चाहिए। मैं समझता हूं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा और राज्य मंत्री जी द्वारा मेरे ये सेंटीमेंट्स मुख्य मंत्री जी को कन्वे कर दिए जायेंगे यह आशा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दो मिनिट उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में समय निर्धारित किया जा चुका है, मैं समय नहीं दे सकूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दो मिनिट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में भी कोई प्रावधान नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें बोले हों।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस पर बोलने का प्रयास पहले भी किया गया था और उस समय आसन की ओर से यह आशा हुई थी कि इसके लिए हम अलग से समय निश्चित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आसन से ही समय निश्चित हुआ है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसी प्रक्रिया के अनुसार इसे चार्ज रखा गया है ताकि हम विचार व्यक्त कर सकें।

श्री केदारनाथ : सरकार की पॉलिसी का स्टेटमेंट है, इस पर बोलने का हमको हक है। टाईम तय करना आपका काम है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन से पहले ही समय निश्चित किया जा चुका है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सिर्फ दो मिनिट उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट बोल लीजिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय सदस्य अलवर से आने वाले ने जो कुछ कहा है, मैं केवल उसमें से एक बात की ओर विशेष तौर से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि पूल के लोगों को एक साल या दो साल तक लगातार इन्तजार करने के पश्चात् हुए रिक्रूटमैंट में उनको वेटेज नहीं मिलता है तो पूल के अन्दर उनको इतने समय तक इन्तजार कराने के पश्चात् फिर पूल का समय समाप्त होने के बाद फिर से वही स्थिति पर डालना वास्तव में उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा। मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान सरकार इस बारे में निश्चित नीति की घोषणा करे और उसके अन्दर ही "फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व" जो व्यक्ति पहले से शिक्षा प्राप्त करके बेरोजगार के रूप में राजस्थान की भूमि पर घूम रहा है उसको प्रायोरिटि दी जाएगी, उनको सिलेक्शन के अन्दर अपॉइन्टमेंट के अन्दर नियुक्ति करते समय उनको वेटेज दिया जाएगा। इसकी सैद्धान्तिक घोषणा हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूल के अन्दर, उसके अन्दर पांच सौ व्यक्ति गए। इसका कारण

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यह है कि कुछ लोगों को कहीं पर कार्य मिला लेकिन मुख्य कारण यह है कि जिनके पास में वसीला था, नियुक्ति पाने का कोई जरिया था, कोई न कोई पेपरवेट था। उनको नियुक्तियां मिल गई और जो नौनिहाल, नौजवान बिना किसी प्रकार के सरकार के अधिकारियों या मंत्रियों के सम्बन्धों से च्युत थे, जिसका कोई वसीला नहीं था वह व्यक्ति बराबर चक्कर लगाता रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की तरुणाई हमारे यहां के विश्व-विद्यालयों से निकलने वाले निर्माणकर्त्ता, राष्ट्र की नींव बनाने वाले, आधार बनने वाले इंजीनियर नौकरी के लिए फालतू घूमते रहे, इधर उधर डोलते रहे यह दुर्भाग्य-पूर्ण है और इससे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्रीजी ने उस दिन कहा था कि उस दिन सदन को प्राथमिकता देकर यहां पधारें, तो यह अनुचित नहीं था। परन्तु इसके पश्चात् एक सप्ताह से अधिक गुजर गया, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर की सड़कों के ऊपर, मिर्जा इस्माईल रोड और सी स्कीम में, मुख्य मंत्रीजी के द्वार के ऊपर आज भी घूम रहे हैं, बेरोजगार इंजीनियर आज भी चिल्ला रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी दर्दनाक कहानी को सुनने का और उस कहानी को सुन कर दो आंसू बहाने का मुख्य मंत्री को अवसर नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही जो तीन चार दिन बाद में स्थगित हो रही है और यदि आज भी हम सदन के अन्दर जब प्रभावशाली तरीके से इस बेरोजगारी की समस्या को बराबर रखते हैं बेरोजगारी की समस्या को बार बार देखते हैं, आत्महत्याएं होती है जिस पर न केवल स्थगन प्रस्ताव आते हैं, इस समय भी उनकी दर्दनाक कहानी है, अगर उनकी कोई नहीं सुनेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके पश्चात् राजस्थान के अन्दर, उसके शहरों के अन्दर वे डोलते रहते हैं, उनकी क्या दुर्गति होगी। तो इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिये।

श्री भीमसेन : आंन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फरमेशन। जब आपके संयुक्त विधायक दल का शासन था तो उसने बेरोजगारी की समस्या के बारे में क्या कदम उठाया था ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से बता सकता हूं। मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि किसी भी संयुक्त विधायक दल ने इस प्रकार का क्रूरतापूर्ण व्यवहार बेरोजगार इन्जीनियरों के साथ नहीं किया है। उनके ऊपर, लाठी चार्ज या लाठियां नहीं चलवायी हैं जैसाकि हमारे मुख्य मंत्री महोदय द्वारा उनका अपमान किया गया है। उनको नौकरों द्वारा और पुलिस के द्वारा उनके बंगले पर पिटवाया गया। हिन्दुस्तान ही नहीं दुनियां के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। यह काले अक्षरों में लिखा जायेगा। यह देख कर दुःख होता है। माननीय सदस्य, इस समस्या को हल करने के बजाय, देश के नौनिहालों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के स्थान पर उनको टालने की बात करते हैं। मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि हम इसको टाल सकते हैं तो कुछ समय के लिये। यह एक चिनगारी है और इसको

(श्री घुमानमल लोढ़ा)

टालने की बात की गयी तो यह आग बन कर, दावानल बन कर आयेगी और उससे न इधर बैठने वाले सदस्य और न उधर बैठने वाले सदस्य बच सकेंगे। इस समस्या को सुलझाया जाना चाहिये। यह मेरी मांग है और सदन के माननीय सदस्यों की भावना है कि इस समस्या को सुलझाने के लिये क्रियात्मक कदम उठाये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानु कुमार शास्त्री !

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनिट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। वह यह है कि मां-बाप, माता पिता बड़ी परेशानियां लेकर अपने पास की बची खुची पूंजी को लेकर एक टेक्नोलोजी की शिक्षा अपने बच्चों को दिलाते हैं और जो इस प्रकार की शिक्षा दिलाते हैं, उनके परिवार जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। आज जो इन्जीनियर डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स हैं, जिनको कि मैंने स्वयं ने देखा है, उनकी स्थिति भयावह है, चिन्तनीय है। ऐसी परिस्थिति में जो पूल बनाया गया है, उसको एक अनाथालय माना जाये और उनको काम करने को गारन्टी दी जाये, ऐसी उनमें एक आस्था पैदा की जाए कि उनको नौकरी मिलेगी। मैं समझता हूं कि ऐसा सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उनको नौकरी देंगे। कितनी परसेन्ट दे रहे हैं और कितनी परसेन्ट नहीं दे रहे हैं इसकी डिटेल में न जाकर जो पूल के अन्दर स्टाईपन्ड मिल रहा है, उन लोगों को यह गारन्टी दी जाए सरकार की तरफ से कि किसी भी कीमत पर आपको सर्विस दी जायेगी तो मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी राहत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्याय : श्री प्रोफेसर केदार !

प्रोफेसर श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर इस समय सन् 68 से लेकर 72 तक जिन लोगों ने डिप्लोमा, डिग्री होल्डर्स ने मेन पावर डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उनके अन्दर डिग्री होल्डर्स हैं। 1966 और डिप्लोमा होल्डर्स हैं 4257 इन्स्टीट्यूट के तहत इनकी गिनती सात, आठ हजार के करीब है। यह बतलाया गया है कि केवल अभी तक 1854 डिग्री होल्डर्स और 140 डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरी दी गई हैं। तो यह कितना बड़ा बेकलाग है स्टेटमेंट में। यह देखकर आप ताज्जुब करेंगे, यह चिन्ता का विषय है। हमारा प्लानिंग डिफेक्टिव रह गया है। कितने इन्जीनियर्स एक साल में पास होकर निकलते हैं और एक साल में हम कितनों को एब्जार्ब कर पायेंगे, इसको हमने एग्जामिन नहीं किया है। जो रजिस्ट्रेशन किया है, उसके तहत हम उनको स्टाइपेन्ड दे रहे हैं। एक हजार की घोषणा की थी और अभी पांच सौ काम कर रहे हैं। मान्यवर, एक महीने में, चाहे डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेन्ट्स के रूप में पढ़ते हों या डिग्री होल्डर्स के रूप में उसका खर्चा तीन सौ से साढ़े तीन सौ रुपया आता है और स्टाईपेन्ड हम उनको दे रहे हैं डेढ़ सौ रुपया और ढाई सौ रुपया। उसको घर से पैसा लाना पड़ता है। यह कैसी आपकी व्यवस्था-

Page No. 64

(प्रोफेसर श्री केदारनाथ) ... है। इसके अलावा आपकी व्यवस्था है। जो पूल में आ गए हैं, एक साल से काम कर रहे हैं, मैं आपको मारफत निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी अपाइन्टमैंट्स होते हैं, तो पहले उनको एब्जार्ब करना चाहिये। गवर्नमैंट उनको इन दी रेगुलर सर्विस स्ट्रीट नहीं करती है तो उनको अप्पाइन्टमैंट के अन्दर वेटेज देना होगा। इनका परसन्टेज बांध दें। 50 परसेन्ट तो इन लोगों में लिया जायगा और 50 परसेन्ट को फ्रेश में से लिया जायेगा। तब तो यह जो बैकलाग हो गया है आहिस्ता आहिस्ता दूर होगा। जो उनको स्टाइपेन्ड दिया जाता है उससे वे अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते हैं। उनको अपने घर से कम्पेनसेट करना पड़ता है। इस तरह आप मान्यवर, उसके दिमाग को क्या जानेंगे, उसका मेन्टल मेक अप कैसा है कैसा सेन्सेशन वह पैदा करता है, यह एक विचारणीय विषय है। एक सवाल यह था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके तहत एक साल पहले जितनी भी पोस्टें थीं वे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए थी। केवल डिप्लोमा होल्डर्स को उन पर एब्जार्ब किया जाता था। अब उसमें 25 प्रतिशत डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इन्जीनियर की पोस्ट तक लिया जायगा बाकी सब डिग्री होल्डर्स को लिया जा रहा है। यह प्रपोर्शन आप देखेंगे तो आप डिप्लोमा होल्डर्स को एब्जार्ब नहीं कर पायेंगे। इस पद्धति को बदलना चाहिए। 25 परसेन्ट के बजाय इसको 75 परसेन्ट करना चाहिये और 25 परसेन्ट डिग्री होल्डर्स के लिए। इससे बाकी लोग एब्जार्ब होते जायेंगे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी आप एडहॉक अपाइन्टमैंट करते हैं सरकार की तरफ से हैड आफ दी डिपार्टमैंट की तरफ से उसमें पक्षपात होता है। इससे रंजिश पैदा होती है। जो बैकलाग में है, बेकारी में है उनके दिमाग में बहुत गुस्सा पैदा होता है। इसलिए आइन्दा कोई भी हैड आफ दी डिपार्टमैंट एडहॉक बेसिस पर कोई अपाइन्टमैंट नहीं करें। और करे तो पहले उसको वेटेज दे। इसमें एक टैस्ट की बात भी है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, टैस्ट में जिसने तीन साल पहले डिग्री प्राप्त की है और एक लड़का जो कि फ्रेश निकला है वह उसके साथ कम्पीटिशन नहीं कर सकता है। इसलिए जितनी परीक्षा है, डिग्री होल्डर्स डिप्लोमा होल्डर्स, उसमें इनको वेटेज देकर नहीं सुलझायेंगे तो वे कम्पीटिशन में स्टेन्ड नहीं कर पायेंगे। एक्सपीरियेन्स के मार्क्स उनको मिलने चाहिए। पूल की ट्रेनिंग के मार्क्स उनको देने चाहिए। उनको टैस्ट में भी स्पेशल वेटेज दीजिए तब जाकर यह काम होगा। हमारे प्लानिंग पर, फोर्थ प्लानिंग पर बहस हो रही थी। प्लानिंग कमीशन के चेयरमेन ने यह कहा था कि दो साल में इन्जीनियर्स को एब्जार्ब कर देंगे। उनका यह कथन कितना कल्पनातीत है, क्या कह सकता हूं। आज राजस्थान की हालत, हिन्दुस्तान की हालत इस स्टेटमेन्ट के मुताबिक मेल नहीं खाती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने लोअर पोस्ट का स्टेटमेन्ट में उल्लेख किया है। वह लोअर पोस्ट जो इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट से पास करते हैं उनके लायक है। फिर भी मैं यह मानता हूं कि डिप्लोमा होल्डर्स को काम मिले, जो जैसा

(प्रोफेसर श्री केदारनाथ)

रामानन्दजी ने निवेदन किया कि आखिर कोई ग्रेड तय कर दीजिये। आप जो भी लोएस्ट पोस्ट तय करें वह 250/-रुपये से कम की पोस्ट नहीं होनी चाहिये फिर चाहे वह मिस्त्री की हो, ड्राफ्टस मैन की हो, वेल्डर की हो, कारपेन्टर की हो परन्तु 250 रुपये से कम उसका स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त आइन्दा के लिये मैं यह एस्योरेन्स चाहता हूं कि पूल के लोगों के अपाइन्टमेन्ट के वक्त वेटेज दिया जाना चाहिये, उनके साथ डिस्क्रीमीनेशन न हो। जितनी भी हमारे यहां पर स्टेट्स हैं उनके वहां पर हमारे स्टूडेन्ट्स भी इन्टरव्यू के लिये जाते हैं, परन्तु जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वे इन्टरव्यू में नहीं आते हैं। कहा तो यह जाता है कि नेशनल लेविल पर इन्टरव्यू लिये जाते हैं। वस्तु-स्थिति यह है कि वहां इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, उनको सर्विस में प्रिफ़रेन्स दिया जाता है जो कि वहां के रहने वाले होते हैं। हमारी सर्विसेज का अन्दाजा लगाईये पिछले पांच साल का, जितने डिग्री होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, एम. एस. सी., एम. ए. उनकी अगर आप जांच करेंगे तो उसमें आप 75 प्रतिशत बाहर के लोगों को पायेंगे। वे ही लोग एब्जार्ब हो पाये हैं। उन लोगों ने बोना-फाइड के सर्टिफिकेट यहां के पेश कर दिये हैं। आपको यह देखना चाहिये कि जिसने फोर्थक्लास यहां से पास की हो, मिडिल क्लास राजस्थान से पास की हो, मैट्रिक और हायर सैकन्डरी यहां से पास की हो, हमारी इन्स्टीट्यूशन्स से पास की हो, उन्हीं बच्चों को आप प्रिफेरेन्स देंगे तब जा करके यह बैकलाग पूरा होगा और जो बेकार लोग हैं उनमें भी एक आस्था पैदा होगा। श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल): मैं दो मिनट का ही समय लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बेरोजगार इन्जीनियर्स जो देश का नक्शा बनाने वाले हैं और देश का नक्शा बिगाड़ने वाले हैं, नक्शा बिगाड़ने वाले हो सकते हैं अगर रोजगार नहीं मिले तो। आज 1966 से राजस्थान में बेकार हैं और इन बेकार इन्जीनियर्स को जिन्होंने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है और माता-पिता का उसमें काफी रुपया व्यय हुआ है। वह सड़क पर चक्कर लगा रहे हैं, और राजस्थान सरकार जिन्हें डिग्री होल्डर्स को 250 रुपया और डिप्लोमा होल्डर्स को 150) रुपया मासिक भत्ता दे रही है उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं पर मेरी प्रार्थना करना यह है कि जिस ढंग से पूल का निर्माण किया गया है तो पूल का निर्माण करने के लिए आज सही तथ्य हमारे सामने आगये हैं कि 500 डिप्लोमा होल्डर्स को इस सारे बेरोजगारी के धन्धे में राज्य सरकार ने भत्ते पर लगा रखे हैं और वह काम भी कर रहे हैं और बाकी लोग आये ही नहीं। आपके आंकड़ों के आधार पर ही सबसे पहले राजस्थान में 500 बेकार इन्जीनियर्स ने जिन्होंने पूल में नाम लिखा रखा है और जिनको काम पर लगाया हुआ है सबसे पहले उनको काम पर लगाया जाय। जिस प्रकार कि मेडी-कल बोर्ड व्यवस्था करता है उसी प्रकार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

से राजस्थान की सरकार को भी यहां इनके लिए व्यवस्था करानी चाहिए।

मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने 71 में यह बेरोजगार इन्जीनियर्स के बारे में आंकड़े प्रकाशित किये हैं तो उनमें से 1000 इन्जीनियर्स में से 531 का नाम पूल में आया है और वे काम कर रहे हैं। फिर दूसरी पूल की सूची हमारी है. उस दूसरी पूल की सूची में 300 में से 135 काम पर आये, और बाकी सब लोग इधर-उधर लग गये। आज 500 ही केवल बेरोजगार इन्जीनियर्स हैं जिनको कि राज्य सरकार भत्ता दे रही है और उनको भी राज्य सरकार जिन्होंने नाम लिखाया है 150) रुपया और 150) रुपया भत्ता देती है और 150 रुपये में तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का भी काम नहीं चल सकता है। उन 534 डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स को भी आज तक सरकार ने काम पर नहीं लगाया है तो उनमें असन्तोष होना स्वाभाविक बात है। फिर राजस्थान सरकार ने पूल की अवधि 2 वर्ष से 3 वर्ष की बढ़ाई है तो इसमें राजस्थान सरकार धन्यवाद की पात्र नहीं है कि उसने 2 वर्ष के 3 वर्ष कर दिये। एक ही आदमी को काम पर नहीं लगायें और समय बढ़ा दें तो लोगों को सन्तोष नहीं होता है। इनको जो 150 या 250 रुपया देते हैं तो उससे इस मंहगाई के युग में कुछ भी नहीं होता है। वह नहीं के बराबर है। उसका परिणाम यही होगा कि आप कहेंगे कि सरकार बेरोजगार इन्जीनियर्स से सहानुभूति रखती है कि 2 से 3 वर्ष बढ़ा दिये और हम उनको 150 रुपया और 150 रुपया दे रहे हैं। उनको अगर धन्धे पर नहीं लगाया गया तो वे आत्महत्या करने लगेंगे और रिक्शा चलाने लगेंगे, और पूल में एक भी आदमी नहीं रहेगा; और सरकार कहेगी कि बेरोजगारी मिटा दी गई है। मेरी यह प्रार्थना है कि समय बढ़ा देने से काम नहीं चलने वाला है। राज्य सरकार को उनको काम देना चाहिये। राज्य सरकार के पास कई स्थान अभी 300 अभियान्त्रिक अभियन्ताओं, 100 सहायक अभियन्ता और 125 कनिष्ठ अभियन्ताओं की जगह खाली पड़ी हुई हैं और जल प्रदाय विभाग में भी कई पद खाली पड़े हुए हैं तब कुल 500 लोगों को नियुक्त करना है तो उनको सबसे पहले लगाना चाहिए, और पूल से अलग अलग यह विभाग नियुक्त कर लेते हैं तो उनको पूल वालों को सबसे पहले लगाना चाहिये जो कि पहले से काम कर रहे हैं। इन बेरोजगार इन्जीनियर्स की तरफ ध्यान न दें और दूसरे विभाग से सीधे इन्जीनियर्स को या और लोगों को नियुक्त कर लेते हैं और जो पूल में काम कर रहे हैं उनको न दें, तो राज्य सरकार ने बड़े बड़े काम किये हैं, राष्ट्रीयकरण किया है और कहीं कहीं पर बड़े बड़े पुल बांधे हैं, और बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा किया है तो राज्य सरकार इन विभागों को पाबन्द कर दे कि सब से पहले पूल के बेरोजगार इन्जीनियर्स हैं, जो कि काम कर रहे हैं, जिनको हम काम नहीं दे सकते हैं तो उनको सबसे पहले काम दें। तो इसमें राज्य सरकार को कोई बहुत बड़ी स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक योजना को भली प्रकार इम्प्लीमेन्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी राज्य सरकार से मांग है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और जो डिग्री होल्डर्स हैं, पूल में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जिनका नाम लिखा हुआ है और 500 आदमी हैं और उनको फिलहाल दूसरे ढंग के काम पर लगा रखा है और जिनको 150 रुपया और 250 रुपया दे रहे हैं तो सर्व प्रथम उनको ही काम दिलायें और सीधी नियुक्ति विभाग के आदमी कोई न कर सकें, ऐसा मेरा राज्य सरकार से निवेदन करना है।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई भाषण नहीं करना है, केवल इतना ही निवेदन करना है कि जो पूल के इन्जीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको वास्तव में सीनियोरिटी लिस्ट से नौकरी नहीं देना चाहते हैं इसका क्या कारण है, गृह मंत्रीजी बता दें? एक आदमी पहले से बेरोजगार है उसके बाद में नया आदमी निकला उसको नौकरी मिल जाय यह ठीक नहीं है। इसलिए वहां जो सीनियोरिटी लिस्ट में हैं उनको पहले नौकरी मिलनी चाहिए। एक बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स उनको एम्प्लाय नहीं कर रहे हैं। उनको भी टेक्निकल आदमियों की जरूरत होती है तो वहां पर यह अनिवार्य रूप में रखें। जो आदमी आपसे ठेका वगैरह लेते हैं तो उन आदमियों को ठेका तब ही दें जब कि वे आपके आदमियों को एम्प्लाय करें। जो प्राइवेट कान्ट्रेक्टर उनको एम्प्लाय नहीं करता है उनको ठेका नहीं देना चाहिए। यह दो सुझाव में आपके जरिये से माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट ही बोलना चाहूंगा। हमारी आज तक इन्जीनियर्स को एम्प्लायमेंट देने के सवाल पर स्कीमें बनी तो एक भी अमल में नहीं लाई गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि स्माल स्केल इन्डस्ट्री में इनके एम्प्लयमेंट के लिए स्कीम बनी कि एक लाख और दो लाख से ऊपर की जो स्कीमें हैं उनको जब तक वे इन्जीनियर को साथ में न लें तब तक उनको लाइसेन्स ग्रान्ट न किया जाय। उनको सुविधाएं दी जायें लेकिन उसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए और इन्जीनियर्स को लगाने का नारा तो दिया लेकिन उसका अमलीकरण नहीं हुआ। वहां पर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट होने के कारण वे इन्जीनियर्स को काम पर नहीं लगाते हैं। आज तक ठेकेदारी की प्रथा कायम है और इन्जीनियर्स लगाये नहीं। तो खाली एक नारा देने से कोई मतलब नहीं निकलता है। जो हमने कहा था कि बेकार इन्जीनियर्स को दो साल के अन्दर सारे के सारों को लगा देंगे तो कल ही मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा है कि अभी भी करीब 500 इन्जीनियर्स बेकार हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस समस्या को शिघ्र ही हल नहीं किया गया तो यह भयंकर भूल होगी। हजार इन्जीनियर्स बेकार हैं और आप कुछ धन्धा नहीं खोल रहे हैं तो मैं साफ तौर से कहूंगा कि मंत्रीजी जो नीतियां बनाते हैं उनकी कभी भी जांच नहीं करते हैं कि उनकी नीतियों को अमलीकरण हो रहा है कि नहीं। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किसी मंत्री महोदय ने अभी तक अपने ऑफीसर्स से दरयाफ्त किया है कि कौन से ऑफिसर्स बेकार इन्जीनियर्स के पास गये हैं कि

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
कितनों को धन्धों पर लगाया है यह आज तक नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पूल का जहां तक सवाल है मेरा है सब माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह धर्मादा खाता खुला हुआ है। दो-दो और तीन-तीन साल तक पूल में इन्जीनियर्स चलते हैं और उन्हें कोई धन्धा नहीं दिया जाता है। अभी फेमीन डिपार्टमेंट में 50-60 इन्जीनियर्स के लिए एडवरटाइजमेंट दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि मेरिट लिस्ट पर उनको लिया जायगा। दो-दो, तीन-तीन साल से इन्जीनियर्स बेकार पड़े हुए हैं। और इस तरह से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अजमेर में कहा था कि फर्स्ट डिविजन की कोई जरूरत नहीं है, सेकेण्ड और थर्ड डिविजन वाले भी आगे बढ़े हैं, तो पूल में दो-दो, तीन-तीन साल से रजिस्टर्ड हैं और भत्ता पा रहे हैं और अनाथाश्रम की तरह रह रहे हैं उनको अगर नहीं लेंगे तो बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। इसके बारे में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिये और उस लिस्ट में से उनको लेना चाहिए।

एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, वाटर मीटर की है कि वाटर मीटर्स हजारों और लाखों की तादाद में रिपेयर्स के लिए पड़े हुए हैं। उनको रिपेयर किया नहीं जाता है और इसलिए नहीं किया जाता है कि नये वाटर मीटर्स खरीदे जायें और उनकी खरीद में उनकी साठगांठ है। इन्जीनियर्स अपनी एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर काम करने को तैयार हैं। इस तरह का धन्धा चलाकर और निश्चय ही इन्जीनियर्स को कान्फीडेन्स में लेकर कुछ एक्टिव होकर सरकार को कोई ठोस पालिसी अपनानी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बहुत ज्यादा एक्टिव होकर कहीं न कहीं बेकार इन्जीनियर्स से डाइरेक्ट नियोजन डवलप होना चाहिए जिससे समस्या का समाधान हो।

श्री उपाध्यक्ष। श्री शिवचरण जी !

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष जी, जो इस हाउस में प्रस्ताव रखे गये हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं जो अर्ज करना चाहूंगा वह यह है कि डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको हमें लेना है तो पूल में जिनको टेक्नीकली ट्रेन्ड किया है तो उनका आप पूल बनाते हैं तो यह बात जरूरी है कि कहीं न कहीं पर नौकरी लगाने वाली बात करना चाहते हैं।

जैसे कि एक टीचर को जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला है, ट्रेनिंग करना जरूरी है। बी एड. करना जरूरी है। बी. एड. मेरिट के हिसाब से लेना जरूरी है। इसी तरह से यह जो पूल बना हुआ है उनका साल के हिसाब से नाम दर्ज है, उसी प्रकार से लेना चाहिए। कुछ समय पहले प्रधान मन्त्री ने इस प्रकार की घोषणा की थी कि दो साल में डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स को नौकरी दे दी जायेगी, हो सकता है यह पहले भारत सरकार के दिमाग में हो जो हमारे दिमाग में है। समझ में नहीं आता है कि आर. एस. ई बी. में हर साल मेरिट की बात क्यों रखते हैं। अगर ऐसा है तो दूसरों का कभी चांस आने वाला नहीं है। उनको स्टाइपेण्ड दिया गया। स्टाइपेण्ड

(श्री शिवचरण माथुर)
होल्ड करते समय उनको काम पर लगाना था। उनको डिबार करना अच्छा नहीं है। इस प्रकार तो बहुत बड़ी संख्या इन्जीनियरों की बन जायेगी। यह असंतोष और अधिक हो सकता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूँ कि जो पूल बना हुआ है, यदि प्रति वर्ष मैरिट से करें तो समस्या का हल निकल सकता है। वर्ना यह हालत बढ़ती जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गृह मन्त्री जी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : जनरल डिस्कशन का प्रश्न नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : I will take only two minutes.

बहुत सारे काम इसी लिए नहीं हो रहे हैं कि इन्जीनियर नहीं हैं। इन्जीनियर कुछ करते नहीं हैं, वह कहते हैं कि हमारे पास मेन पावर नहीं है। पंचायत समितियों में सब काम अधूरे पड़े हुए हैं। वह कहते हैं कि हमारे पास इन्जीनियर नहीं है, सर्वेयर नहीं हैं। काम अधूरे पड़े हुए हैं, इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गृह मन्त्री जी।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स के बारे में चिंता व्यक्त की है। हमारे शिक्षित व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा देश का निर्माण करें और स्वयं के व्यक्तित्व को बना सकें और उनको कोई गलत दिशा में जाने के अवसर प्राप्त न हों इसके लिए राज्य सरकार बराबर चिन्तित है। वैसे जाहिरा तौर पर जो कुछ नजर आता है, वही कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं को समझना नहीं चाहती है। लेकिन जैसा कि मैंने कुछ समय पूर्व बताया था, डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स को बुलाकर बात की गई है। उनकी तकलीफों को सुना गया है। राज्य सरकार स्वयं जानती है। इसके उपरान्त समय समय पर निर्णय लिए गये हैं, उनसे सदन को अवगत कराया गया है। इसके बावजूद यह कहा जाये कि माननीय मुख्य मन्त्री जी मिलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, यह शोभनीय नहीं है। मुख्य मन्त्री जी उनसे मिले हैं। आगे भी जरूरत पड़ी तो मिलकर निर्णय करने की कोशिश की जायेगी। राज्य सरकार स्वयं भी बहुत चिन्तित है। लेकिन समस्या इतनी बड़ी व्यापक है कि उसको हल करना राज्य सरकार की सामर्थ्य से बाहर है। फिर भी राज्य सरकार अलग अलग तरीके से समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रही है। वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।

अभियान्त्रिक स्नातकों में बेरोजगारी की समस्या सब के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। यह समस्या केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं है बल्कि देशव्यापी है जिसका समाधान अधिक पूंजी नियोजन और सर्वव्यापी आर्थिक प्रगति से ही हो सकता है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

है। परन्तु राज्य सरकार ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के अल्पकालीन उपाय इंजीनियरों में बेरोजगारी कम करने के लिए उठाये हैं, जिनका इस समस्या को सुलझाने में असर अवश्य हुआ है:—

(1) जनशक्ति विभाग (आयोजना) में बेरोजगार इंजनियरों का रोस्टर बना हुआ है जिसमें से विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं।

यह 68 में शुरू हुई है। इसमें स्नातक 1966 और डिप्लोमा होल्डर 4257 हैं। अभी यह संख्या हमारे पास उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा 1000 स्नातक एवं डिप्लोमाधारी इन्जीनियरों का पूल बनाया गया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक स्नातक इंजीनियर को 250 रु. डिप्लोमाधारी को 150 रु. प्रति माह की वृत्तिका तीन वर्ष तक दी जा रही है। ये कार्मिक राज्य सरकार के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में वर्क चार्ज के आधार पर एप्रेण्टिस इंजीनियर एवं सबआर्डिनेट्स के पद पर कार्य कर रहे हैं।

यह 500 कार्मिक प्राप्त कर रहे हैं। बाकी 500 ने प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की है।

(3) बेरोजगार स्नातक इंजीनियर व डिप्लोमा प्राप्त लोगों के खुद के रोजगार के लिए अधिक उपयुक्त बनाने हेतु एक योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत बेरोजगार स्नातक एवं डिप्लोमा प्राप्त लोगों को क्रमश: 200 रु. एवं 150 रु. प्रति माह एक वर्ष तक वृत्तिका दी जाती है ताकि ये सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों में प्रेक्टिकल प्रशिक्षण ले सकें। इसके अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में 85 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है और 114 व्यक्तियों को दिलवाया जा रहा है।

(4) कृषि उद्योग निगम के सहयोग से एग्रो सर्विस केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। जिनमें बेरोजगार इंजीनियरों को काम पर लगाया जावेगा। ये केन्द्र ट्रैक्टर्स, पम्प्स एवं अन्य कृषि यन्त्रों की मरम्मत आदि के लिए निगम के एजेन्ट के रूप में कार्य करेंगे ताकि इनकी प्रारम्भिक वित्तीय आवश्यकताओं के लिए निगम इनको व्यवसायिक बैंकों से कर्ज दिलाने की व्यवस्था करेगा। इन केन्द्रों में काम करने वाले इंजीनियर्स को दो वर्ष तक क्रमश: 250 रु. एवं 150 रु. प्रति माह की वृत्तिका दी जावेगी।

ऐसे केन्द्र 30 स्थापित किये जायेंगे। इसी प्रकार से,

(5) वर्तमान प्रक्रिया में ऐसे संशोधन किये जा रहे हैं जिससे इंजीनियर्स को सार्वजनिक निर्माण विभाग से अर्नेस्ट मनी एवं टेण्डर्स आदि की औपचारिकताओं के बिना ही काम मिल जाया करे।

(6) इंजीनियरों स्नातकों, को रोजगार देने की एक योजना भारत सरकार की सहायता से आरम्भ की गई जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास योजनाओं के निर्माण के लिए चुने हुये क्षेत्रों में इंजीनियर सर्वेक्षण किया जा रहा है जिससे 100 इंजीनियरों एवं कृषि स्नातकों को रोजगार मिलेगा।

यह क्षेत्रीय विकास योजना जोधपुर, बांसवाड़ा में सर्वप्रथम में लागू हुई है।

Page No. 71

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

इससे 100 इंजीनियरों को लाभ होगा। 1974 तक यह पूरी हो जायेगी।

(7) बेरोजगार इंजीनियरों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना भी गत वर्ष हाथ में ली गई है। उस कार्यक्रम के पांच अंग हैं:—

(1) इक्विटी पूंजी या मारजिन मनी

(2) टैक्निशियन्स को-ऑपरेटिव्ज

(3) कमर्शियल एस्टेट्स

(4) इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स

(5) देश में निर्मित मशीनरी को हायर परचेज पर देना।

इस हेतु भारत सरकार से 47 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक तिहाई भाग अनुदान एवं शेष ऋण के रूप में है। राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम को इक्विटी पूंजी या मार्जिन मनी ? कामर्शियल एस्टेट्स एवं इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की योजनाएं सौंपी गई हैं। टैक्निशियन्स कोआपरेटिव्ज की योजना राजस्थान वित्त निगम तथा देश में निर्मित मशीनरी को हायर पर्चेज पर देने की योजना राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा चलायी जायेगी इस वर्ष में इन कार्यक्रमों के लिए कम से कम 1.30 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है।

(8) 'अ' श्रेणी के ठेकेदारों जिनका ठेका 2 लाख से अधिक है उनको एक अभियन्ता नियुक्त करना होगा तथा अनलिस्टेड ठेकेदारों को जिनका ठेका 2 लाख से अधिक है, एक अभियन्ता को नियुक्त करना होगा। इसी प्रकार खनिज अभियन्ताओं के लिए भी नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर दिये गये हैं ताकि खनिज अभियन्ताओं की नियुक्तियां ठेकेदारों द्वारा की जा सके। जो एक लाख से अधिक का धंधा करते हैं उनको खनिज स्नातक को नौकरी देनी पड़ेगी, जो 50,000 से अधिक एवं 1,00,000 से कम का धंधा करते हैं वे माइन्स फोरमैन ग्रेड-I को नियुक्त करेंगे।

इसके तहत अभी तक जो कार्य हुआ है उसके बारे में बताना चाहूंगी यह नियम 1968 में बजट स्पीच के आधार पर बना था इससे करीब बारह आदमियों को ठेकेदारों ने कार्य दिया।

(9) राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन नगरपालिकाओं की आबादी 50 000 या इससे अधिक है वहां पर एक सिविल सहायक अभियन्ता की नियुक्ति की जावेगी इसका 50 प्रतिशत व्यय तक अनुदान के रूप में नगरपालिकाओं को दिया जावेगा। इसी प्रकार नगर विकास न्यासों में भी जहां तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, कार्यभार को मद्दे नजर रखते हुए उचित ग्रेड वाले इंजीनियरों की नियुक्ति की जावेगी। इसके तहत सीकर एवं अलवर की नगरपालिका के अलावा जो पचास हजार या इससे अधिक की जन संख्या की नगरपालिकायें हैं उन सभी में सहायक सिविल अभियंता की नियुक्ति हो चुकी है।

(10) विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त लोगों को उदारता से ठेकेदारी के लाइसेन्स दिये जा रहे हैं और

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

न्यूनतम अनुभव की शर्तों में जोर नहीं दिया जा रहा है।

इसके अन्तर्गत जो प्रगति हुई है इसमें करीब 85 अभियांत्रिकों को ठेकेदारी के लाइसेन्स दिये गये हैं और 74 अभियांत्रिकों को सुपरवाइजरी के लाइसेन्स प्रदान किये गये हैं।

(11) जो, बेरोजगार इंजीनियर अपना खुद का धंधा चलाना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार उनको विधिवत जमीन, कच्चा माल, ऋण आदि की सुविधा दिलायेगी। इंजीनियरों को ठेके की सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और यदि वे व्यक्तिगत या सहकारी समिति के मार्फत किसी काम के लिए टेन्डर देंगे तो उन्हें भी लेबर कान्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी को सभी मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जावेंगी।

(12) राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज निगम ने एक ऐसी योजना क्रियान्वित की है जिसके अन्तर्गत इंजीनियरों के लिए एक ऐसी स्कीम तैयार की गई है जिसमें वे काम सीखने के साथ साथ उद्योगों को अपना बना सकते हैं। इस स्कीम के तहत प्रतिभाशाली इंजीनियरों को छोटे पैमाने पर उद्योग चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा जिसमें आर्थिक एवं मैनेजरियल सहायता निगम मुहैय्या करेगा ज्यों ही उद्योग में फायदा होने लगेगा वह उद्योग पूर्ण रूप से इंजीनियरों को निर्धारित शर्तें जैसे ऋण की अदायगी, ब्याज आदि स्वीकार करने पर सौंप दिया जावेगा इंजीनियरों को जब उद्योग में घाटा रहेगा और जब तक उन्हें निगम की देनदारी चुकाकर पर स्वामित्व नहीं मिलता, तब तक उन्हें कम में कम 250 रुपये का वजीफा दिया जाता रहेगा। कुछ अभियंताओं ने योजना का फायदा भी उठाया है। इस प्रकार इस योजना के तहत दो यूनिट स्थापित हुई हैं उनमें पांच अभियांत्रिकों ने काम प्रारम्भ किया है।

(13) यह निर्णय लिया जा चुका है कि जहां तक सम्भव हो इंजीनियरिंग के महकमों में सब कार्य विभागीय आधार पर करवाये जाएं।

(14) कृषि स्नातक एवं अभियांत्रिकी स्नातक में बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्हें भूमि आवंटित की जा रही है। इस कार्य के लिए 3125 एकड़ भूमि उपनिवेशन विभाग ने सुरक्षित रखी है।

84 स्नातक और कृषि स्नातकों को भूमि आवंटित की गई है जो कि इस रिजर्वेशन के तहत जमीन उपनिवेशन विभाग ने ले रखी है।

(15) विकास कार्यक्रमों के साधारण प्रावधानों के अलावा जिनमें रोजगार की काफी सम्भावनाएं हैं, 15 करोड़ रु. की धनराशि ऐसे विशेष कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध की जा रही है जिनका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना है इसमें इंजीनियरिंग को बेरोजगारी भी शामिल है।

15 करोड़ की यह जो योजना है इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं जिसके तहत इनको रोजगार दिया जा सकता है।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(16) आई. टी. आई. के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अधिकाधिक रोजगार दिलाने के लिए मशीन टूल निगम, अजमेर के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत 200 आइ. टी. आई. सर्टीफिकेटधारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा। इनके राजस्थान व राज्य के बाहर प्रशिक्षण का पूर्ण खर्चा सरकार व मशीन टूल निगम मिल कर वहन करेंगे। प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर कॉरपोरेशन उन्हें अपने यहां काम पर ले लेगा।

यह अभी तक राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किये गये हैं। इनके अलावा जैसा पूर्व में बताया, जो बातचीत के दौरान जो निष्कर्ष और निर्णय लिया गया उससे जाहिर है कि राज्य सरकार इस प्रश्न के अन्दर बहुत सचेत है, सजगता से काम करना चाहती है, नेक नीयत से काम करना चाहती है। राज्य सरकार इस बात को महसूस करती है कि जिन इंजीनियर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को को रोजगार नहीं मिल सका है, एक ओर तो राज्य सरकार उनको स्टाइपैण्ड दे रही है, दूसरी ओर बेरोजगार ज्यादा रहने से मानसिक विकास रुक रहा है-उसका प्रभाव भी पड़ता है इसलिए राज्य सरकार सतर्क है। फिर भी माननीय सदस्यों ने जो एक दो बातें कही हैं उनको मैं सम्बन्धि विभागों को लिख कर भेज देना चाहूंगी, ताकि वह इस मामले पर गौर करें।

जिस प्रकार आपने कहा, जो इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स पूल में रजिस्टर्ड हैं, उनमें से नहीं लिये जाते हैं, बाहर से लिये जाते हैं। इसलिए उसमें कम से कम कोई रिजर्वेशन होना चाहिए, पचास पर्सेन्ट का माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, पचास पर्सेन्ट कर सकते हैं, चालीस पर्सेन्ट कर सकते हैं, साठ पर्सेन्ट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं-यह कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। यह बात आवश्यक है जरूर। हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पूल में लगे हुए लोग हैं जिन्हें स्टाइपैण्ड दे रहे हैं उनको जो नौकरियों में रखते हैं उनमें प्राथमिकता दी जाय, अब कितने पर्सेन्ट तक दी जाय यह विचार का विषय है।

इसके साथ ही एक सुझाव भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है, हम पूल रजिस्टर बनायें उस रजिस्ट्रर को हर साल वापिस तैयार करें जिससे जिस साल में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है या डिप्लोमा किया है, उनका उसी सीनियोरिटी के हिसाब से नाम दर्ज हो और जब कभी नाम का रेफरेन्स दिया जाये तो प्राथमिकता के आधार पर उनके चयन का प्रश्न आये तो पूल रजिस्टर में जिस क्रम में नाम दर्ज है उसी क्रम में उनका चयन होना चाहिए।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कई संस्थायें, निगम, बोर्ड इस प्रकार करते जा रहे हैं कि पुराने इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स तो बैठे रह जाते हैं और नये को ले लिया जाता है। मैं समझती हूं, जब इस बात पर विचार विमर्श होगा, पूल में रजिस्टर्ड जो डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स हैं उनको क्रमवार पास करने की तिथि के हिसाब

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

से प्राथमिकता दी जाय। मैं समझती हूं, इससे यह विषमता दूर हो जायगी और इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी।

एक जो बात कही, वह भी देखने की है कि डिप्लोमा होल्डर्स डिग्री होल्डर्स जो पूल में हैं, वह बैठे रहते हैं, और किन्ही किन्हीं लोगों को एडहॉक बेसिस पर डिपार्टमेंट, निगम में लिया जाकर बाद में एक साल का, छः महीने का एक्सपीरियेन्स बता कर ले लिया जाता है और पूल में बैठे लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए राज्य सरकार पर जो भार है वह यों का यों बना रहता है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन आता है कि हम पूल में रजिस्टर हैं, राज्य सरकार हमें नौकरी दिलाना चाहती है लेकिन राज्य सरकार के तहत जो बोर्ड में, निगम में, वेकेन्सी निकलती है उनमें हमें न लेकर और लोगों को ले लिया जाता है। यह बात सोचने की है, इसके लिए मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगी।

एक जो प्रश्न खास तौर से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार में पेश किया कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एवेन्यूज कम हैं, उनका रिजर्वेशन, वह जो पोस्ट बताई गई है, वह पर्सेन्टेज इतना कम है, बहुत कम है, कि बहुत कम को मौका मिल सकता है और जो डिप्लोमा होल्डर्स जहां काम करते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स की नियुक्ति होती उस स्थान पर डिग्री होल्डर की डिमाण्ड जारी कर दी जाती है इससे डिप्लोमा होल्डर्स का स्कोप कम हो गया है। तो इसके ऊपर विचार करके ही कहा जा सकता है।

आपने यह भी कहा, व्यास प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डेढ सौ स्थान राजस्थान के लोगों द्वारा भरे जाने थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया इसलिए राजस्थान के लोगों से नहीं भरे गये। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, हो नहीं सकती है कि डेढ़ सौ स्थान रिजर्व्ड हों राजस्थान स्टेट के लिए और वह न भरे जायं, जब कि हमारे यहां बेरोजगारी है और रोजगार का तकाजा है। लेकिन ऐसी स्थिति हुई हो कि पंजाब के लोगों या और स्थानों के लोगों के द्वारा भरे हों तो यह विचारणीय विषय है और इसकी जांच करके ही मैं माननीय सदस्य को अवगत करा सकती हूं।

अंत में एक जो सुझाव दिया है फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने, लाखों मीटर ऐसे पड़े हुए हैं जो खराब हैं, उनकी रिपेयर नहीं होती है और नये मीटर खरीदे जाते हैं, खरीदे जाते रहते हैं और पुराने मीटरों को सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं है और जब कि इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स बेकार बैठे हैं। कितने मीटर खराब हैं, कितनों को रोजगार दिया जा सकता है, किस प्रकार दिया जा सकता है, आया यह बात सही है या यह तथ्य नहीं है—इसकी जांच के उपरान्त ही बता सकती हूं। यदि ऐसी बात है, हमारे पास खराब मीटर हैं जिनको ठीक करके उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन उनको उपयोग में नहीं लिया जाता है और नये अनावश्यक रूप से खरीदे जाते हैं। मैं सम्बन्धित विभाग को लिखूंगी और जो कार्यवाही होगी उससे अवगत कराऊंगी।

इन शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगी,

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

अब तक राज्य सरकार के द्वारा इस समस्या के अन्दर बहुत सजगता के साथ कार्य किया जा रहा है और पूर्ण चेष्टा की जा रही है, राज्य सरकार सीमा के अन्दर, क्षमता के अन्तर्गत बराबर कोशिश में है कि सब डिग्री होल्डर्स को और डिप्लोमा होल्डर्स को रोजगार दिया जाय, जल्दी दिया जाय जिससे उनमें मानसिक असंतुलन पैदा नहीं हो और उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं हो- इसके लिए राज्य सरकार बराबर सजग है, इसके बाद भी जैसा बताया, यह काम इकॉनामिक और इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट से ताल्लुक रखता है कि कितनों को रोजगार दिला सकते हैं, इसलिए रोजगार की एवेन्यूज बढ़े, इकॉनामिक डवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर डवलपमेंट हो और इण्डस्ट्रियल ग्रोथ हो और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉबलम है उसको हम जल्दी से जल्दी हल कर सकें। आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह बता सकूं कि इतनी एवेन्यूज है, एम्प्लॉयमेंट की, जिनमें इन्हें एम्प्लॉय किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस समस्या की गम्भीरता को समझते हुए राज्य सरकार पूर्ण रूप से सक्रिय है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने एक बात का उतर नहीं दिया। मैंने निवेदन किया था खास तौर से विद्युत मण्डल में कोई कैडर स्ट्रेंथ कर पोस्ट मुकर्रर नहीं की गई है साइन्टीफिक बेसिज पर और वर्कलोड बहुत अधिक है, जिसकी वजह से इफीशियेंसी घटती है और उलटा नुकसान होता है। जैसे ट्रांसफार्मर्स जलते हैं तो आप एग्जामिन करवायें इस सवाल को कि साइंटीफिक बेसिज पर कैडर होना चाहिए। हमारे विभागों में खास तौर से विद्युत मंडल में उस बेसिज पर वर्कलोड है ? अगर नहीं है, वर्कलोड ज्यादा है तो पोस्ट्स बढ़ाई जाए, उससे खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ेगा बल्कि ज्यादा एफीशियेंट वर्किंग से खर्चा घटेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक मिनट इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। यह बड़ी जटिल समस्या है और इसका उत्तरदायित्व एक हद तक मैं अनुभव करता हूं कि सरकार पर है। यह रांग प्लानिंग का प्राडक्ट है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 5 वर्ष के बाद अगर यही जटिल समस्या बढती रही तो रंग लाए बिना नहीं रहेगी। आज शिक्षित लोगों में फ्रस्टेशन क्यों है ? इसका अन्ततोगत्वा के आस में रिजल्ट हो सकता है मंत्री महोदया ने जो सुझाव दिये वे सराहनीय हैं लेकिन वे फ्रिंज ऑफ दी प्रॉबलेम को डील विथ करते हैं। यह तो भारत सरकार को सारी प्लानिंग के संबंध में गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, जाब ओरिंटेड प्लानिंग को अन्डरटेक करना चाहिए और जैसा मंत्री महोदय, ने कहा, यह तो प्रॉडक्शन और इंडस्ट्रीलाइजेशन का प्रश्न है। जब तक प्रॉडक्शन और इंडस्ट्रलाइजेशन नहीं होता है तब तक इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं। राजस्थान स्तर पर आप कुछ नहीं कर सकते। केन्द्र के स्तर पर आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो यह डेमोक्रेसी खतम होगी और माबोक्रेसी से वर्स सिचूएशन होगी। इसलिए भारत सरकार के बेसिज पर, ऑल इण्डिया बेसिज पर प्लानिंग को रीओरीटेशन करने के सिद्धान्त पर इंडस्ट्रीलाइजेशन और प्रॉडक्शन को मद्देनजर रखते हुए अगर आप कुछ करेंगे तो ठीक होगा और नहीं तो समाजवदा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
और गरीबी हटाओ, सब नारेबाजी है, सब कागज पर रह जायेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि ये सब योजनायें आज तक कितने इन्जीनियर्स पर लागू है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : हरेक स्कीम में कितने इंजीनियर और डिप्लोमा-होल्डर्स नियुक्त किए हुए हैं, कितनों को काम मिला है, सारा मैंने बता दिया है।

श्री केदारनाथ : इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, जितना उन पर कास्ट ऑफ कन्सट्रक्शन है.......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने धंधे में लगाने के लिए पूछा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जितनी स्कीम्स सरकार ने टेक अप की हैं उनके तहत कितने बेरोजगार इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स को काम मिला है लाभ मिला है, वह मैंने बता दिया।

श्री केदारनाथ : जितनी इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर राज्य सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया कि, जितना कास्ट आफ कन्सट्रक्शन है उसका परसेंटेज के हिसाब से हमारे इम्पलाइज मैन करते हैं। जैसे, पोंग डेम है व्यास प्रोजेक्ट है सिवा 5 आदमियों के सारी स्ट्रेंग्थ पंजाब और हिमाचल प्रदेश की है और 58 प्रतिशत कास्ट आफ कन्सट्रक्शन हिस्सा हमारा है। तो आइन्दा कितनी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हम लोग मैन कर रहे हैं वहां कितनी स्ट्रेंग्थ होनी चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया, जिन समस्याओं के प्रति या जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की कमी से या हमारी जांच की कमी से या सजगता की कमी से, जो खामियां माननीय सदस्यों ने बताई हैं, उनकी जांच की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी लेकिन इस सदन में खड़े खड़े कुछ मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। व्यास प्रोजेक्ट और विद्युत् मन्डल में कितने स्थान थे, क्यों नहीं हमने भरे, इसकी चिन्ता राज्य सरकार को भी है और इस बात की भी चिन्ता है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी खराब हो सकते हैं। खराब हों या नहीं, राज्य सरकार जिम्मेदार है अपने समाज को व्यवस्थित आधार पर रोजगार के लिए, उसके जीवन के विकास के लिए, समाज को सुनियोजित ढंग से विकसित करने के लिए, यह कार्यवाही करना जरूरी है लेकिन इस कार्यवाही को करने के लिए फिलहाल हम कहें कि हमने इतनी कार्यवाही करली है, किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे, यह नहीं हो सकता। कहना आसान है लेकिन जिम्मेवारी निभाना कठिन है। फिर भी राज्य सरकार इस बारे में गंभीरता से और योजना के साथ इसको सीधे ढंग से हल कर सके, चिंतित है, विचार विमर्श कर रही है और उसके उपरांत कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे जिसमें पूल में जो रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं, बेरोजगार डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके रोजगार के अवेन्यूज ज्यादा से ज्यादा खुल सकें। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकती।

श्री श्रीराम गोठेवाला : एक प्रश्न।

विधायी कार्य

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न की अनुमति नहीं मिलेगी। राजस्व मन्त्री।

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें हिस्सा लेने वाले माननीय सदस्यों की संख्या ज्यादा है इसलिए इसमें समय निर्धारित कर लिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तो 1.30 बजा है।

श्री शंकरलाल : पूरा बोलने का मौका दिया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (श्री रामानन्द अग्रवाल से) : आपके नाम तो ऊपर हैं, हमारे नीचे हैं, सबको मौका मिल जाए, ऐसी व्यवस्था करें।

श्री शंकरलाल (पाली) : हरेक को पूरा बोलने का मौका दिया जाय और इसके लिए सदन का समय बढ़ाया जा सकता है। इसलिए किसी को न बोलने देना उचित नहीं है। जरूरी हो तो समय बढ़ाया जाए लेकिन इस विषय पर पूरी चर्चा करने का मौका मिलना चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं दिया है लेकिन सदन को भली भांति मालूम है कि मैं महान प्रतिक्रियावादियों में से हूं। आपका आभारी होऊंगा यदि 5 मिनट मुझे भी बोलने दिया जाए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह इतना गंभीर विषय है जिसके लिए समय सीमित करना ठीक नहीं। एक वक्ता को अपने पूरे विचार व्यक्त करने दिए जायं क्योंकि इसका साधारण नागरिक के भावी जीवन पर असर होने वाला है। इसलिए समय की पूरी अवधि देकर विचार व्यक्त करने दिए जायं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु समिति का गठन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में एक समिति के गठन को लेकर एक मोशन सदन में प्रस्तुत करने के बारे में श्रम मन्त्री ने इच्छा व्यक्त की है।

श्री ओंकारलाल चौहान (श्रम मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कल्याण हेतु इस सदन की एक समिति गठित करने के सम्बन्ध में, निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:—

(1) समिति का गठन

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कल्याण कार्यों की देख रेख के लिये इस सदन की एक समिति का गठन किया जाय जिसका नाम "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति" होगी।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(2) समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

परन्तु कोई मन्त्री समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जायेगा। और यदि कोई सदस्य समिति के मनोनयन के पश्चात् मन्त्री नियुक्त किया जावे तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) समिति के कृत्य

समिति राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की जांच करेगी।

(3) प्रतिवेदन का उपस्थापन

समिति का प्रतिवेदन सदन में सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा।

(4) सामान्य नियमों का समिति पर लागू होना

अन्य शेष बातों में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम इस समिति पर भी लागू होंगे जो सामान्य रूप से विधान सभा की सभी समितियों पर लागू होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कल्याण हेतु सदन की समिति के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव श्रम मन्त्री जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972

प्रवर समिति के सुपुर्द करने हेतु प्रस्ताव

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष मेरा एक निवेदन है कि आज जो टिनेन्सी का बिल सदन में चल रहा है, उसमें कुछ लोगों ने तो अपने नाम दे दिये हैं और कुछ लोगों ने अपने अभी तक नहीं दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला है उस पर सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगें। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो समय का बंटवारा कर दिया जाय और दूसरे समय और बढ़ा दिया जाय ताकि सभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा करने के लिए समय बढ़ा दिया जाय ऐसा आश्वासन मैं आपसे चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस संबध में यही कहना उचित समझता हूं कि जो भी सदस्य बोलना चाहेंगे वह बोल सकेंगे। सभी को मौका मिलेगा। मैं समझता हूं माननीय सदस्य जो भी बोलेगें वे थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। वैसे मैं भी 10-15 मिनट बाद में बोलने वाले सदस्य का ध्यान आकर्षित करता रहूंगा। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो माननीय सदस्यों के समय बढ़ाने के लिए व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मतलब सभी को बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगर समय बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो समय बढ़ा दिया जायेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल!

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष राजस्थान अभिधृति (टिनेन्सी) विधेयक, 1972 पर बहस चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को भूमि सुधारों के अन्तर्गत लाया गया है। भूमि सुधारों के अन्तर्गत जितने भी कानून बने हैं चाहे वे भारत सरकार के बनाये हों, चाहे वे कानून प्लानिंग कमीशन की रिकमन्डेशन पर बनाये गये हों, चाहे कांग्रेस पार्टी ने रिकमन्डेशन की हो, उन सभी का मकसद एक है जमीन उसकी होनी चाहिये जो जमीन जोतता हो। जमीन उसको दी जानी चाहिये जो जमीन को जोतने वाला हो। लैण्ड टू दी टिलर्स। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति को जमीन देनी चाहिये जिसके पास जमीन नहीं हो और जो जमीन जोतता हो। और अगर कोई व्यक्ति जमीन नहीं जोतता है तो उसे जमीन नहीं दी जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों ही बातें इस बिल में जो कि इस सदन में लाया गया है अभाव है। मेरा निवेदन है कि आप चाहे सीलिंग की सीमा चाहे जितनी एकड़ मुकर्रर करें, चाहे वह 30 स्टेन्डर्ड एकड़ करें, चाहे 18 स्टेन्डर्ड एकड़ करें वह आप पर है लेकिन प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति को 18 एकड़ जमीन दे रहे हैं वह, वह व्यक्ति खुद जमीन जोतता है या नहीं।

(1.35 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

यह सोचने का विषय है। यह तो सही बात है कि जब आप 30 एकड़ से 18 एकड़ जमीन की सीमा कर देंगे तो जमीन लोगों को मिलेगी पर ऐसे लोगों को जमीन अगर मिल जाती है जो कि टिलर नहीं हैं तो फिर क्या फायदा। इसलिये मेरा निवेदन है कि लैन्ड मस्ट टू दी टिलर। तो मेरा निवेदन यह है सभापति महोदय, कि आप अपने बिल में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि लैण्ड टिलर के पास जाय। आप चाहें सीमा कैसे भी निर्धारित करें जमीन उस व्यक्ति के पास जानी चाहिये जो व्यक्ति टिलर हो। और अगर वह व्यक्ति टिलर नहीं है तो आप उससे वह जमीन वापिस ले लें।

दूसरे जमीन जो आप लोगों में वितरण करें। वह किसको वितरण करें मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को जमीन नहीं दें जो कि काश्तकार हैं पर स्वयं टिलर नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें ऐसी कई कमियां हैं इस बिल में, उसके लिये जरूरी हो जाता है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाय। मैं इस बिल को प्रवर समिति को भेज कर समय लगाने की बात से नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि इस बिल पर जल्दी से जल्दी 3 दिन में ही समय मुकर्रर करके सलेक्ट कमेटी बैठकर अपना डिसीजन ले ले। और फिर जल्दी से जल्दी उस कानून को पास किया जाय ताकि जो कमियां हैं उन्हें समाप्त किया जाय। दूसरे सभापति

(श्री शंकरलाल)
महोदय, इस विल के जो स्टेटमेन्ट में ग्रोब्जेक्ट एण्ड रीजन्स दिये हैं उसकी ग्रोर मै ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूँ।

'With a view to make more agricultural land available to landless persons who form part of the weaker and backward sections of the community, it has been decided to lower the present ceiling limit."

सभापति महोदय, इसमें जो लैण्डलैस परसन को जमीन देने की बात कही है। मेरा इसमें निवेदन है कि लैण्ड लैस परसन कौन है वह जिसके पास जमीन नहीं है, वह ऐसे तो कई व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास जमीन नहीं हैं। ग्राज कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास फ्रेगमैंट्स ग्राफ लैण्ड है, वह या वह व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि टिलर शब्द का प्रयोग होना चाहिये। लैण्ड लैस एक सरकारी ग्रधिकारी भी हो सकता है, एक व्यापारी भी लैण्ड लैस परसन हो सकता है, एक पूंजीपति भी लैण्डलैस व्यक्ति हो सकता है चाहे कोई भी जिसके पास जमीन नहीं है वह लैण्ड लैस हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ग्रापने जो लैण्ड लैस परसन शब्द रखा है उसे हटाइये। ग्रौर उसके बदले एक्ट में ग्राप ऐसी व्यवस्था करें कि वहां लैण्डलैस की जगह टिलर शब्द का प्रयोग किया जाय। इसके ग्रलावा स्टेटमैन्ट ग्रॉफ ग्राब्जेक्शन एण्ड रीजन्स में दिया है "मैनली या होल्ली" ये शब्द भी गलत है क्योंकि एक व्यक्ति दुकान करता है, या कोई व्यक्ति ग्रपना दूसरा धन्धा करता है वह भी कहेगा कि मेरा मुख्य धंधा तो खेती है लेकिन मैं दुकान करता हूँ। तो मेरा निवेदन है कि इस में ग्राप जो मैनली ग्रौर होल्ली शब्द जो इन्हें हटाकर सिर्फ टिलर शब्द को ही रखा जाय। ग्राज बड़े पूंजीपतियों के पास में केनाइज्ड फार्म है वो ग्रपने काले धन को सफेद करने के लिये उन्होंने यह बड़े बड़े फार्म कर रक्खे हैं। तो सभापति महोदय, यह जो लैण्डलैस परसन की डेफीनेशन ठीक कीजिये। यह दूषित डेफीनेशन है। ग्रब उसके बदले ग्राप टिलर शब्द को इनसर्ट करिये। दूसरे ग्रापने स्टेटमैण्ट ग्रॉफ ग्रोब्जेट्स एण्ड रीजन्स बैक्वर्ड ग्रौर वीकर कम्यूनिटीज का लिखा है तो इसमें भी मेरा निवेदन है कि टिलर शब्द होना चाहिये। क्योंकि कई बैक्वर्ड क्लासेज के लोग हैं उनके पास भी जमीने हैं। क्या ग्रापने इसको बैक्वर्ड ग्रौर वीकर क्लास के लोगो के लिये ही बान कर रखा है। इसमें ग्रापने लिखा है। Actually land should go to the tiller whoever he may be.

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल का मकसद पूरा होना चाहिये। ग्रौर उसके लिये जरूरी है कि यह विल सलेक्ट कमेटी को जाय।

दूसरा सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो विल है इसके ग्रन्दर चैप्टर डबल वी एक नये चैप्टर के रूप में एड किया गया है ग्रौर इसमें लिखा

(श्री शंकरलाल)

है "Notwithstanding anything contained........" 3 बी पहले है. उसको यों का यों रखा है। सी डबल बी चैप्टर लगाया है। यह तो कोई अमेन्डमैन्ट बिल नहीं हुआ यह तो एडीशनल बिल हो गया। आपने पहले वाले कानून के अनुसार 30 स्टेन्डर्ड एकड़ कर रखा है। और जनवरी, 72 के बाद यह नया बिल ला रहे हैं। माननीय सदस्य या दूसरे नागरिक हो सकते हैं जो हाई कोर्ट में इसको चुनौती दें और वहां यह व्यू ले ली जाय कि 1 जनवरी, 72 से यह लागू हुआ है और इसमें पहले वाला कानून लागू नहीं हुआ है। पहले वाला कानून ज्यों का त्यों रहता है। इसलिये इसको अमेन्ड करना पड़ेगा, 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से कम करें चाहे 18 एकड़ करें। यह नया चैप्टर जोड़ा गया है यह जो आपका एडीशन है, whether it is an amending Bill and it will stand in the court of law इसको सिलेक्ट कमेटी में देखना जरूरी है।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा सबसे मुद्दे की बात यह है कि यह जो बिल लाया गया है, आम चुनावों, पुराने और नये, के बाद में कांग्रेस पार्टी की भूमि सुधारों के सम्बन्ध में एक नीति बनी जिसके अन्दर कहा गया कि भूमि सुधारों में खेती की जमीन की सीमा को डाउन करके लैंडलैस को जमीन देंगे और सैन्ट्रल रिफार्म कमेटी बनी है, सेंटर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसके सभापति बने और अगस्त, 1971 में उसने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और उसके आधार पर प्रत्येक स्टेट बिल ला रही है और रिपोर्ट के आधार पर इस बिल को देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि वह जो नीति है उसके अनुकूल आपका बिल कहां तक है।

सबसे पहली बात तो यह है कि सैन्ट्रल रिफोर्म्स कमेटी ने जो आधार रखा है वह 10 से 18 एकड़ perennially irrigated land or land of double crops; लगातार सिंचित जमीन या दो फसलें उपजाने वाली जमीन यह आधार जो रखा है सिंचित जमीन का 18 एकड़ रखी है आपने वह रखा है स्टेन्डर्ड एकड़ अब देखना है कि पेरिनियल इर्रीगेटेड 18 एकड़ है वह 18 स्टेन्डर्ड एकड़ के बराबर है क्या ? इस बिल में मिकदार करना चाहते हैं 18 स्टेन्डर्ड एकड़ की वही डेफिनेशन रखी है जो पहले थी। इर्रीगेटेड लैंड से इसको नहीं जोड़ा। सैन्ट्रल रिफोर्म्स कमेटी ने 18 एकड़ पेरिनियल भूमि को माना है। वह आधार इसमें नहीं है। आपका 18 एकड़ है, whether these acres are equal to 18 acres of perennially irrigated land, और उससे कम है या ज्यादा। जब तक आप इसको नहीं देखते हैं तो सैन्ट्रल रिफार्म्स कमेटी का जो मकसद है और रिकमन्डेशन है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करते हैं उसके आधार पर आपका यह बिल नहीं होगा। इसलिये इसको जांचने के लिए सिलेक्ट कमेटी में आपका बिल जाना बहुत जरूरी है और वहीं तय किया जायेगा कि 18 स्टेन्डर्ड एकड़ है वह 18 एकड़, पेरिनियल एकड़ है या नहीं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि इस बिल के लिए जितनी

(श्री शंकरलाल)

बातें कही गयी है, अगस्त 71 को सेन्ट्रल रिफार्मर्स कमेटी ने फाइनेलाइज किया है, उसके बाद विचार धारा चल रही थी सीलिंग बिल आवेगा, उस पर राज्य सरकार को चिन्तन करना चाहिये था और एक कन्सोलिडेटेड बिल में इसको यहां लाते ऐसा पता लगता है कि यह बिलकुल जल्दी में लाया गया है और कहा गया है कि 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की जगह 18 स्टेन्डर्ड एकड़ करेंगे। इसमें लिखा है : "It shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1972". 1 जनवरी 1972 के बाद में यह लागू होगा। सभापति महोदय, 1 जनवरी, 1972 किस आधार पर यह तारीख रखी है वह आधार इस बिल में नहीं बताया गया है। आधार तो होना चाहिये था। 1 जनवरी को क्यों रखा ? क्यों नहीं सितम्बर, दिसम्बर, 71 रखा ? इसका आधार मुझे समझ में नहीं आया। अगस्त 71 सेन्ट्रल रिफार्मर्स कमेटी की रिपोर्ट सामने आयी और देश में एक हवा बनी और जब से सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट आकर उसको राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया उसी दिन से इसको स्वीकार करना पड़ेगा और उस दिन से ही यह बिल में तारीख होनी चाहिये। और उसका मतलब होगा कि आपका बिल अगस्त, 1971 से लागू होकर माना जायगा। 1 जनवरी, 72 से नहीं। सेन्ट्रल कमेटी की रिपोर्ट आयी और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गयी, लोगों को मालूम हो गया कि जमीन जाने वाली है तो लोगों ने जमीनों को सितम्बर में ही ट्रान्सफर करना शुरू कर दिया। और सितम्बर से दिसम्बर 71 के बीच जितनी रखनी चाहिये वह रख कर बाकी की ट्रान्सफर कर दी। सितम्बर, 71 की तारिख इसलिये लागू कीजिये कि सेन्ट्रल रिफार्म्स कमेटी ने रिपोर्ट दी और राष्ट्र को यह पता लग गया। इसलिये 1 जनवरी, 72 से इसको लागू नहीं माना जाना चाहिये। यदि फिर भी सरकार के पास इसका कोई आधार हो तो उस पर सिलेक्ट कमेटी विचार करेगी। कहने का मतलब यह है कि 1 जनवरी, 72 की तारीख किस बात पर आधारित है।

आगे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी में लिखा है:—

"Provided that where the members of a family exceed five the ceiling area in relation thereto shall be increased for each additional member by five standard acres so; however, that it does not exceed thirty-six standard acres of land"

पांच आदमियों की फैमिली के लिए 18 स्टेन्डर्ड एकड़, जो भी स्टेन्डर्ड एकड़ हो, और आपने उसको प्रोडक्टिविटी से रिलेट किया है। एक स्टेन्डर्ड एकड़ वह माना है जो भूमि दस मन गेहूं या दूसरी चीज की पैदावार देती हो। 30 स्टेन्डर्ड एकड़ का मतलब 300 मन गेहूं सालाना जिस भूमि में होता हो या दूसरी चीज इतनी ही होती हो। सेन्ट्रल रिफोर्म्स कमेटी का मकसद इर्रीगेटेड लेंड से है। पांच आदमियों की फैमिली मानी है

(श्री शंकरलाल)

हस्बेन्ड, वाइफ़ एन्ड चिल्ड्रन। उससे ज्यादा है तो एक आदमी के लिये प्रति पांच एकड़ बन जायगा और 36 से अधिक नहीं होगा पहले 30 से 60 एकड़ तक था अब 18 से 36 एकड़ तक माना जायेगा पहले वाले कानून में पांच के बाद एक पर बढ़ेगा। फर्क क्या हुआ पांच आदमियों की फैमिली के लिये 30 स्टेन्डर्ड एकड़ था। उनके हिसाब से पांच आदमियों की फैमिली पर था एक आदमी के पांच एकड़ और गिन लें तो 60 से अधिक नहीं होगा। 6 आदमी और बढ़ सकेंगे। पांच और 6 आदमी कुल 11 आदमी हो सकेंगे। इसमें 18 एकड़ पांच आदमियों के लिये हैं। 3×3/5 और 18 एकड़ पांच आदमियों के लिये हो गई और हर एक आदमी के पीछे पांच एकड़ की बढ़ोतरी करते हैं तो पहले के हिसाब से एक एडीशनल आदमी है के लिये 3 एकड़ प्रति आदमी होना चाहिये। और अगर एक आदमी बढ़ता है तो 5 एकड़ बढ़ेगी, दो आदमी बढ़ते हैं तो 10 एकड़ बढ़ेगी और 8 आदमी बढ़ते हैं तो फिर, सभापति, महोदय, वह 15 हो जायेगी और फिर 4 आदमी बढ़ते हैं तो वह 20 हो जायगी, तो सभापति महोदय न तो 3 हो सकते हैं और न 4 हो सकते हैं। अगर एक एक आदमी के 3/3/5 के हिसाब से गिने तो पांच आदमियों की फैमिली नहीं हो सकती इसलिए जो 5 स्टेन्डर्ड एकड़ का इन्होंने रखा है कि 5 स्टेन्डर्ड एकड़ एक एक आदमी के पीछे बढ़ेगी तो तीन आदमियों की 15 स्टेन्डर्ड एकड़ हो गई और पीछे 3 स्टेन्डर्ड एकड़ रह गई और 3 के लिए एक आदमी नहीं बढ़ सकता। 3 के लिए 3/3/5 चाहिये तो इसका मतलब यह है कि 3 ही रहेंगे। 5 और 3 याने 8 आदमियों की फैमिली तक आप जा सकते हैं। तो इसमें भी 3/5 बच जायेगा। इसका आपका क्या आधार है? मेरे ख्याल से इसको 18 एकड़ रखा तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 बढ़ाना पड़ेगा। अगर 18 स्टेन्डर्ड एकड़ सीलिंग करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 स्टेन्डर्ड एकड़ बढ़ाना पड़ेगा जबकि पहले 30 स्टेन्डर्ड एकड़ थी तो आपने 5 बढ़ाया तो यह ऐसा लगता है कि यह प्रोवीइजों जैसा पहले था उ.की वैसा का वैसा ही रख दिया।

सभापति महोदय, मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने और दूसरी जगह यह भ्रांति है कि इसमें स्टेन्डर्ड एकड़ की बात है और इर्रीगेटेड से रिलेटेड नहीं है लेकिन इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यह जो बिल लाये हैं इसमें यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि जब हमने 30 (सी) के प्रोवीइजों को लागू रखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वैल इर्रीगेटेड जो लैण्ड है उसको हमने बारानी लैण्ड के बराबर माना है। पहले के ला में भी हमने वैल इर्रीगेटेड लैण्ड थी जो प्रोवीइजो था 30 (सी), सभापति महोदय, कुछ समय लगेगा लेकिन इसको पढ़कर सुना दूं क्योंकि इर्रीगेशन से ताल्लुक रखने वाली बात है और आम भ्रांति की बात है इसलिए स्पष्ट हो जायगा। 30 (सी) प्रोवीइजो है:

"Provided that in determining a ceiling area in

(श्री शंकरलाल)

terms of standard acres, the money value of the produce of well irrigated Chahi land shall be taken as being equivalent to the money value of produce of an equal area of unirrigated Barani land."

पहले का जो ला है कुए की जमीन को और असिंचित जमीन है बारानी लैण्ड अन-इर्रीगेटेड लैण्ड है वह लैण्ड इर्रीगेटेड बाई लैण्ड दोनों को इक्वल स्टेज पर माना है और इसी को लागू रखा है क्योंकि इसमें।

"(b) the expression 'standard acres' shall have the same meaning as assigned to this expression by the Explanation to section 30 C and in determining a ceiling area in terms of standard acres, the proviso to the said Explanation shall apply."

हमने स्टेन्डर्ड एकड़ की डेफीनेशन जो पहले रखी थी वैसी की वैसी ही इसमें रखी है और उसको कैसे आपने वर्क आउट किया? प्रोवीइजो यों का यों ही है। इसका भी हमें चिन्तन करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि वैल इर्रीगेटेड को दूसरी इर्रीगेटेड के बराबर मान लें। यह बात तो डिस्प्यूट की है कि:

Whether this irrigation is by Government source or whether it is irrigation by private source should also be considered. This was a matter which was agitated in both the Houses and lobbies.

और आखिर में जाकर माना कि जो प्राईवेट रिसोर्सेस हैं उनके अन्दर और गवर्नमैन्ट रिसोर्सेस के अन्दर आपको डिफरेन्स करना पड़ेगा। सभापति महोदय, यह बात कुछ उचित भी जंचती है कि दोनों में डिफरेन्स हो सकता है लेकिन यह बात भी सही है कि जब आप प्रोडक्टिविटी से रिलेट करते हैं तो इसमें डिफरेन्स नहीं कर सकते। पेरेनियल इर्रीगेटेड लैण्ड और इर्रीगेटेड लैण्ड से एकड़ की डेफीनेशन करते हैं तो irrigated land by Government source and irrigated land by private source, आप दोनों में डिफरेन्स कर सकेंगे लेकिन वह डेफीनेशन यहां नहीं अपनाना है।

और स्टेण्डर्ड एकड़ की डेफीनेशन को प्राडक्टिविटी के साथ रिलेट करते हैं तो चाहे आपकी प्राईवेट इर्रीगेटेड लैण्ड हो चाहे गवर्नमैन्ट सोर्स से इर्रीगेटेड लैण्ड हो आप डिफरेन्स दोनों में नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉडक्टिविटी तो प्राईवेट और गवर्नमैन्ट चाहे जैसी सोर्स से इर्रीगेटेड हो प्रॉडक्टिविटी चेन्ज नहीं होती। इसलिए प्राडक्टिविटी को इसको रिलेट करते हैं स्टेण्डर्ड एकड़ से तो फिर डिफरेन्स आप नहीं कर सकेंगे इसलिए इस बात को भी सलेक्ट कमेटी देखेगी और इसलिए यह बात सलेक्ट कमेटी में जाना जरूरी है।

(श्री शंकरलाल)

दूसरा सभापति महोदय ट्रान्सफर्स के बारे में। इसमें कहा गया है कि जितने भी ट्रान्सफर्स हैं उनको आपने सन् 1972 के बाद के उन पर यह लागू होगा और इसलिए पहले जितने भी कानून हमारे बने हैं, सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुख होता है और इस बात का दुख नहीं है कि यह कानून अब लाया गया, दुख तो यह है कि इस सीलिंग के बारे में हमारे राजस्थान के अन्दर सन् 52 से इसके बारे में आवाज उठी सन् 53 के अन्दर माननीय सुखाड़िया जी की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी और सितम्बर, 57 में इस कमेटी की रिपोर्ट आई। 1958 में बिल सदन में पेश हुआ और 60 के अन्दर एक्ट चार पेश हुए। 60 में कानून बनने के बाद 63 में रूल्स बने सीलिंग के और 63 में रूल्स बनने के बाद कानून को लागू किया और इस चीज को लेकर कुछ जागीरदार और जमींदार हाईकोर्ट में गये और वहां पर उनकी रिट खारिज हो गयी और फिर 65 में पाकिस्तान आक्रमण के कारण जो आर्मी में थे उन्होंने लिखकर भेजा कि हम वार के अन्दर बोर्डर पर हैं और यह सीलिंग का कानून आ रहा है इसीलिए इसको पोस्टपोन कर दें। इसलिए सन् 65 में इसको पोस्टपोन कर दिया और 67 तक पोस्टपोन क्यों रहा—कोई गवर्नमेन्ट के पास इसके कारण नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं अपने लिए नहीं कहना चाहता लेकिन पाली जिले में सीलिंग के कानून को लागू करने के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया गया और सुखाड़िया जी ने सन् 68 में कहा कि सबसे पहले हम सीलिंग की 3 गुना जमीनें यानि 90 स्टेन्डर्ड एकड़ उनसे ले लें। 68 का कानून पास हुआ, लोगों का प्रेशर आया और उसके बाद यह हुआ कि सन् 70 के अन्दर, सभापति महोदय, कानून बना। 70 में जब कानून बना तो जो भी बच्चे थे वह मेजर हो गये उनको भी हमने अलग मान लिया, पार्टीशन के नाम पर अलग मान लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि 52 से लगाकर 72 आया है 20 सालों के अन्दर इस कानून को लागू करने की आवाज राजस्थान में उठी तो कौनसे ऐसे जागीरदार, जमींदार या राजा लोग रह गये हैं जिन लोगों ने जमीन को ट्रान्सफर नहीं किया। आज सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेन्टेशन की है। मैं पूछना चाहता हूं। राज्य सरकार से कि राज्य सरकार के पास इसके आंकड़े हैं कि थर्टी स्टेंडर्ड एकड़ लागू किया हमने और सन् 70 में कानून का शेप दिया। इसके बाद में हमने कहा कि एक साल के अन्दर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, मई और फलां मई तक सब जमीनें ले लेंगे और जमीनों को बांट देंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वे आंकड़े बतावें कि थर्टी स्टेंडर्ड एकड़ का कानून बनाने के बाद आपने कितनी जमीनें ली और कितनी जमीनें लैंडलेस को डिस्ट्रिब्यूट की और आपके पास कितने लैंडलेस टीनेंट हैं जिनको जमीन देना चाहते हैं। सभापति महोदय, लैंडलेस का नम्बर तो बहुत ज्यादा होगा और बढ़ता ही रहेगा जब तक कि आप लैंडलेस की डेफिनेशन, टीनेंट की डेफिनेशन नहीं लायेंगे। इसमें सबसे बड़ा रोग, जो तपेदिक और कैंसर है वह लैंडलेस के नाम से लेने वाले वे लोग हैं

(श्री शंकरलाल)

जो कि जमीन को उन लोगों के पास जाने नहीं देना चाहते जो कि इसको जोतना चाहते हैं। ये सारी बातें हैं, सभापति महोदय, जिन पर हमें सलेक्ट कमेटी में विचार करना चाहिए। जो ट्रांसफर है उनके बारे में भी हमको विचार करना पड़ेगा कि जो ट्रांसफर की डेफिनेशन है वह भी कहां तक ठीक है या नहीं।

सभापति महोदय, इसमें वह का वही पुराना तरीका रखा है कि जिस आदमी के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है वह छह महीने के अन्दर एस. डी. ओ को रिपोर्ट करें। इसमें छह महीने का टाईम दिया गया है। यह बिल जो आपने रखा है उसके अनुसार छह महीने में आप उनसे केवल रिपोर्ट कराना चाहते हो और दूसरी तरफ भूमि सुधार के कानून को अविलम्ब लागू करना चाहते हैं और छह महीने का टाईम भी दे रहे हैं। आपने कहा है :

(2) "Every person, who, on the said date, is in possession of land in excess of the ceiling area applicable to him under sub-section (1) of section 30K or who thereafter comes into possession of any land by acquisition under clause (b) of sub-section (1) shall, within six months of the said date or within three months of such acquisition, as the case may be............"

अगर एक्वीजिशन होगा तो तीन महीने और सरेंडर करना हो तो छह महीने यह आप किस बेसिस पर कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि यह आप छह महीने और तीन महीने का टाइम इन भूमिपतियों को किस आधार पर पुनः देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि सरकार की नीति इसको इम्प्लीमेंट करने की कहां तक है। इम्प्लीमेंटेशन अगर आप चाहते हैं तो मैने पहले भी निवेदन किया था जिस समय थर्टी स्टेण्डर्ड एकड़ का कानून बना था कि अगर आप इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो आप अपना स्टाफ बढ़ाइए। एक एस. डी. ओ. के पास सेंकड़ों केसेज, हजारों केसेज होते हैं और सेंकड़ों बार उनकी पेशियां पड़ती हैं। जिस प्रकार से सैटलमेंट के अन्दर स्पेशल स्टॉफ लगाकर सैटलमेंट की कार्यवाही को पूरा करते हैं निश्चित समय पर, उसी प्रकार का फेज्ड प्रोग्राम हो, छह महीने में केवल सरेंडर करने की बात करते हैं, छह महीने में तो काम पूर्ण होना चाहिए। छः महीने के अन्दर तो आपको जमीन लेकर बांटना चाहिए और उसके लिए स्पेशल स्टाफ जितना भी रखना पड़े, उसको रखना चाहिए तभी हमारा मकसद पूरा होगा। सभापति महोदय, मैंने यहां अपनी विचारधारा नहीं रखी है कि 18 स्टेंडर्ड एकड़ ठीक है या नहीं क्योंकि इसका रिलेशन सेंट्रललैंड रिफार्म्स कमेटी से जुड़ा हुआ है और सेंट्रल लैंड रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्टेंडर्ड एकड़ के बारे में सलेक्ट कमेटी विचार नहीं करे तब तक उसके बारे में कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है, यह वेग और एम्बीगुअस हो जाता है, इसलिए यह सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए।

(श्री शंकरलाल)

सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा, केवल एक बात और वह यह है कि अगर स्टेंडर्ड एकड़ की डेफिनेशन वहां नहीं रखें और 30 स्टेंडर्ड एकड़ लाकर छोड़ दें तो बहुत से माननीय सदस्यों के मन में भी यह बात है कि कई जगह राजस्थान की जैसी स्थिति है और विशेष कर वेस्टर्न राजस्थान, जहां अकाल पड़ते हैं, जहां बरसात कम होती है, जहां ड्राई लेंड हैं, उनके बारे में क्या होगा। सभापति महोदय, वैसे तो सेंट्रल लेंड रिफार्म्स कमेटी ने 54 एकड़ ड्राई लेंड के लिए कहा है। उन्होंने इस प्रकार रखा है।

"The limit of 54 acres shall be relaxed if the nature of soil and rainfall calls for it."

यहां भी आपको देखना पड़ेगा कि 54 एकड़ ड्राई लेंड है तो दूसरे एरिया में कितना होगा। मैंने थर्टी स्टेंडर्ड एकड़ पहले का और अब अगर इसको 18 स्टेंडर्ड एकड़ किया जाय तो दोनों में कितना कम होगा इसके मैंने कुछ आंकड़े बनाए हैं, सभापति महोदय, इसमें चार पांच मिनिट से ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन इससे माननीय सदस्यों को जानकारी मिलेगी, इसलिए मैं उन्हें यहां रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, थर्टी स्टेंडर्ड एकड़ के हिसाब से बाड़मेर में जो आज कम से कम सीलिंग 68 है और ज्यादा से ज्यादा 256 एकड़ है। यह मैं एकड़ में बता रहा हूं, एक एकड़ को बीघा में करें तो ढाई गुना हो जाएगा। अब बाड़मेर में मिनिमम 68 और मेक्जिमम 256 है। 18 स्टेंडर्ड एकड़ करते हैं तो 68 की जगह 40 और मेक्जिमम 153 हो जाएगा।

अजमेर में अभी मिनिमम 30 एकड़ का 37 एकड़ और ज्यादा में है 114 एकड़। अगर इसको 18 स्टेंडर्ड एकड़ कर दें तो मिनिमम हो जाएगा 22 और मेक्जिमम 69 हो जाएगा।

इसी प्रकार अलवर में है 28 और मेक्जिमम है 126 जो कि 18 स्टेंडर्ड एकड़ से हो जाने वाला है 17 और 77। कहीं पर भी 18 स्टेंडर्ड एकड़ लागू करते हैं आप तो मेक्जिमम 54 नहीं आता है।

इसी तरह बांसवाड़ा में है 25 और 194, उसकी जगह हो जाएगा। 15 और 116।

भरतपुर में अभी 26 और 109 है जहां सबसे बढ़िया जमीन है वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा 109 है। वह अब 18 स्टेंडर्ड एकड़ के हिसाब से 16 और 67 हो जाएगा।

भीलवाड़ा में 32 और 190 है वह जा करके 19 और 114 हो जाएगा। बीकानेर में अभी 55 और 191 है वह जाकर 33 और 115 हो जाएगा। बूंदी में 24 और 150 वह हो जायगा 15 और 90। जालोर में 37 और 258 है वह हो जाएगा 22 और 155। झालावाड़ में है 23 और 131, वह हो जाएगी 16 और 79। झुंझुनूं में 41 और 204 है जो 24 एकड़ और 123 एकड़ हो जाएगी। जोधपुर में है 53 और 184 वह वहां जाकर हो जाएगी 34 और 141। नागौर में है

(श्री शंकरलाल)
37 और 169 वह हो जाएगी 22 और 102 पाली में है 36 और 140 वह जाकर 21 और 84 हो जाएगी। सवाई माधोपुर में है 39 और 122 वह जाकर हो जाएगी 24 और 73। सीकर में 48 और 213 है वह जाकर 29 और 130 हो जाएगी। सिरोही में 40 और 181 है वह 24 और 109 हो जाएगी। टोंक में 33 और 182 है वह जाकर 20 और 110 हो जाएगी। उदयपुर में 28 और 110 है वह जाकर 18 और 66 हो जाएगी। गंगानगर में अभी 29 और 129 है वह जाकर आपकी 17 और 78 हो जाएगी।

जयपुर में अभी 31 और 205 है वह 18 और 123 हो जाएगी। चूरू में 48 और 241 है वह जाकर 29 और 146 हो जाएगी। चित्तौड़गढ़ में 27 और 172 है वह जाकर 17 और 102 हो जाएगी। डूंगरपुर में 27 और 228 है वह 16 और 136 हो जाएगी। जैसलमेर में अभी 65 और 336 है, ये सब आंकड़े हैं सभापति महोदय, वह जा करके 39 और 201 हो जाएगी। कोटा में अभी 22 और 126 है वह जाकर 14 और 74 हो जाएगी।

तो सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, मेरा निवेदन है कि आप इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजें जहां इस स्टेंडर्ड एकड़ का कम्पेरिजन और सेंट्रल लेंड रिफार्म्स कमेटी की रिकमण्डेशन जो उन्होंने दी है, उन सारों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार हो और विचार करने के बाद में कोई डिसिजन आवे और उसके बाद निर्णय लें तो यह उपयोगी होगा। मैंने तीन दिन का समय इसलिए चाहा है कि रात को बैठें, दिन रात बैठ कर विचार करें, हम भी चाहते हैं कि कानून जल्दी से जल्दी पास हो, हम इससें डिले नहीं करना चाहते। जहां हम यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह कानून लागू हो वहां हम यह भी नहीं चाहते कि इसके अन्दर लेकूना छूट जायं, केसेज कोर्ट में जावें और इसका एम ही डिफिट हो जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य इसी सेशन में चाहते हैं ?

श्री शंकरलाल (पाली) : हम चाहते हैं कि इसी सेशन के अन्दर इसको स्वीकार होना चाहिए। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवचरण माथुर!

श्री शिवचरण माथुर (मांडल) : सभापति जी, राजस्थान टिनेन्सी बिल, 1972 सदन के सामने पेश किया गया है और उस पर हम विचार कर रहे हैं। मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी को दिया जाय जो 28-5-72 तक अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत कर दे और तब यह सदन विचार करके उस विधेयक को पारित कर दे। 28-5-72 तक सिलेक्ट कमेटी को रिपोर्ट देने का मेरा मतलब यह है कि हमें इस बिल को पास करने की चिन्ता है और हम चाहते हैं कि यह बिल इसी बैठक में सदन के इसी सत्र में पारित किया जाय। यह एक महत्वपूर्ण बिल है जिस पर आज सारे देश में, एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान का

Page No. 89

(श्री शिवचरण माथुर)

ध्यान लगा हुआ है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उसके अन्दर जो कहा गया है उसको क्रियान्वित करने के लिये एक कदम यह हमारे सामने आया है जिसको ईमानदारी के साथ पेश किया गया है लेकिन मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने भी इस बिल को देखा है और मेरे पूर्व वक्ता ने अभी यहां पर कहा है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं और इसको बहुत जल्दी में पास कर देना चाहेंगे तो इन खामियों के आधार पर वहीं गलती कर देगें जो कि आज तक हम करते आ रहे हैं। मैं इस कदम को समाजवाद लाने का कदम नहीं मानता हूं। वह तो एक लम्बी बात होगी और उसकी कल्पना करते वक्त यह देखना पड़ेगा। देश की जनता के सामने जो आज कहा है, जो चुनावों के वक्त कहा है और जो हमारे घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है उस सारी बात को क्रियान्वित करने के लिए ईमानदारी के साथ यह कदम उठाया गया है। इसके लिए मैं सरकार को और मंत्री मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सबसे पहले जैसा कि भाई शंकरलाल जी ने कहा है, मैं भी यह कहना चाहूंगा कि इसमें एक भ्रम डालने की कोशिश की गई है। पहला जो टिनेन्सी एक्ट है, सीलिंग ला है उसमें 3-वो चेप्टर एग्जिस्ट्स करता है, 30-सी क्लॉज है, उसमें सीलिंग की लिमिट कायम की गई है। इस नये बिल में 30 में अमेन्डमेंट करके एक नया चेप्टर ऐड किया गया है और 3-बी चेप्टर, 30 के क्लॉज 30-सी के अमेन्डमेंट के बारे में बात कही है। इसका मतलब यह है कि 30-बी इस बिल के बाद में भी एग्जिस्ट्स करता है। 1 जनवरी, 72 को जितने भी ट्रान्सफर हो चुके हैं, 30 एकड़ जमीन के वह रिटेन कर सकेंगे और उसके बाद 1 जनवरी, 72 से यह ऑपरेट होगा। इसलिये यह लेकूना रह गया है। इस प्रकार हाईकोर्ट या कोर्ट ऑफ ला में कोई भी जा सकता है और जो समझदार लोग हैं, जो कानून का अर्थ लगाना जानते हैं वे इस लेकूने का फायदा उठाकर गरीब लोगों को जमीन नहीं लेने देगें। तो यह कमी रह गई है।

दूसरी बात में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कल्टीवेटर को टिलर की डेफिनेशन दोषपूर्ण है। जाहिर बात है कि सीलिंग या लिमिट करने का मतलब यह लिया जाता है कि 30 एकड़ की जो सीमा पहले निर्धारित खेती की की गई है। उसको 18 एकड़ करने से साफ तौर से यह मतलब है कि पिछले दस, बारह सालों में सीड टेक्नोलोजी इतनी एडवांस हो गई है, इर्रीगेशन के सोर्सेज इतने बढ़ गये हैं कि जहां पहले एक एकड़ में दस मन अनाज पैदा होता था वहां अब 20 मन पैदा होता है। यह आधुनिक यन्त्रों के तरीकों को काम में लेने से पैदावार बढ़ गई है। आज देहातों में एक प्रकार से अनएम्पलॉयमेन्ट की समस्या है। इसको दूर करने के लिये यह जरूरी है कि जिसके पास में आवश्यकता से अधिक जमीन है उनसे लेकर इनको बांटने की कोशीश की जाय। इसलिये लिमिट को रिड्यूज करने का सवाल आता है। जब यह लेते हैं तो टिलर की डेफिनेशन को स्पष्ट करते हैं तो वही हालात जो कानून के बनने के बाद 55 के बाद बने और फिर 70-71 में सीलिंग ला जो लागू हुआ उसके बाद हुआ, होगा। उसमें किस

(श्री शिवचरण माथुर)

प्रकार के लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया ? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वही हालात इसके बाद में होने वाले हैं और किसी गरीब को जमीन नहीं मिलने वाली है। टिलर की डेफिनेशन यह नहीं करते हैं, जो हाथ से खेती नहीं करता है, जो जमीन पर काम नहीं करता है वह टिलर नहीं माना जायेगा। आज लैन्डलेस कौन है, सरकारी नौकर और दूसरे प्रकार के लोग लैन्डलेस के नाम से जमीन पर कब्जा किये हुए हैं। आप अजमेर रोड पर चले जाइये, दुर्लभजी फार्म और दूसरे कई प्रकार के फार्म आपको देखने को मिलेंगे क्या इनको लैन्डलेस कहा जा सकता है। यह तय करना होगा कि टिलर की डेफिनेशन में कौन आदमी आता है। सन् 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी का निर्माण किया था। कांग्रेस ने एग्रेरियन कमेटी उसका नाम दिया था। सन् 47 में उसने यह इम्फेसिस किया था, टिलर उसको मानते हैं जो हाथ से खेती करता हो, जो किसी के साथ शेयर नहीं करता हो आप का और टीनेन्ट नहीं हो खासतौर से खुद खेती करता हो, उसको उस भूमि का स्वामी बनाया जायेगा। 24-25 साल पहले सन् 1947 में यह कांग्रेस ने कहा था। कांग्रेस की एक कमेटी ने इस बात को दर्शाया था। अब 72 के बाद भी हम इसको लागू नहीं करते हैं तो यह एक अजीब बात होगी। इसलिये टिलर की डेफिनेशन को फिर से लेना पड़ेगा और इस डेफीनेशन को क्लीयर करने के लिये यह जरूरी है कि तीन, चार एक्सपर्टस भी हमारे साथ हों, हम उनको अपनी मंशा बता दें और वे उसको कानूनी जामा पहना दें और वे इस चेप्टर को रेक्टीफाइड कर दे और इस प्रकार से टिलर की डेफीनेशन बना दे कि जो लैन्डलेस हैं उसको सही तौर पर सरप्लस में आने वाली जमीन मिल सके। आज के ला में हम जो लैन्डलेस शो करते हैं वे इफेक्टिव लैन्डलेस हैं और वे ही इसका फायदा उठाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये। यह एक दोष है और इस दोष को मिटाने के लिये यह करना होगा।

तीसरी बात, खास तौर से हम पाते हैं, वह यह है कि और जैसी कि बिल की मंशा है और जिसको हम एक अचीव करना चाहते हैं, उसको एक अचीव करने के लिये इम्पलीमेन्टेशन के लिये कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। दुनियां भर के देशों को आप देखिये जहां पर कि लेन्ड रिफार्म किया गया है, उनके इतिहास को देख लीजिये। लैन्ड रिफार्म चाइना में हुआ है, जापान में लैन्ड रिफार्म हुआ है, और ताईवान में हुआ है। इन तीनों कन्टरीज में ये रिफार्म्स जब तक सक्सेसफुल नहीं हुए तब तक कि उनकी एक कमेटी, इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिये नहीं बनी, वे सब सक्सेसफुल नहीं बने। हम आज तीन तरह के किसानों को लाभ देना चाहते हैं। जो हमारे पास में सरप्लस लैन्ड एवेलेबल होगी उससे हम तीन तरह के किसानों को लाभ देना चाहते हैं। एक तो वह केटेगरी है जो लैन्डलेस है, खेतीहर मजदूर है, दूसरों के खेत में मेहनत करता है। दूसरा वह मजदूर है जिसके राईट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। तीसरे ऐसे काश्तकार हैं जो क्राप्स शेयरर है।

(श्री शिवचरण माथुर)

नाम किसी का खाता किसका और वह वहां पर खेती करता है और उसका शेयर उसको मिल जाता है। तो इन तीन तरह के काश्तकारों को जमीन देने का सवाल आता है। यह व्यवस्था नहीं करते हैं, पूरी तरह से, सही तरीके से ये जो तीन केटेगरिज के किसान हैं, खेतिहर मजदूर जो कि गरीब आदमी है, जबतक इनकी कमेटी न बनाकर वह भी विलेज लेविल पर, गांव गॉव में इनकी कमेटी बने और उनको इसके क्रियान्वयन का हक मिले, तभी यह काम पूरा होगा। आपका तहसीलदार, पटवारी या जो रेवेन्यू की मशीनरी है उससे इस कानून का क्रियान्वयन आप करायेंगे तो यह मखौल होगा। एक इस प्रकार की बात होगी जैसी कि अब तक होती रही है। पहले के सीलिंग ला लाने के बाद आज मैं यह बात कह सकता हूँ कि आज भी लोगों के पास 1500 बीघा जमीनें हैं। उन्होंने जमीन को अपनी फेमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डाइवोर्स कर दिये और उनके नाम जमीनें कर दीं। इस प्रकार यह सीलिंग ला फ्राड बन गया। जमींदारी, जागीरदारी के जमाने की ज़मीनें किसी तरह से आज भी मौजूद रह गई हैं। यदि आप सही तौर पर गरीब लोगों को जमीन देना चाहते हैं तो आप को विलेज विलेज में, गांव गांव में इम्प्लीमेन्टेशन के लिये इस प्रकार की इफेक्टिव कमेटीज बनानी होगी और उसको स्टेच्युरी रिकोग्नीशन देना होगा और उन कमेटी को तीन बातों का अधिकार हो। वह कमेटी गांव में जाकर अपनी पब्लिक मीटिंग करें और इस बात का जायजा ले कि कितनी जमीन गांव में सरप्लस होने वाली है इस सीलिंग कानून के बाद, कितनी निकलने वाली है और कितने वहां पर लैन्डलेस है और जो तीन केटेगरिज के किसान हैं उनकी संख्या या लिस्ट अपनी पब्लिक मीटिंग बनावें। यह उस कमेटी को अधिकार होना चाहिये। और तीसरी बात जो उस कमेटी को करना है वह यह है कि जमीन का एलॉटमेंट तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद में सही तौर से लैण्ड रेकार्ड्स में जब तक तरमीम नहीं होता है तब तक कोई मायने नहीं होता है, तो लैण्ड रेकार्ड्स में वह तरमीम करायें। आज का जो लैण्ड रेकार्ड का सिस्टम है, प्रोसेस है वह बड़ा कम्बरसम है, इतना जटिल है कि एक गरीब अनपढ़ आदमी उसमें उलझ जाता है और सभी तौर से उसको उसका लाभ नहीं हो पाता है। जब कमेटी को आप यह पावर्स न दे दें कि मौके पर जाकर और बैठकर यह मालूम करे कि कितनी जमीन वहां पर सरप्लस है, उसके बाद में जमीन का मौके पर एलॉटमेंट करे, उसकी तरमीम लैण्ड रेकार्ड्स में करवाये चाहे वह रेवेन्यू के आदमी के मारफत करवाये, तब तक जनता को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है।

चौथी बात जो कमेटी को करना है वह यह है कि गांव में भी प्रभावशाली आदमी होते है, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट आदमी होते हैं वे गरीब आदमी को जमीन पर कब्जा देने से इन्कार कर सकते हैं तो पुलिस के फोर्स के जरिये से और दूसरे तरीकों से उस सारी जमीन पर वह कब्जा दिलावें।

इस कानून में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन की जो

(श्री शिवचरण माथुर)

हमारी आज की मशीनरी है वह पुरानी पड़ गई है और पुराने ढंग और तरीके की है और जो हम इस कानून का फायदा उठाना चाहते हैं वह उठाने नहीं देती है। इस बिल में साफ तौर से इसका मेन्शन होना चाहिए। हमारे पास में दुनिया के कई उदाहरण हैं कि वहां पर लैण्ड रिफार्म्स पर किस प्रकार से काम किया गया है। मैं एक-दो आपको बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने वेस्ट बंगाल में जब वहां पर प्रेसीडेन्ट रूल था तो लैण्ड रिफार्म्स लागू किये थे। लैण्ड रिफार्म्स लागू करने के साथ साथ उन्होंने विलेज लेवल पर कमेटियों का निर्माण किया, ग्रामीण कमेटियों का निर्माण किया और उनके जरिये से भूमि का वितरण किया गया। उसी तरह से हमारा राज्य करें तो गरीब आदमियों को जमीन मिलने वाली है। वर्ना 18 एकड़ करने के बाद जो कुछ भी जमीन मिलेगी वह पटवारी के रिश्तेदारों या और किसी अधिकारी के रिश्तेदारों को मिल जायेगी, और वह गरीब काश्तकार भूमिहीन उससे महरूम रह जायगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस कमेटी में 5 आदमी खास तौर से होने चाहिए-एक तो लैण्डलेस लेबर का रिप्रेजेन्टेटिव, दूसरा अनप्रोटेक्टेड टीनेन्ट्स का रिप्रेजेन्टेटिव, तीसरा क्राप शेयरर्स का रिप्रेजेन्टेटिव और चौथा पंचायत का शेड्यूल्ड कास्ट्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मेम्बर और पांचवां चूंकि आज इतना होने बावजूद भी यह उसी प्रकार का है कि चाहे कितना कानून में रख दें लेकिन आज जो देहात का प्रोटेलिटेरियेट, सर्वहारा वर्ग है उसको ऑथोराइज्ड कानून का प्रोटेक्शन देने के बाद भी राजनैतिक संरक्षण नहीं मिले तो न्याय प्राप्त करना उसके लिए कठिन होगा इसलिए मैं चाहूंगा कि पांचवां व्यक्ति एम. एल. ए. या उसका नोमीनी हो जो गांव गांव जाकर रानैतिक संगठन के आधार पर प्रोटेक्शन देकर उनके हक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। अगर यह 5 आदमियों की कमेटी हर गांव में बनाते हैं और उसके आधार पर एलॉटमेंट करने का काम करें तो कुछ बात होगी।

इसी तरह से नान-आफिशियल्स की एक कमेटी तहसील और जिले के लेवल पर होनी चाहिए, और स्टेट के लेवल पर एक एपेक्स बॉडी बनाना चाहिए जो सारे प्रोसेस को देखे और इसकी क्रियान्विति एक आदमी से सीमित समय के आधार पर करवाये। वह देखे की जो जमीन मिली है वह एक निश्चित अवधि में बांटी जा रही है, उसको देखेगी।

मैंने इम्प्लीमेन्टेशन के बारे में निवेदन किया है इस कानून में इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को कहीं भी अंगीकार नहीं किया गया है, कहीं भी सूचित नहीं किया गया हैं, और केवल यह ध्यान में रखा गया है कि आज तक जिस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन का तरीका हमने इसमें रखा है। मेरा सुझाव है कि इस प्रोसेस को हो सके तो चेप्टर 3 (बी) एक सारा इम्प्लीमेंटेशन का नया अलग चेप्टर दे दें और उसमें क्लॉजेज बढ़ाना पड़ेगी, और मैं समझता हूं कि क्लॉजेज बढाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजकर अलग इस माइण्ड से सोच-विचार करके इन

(श्री शिवचरण माथुर)

बातों को बिल में एड करने की कोशिश करेंगे तब यह बिल कुछ खास अच्छा बिल हो सकता है। बाकी हैंपहेजर्ड तरीके से इस बिल को पास करा देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कम्पेन्सेशन के सवाल के संबंध में। जो कुछ भी जमीन आपके द्वारा ली जायगी तो उसका कम्पेन्सेशन दिया जायगा तो कम्पेन्सेशन देने वाली बात मैं यह कहूँगा कि जो कम्पेन्सेशन देने वाली बात करते हैं उनको इसके ऊपर निश्चित तारीख तय करना पड़ेगी, और वह तारीख 26-9-70 तय होना चाहिए। जब कि भारत के गृहमंत्रीजी ने घोषणा की थी पार्लियामेंट में और यह कहा था कि हम लैण्ड की सीलिंग को कम करना चाहते हैं। उसके बाद में 26 तारीख के बाद में बहुत से लोगों ने बहुत से ट्रांसेक्शन्स किये हैं। इसलिए यह जो व्यवस्था इसमें की गई है 1-1-72 की वह काफी नहीं होगी। इसलिए इस तारीख को 26-9-70 से लागू करना पड़ेगा, क्योंकि उस तारीख को पहली बार भारत सरकार ने अपना दिमाग देश को दिया था कि इस देश में यह व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं। उसके बाद में बहुत से ट्रान्जेक्शन्स हुए हैं इसलिए आप रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं तो 26-9-70 से आपको देना पड़ेगा। 1-1-72 से पहले तो करोड़ों रुपयों की जमीनों की खरीद फरोख्त की जा चुकी है इसलिए 1-1-72 कोई मायने नहीं रखता है। आपको 26-9-70 रखना पड़ेगा जब कि पार्लियामेंट में यह घोषित किया गया है कि सीलिंग की लिमिट हम कम करना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है इस पर खास तौर से एक तो यह इम्प्लीमेन्टेशन की बात को देखकर इस बिल को प्रवर समिति में भेजकर कूल माइण्ड से विचार कर लें। तीन दिन के अन्दर हम प्रवर समिति में बैठकर इसकी रिपोर्ट पेश करें और उसके बाद में मूल रूप से बिल सदन में आ जाय। अगर इसी सत्र में नहीं ला सकते हों तो 15-20 दिन के बाद फिर आप सदन की बैठक बुलायें और फिर डिटेल्ड तरीके से मैं कहूँगा कि 5-6 दिन तक प्रत्येक सदस्य उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करें। इतना मौका सदन के सदस्यों को देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्त्वपूर्ण बिल है और ग्रामीण जनता के भाग्य का फैसला हम इस बिल से करना चाहते हैं। एक बहुत महत्त्वपूर्ण बिल को पास कर रहे हैं तो इसको जल्दी से पास नहीं करके जो कुछ लेकूनाज हैं उनको निकालकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि प्रवर समिति में इस बिल को रेफर किया जाना चाहिए और 28-5-72 तक यह कमेटी रिपोर्ट पेश कर दे और यदि आवश्यकता हुई तो सदन को 4-5 दिन और बढ़ाया जाय, और सदन को एडजोर्न करने की बात सोचते हैं तो 10 दिन के बाद सदन को फिर बुला लें और फिर इस पर डिसकस करके पास करें। यही मेरा प्रस्ताव है और मैं सोचता हूँ कि सदन इस पर विचार करेगा।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (साँचोर) : माननीय सभापतिजी, लैंड सीलिंग का जो एमेण्डमेंट बिल 1972 सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है इस बारे में सदन को विचार करना

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है। यह जो बिल है वह सारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से संबंध रखता है। इसलिए इस सदन के माननीय सदस्यों को चिन्ता है कि इस बिल को इस ढंग से कानून बनाया जाय ताकि कम से कम गांव के रहने वाले लोगों को तकलीफ पड़े। इसलिए सब को चिन्ता है और उस चिन्ता के लिए ही यह हमने वह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को जो कि हेपहेजर्ड वे में जल्दबाजी से राज्य-कर्मचारियों के दिमाग से बना हुआ है इस बिल को जो हमारा अनुभव है और जो और लोगों का अनुभव है उसके आधार पर बहुत सी चीजों को इसमें नहीं रखा गया है और पिछले टाइम से यानी 52 से लेकर आज दिन तक जो लैण्ड सीलिंग के कानून बने हैं और संशोधन लाये गये हैं और जब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आती है तो बहुत लेट इसमें हुई है तो वह क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, राज्य सरकार ने इस बारे में आज तक इतना लेटीट्यूड दिया है कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो इस पर गम्भीरता से विचार करने के बाद में इस कानून को पास करेंगे। लेकिन विलेज इकोनोमी के बारे में, लैण्ड पर सीलिंग कराने के बारे में यह प्रश्न था, और कुछ तो वास्तव में यह राजा-महाराजाओं और जागीरदारों को दी हुई जमीनों को लेने का प्रश्न था और खरीद कर जमीनें ली हैं और डेवलपमेंट करने के बाद में जैसा कि कहा गया कि टेक्नोलाजी, फर्टीलाइजर्स और इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स की जो भी प्लान्ड इकोनामी है उसकी वजह से आज जो विचारधारा आई है और मशीनरी आई है इसके अन्दर जमीन का डेवलपमेंट हुआ है। कुछ उसके अन्दर उपज बढ़ी है। उससे लोगों की कुछ हालत अच्छी है। कहते हैं कि जिनके जमीन के फार्म हैं, वह करोड़पति हैं। और वह दूसरे लेबर जो गरीब काश्तकार हैं, उनके कारण ही हुए हैं। तो यह विचार धारा उठी कि ये गरीब काश्तकारों के कारण ही हुई है, इसलिए एग्रीकल्चर लेबर को ले लिया जाये। उनको टेनेंसी एक्ट कानून में कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है। यह पहले भी खामी रही है। तो यह सैन्ट्रल में जो फैसला लिया गया है, चीजों को एग्जामिन किया गया है। केरला में भी यह कानून बना है। वहां जो कम्युनिस्ट गवर्नमेन्ट थी, जो हमने किया है, वही उन्होंने किया है। इस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हालत है। हम कानून तो पास करते हैं लेकिन इम्प्लीमेन्टेशन करने के लिए मशीनरी को सौंप देते हैं। हमारी गवर्नमेन्ट तो इम्प्लीमेन्ट करना चाहती है। परन्तु मशीनरी जो है, उसकी वही पुरानी विचारधारा है। हम तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी जो मशीनरी है, वह वही पुरानी मशीनरी है, उसका वही करेक्टर और कण्डक्ट है। वह इस तरह से जो आजकल की हालत वहां पर है, जो गरीब लोग हैं, उनका वह प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसी तरह से कई कानून पास किये हैं। लैण्ड यूटिलाइजेशन एक्ट पास किया गया। उनकी मंशा यह थी कि जमीन फालतू पड़ी नहीं रहे जो जमीन है, उस पर कल्टीवेशन होनी चाहिए। इसी तरह से यहां पर यह एक्ट पास हुआ है। परन्तु मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि लैण्ड यूटिलाइजेशन एक्ट का क्या हुआ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कोई इम्प्लीमैन्ट तो हुआ नहीं है। लोग काश्त करना चाहते हैं और जमीन बेकार पड़ी है। बीड़ के रूप में पड़ी है। लोग बीड़ से घास के पैसे वसूल करते हैं। वह आंख मूंद कर बैठे हैं। इस प्रकार की गवर्नमैन्ट मशीनरी है। हम सब एक बार शपथ लेते हैं। ईमानदारी से काम करते हैं। गवर्नमैन्ट दो बार शपथ लेती है। उनके बारे में आपने कितना निभाया है। मशीनरी ने कितनी बार निभाया है। इसलिए हम 30 स्टैण्डर्ड एकड़ के स्टेटमैंट के बाद 18 स्टैण्डर्ड एकड़ के अन्दर एरिया रिड्यूस करने के प्रश्न पर आये हैं। तो हम यह चाहते हैं, ईमानदारी से देश के अन्दर जो विचारधारा है, वह फुलफिल होनी चाहिए। हम कानून बनाकर तो रख देते हैं। इसी तरह से मनीलैण्डिंग बिल पास हुआ था। उसका आधार तो यह था कि जिन एग्रीकल्चर काश्तकारों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। जिन काश्तकारों की आधी से ज्यादा जमीन दबी हुई है, मार्गेज पड़ी हुई है। पिछले तीन काल के बाद से काफी जमीन पड़ी हुई है, उनको खुद को अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की समस्या को हल करने के लिए ही मनीलैण्डिंग एक्ट बनाया है। मैं पूछना चाहता हूं, उसका हुआ क्या? उन काश्तकारों को पता तक नहीं है। इस प्रकार से हम गम्भीरता से विचार करके राज्य सरकार को सुझाव देते हैं। पिछले अनुभव के आधार पर देते हैं। ताकि आगे डिफीकल्टी नहीं आये। वह मंशा पूर्ति होनी चाहिए। इसीलिए आपके सामने सुझाव रखते हैं। तो सभापति महोदय, यह सीलिंग एरिया को रिड्यूस करने का प्रस्ताव आया है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। इस प्रकार कहीं कहीं 10 से लेकर 18 तक रखी गई है। सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट का सीलिंग कमीशन है। उसका यह है कि इर्रीगेशन से होना चाहिए। दो क्राप होनी चाहिए। यह आधार है मेन। यह इसीलिए रखा गया है। अगर इम्प्रूव एक्टीविटीज की वजह से क्राप बढ़ गई है। खुद के लेबर से कल्टीवेट करके अपना गुजारा कर सकता है। अपना कल्टीवेट का प्रोडक्शन कर सकता है। यह झगड़ा सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट का भी बन सकता है। महाराष्ट्र कुछ कह रहा है। हिमाचल कुछ कह रहा है। काश्मीर कुछ कह रहा है। राजस्थान की विचारधारा यहां प्रस्तुत हुई है। तो सभापति महोदय, इस बारे में हिन्दुस्तान की यह सारी पोजीशन है। कितने परसेन्टेज जमीन पर इर्रीगेशन लगा है। और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, वह इर्रीगेशन के हिसाब से, एलॉटमैन्ट के हिसाब से, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति डिफरेन्ट है। हिन्दुस्तान में जितनी भी स्टेट्स हैं, उनमें वर्स्ट स्थिति राजस्थान की है। इसीलिए सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट को करोड़ों रुपया हमारा पेट पालने के लिए देना पड़ता है। यह दो क्राप की मेन चीज हैं जो कि आपके सामने डिफीकल्टी उपस्थित होने वाली है। हम बिल्कुल ब्लैंकेट रूल बनाते हैं। जो सेटिलमैन्ट हुआ है, वह हैफहेजर्ड में हुआ है। जागीरदारों के टाइम में वह रिकार्ड बना था। आज 50% रिकार्ड में तब्दीली हो चुकी है। यह विकट परिस्थिति हमारे रिकार्ड में मौजूद है। रेवेन्यू विभाग वापिस सैटिलमैन्ट कराये। जो लैण्ड सिंचित में दर्ज होगी तो बीघोड़ी भी बढ़

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जायेगी। आप सोचते हैं कि वह 12 आना रहने वाली है। जो 5, 10, 15 बीघा सिंचित होती है, सैटिलमेन्ट विभाग आयेगा तो वह देख कर बीघोड़ी लगायेगा। यह बीगोड़ी लिये जाने के बाद बराबर पेमेन्ट करना पड़ता है, यह प्रश्न भी आता है इसके अन्दर जो सीलिंग का एरिया है। दूसरी तरफ विचारधारा आज दिन तक चली आ रही है, हमें देखना है कि काश्तकारों को डिफीकल्टी में नहीं डाला जाय, ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को बैनिफिट दिया जाय। जो जमीन प्रॉडक्टिव है और जिस जमीन का इम्प्रूवमेन्ट हो गया है वह जमीन ऐसे काश्तकारों को बेची गई है जिन काश्तकारों को जरूरत है, जो उस पर काश्त करना चाहते हैं तो उन लोगों को ईमानदारी से मिलनी चाहिए। यह क्या हुआ कि पिछले दस पन्द्रह सालों से जो सीलिंग का होवा चला आ रहा था, इस कारण से जो जमीन बिकी, या ट्रान्सफर हुई, वह मालदार लोगों को ही मिली है और जिन काश्तकारों का हम फायदा करने जा रहे हैं उनका नुकसान हो गया है। ऐसे लोगों के पास चली गई जो पैसे वाले हैं, जैसे बिड़ला है, टाटा है, दुर्लभ जी हैं और ऐसे लोगों के न जाने कौन कौन से फार्म बन गये हैं। जो करोड़पति हैं उनके पास में गरीबों की जमीन भी चली गई। यह दुर्भाग्य है, फिर आपने जमीन को रोकने का क्या कानून बनाया। जैसा माथुर साहब ने कहा, जैसा शंकर लाल जी ने कहा; उसका जवाब यह देंगे कि जो जमीन ज्यादा हैं जिनके पास उनसे ले ली जायगी तो वह गरीब आदमियों को बांट सकते हैं। हम यहां पर भाषण तो दे देते हैं लेकिन हमारी जो मन्शा है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं हमारा जो मेनीफेस्टो है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आज जमीन उन लोगों के पास चली गई जो साइड बिजनेस करते हैं और शाम के वक्त हवा खाने के लिए अपने फार्म पर जाते हैं लेकिन खेत पर खून पसीना दूसरे लोग करते हैं। आप ऐसे लोगों को टेनेन्ट के, खातेदार के राइट दे दें जो खेत से अन्न पैदा करते हैं। लेकिन आज आपके पास आंकड़े तक नहीं हैं, मैंने राजस्व मंत्री से पूछा था इसी सदन में कि आप जिलावाइज ऐसी फेमिली बता दीजिये जो कि अफेक्टेड होने वाली हैं, आपने कहा कि आपके पास जानकारी नहीं है। आपने इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं कराई, आपके पास आंकड़े जिलेवार नहीं हैं। आज जो हमें भय लग रहा है उसे दूर करने का राज्य सरकार का काम है। वास्तव में जैसलमेर में कितने अफेक्ट होंगे, जालोर में कितने अफेक्ट होंगे, पाली में कितने अफेक्ट होंगे और राजस्थान में कितने कितने लोग अफेक्ट होंगे यह राज्य सरकार को आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। यह आंकड़े सलेक्ट कमेटी के सामने आने चाहिए ताकि लोग यह देख सकें कि कौन कौनसी फेमिली हैं जो अफेक्टेड होने वाली हैं। आप जानते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, शेरगढ़ आदि में क्या होता है, वहां पर कितने ही गांव ऐसे बसे हुए हैं जिनको आपने करोड़ों रुपया लगाया है तो भी पानी नहीं पिला सके हैं, इरिगेशन के लिए पानी की बात तो दूर है, और करोड़ों रुपया आप लगायें तब जाकर लोगों को पीने का पानी मिलेगा, पैरेनियल इरिगेशन के लिए कब

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तो आप वहां नहर लायेंगे और कब पानी देंगे। आपने इसमें दस से अठारह एकड़ की बात कही है, लेकिन जैसलमेर के लोगों ने पिछले कई सालों से खेत में बाजरे का दाना तक नहीं देखा है, न दस वर्ष से पानी देखा है, लोग सिर्फ मवेशी लिये हुए इधर-उधर फिरते हैं। सभापति महोदय, भौगोलिक दृष्टि से जो राजस्थान की हालत है, उसको सलेक्ट कमेटी को देखना चाहिए। अगर यह नहीं देखेंगे तो किसी भी गरीब आदमी को आप जैसलमेर में जमीन एलॉट करें, कोई भी जैसलमेर जाने वाला नहीं है। वह तो वहीं जायेगा जहां पर इरिगेशन के रिसोर्सेज हैं, वह वहीं पर काम करेगा जहां रोज उसे पांच रुपये मिल जाय ताकि वह अपने परिवार के लिए खाने-पीने का प्रबन्ध कर सके। जैसलमेर में जाकर कौन काश्त करेगा, अगर वहां जमीन दे दें तो कोई क्यों जायेगा जबकि नहरी एरिया में जमीन पड़ी है। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी हैं, उनमें से कुछ आदमियों को आपने जमीन दी, लेकिन एक आदमी भी नहीं गया। वह कहते हैं कि हमें गांव में ही जमीन दे दो, गोचर को तोड़ कर जमीन दे दो। वह गांव छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनकी गांव में ही काश्त करने की इच्छा है। जो पैसे वाले लोग हैं, वह तो जमीन पर कई तरह के एक्सपेरीमेंट्स करके रह सकते हैं लेकिन जिनका कल्टीवेशन का धन्धा है, दूसरा कोई आसरा नहीं है, जो लोग ईमानदार हैं, खेती का काम करते हैं और काश्त करना जानते हैं, वह दूसरों के खेतों पर काम करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत पैसा उनको मिलता है। ऐसे लोगों को फायदा पहुँचाने की जरूरत है। जब आप सीलिंग कर रहे हैं और आपके मेनीफेस्टो में जो दे रखा है उसकी पूर्ति आपको करनी है तो इन आस्पेक्ट को भी देखना आवश्यक है। इसके अलावा दूसरी जो विचारधारा आती है, हर एरिया के अन्दर जो स्टेन्डर्ड एकड़ है, यह दूसरे इरिगेशन के रिसोर्सेज को देखते हुए, सब तरह के आंकड़े कलेक्ट करके निर्धारित करने की आवश्यकता है। स्टेन्डर्ड एकड़ जो पहले तय हुआ, यह खास प्रश्न है, जिसको पेरेनियल और दूसरे प्रकार की इरिगेशन देख कर तय करना पड़ेगा। जो डिस्ट्रिक्टवाइज स्थिति है उस आधार पर यह डिमार्केशन नहीं होना चाहिए। राज्य की जो हालत है, जैसा प्रधान मंत्री ने कहा है स्टेट की हालत को राज्य सरकार को देखना चाहिए। इस हिसाब से जो मेनीफेस्टो है, उसको देखें और उसको देख कर इस कानून को इम्पलीमेंट करना चाहिए। आज की स्थिति में जो है वैसा इम्प्लीमेंट कर दें और फिर बाद में कई तरह की डिफीकल्टी आयें यह चीज नहीं होनी चाहिये। इसलिए सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है, टाइम थोड़ा लें, ज्यादा लें लेकिन यह जो सारे आस्पेक्ट हैं उनको एक्जामिन करने की आवश्यकता है साथ ही इसका इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी के द्वारा होगा। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वह सच्चाई से, ईमानदारी से इसका इम्प्लीमेन्टेशन करे। जो गांव में पटवारी है, नायब तहसीलदार है, रेवेन्यू इन्सपेक्टर हैं इन लोगों ने सीलिंग होने के पहले गांव में लूट खसोट करली है, इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने कोई सरक्यूलर जारी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं किया। आप कलेक्टर्स को बुलाकर इन्स्ट्रक्शन दे दीजिये। आज भी लोग जमीन की लूट खसौट कर रहे हैं, मशीनरी ने अपना काम पहले ही शुरू कर दिया, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम नहीं किया लेकिन सीलिंग में नहीं आये इसके लिए गलत काम लोग कर रहे हैं और किये जा रहे हैं। इसलिए मशीनरी को आपको दबाना चाहिए और यह करना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज होगी तो उस पर एक्शन लिया जायगा जो करप्ट मशीनरी है उसको सेट राइट करना पड़ेगा आप नई चीज की नींव डाल रहे हैं लेकिन मशीनरी का वैसा दिमाग नहीं है, उनकी दूसरी तरह की आदत पड़ गई है इसलिए जिस मशीनरी से आपको काम लेना है वह ऐसे विचारों की बनें। इसके अलावा इस बिल में जो खामियां हैं उनको ठीक करें। जो कन्सोलिडेशन का बिल है वह तो सलेक्ट कमेटी में चला गया। आप टिनेन्सी बिल में इतने अमेंडमैंट पास कर चुके हैं जिसके कारण इतनी एम्बीगुइटी पैदा हो गई है, कि जो रेवेन्यू कोर्ट में प्रेक्टिस करने वाले हैं उनकी समझ में नहीं आता है। हमें भी जो अमेंडमैंट आते हैं और फिर उनके रूल्स आते हैं उनको देखने की फुर्सत नहीं हैं। आज कन्सोलिडेटेड एक्ट किसी के पास नहीं मिलता है, जो कानूनी प्रेक्टिस करते हैं उनके पास भी नहीं है। पहले जो अमेंड-मैंट हो गये, उन अमेंडमैंटस के होने के बाद में भी कन्सोलिडेटेड बिल अभी भी पेंडिंग हैं लेकिन इस बिल में भी एज इट इज धारायें रखी हैं, इससे इसमें अलग धारायें हैं और उसमें अलग धारायें हैं। टिनेन्सी में बहुत अमेंडमैंट हो गये हैं। इससे बहुत पेचीदगी उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा गांवों में आज आग लगी हुई है, तीन रुपये चार रुपये के स्टाम्प लगा कर तीन सौ, चार सौ एकड़ तक में खरीद रहे हैं। वह अपना दावा पेश करें और आप रुपया नहीं दें तो कानून एक नहीं मान सकता है। यह जो चीजें हैं इनको रोकने की आवश्यकता है। एक दूसरी विचारधारा आई है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू करना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू करने की बात में यह होता है कि अगर कोई चीज ऐसी होगई है, कोई फैसले ऐसे हो गये हैं हाई कोर्ट वगैरह से, जिससे लोगों के बेनिफिट रुक रहे हैं तो उनको बेनिफिट देने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से कानून लाया जाता है। अगर रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से लागू करें तो ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका यह अर्थ होता है कि राज्य सरकार गलती करें, गलत कानून पास करके उसे लागू करें और लोगों में आपसी झगड़े और परेशानी पैदा करती जाय। आज रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट दें उसमे तो जिस समय यह विचारधारा थी उसी समय कानून पास करके उसे इम्प्लीमैंट कर देते, आपको मना कौन करता है। बराबर लिगर आन करके पीछे की डेट से लगायें तो कई लोगों के मामले आ जायेंगे जिन्होंने मनी लेंडर से पैसा लेकर ऐसा किया है। ऐसे ऐसे कई केसेज आजायेंगे। इसलिए फिर अमेंडमैंट लाना पड़ेगा। वैसे केसेज आ जाते हैं तो उनको प्राटेक्शन हम देना चाहते हैं। जनरल कानून है उसमें यह नहीं कर सकते। जो रेगुलेराइजेशन का कानून है उससे फायदा दूसरे लोगों को ही हुआ है, गरीबों को नहीं हुआ है। उनका रेगु-लेराइजेशन कर दिया। आज भी जमीन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पर कई साधन सम्पन्न बैठे हुए हैं उनको जमीन से दूर रखना चाहिए, पुलिस के जरिये, फोर्स के जरिये उनसे लैन्ड वेकेट कराया जाय। ऐसे जो काम्प्लीकेटेड मामले हैं, कानून में इनका विचार नहीं रखा है। इसके इम्प्लीमैंटेशन पर्पज के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें एरिया रिड्यूस करके कहेंगे कि गरीबों को जमीन देनी है लेकिन यह जो मन्शा हमारी है इसके अनुसार गरीबों को किस तरह से जमीन दी जा सकती है। सैन्ट्रल लैंड रिफार्म कमेटी है, वह बड़ी कमेटी है। उसने बताया है कि काश्तकारी का धन्धा करने वाले दस बीस पर्सेन्ट हैं अस्सी नब्बे परसैन्ट ऐसे लोग है जो छोटी जाति के लोग हैं, जो पशुपालकों का धन्धा करते हैं, भेड़ का धन्धा करते हैं, ऊंट का धन्धा करते हैं। भेड़ पालक कहते हैं कि गोचर भूमि का प्राटेक्शन दे दीजिये। उनके पास एक एक, दो दो बीघा भूमि नहीं है लेकिन उन लोगों को भूमि मिलेगी नहीं, सब काश्तकारों को देंगे तो उसकी जैसलमेर में पोसिबिलिटी नहीं है। खातेदारी देने के बाद किसी पशुवाले को आने देने का अधिकार नहीं है तो इस बारे में जिन काश्तकारों के अलग अलग धंधे हैं जैसे पशु पालन का धंधा, खेतीबाड़ी का धंधा तो उसके लिए इस विधेयक में एक धारा भी नही है। जैसे पश्चिमी जिलों में सिर्फ पशु पालन का धंधा है, काश्त नहीं होती है तो उस बारे में लिमिट होनी चाहिए। ब्लेंकेट रूल सब जगह पर लगा दिया तो फिर बाद में संशोधन लाना पड़ेगा इसलिए सारे पहलुओं को देखकर यह जो कानून है उसको प्रवर समिति में आंश आउट करना चाहिए। हमको गांव वालों की भावनाओं का आदर करना है। पहले वाले रूल में 10 मन गेहूं का था। एक फसल होने के बाद में बाजार में आए तो कोडी के भाव में बिकेगा। तीन साल अकाल हुआ एक साल में पैदा हुआ, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं। दूसरी चीजों के वैसे के वैसे भाव। दूसरी बात सीलिंग लागू करने के साथ आपको फसल बीमा के लिए कानून में प्रावधान करना पड़ेगा। आपने एरिया तो घटा दी, टेक्नालाजी के जरिए खेतीबाड़ी में सुधार करे, प्राडक्शन की बात कही लेकिन हजारों रुपया खर्च करके पैदा करके अनाज कोठे में जाएगा, सारे का सारा नष्ट हो गया तो सरकार कुछ नहीं दे सकती। अगर जल गया, नेचुरल कैलेमिटीज से फसल खराब हो गई तो एक प्रतिशत फायदा आप किसान को नहीं दे सकते क्योंकि राज्य सरकार की कैपिसिटी नहीं है। जब एरिया घटाई गई है उसके साथ साथ फसल बीमा और एश्योर्ड इर्रीगेशन और वेल इर्रीगेशन होना चाहिए। वेल का खर्चा जितना आए राज्य सरकार दे। तब सरकारी डेफीनेशन आएगा वरना प्रांईवेट सोर्स से 20 हजार 30 हजार, 40 हजार रामानन्द जी लेकिन कुआ खुदवाएगा और उस पर यह लागू करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा? तो ये हार्ड रीएल्टीज हैं जिनको इन्जैमिन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जिनको हम जमीन दे रहे हैं, वे काश्त नहीं कर पायेंगे। बैल नहीं देंगे, बीज नही देंगे, साधन नही देंगे तो वह क्या करेगा? गरीब आदमी को आप उठाना चाहते हैं तो जैसे रशिया और जापान में सुविधायें दी जाती हैं वह दें। तब जाकर वहां प्रोड्यूस करते हैं, नहीं तो एक बैल की जोड़ी पर 3 हजार

Page No. 100

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रुपये लगते हैं, बीज का क्या लगता है? किसी से मांगकर लाए तो नीचे दवा रहेगा। तो काश्त करने के लिए उसका गुजर हो जाए यह आपको देखने की आवश्यकता है। जमीन को जो छोटे छोटे टुकड़ों में अनप्राफिटेबुल बनाने की बात है इस विचारधारा को बदलना पड़ेगा। जिसको जमीन दें उसकी हालत सुधरे यह गारंटी हमको देने की आवश्यकता है। यह सारा मामला टेढ़ा है जिनको इर्जमिन करने की आवश्यकता है इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिए।

प्रोफेसर केदारनाथ (गंगानगर): सभापति जी, अगर हम मानकर चलते हैं कि इस संशोधन का स्कोप केवल सेंट्रल लेंड रेफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट हैं, उसकी सिफारिश तक हैं तो बहुत लिमिटेड स्कोप है। अगर हम मानकर चलते हैं कि जो प्लेजिज आपने चुनाव के समय मासिज को, इलैक्टोरेट को दिए, मैनीफेस्टो में जो घोषणा की, अगर उससे सम्बन्धित हैं तो डिस्कशन का दायरा बदल जाएगा। अगर ट्यूबवैल्स की जमीन को छोड़ दें, चाहे गवर्नमेंट सोर्सिज से सिंचाई हो उसको छोड़ दें तो मेरे ख्याल से राजस्थान में इस संशोधन की जरूरत नहीं। परिस-पेक्टिव सरप्लस लेंड आपको निल मिलेगी। जब सारे देश में सीलिंग कानून लाया गया जब चर्चा हुई उस समय 54 मिलियन एकड़ भूमि सरप्लस थी तो हमको कुल कितनी मिली? 2.26 मिलियन एकड़। राजस्थान में पहले सीलिंग के तहत जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट जब पेश हुई, उस समय जितनी सरप्लस लेंड थी वह मिलती और जितनी 1971 के बाद मिली है वह है 56 हजार एकड़। इतना फर्क 10-20 सालों में आपने इस रूरल इकानामी की लाइफ में कौनसे इलीमेंट्स को पेनीट्रेट करने दिया और केवल लोवरिंग ऑफ लिमिट आप सोचते हैं, डिस्पैरिटीज दूर हो जायेंगी, लैंडलेस क्राप शेयरर्स, इन्फार्मल टेनेन्ट्स, वेज अरनर्स बस जायेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा और देश में सोशलिस्ट इकानामी कायम हो जाएगी, तो यह गलत फहमी है। इसलिए सारे देश में नारा चल रहा है कि आप इन्कम की लिमिट बांधें, खर्चे की लिमिट बांधें, चाहे रूरल इकानामी चाहे अर्बन इकानामी चाहे आफीशियल्स चाहे विधायक संसद सदस्य हो, हमको मालूम पड़े कि इस देश में सबसे ज्यादा आमदनी की लिमिट कितनी होनी चाहिए और लोएस्ट इन्कम लिमिट कितनी है। आज अगर हम स्टैंडर्ड एकड़ की बात करें तो पंजाब में परिभाषा कुछ हरियाणा में वैल्यूएशन कुछ, राजस्थान में वैल्युएशन कुछ। जब आपने स्टैंडर्ड एकड़ 10 मन फी एकड़ तय किया उस समय आपने मन की कीमत 12 रु. लगाई। आज उसके मन की कीमत 20-25 रुपये हो सकती है। अब 30 से 18 स्टैंडर्ड एकड़ कर रहे हैं। मैं इस पक्ष में हूं कि अगर 18 स्टैण्डर्ड एकड़ से 15 स्टैण्डर्ड एकड़ से दो फसल पैदा हो जाती है, गवर्नमेंट सोर्सेज से सिंचाई मिल जाए तो वह काश्तकार के परिवार के लिए काफी है। यदि सेंट परसेंट सिंचाई और अदर मीन्स आप देते हो, मौजूदा प्राइसिज का स्टेबीलाजेशन हो जाए तो 15-16 स्टैंडर्ड एकड़ एक किसान परिवार खुद, उसकी घरवाली और तीन छोटे

(प्रोफेसर श्री केदारनाथ)

बच्चों के लिए काफी है बशर्ते क्रेडिट फैसिलिटीज बदल दो; बशर्ते जो पैसा सड़क और बिजली के लिए है वह सारे का सारा हिसाब बदल दो; तो मैं समझता हूं 10-15 स्टैंडर्ड एकड़ के बीच में किसान का काम चल सकता है। पंजाब में जलंधर, अमृतसर और लुधियाना में किसी किसान के पास 5-6 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। तीन फसल पैदा करता है, ट्यूबवेल्स उनके पास हैं और बिजली और सड़कों से कनेक्टेड हैं। किसान बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत करता है। हम चाहते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का फायदा सबको मिले तो जो सिफारिश दी है सेंट्रल लैंड रिफार्म्स कमेटी ने उसके रेफरेंस में कुछ गाइड लाइन्स पढ़ कर सुनाऊंगा। मैंने एक मैगजिन पढ़ी मध्यप्रदेश में सीलिंग के बारे में उसमें है एग्जेम्पशन एण्ड लूपहोल्स। 6-7 राज्यों ने बिल पास करवाया। उस पर एक स्टडी टीम ने अपनी रिपोर्ट दी है मध्यप्रदेश में:—

"Exemptions had been accepted in such a ridiculous proportion that a former Minister transferred 75 acres of land in the name of his dog."

सभापति महोदय, इस प्रकार मध्यप्रदेश के एक भूतपूर्व मन्त्री ने अपने फेमिली औरत के नाम नहीं, अपने बच्चों के नाम नहीं करके अपने कुत्ते के नाम ट्रान्सफर कर दिया। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आज वहां पर मौजूद एम. एल. एज., एम. पीज. और एक्स. एम. एल. ए. और एक्स एम. पीज के बाद 30 प्रतिशत से भी ज्यादा लैण्ड है। इस प्रकार यहां पर भी इन्फ्लेन्शियल लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा 25 प्रतिशत लैण्ड एबसेन्ट्रीज के पास हैं। आज राजस्थान में इस प्रकार पिछले 15-20 सालों में लोगों ने कई जगह पर अन-ला-फुल कब्जा कर रखा है तो ऐसे लोगों के बारे में आपको पता लगाना होगा और बाद में जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर एनक्रोचमेन्ट कर रखा है उनसे वह जमीन लेकर हमें स्टेगुलराइज करने की जरूरत है। क्योंकि आज राजस्थान में आज कई बड़े सरकारी अफसरों ने कैपीटलिस्टों ने और पोलिटिशियन्स ने जमीन पर कब्जा कर रखा है बिग-फार्म्स बना रखे हैं, तथा एबसेन्टी लैण्ड लाइन्स उन सबकी। जैसे हमने फोर एग्जाम्पल ये जो 18 स्टैन्डर्ड एकड़ का सीलिंग किया है उसे अगर स्ट्रिक्टली लागू करें तो काफी सरप्लस लैण्ड हमारे पास आ जायेगी और आप काश्तकार को जमीन दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, कि यह काम आपके प्रजेन्ट स्टाफ से एक्सपेक्ट करें कि जल्दी ही इसका फैसला कर लें मैं नहीं समझता हूं; क्योंकि मान्यवर पहले भी जो गवर्नमेंन्ट ने 30 एकड़ का सीलिंग किया था, उसकी आज तक क्रियान्विति नहीं हो सकी है। सीलिंग बिल राजस्थान गवर्नमेंन्ट को पास किये इतने वर्ष, लेकिन आपकी गवर्नमेंन्ट की मशीनरी उसको इम्पलीमेन्ट करने में फेल्योर रही है। और जिस एम से हमने सीलिंग बनाया था वह फुलफिल नहीं हो सका है। चाहे हम आप यहां बैठकर फारमर का इन्टरेस्ट सेफ गार्ड करें। लेकिन सरकारी मशीनरी

(प्रोफेसर श्री केदारनाथ)

जो बिल हम बनाते हैं उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं करती है। आप चाहे 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से 18 एकड़ क्यों चाहे 10 स्टेन्डर्ड एकड़ पर ही सीलिंग करलें लेकिन जब तक किसान को जमीन नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला हैं। दूसरे आपने जो दो तरह की लैण्ड रखी है एक तो जहां टू क्रोप्स होती है वहां तो 18 स्टेण्डर्ड एकड़ और जहां एक फसल होती है वहां 54 एकड़ जमीन का प्रावधान रखा है। 18 एकड़ तो जहां पर इर्रीगेशन खेती होती, ट्यूबवेल से खेती होती है। तो जब तक आप सभी जगह इर्रीगेशन से खेती करने का या ट्यूब वेल से खेती करने का प्रावधान नहीं रखेंगे तब तक आप सभी को समानन्तर नहीं ला सकेंगे और फिर वही खाई अमीर और गरीब की बढ़ती जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है मान्यवर कि आप देखें आज राजस्थान में कई जगह जमीनों में डिफरेन्स और सभी जगह आप एक ही डन्डे से सभी को हांकते गए तो मैं समझता हूं कि करेक्ट वेल्यूशन ऑफ लैण्ड और उसकी प्रोसपेक्टिव केपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तब तो ठीक वरना रिजल्ट्स आपको गलत मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक से यदि यह सोचा जाये कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सुधार हो सकेगा तो यह एक गलत फहमी है। मैं आपको निवेदन करदूं चाहे मान्यवर आप 15 स्टेन्डर्ड एकड़ एक परिवार के लिए फिक्स करदे तो कोई बात नहीं वह भी सफिशियन्ट हो जायेगा-बशर्ते उसमें दो फसले हों, इर्रीगेशन के पूरे साधन हो। इसके अलावा मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूँगा कि जो आपने पहले सीलिंग लगायी उसमें से आपने कितने भूमिहीनों को कितनी जमीन आज तक दी। यदि सरकार असमानता दूर करना चाहती तो गवर्नमेंट को चाहिए जो लैण्ड लैस है उन्हें इमीडियटली जमीन एलांट की जाय। लेकिन लैन्ड उसे अलॉट की जाय जो खुद--काश्तकार हो और जिसके पास दूसरा सोर्स आफ इनकम नही हो। इसके अलावा जिन जिन के पास लैण्ड है वह गवर्नमेंट को चाहिए कि एकवायर कर ले इससे समाजवाद आपका आ सकेगा। इसके अलावा, मान्यवर मेरा यह भी निवेदन है कि नहरी इलाके में आप जो स्टेन्डर्ड एकड़ निर्धारित करे वह एक साथ होनी चाहिए।

मान्यवर, आज राजस्थान गवर्नमेंट काश्तकारो के लिए बिल पास कर रही है उधर केन्द्रीय सरकार का प्लानिंग कमीशन इसके लिए कमीशनस में सिफारिश कर रहा है। यह आप से भी कर रहे हैं लेकिन यह सभी थियोरीटिकल प्रासपेक्ट है क्योंकि जब तक इनका इम्पलीमेन्टेशन प्रोपरली न हो तब तक कोई फायदा नहीं, इसी प्रकार जो हम आज सीलिंग की बात कर रहे है इसमें भी थियोरीटिकल प्रासपेक्ट से न सोच कर अगर प्रेक्टिकल प्रासपेक्ट से सोचे तो पता लगेगा। आर-फोर एग्जाम्पल 10 या 15 स्टेन्डर्ड एकड़ एक काश्तकार के लिए रखते हैं उस फेमिली में सपोज 5 मेम्बर्स हैं उसमें उसके तीन बच्चे, सेल्फ और उसकी वाइफ। वायफ तो काम करेगी नहीं, बच्चे भी काम करेंगे नहीं तो अकेला वह खुद ही काश्त करेगा........

श्री रघुनाथ बिश्नोई। ये तो गलत हैं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हमारे इधर तो औरतें बराबर काम करती है।

श्री केदारनाथ : मेरे गंगानगर इलाके में नहीं करती हैं। आपके उधर करती होंगी उसके लिए एक हेल्पर की जरूरत होगी उसे चाहे आप वेजअर्नर या क्रोपशेयर कह दो उस लेबरर को प्रोड्यस का शेयर तो देना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि इसमें अमेन्डमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कई लूपहोल्स है इसमें आपको क्रोप शेयरर का राइट ऐलिएन्टेड करना पड़ेगा। बिल में तो इस तरह सभी आस्पेक्ट पर हमें विचार करना पड़ेगा। आज जो कांग्रेस ने जनता से प्लेजेज की अपने इलेक्शन मेनीफेस्टो में की और बाद में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी एपांइन्ट इसके अलावा की थी उसने जो रिकमन्डेशनस दी है।

"Ceiling should be made applicable to the family as a whole. Where the number of members in a family exceeds five, additional land may be allowed for each member in excess of five in such manner that the total area admissible to the family does not exceed twice the ceiling."

इन्हीं सिफारिशों के अनुसार, सारी स्टेट्स के स्टेन्डर्ड एकड़ का क्लासीफिकेशन किया है। इसमें कहीं आपने 18 स्टेन्डर्ड एकड़ की और कहीं और इसके आपने एग्जम्पशन भी कर रखे है। मान्यवर, आपको मैं बता दूं कि सभी जगह की स्टेन्डर्ड एक तरह की नहीं होती है। आज भाखरा, गंगकेनाल और राजस्थान केनाल में इनमें भी फर्क है। गंगानगर में एक स्टेन्डर्ड एकड़ में 29 बीघा जमीन पेरीनियल मिलेगी और दूसरी जगह अलग होगी। आज पेरीनियल इरीगेशन वाली लेण्ड में 1/3 एरिया में ही टू क्रोप्स हो जाती हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि मान्यवर, हमें परसपेक्टिव विजन से सोचना पड़ेगा। हमें एसेसमेंट वेल्यूऐशन आफ दी क्रोप करना पड़ेगा। आज हम जब कि सोसलिस्ट फार्म पेटर्न पर जब काम कर रहे हैं तो सभी आस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। जिसमें अगर आपको कोई एमेन्डमेंट करना है तो करना पड़ेगा। आज 18 एकड़ के सवाल को लेकर जो सूडो-प्रोग्रेसिव लोग बात कर रहे है उनसे मेरा नवेदन हैं कि अगर वो इन्फेक्ट सीलिंग को लागू करना चाहते हैं तो मेरे पास ऐसे रिकार्ड आज मौजूद है कि लोगों ने फ्राडूलेन्ट ट्रान्जेक्शन रूरल सेक्टर में कर रखे हैं। इसमें आपको कई बड़े 2 कांग्रेसी नेता, सरकारी आफिसर व बड़े जमीदार मिलेंगे। प्रधान वगैरहा। आप एक कमेटी एम. एल. एज. की बनाइये और फिर उसको ऐट द्री स्पोट चलकर फैसला कीजिये। आपको मालूम होगा लोगों ने 10 साल 15 साल से कब्जा नाजायज कर रखा है, लोग वहां नहीं है, मर गए या पंजाब और हरियाणा में रहते है। जमीन उनके नाम से बोल रही है। एक्चुअली लोग वहां काश्त ही नहीं कर रहे हैं। आप उसे एक्वायर कीजिये और जो सरप्लस लैण्ड आवे उसे किसानों में बांट दीजिये जो कि खुद काश्त करते हैं आज ऐसे लोग हैं, जिन्होंने फ्राडूलेन्ट मीन्स से कई माननीय सदस्यों ने 1 जनवरी, 1972 के दो महीने

-(प्रोफेसर श्री केदार नाथ)

पहले से ही ट्रान्जेक्शन किये हैं। आपको चाहिये कि इस बिल का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस बिल को लावें ताकि वे सभी फ्राडूलेन्ट ट्रान्जेक्शनस जो कि 1-1-72 से पहले के व बाद के हैं उन्हें खत्म किया जाय इसलिये डेट मत रखिये। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तीन चार साल का दीजिये। दर असल इम्पलीमेंन्टेशन चाहिये, सरप्लस लैंड मिले रूरल सेक्टर की लाइफ में चेन्ज आये, बैक वर्ड तबका है उसको लैंड मिले सरप्लस, डेस्पेरिटीज कम हो, तो एक ही नारा लगाये कि जो खुद काश्त करता है उसकी जमीन है, और कोई लवलीहुड नहीं है, दूसरा जरिया नहीं है खेती करने के अलावा, चाहे वह मन्त्री रहा हो, भूतपूर्व मन्त्री हो, मन्त्री हो चाहे वह ठेकेदार हो, सर्विसमैन हो, एक्स-सर्विस मैन हो और कोई क्लास हो, काश्त करने वाले की ही जमीन कर देते हो तो सरप्लस लैंड होगी वह उनको मिल जावेगी। चाहे किसी पक्ष का हो, मन्त्री हो, एम. पी. हो, एम. एल. ए. हो, ठेकेदार हो और कोई हो, नान एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन नहीं मिलेगी, उसकी नहीं रहेगी और जितने भी ये इस प्रकार के एबसेन्टीज हैं जो लैंड को टिल नहीं करते हैं, चाहे वे किसी क्लास के हों, किसी कास्ट के हों, किसी सेक्शन के हों, ऑन दी स्पोट चैक करके उसके पास से जमीन ले लेंगे और लैंड लैस में बांट दें तो रूरल सेक्टर में एक रिवोल्यूशन आयगा, असली भूमि सुधार होगा और तब तो कोई चेन्ज आयगा वरना चेन्ज आने वाला नहीं है।

सभापति जी, आपकी मार्फत यह निवेदन करूं कि ओवर आल इम्पेक्ट इसका देखना है तो मौजूदा मशीनरी है, उसके जो डिपेक्ट्स हैं इसको इस सीलिंग में मान ले तो जमीन मिलेगी नहीं क्योंकि 69 में रेगुलेराइज कर चुके हैं और इसके इम्पेक्ट को देखना हो तो 31 दिसम्बर तक जितनी भी जमीनों का ट्रान्सफर इल्लीगल हुआ है, फ्राडुलेन्ट से फ्राडलेन्ट तरीके अपना कर अपनी सब जमीनों को रेगुलेराइज कर लिया है उन सब केसेंज को रिओपन करना चाहिये और ऐसा करते हैं तो दर असल सीलिंग ला का सही रूप में इम्पलीमेंन्टेशन हो सकता है और जो इस प्रकार से ट्रान्सफर हुये हैं उन सब को वाइड डिक्लेयर कर दीजिये। नॉन एग्रीकल्चरिस्ट क्लास जो भूमिहीनों के नाम से या पर्चेजर के नाम से खुद काश्त करने वाली बन बैठी है उनकी जमीनों को ले लीजिये और जो फार्मली टिनेन्ट्स हैं, बैकवर्ड हैं. उनमें उनको बांट दीजिये। इस प्रकार 30 से 40 परसेन्ट तक ये लोग हैं वे एक बैकबान बनेगें, उनमें एक लीडरशिप पैदा होगी और जिस सोशियल फिलोसफी को लेकर चलना चाहते हैं वह आप वास्तव में कल्टीवेट कर सकेंगे।

मैं सोचता हूँ, मैंने ये शब्द इसलिये कहें हैं कि इस सीलिंग कानून के तहत बहुत बातें कही गयी हैं, जब भी राजस्थान केनाल, गंगकैनाल और भाखरा कैनाल की बात पैदा होती है. अब अलाटमैंट कर रहे हैं तो रूल्स को बदलिये। जागीरदारों को मुआवजा मिला, आज भी मिल रहा है। आप चेन्ज लाना चाहते हैं, को शिक्वे निशियल सारा का सारा इफैक्ट होना चाहिये चाहे जो एरिया हो, राजस्थान कैनाल हो, भाखरा हो, गंग कैनाल हो, सारा का सारा चेन्ज होना चाहिये तो

(श्री केदारनाथ)

आपको उस रूप में सोच कर बिल लाना होगा। लेकिन वह उसमें कुछ नहीं है।

सभापति जी, यही नहीं, आस पास मेरी जमीन है, डिफरेंट स्टेट्स में है तो आपका क्या ख्याल है? आपका कोई ख्याल नहीं है। उसके बारे में क्या ला सोच रहें है। यह जमीन वह स्वयम् काश्त करता हैं या नहीं? इसलिए आपको यह देखना होगा यदि वास्तव में लैंडलेस को जमीन देना चाहते हैं तो उनकी टोटल जमीन हिन्दुस्तान की टैरीटरी में है, कहीं पर है हिन्दुस्तान की टैरीटरी में तो सीलिंग ला वहां भी लागू हो जाय तो आपके हाथ में जमीन आ सकती है और आप जो फायदा सोच रहे हैं वह फायदा मिल सकता है खेती बाड़ी कहीं हो और खुद काश्त न करता हो, तो वह भी इसकी परव्यू में आनी चाहिये। एकरेज में आपने तय कर दिया। शहरों में आपने कहीं कुछ डिफाइन नहीं किया है। दस पन्द्रह बीघा जमीन है वह जमीन किस परव्यू में आवेगी? कहीं नहीं है। इस प्रकार कई लूप होल्स हैं। ये सारे पॉइन्ट्स सिलेक्ट कमेटी में तय किये जांय। सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मतलब यह नहीं है कि आप 6 महीने ले लो। जितना थिंकिंग होना चाहिए वह हो चुका। सब पार्टीज ने अपनी राय दे दी और कांग्रेस पार्टी में इस पर दो ढाई तीन महीने से विचार चल रहा है और यह भी 2, 3 जून तक तय हो जावेगा। कोई अखबार नहीं जिसने आर्टिकल्स न लिखें हों, कोई मेगजीन नहीं जिसने नहीं लिखा हो कोई पीरियोडिकल्स और वीकलीज, नहीं है जिन्होंने इस पर अपनी विचारधारा न लिखी हो। इसलिए दस पन्द्रह दिन सिलेक्ट कमेटी में जाने के लिये और विचार होने के लिये काफी हैं। शोर्ट सेशन बुला लीजिये। सीलिंग के मामले में ज्यादा टाइम लेंगे तो नुकसान होगा। इस पर ज्यादा न कहते हुए निवेदन करूंगा कि पहले केटेगरीज बनाइये, नाली का इलाका है वेस्ट इलाका है। जहां पानी कुओं का मीठा है अन्डर ग्राउन्ड वाटर भी मीठा है, वर्षा का परसेन्टेज भी ज्यादा है और इर्रीगेशन का परसन्टेज भी ज्यादा है उस इलाके की केटेगरी कम और गंग कैनाल की ज्यादा। इसलिये आप केटेगरीज का एक पैटर्न तय कर दीजिये चाहे वह गंग कैनाल हो, राजस्थान कैनाल हो, भीलवाड़ा का इलाका हो, नाली का इलाका हो, इर्रीगेशन चैनल से मीडियम या शार्ट चैनल हो, उस तरीके से होता हो तो सारे का सारा स्टेन्डर्ड तय करके कैटगरीज को रिशेप करेंगे, यह कहते हुए अगर आप यह आश्वासन दें कि ऑन स्पोट जाकर कमेटी चैक करे, वह उन अलॉटमेन्ट को बदल ले और रिअलॉटमेन्ट कर दे, हम लोग अपने स्वार्थ में आकर अलॉटमैन्ट में शामिल हैं, अपने पक्ष की बात दूर कर दें, कमेटी को पावर दीजिये और जांच कमेटी गंग कैनाल में दस सालों में अलॉटमैन्ट हुए हैं, वे कौन लोग हैं जिनका खेतीबाड़ी में वास्ता नहीं है वे सारी जमीनें लेकर लैंडलैस, जो वास्तव में हैं उनमें बांट देंगे तो इसका लोगों के दिमाग में असर पड़ेगा, खेती उसकी है जो खुद खेती करता है दूसरे की नहीं है, तो इस एप्रोच तक पहुंचे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं, वास्तव में सही सीलिंग बिल होकर भूमि सुधार होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): माननीय सभापति जी, राजस्थान सरकार ने एक परिवार के लिये 18 स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन आंकी हैं। कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में दस एकड़ या पन्द्रह एकड़ रखी है।

एक माननीय सदस्य : 18 एकड़।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 10 और पन्द्रह एकड़।

कई माननीय सदस्य : 10 से 18 एकड़।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दस से अठारह एकड़। और वह जमीन होगी जो बारह मासी सिंचाई की जमीन होगी और वर्ष भर में दो फसलें पैदा करने की क्षमता जिसमें होगा। बारह मासी सिंचित भूमि के साथ साथ जो भूमि सरकारी स्रोतों से सिंचित होती है वह शब्द भी जोड़ दिया और उसका परिणाम वह निकला कि वह बड़े बड़े लोग जिनके पास स्वयम् के सिंचित साधन थे वे उससे वंचित रह गये तो विचारने का प्रश्न सामने आया कि केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने या जो किया वह भूमि सुधार कमेटी को रिपोर्ट के आधार पर किया। निवेदन यह करना है कि भूमि जो घटायी या कांग्रेस घोषणा पत्र पर बातचीत करने की दलील दी। हरियाणा, पंजाब आदि में अलग अलग विधेयक बने और पूरी तरह वहां पर विचार भी नहीं हो सका। राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की कि एक स्टेन्डर्ड एकड़ वह माना जावेगा जिसमें दस मन गेहूँ या उसके बराबर अन्य गल्ला पैदा होता हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य राज्यों की नकल करने की राजस्थान सरकार की आदत बन गयी है लेकिन यह नहीं देखा कि हमारे पड़ौस के राज्यों के जो किसान हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाना हो, चाहे पंजाब हो, वहां किस प्रकार की उनको सुविधायें हैं किस प्रकार से उनके दवादारू आदि का प्रबन्ध है और जो सुविधायें उनको वहां दे रखी हैं यदि राजस्थान में जांय तो हम देखते हैं कि हमारे यहां के किसान के पास कोई किसी प्रकार की सुविधायें नहीं हैं इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यहां पर जो 18 स्टेन्डर्ड एकड़ की बात अन्य राज्यों के समान करने की जो चेष्टा की है वह राजस्थान जैसे प्रदेश के लिये उपयुक्त नहीं है। आज और तो कोई लाभ नहीं हुआ इस सीमा के बांध देने से राजस्थान में लेकिन एक नुकसान जरूर हुआ और वह भयंकर नुकसान यह हुआ कि ज्योंही बिल की चर्चा आई, पति और पत्नी के सम्बन्ध खतम हो गए और मैं कहना चाहूंगा कि वह जमीन वाली बात तो नहीं लेकिन तलाक प्रॉडक्ट कानून जरूर हो गया। आज पति पत्नी तलाक देने लग गए, अलग होने लग गए। आज मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस 18 स्टेन्डर्ड एकड़ की उन्होंने बात की लेकिन एक स्टेन्डर्ड एकड़ में कितना पैदा होता है यह आज उनको पता नहीं है, एक स्टेन्डर्ड एकड़ में कितना बीघा होता है यह भी राज्य सरकार को पता नहीं है और वह इसलिए पता नहीं है कि जयपुर जिले में 200 बीघा कच्ची जमीन का एक स्टेन्डर्ड एकड़ और वही भरतपुर में 150 बीघा कच्ची जमीन का एक स्टेन्डर्ड एकड़ है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आंकड़े किसने बता दिए ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक नहीं 18 स्टेन्डर्ड एकड़।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज तक किसी गलत पाठशाला से शिक्षा ग्रहण की है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज यदि हम हिसाब लगायें तो 180 मन गेहूं पैदा होगा या उसके समान अन्य उपज वहां पर पैदा होगी तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह होगा कि यदि हम बाजार भाव को देखें, राज्य सरकार ने भाव 22 रुपये के हिसाब से लगाए हैं। मैं मेरे हिसाब से 20 रुपया लगाता हूं तो इस हिसाब से 5400 रुपया इस सारी उपज का 180 मन का किसान को मिलेगा और वह इस हालत में मिलेगा जब कि पाला नहीं पड़ जाये, चापन नहीं पैदा हो जाय, अकाल नहीं पड़ जाय अति-वृष्टि न हो जाये-उस हालत में उसको 5400 रुपये अपने उस 180 मन गेहूं का मिलेगा। जब यह 5400 रुपया मिलेगा तो कुल उपज पर कितना व्यय होता है यह भी राज्य सरकार को निश्चित करना पड़ेगा। 5400 रुपये में से 1800 रुपया व्यय का मैंने मेरे हिसाब से इस प्रकार से आंका है कि 3 रुपया रोज का मजदूर। एक महिने के 90 रुपए और 12 महिने के 1080 रुपया होता है और उसके बाद खाद का खर्चा अलग, बीज का खर्चा अलग, पानी का खर्चा अलग, बैल का खर्चा अलग, बिजली का खर्चा अलग, लगान व सरचार्ज व स्थानीय कर अतिरिक्त होंगे। 1080 रुपए के बाद इन और खर्चों को मिला लें तो 1800 रुपया हो जायेगा। यह भी बहुत कम मैंने आंका है। तो भी 3600 रुपया केवल एक परिवार के लिए बचता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक परिवार के ऊपर 300 रुपया माहवार पांच व्यक्तियों के ऊपर बचत होती है। एक व्यक्ति की आय 60 रुपया माहवार इस प्रकार से आंकी गयी है। अब निवेदन यह है कि सारी योजना के आधार पर किसान बेकार हो जायेगा। फिर राज्य सरकार अन्य कोई धन्धा किसान को कौनसा देना चाहती है ?

इस प्रकार से एकड़ की सीमा कम करने से मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान सरकार गरीबी हटाना नहीं चाहती परन्तु गरीबों को मिटाने वाली योजना राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है। हमारे यहां राज्य में न्यूनतम वेतन का अधिनियम है। उसके अन्तर्गत 3 रुपया 31 पैसा प्रति व्यक्ति के लिए एक रोज का वेतन निर्धारित किया है। 5 व्यक्तियों का हिसाब लगाये तो जब एक व्यक्ति के ऊपर 3 31 न्यूनतम वेतन होना चाहिए तो उसके आधार पर एक व्यक्ति का 110 रुपया माहवार का आया और इसको 5 से गुना करें तो 550 रुपया होता है जब कि राज्य सरकार 18 स्टेन्डड एकड़ रख कर केवल 5 व्यक्तियों के परिवार को 300 रुपया माहवार की आय देना चाहती है। जबकि सरकार के ही कानून के द्वारा, न्यूनतम वेतन अधिनियम के द्वारा 550 रुपया एक परिवार की आय होनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले यह कानून लागू करने से पूर्व मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि वह अपने इन्कम की सीलिंग करे। इन्कम के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

भेदभाव को आप मिटायें उसके बाद राजस्थान में 18 स्टेन्डर्ड एकड़ सीलिंग लाने वाली बात करना चाहिएं ।

आज जनसंघ ने यह मांग की है कि अपने घोषणा-पत्र में कि एक व्यक्ति को कम से कम वेतन 200) रुपया माहवार और अधिक से अधिक 2000) रुपया माहवार होना चाहिए । लेकिन भारत में भयंकर आर्थिक विषमतायें हैं। एक दूसरे में बहुत बड़ा अन्तर है । एक और एक हजार का अन्तर है । एक चपरासी को 60 रुपया और बड़े बड़े ऑफिसर्स को एक हजार रुपया माहवार और किन्हीं व्यक्ति को कम वेतन और राष्ट्रपति को 10 हजार रुपया और अन्य सुविधायें बड़े बड़े अधिकारियों को अलग लेकिन गरीब चपरासी को 60) रुपया माहवार मिलेंगे, अन्य सुविधायें नहीं मिलेंगी । भारत में एक और एक हजार का अन्तर है और जब समाजवाद के आधार पर जो सरकार चलना चाहे-मैं रूस का उदाहरण देना चाहूंगा । रूस में एक और 11 का अन्तर हैं । वहां पर चपरासी और राष्ट्रपति में 1 और 11 का अन्तर है । तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि यदि हम 550) रुपया के हिसाब से मान लें जो कि न्यूनतम वेतन के आधार पर निर्धारित है तो भी एक परिवार के लिएं 30 स्टेन्डर्ड एकड़ हो जाता है । यह '5 0) रुपयें के बिलकुल अनुरूप है ।

फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि राज्य सरकार चाहती है कि 18 स्टेन्डर्ड एकड़ करने के कारण किसानों में असंतोष फैलेगा, किसान बेकार होंगें, बेकारों को नौकरी नहीं मिलेगी और फिर लोग चिल्लायेंगे और फिर चिल्लाने के आधार पर राज्य सरकार फिर कोई सीलिंग का कानून लायेगी । फिर किसान बेकार होंगे और फिर सरकार उन जमीनों का राष्ट्रीयकरण कर लेगी और राष्ट्रीयकरण करने के आधार पर उस जमीन की मालिक सरकार हो जायेगी और, सरकार फिर किसानों को अपना मोहताज बनाकर और अपना नौकर बनाकर रखेगी । तो सरकार ने जो 18 स्टेन्डर्ड एकड़ आंकी है यह सरकार लायेगी तो मेरी घोषणा है कि सरकार थोड़े दिनों में जमीन का राष्ट्रीयकरण करेगी और किसान बेकार होंगे और किसान सरकार के गुलाम हो जायेंगे ।

आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की तो यही मन्शा है कि भूमिहीनों को जमीन मिले । मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि किसान की परिभाषा अब जो रखी गई हैं वह यह है कि मूलत: जिस व्यक्ति का धन्धा खेती है उसी को कृषक मानेगें । तो जैसा मैंने कल भी मांग की थी कि कृषक की परिभाषा को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिए । 1955 से इस परिभाषा को मान लें तो बहुत अच्छा होगा । राज्य सरकार 18 स्टेन्डर्ड एकड़ करके जिन लोगो के पास भूमि अधिक है उनसे जमीन छीनकर भूमिहीनों को देना चाहती है । आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिहीन के नाम पर कोई मन्त्री बाकी नहीं है । प्रत्येक मिनिस्टर के पास आज हजारों बीघा जमीन है । और राज्य सरकार सच्चे दिल से भूमिहीनों को भूमि देना चाहती है. आज मन्त्री भूमिहीन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नहीं हैं, जो राजनेता अलग हैं जो मन्त्री अलग हैं जिनके और कारोबार बड़े बड़े ट्रैक्टर के कारखाने, बड़ी बड़ी मोटरों के कारखाने, जिनकी टैक्सियाँ चलती हैं, कई धन्धे चलते हैं उनसे भूमि छीन ली जाये उनके पास ट्रैक्टर आज उनकी पत्नियों के नाम से है। उन्होंने अपनी पत्नियों के नाम जमीन करा रखी है उन जमीनों को राज्य सरकार छीने। जयपुर नगर की 12 मील की परिधि में बड़े बड़े लोगों ने फार्म बना रखे हैं। श्री हरिदेव जोशी, श्री मनफूलसिंह चौधरी जिनके बर्फ का कारखाना है और जयपुर की चुंगी सीमा के बाहर है जो म्युनिसिपैलिटी को चुंगी नहीं देते हैं और सारी बर्फ जयपुर में बिकती है। और इन सबके फार्म आज जयपुर नगर की 12 मील के अन्दर हैं श्री पी.के. चौधरी, भीखाभाई और एम. एल. ए. या मिनिस्टर आज बाकी नहीं है कि 12 मील की परिधि के अन्दर कांग्रेस के नेताओं ने और मन्त्रियों ने जमीन दबा रखी है उसको पहले राज्य सरकार अपने हाथ में ले। और उनको अपने हाथ में लेकर यह जो खेतिहर भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीन लोगों को यह जमीन दी जाय। पहले इनसे आप भूमि वापिस लें, वापिस लेने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान में 18 लाख स्टैंडर्ड एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। 18 लाख स्टैन्डर्ड एकड़ उसमें जोड़ दी जाएगी, भूमिहीनों के नाम पर जिन मंत्रियों ने जमीने ले रखी हैं, उन्हें लिया जावे और जिन अधिकारियों ने जमीने ले रखी हैं उनको वापिस लिया जावे, जिन कांग्रेस के विधायकों ने जमीन ले रखी हैं उनको वापिस लें तो इन सब को मिला कर मैं समझता हूं कि इतनी भूमि हो जाएगी कि राजस्थान में हमको भूमि की सीलिंग करने की कोई आवश्यता नहीं रहेगी। भूमि लेने वाले कम हो जायेंगे और भूमि ज्यादा हो जाएगी। राजस्थान सरकार मेरे इस प्रयोग को करके देखे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आज फिर हमको एक बात और तय करनी पड़ेगी कि राजस्थान सरकार किन लोगों से काश्त करवाना चाहती है राजस्थान में 50 प्रतिशत लोगों से काश्त करवाना चाहती है या राजस्थान में 60 प्रतिशत लोगों से काश्त करवाना चाहती है क्योंकि आज तो प्रत्येक मंत्री काश्तकार है, हर मंत्री का फार्म है, हर व्यक्ति ट्रैक्टर चलाता है, ट्रैक्टर से सामान ढोने का काम करते हैं, फिर विधायक अलग, जी फोकट की तनख्वाह पते हैं। राजनैतिक ×× में समय गंवाते है। इन सब चीजों के अलावा यदि प्रत्येक मंत्री खेती करना चाहता है तो हमें राजस्थान में कितने काश्तकार पैदा करना चाहते हैं। मैं यह भी समझता हूं......

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री मोहरसिंह : फोकट शब्द सभी विधायकों के लिए कह रहे हैं, यह आपत्तिजनक है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

×× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

(श्री मोहरसिंह)
यह सब सदस्यों के लिए कहा गया हैं। इसको एक्सपन्ज किया जाय।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

यह बहुत ही डेरोगेटरी है, फोकट की तनख्वाह और ××× । इनको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जो सीलिंग का बिल है।

श्री दीपंकर : यह आपने सब पर आरोप लगाया है……

(अनवरत शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भूमिहीन के नाम पर……

श्री मानकचन्द सोगानी : आपने फरमाया कि यह विधायक यहां पर आए हैं वह यहां आ करके फोकट में वेतन प्राप्त करते हैं। आप भी यहां पर हैं और दिन भर मेहनत करके कुछ प्राप्त करते होंगे। इसलिए यह आरोप लगाना कि वह मंत्री है और विधायक भी हैं और पैसा लेते हैं तो पैसा तो गवर्नमेंट ने जो पास किया है वही लेते हैं। आप भी लेते होंगे। इसलिए ऐसे शब्दों को तो काम में नहीं लेना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक ही धन्धा तो करिए।

श्री मोहरसिंह : विधायकों के लिए इस तरह का कहना……

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री सभापति : एक माननीय सदस्य एक बार बोलें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विधायक वेतन लेते हैं यह तो सही बात है लेकिन यह धंधा नहीं है, यह तो सेवा है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री दीपंकर : सभी कांग्रेसी विधायकों के पास जमीने नहीं हैं, यह आपने गलत आरोप लगाया है। आपका इस तरह गलत बात करना अनुचित है……

(शोरगुल–अश्रव्य)

कोई भी व्यक्ति जो इस सदन में उपस्थित नहीं है उनके खिलाफ इस प्रकार का आरोप लगाना नियमों के खिलाफ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्रियों के बारे में कह रहा हूं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के विधायकों के पास जमीने हैं तो क्या जनसंघियों के पास जमीनें नहीं है।

((शोरगुल–अश्रव्य)

श्री सभापति : दो मिनिट में भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री दीपंकर : जनसंघ वालों के पास भी जमीने हैं।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

श्री सभापति : मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी अवसर पर ऐसी भाषा का प्रयोग न हो जो अशिष्ट हो। मैं XXX शब्द को प्रोसीडिंग में से एक्सपन्ज करने का आदेश देता हूं और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी इन शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप खेती बाड़ी के बारे में बहस कर रहे हैं, आपसे यह सवाल पूछता हूं कि ऊंट के पीछे कितने हल जोते जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खेती आपकी होगी।

श्री सभापति : आपका अवसर आएगा तब आप जवाब दे दीजियेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं....

श्री मोहरसिंह : मेरे पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का क्या हुआ। यह जो फोकट की राजनीति कहा है उसका क्या होगा। फोकट की राजनीति करते हैं विधायक, इसका क्या होगा ?

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : फोकट की राजनीति में क्या है, आप भी बात सुन लिया करो यार।

श्री मोहरसिंह : अपने आपको फोकट का समझते होगें, हम तो नहीं है। बहुत गलत शब्द है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह फोकट की राजनीति शब्द असंसदीय क्यों नहीं है। राजनीति में आकर सेवा करते हैं, राजनीति में पैसा थोड़े ही कमाते हैं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सेवा में ही मेवा है।

श्री मोहरसिंह : यह बुरा शब्द है। अरे आप होंगे फोकट के।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्योंकि मेरा समय सीमित है इसलिए अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चकबन्दी के आधार पर आप देखिये कहीं पर किसी की जमीन होगी कहीं पर कितनी जमीन होगी, फिर उसको एक स्थान पर मिलायेंगे और मेरा यह ख्याल है कि सीलिंग कानून अभी बनाने जा रहे हैं यदि इसी गति से सरकार चलती रही तो थोड़े समय बाद सीलिंग कानून में फिर संशोधन करना पड़ेगा। आज जो 18 स्टेंडर्ड एकड़ कर रहे हैं तो फिर दस स्टेंडर्ड एकड़ पर आयेंगे। जमीनों का धीरे 2 विभाजन हो जाएगा और आज जो खेतीहर देश है भारत जो आज कृषि प्रधान देश है, आज जिन लोगों कि आंख लगी हुई है हमारे पर, भारत माता को

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सोने की चिड़िया समझते हैं, यह जो धारणा है, इस प्रकार कम करने से मैं समझता हूं कि यह धारणा निर्मूल हो जायेगी। भारत जो आज बचाखुचा कृषि प्रधान है वह भी नहीं रहेगा। मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि मुआवजे के बारे में भी सरकार ने यह घोषणा की है केरल में जमीनों का 55 परसेंट मुआवजा दिया जाता है। यह कम्युनिस्ट····

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अमेंड कर दिया गया है।

श्री मनोहरलाल : अभी नहीं हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मै चैलेंज करता हूं, अमेंड कर दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान में हम कितना अमाउण्ट देंगे, क्या देंगे, यह सरकार ने घोषणा करी नहीं और टाईम दिया नहीं। कहीं पर कहा गया है 22 गुना देंगे लगान का। मुआवजे की रेट बहुत कम है और भारतीय संविधान में जो 25 वां संशोधन किया गया है उसके अनुसार बाजार की रेट से जो कुछ भी दे देगें, या नहीं देंगे तो भी कानून उसमें कुछ कहेगा नहीं, कहीं, पर अपील करेंगे नहीं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से डिक्टेटरशिप के कानून के अन्दर आज जो मुआवजा दिया जाएगा, उसके लिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह किसान के साथ अन्याय होगा।

इसलिए अन्त में मैं यह आपसे मांग करूंगा कि राजस्थान में स्टेंडर्ड एकड़ में कितनी पैदावार होती है, कितनी बीघा होती है और कितना हमको व्यय करना पड़ता है पैदावार करने में, इन सारी बातों पर विचार करके और राजस्थान का किसान बेकार न हो जाय, सरकार जमीनों का कोई राष्ट्रीयकरण न कर लें, किसानों को कहीं गुलाम न बना लें, किसानों को नौकर न बना लें, ये सारे भय हैं इन सारे भयों पर विचार करना पड़ेगा। मुआवजे के बारे में भली प्रकार से विचार करना है और इस विचार करने लिये मेरा प्रस्ताव है कि सारा का सारा बिल प्रवर समिति के सामने सुपुर्द कर दिया जाय, प्रवर समिति की घोषणा हो जाय और जैसा शिवचरणजी माथुर ने कहा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है, यह हिन्दुस्तान भर की चर्चा का बिल है, दूसरे प्रदेशों में भी जमीनों के सम्बन्ध में अलग अलग कानून लाए हैं, किसी कि जमीन कलकत्ता में है तो किसी की जमीन जयपुर में है, तो इस प्रकार से 18 स्टेंडर्ड एकड़ कर देंगे तो कोई समानता नहीं रहेगी इसलिए समान कानून बनाना चाहिए। अन्य प्रदेशों में कानून बने नहीं हैं। दूसरे प्रदेशों में कानून बनाने पर विचार हो रहा है। इसलिए राजस्थान में आप जल्दी में विधेयक पास न करें। जैसे कल विश्वविद्यालयों के विधेयक पास कर दिए। राजस्थान में जल्दी नहीं करना चाहिये, अन्य प्रान्तों के कानूनों की इन्तजार करनी चाहिए। भारत भर में अन्य प्रान्त किस प्रकार के कानून बनाते हैं उनके सारे नियमों की जानकारी करने और इन सारी बातों पर विचार करने के लिए आप इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री सभापति : श्री भगराज चौधरी !

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, सदन में राजस्थान टिनेन्सी विधेयक, 72 पर विचार विमर्श हो रहा है। इस अवसर पर मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है जिसके सम्बन्ध में मैं यहां पर अपने प्रस्ताव पेश करूंगा।

सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि आज जो सीलिंग कानून प्रभाव में है वह हमने कोई कानून नहीं बनाया था। सन् 1955 में जो विधेयक प्रभाव में था, आज से 18 साल पूर्व पहले बनाया गया था उसके अन्दर ही हमने सीलिंग के सम्बन्ध में कुछ प्रावधानों को जोड़ दिया गया था, जिसके तहत हम यह कह सकते हैं कि आज एक परिवार के पीछे हमने 30 स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन कृषि के लिये छोड़ रखी है।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। जो 30 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि मौजूदा टीनेन्सी एक्ट के तहत दे रखी है, उसमें कमी करने की हमें क्या जरूरत पड़ रही है। इसका क्या औचित्य है? सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जमीन की बात को लेकर वेस्ट बंगाल; केरल, मद्रास, बिहार में कोई असन्तोष पैदा हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जो भूमिहीन, खेतीहर मजदूर थे, उनके पास में जमीनें नहीं थी, इस बात को लेकर उनमें असन्तोष बढ़ा, एक अशान्ति का वातावरण बना और कई प्रकार की घटनाएं हुई। इन बातों को लेकर शायद मेरे ख्याल में हमारी केन्द्रीय सरकार के दिमाग में यह बात आई कि ऐसे कौन से मसले हैं जिससे देश में अशान्ति पैदा होती है। बिहार में समस्या पैदा हुई। भूमिहीन किसान देश में काफी बड़ी संख्या में है और जब तक उनको शान्त नहीं करेंगे देश की आन्तरिक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। बात महत्वपूर्ण है, गम्भीर है। सारे हिन्दुस्तान को नजर में रखते हुए, देश के दूसरे प्रान्तों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान की स्थिति अलग है, विशेष है। हमारे पास में भाग्य से कहिये क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और दुर्भाग्य कहिये कि हमारी आबादी कम है। फिर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रान्त के अन्दर बरसात कम होती है। खेती का सीधा सम्बन्ध जमीन और बरसात से होता है, स्थिरता और अनिश्चितता से होता है। जो खेती करते हैं वे एक अनिश्चितता के वातावरण में बने हुए हैं। हमारे पास में पेरेनियल इर्रीगेशन नहीं है, नदियां नहीं है, नहरे नहीं है और दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हमारे पास में फर्टीलाइज्ड जमीन नहीं है। लाखों बीघा जमीन हमारे पास में केवल धरोहर के रूप में है। कई कई जगह तो ऐसा इलाका है जहां कि साल भर में दो इंच वर्षा भी नहीं होती है। पिछले 15-20 सालों का रिकार्ड आप देख लीजिए, मैं समझता हूं, 25 सालों के अन्दर 15 साल तो ऐसे निकलेंगे राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अन्दर कि वहां के किसी न किसी भाग में अकाल रहता है। इसका क्या कारण है? जिस जमीन के अन्दर, जबकि खेती पूरी तौर से बरसात पर निर्भर करती है और बरसात नहीं होती है तो दूसरे सिंचाई के साधन हमारे पास में नहीं है, तो मैं समझा हूं कि आखिर में जमीन क्यों रख छोड़ी है? कितनी रख छोड़ी है, और उस जमीन का काश्तकार क्या करता है, यह समझ में आने वाली बात

(श्री भगराज चौधरी)

नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों के साथी जो केवल शहरों में रहते हैं उनका खेती से कोई वास्ता नहीं है, वे प्रगतिशील बनने के लिए जमीन की सीमा घटाने के लिये कहते हैं, ऐसी बात करते हैं। पिछले चार पांच सालों में देश में जमीन की बात को लेकर एक अशान्त वातावरण बना है, और यह वातावरण बना है कि जमीन की सीमा दर घटनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों के अन्दर एक परिवार के लिये हमने 30 एकड़ भूमि कृषि के लिये रख छोड़ी है। जब हम राजस्थान की हालत को देखते हैं, भूमि की हालत और आबादी को देखते हैं सिंचाई के साधनों को देखते है इन सब को देखते हुए हम दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह पायेंगे कि कम से कम राजस्थान में सीलिंग की सीमा को घटाने की आज जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को संक्षेप में ही निवेदन करना चाहूंगा, सदन के समय में कमी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की आबादी करीब ढ़ाई करोड़ है............

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्वतंत्र पार्टी का फार्म भरने का इरादा है ?

श्री भगराज चौधरी : मैं प्रगतिशील हूं। मैं अपने काज को जस्टीफाइड करने के लिए यहां पर बात रख रहा हूं। स्वतंत्र पार्टी के खिलाफ सामन्तों के खिलाफ लड़ाई मैंने लड़ी है। दस साल पहले मैंने इस सदन के अन्दर यह मांग की थी कि सीलिंग ला होना चाहिये। यह माननीय सदस्य भी जानते होंगे। हम आज सीलिंग ला को बनाकर बैठ गये हैं परन्तु उसकी क्रियान्वित नहीं हो पायी है। राजाओं से कोई जमीन आज तक नहीं ले पाये हैं। सीलिंग ला को सही ढंग से इम्पलीमेंट नहीं कर पाये हैं आज लाखों एकड़ जमीन भूमिहीनों को एलॉट की गई है वह सही मायने में नहीं किया गया है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, वहां लैन्ड लेस के नाम से कोई भी व्यक्ति जमीन ले सकता है। माफ करिए, जो डेफिनेशन है वह काफी दोष पूर्ण है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यह गलत डेफिनेशन है। आखिर में लैन्ड लेस वह हो जिसका जमीन से सम्बन्ध हो। मुफ्त में जमीन मिलती है, वकालात भी करेंगे, खेती भी करेंगे। एम. एल. ए. भी बन कर आयेंगे, व्यापार भी करेंगे और उनको जमीन भी चाहिए। माफ करिए, काश्तकार खेती करता है, खेती करके, एक धन्धा करके अपना पेट पालता है, उसको नौकरी नहीं देते हैं, वह व्यापार नहीं करता है, उसको आप कोई फैक्ट्री नहीं देते हैं। आज जमीन आप उनको ऐलॉट करते हैं जो नौकरी करता है, व्यापार करता हैं और दूसरा धन्धा करता है, वकालत करता है और कई प्रकार के व्यवसाय करता है,। इस प्रकार इसमें डिसपेरिटी है। इस डिसपेरिटी को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद नहीं आने वाला है, गरीबी नहीं मिटने वाली है और गरीब अमीर का अन्तर नहीं मिटने वाला है। जिस सिद्धान्त का काम है जस्टीफाइड करना चाहता हूं वह यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर, आबादी ढाई करोड़

(श्री भगराज चौधरी)

है और जमीन 3.4 लाख एकड़ है ? इसके मुकाबले दूसरे प्रान्तों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो मैं यह बताना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों को कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 9 करोड़ की है और जमीन 2.9 लाख एकड़ उसका क्षेत्रफल है। याने इसका क्षेत्रफल बहुत कम है। यू. पी. की आबादी हम से चार गुना ज्यादा है। यहां आबादी और क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं तो यू. पी. के पास हम से पांच गुनी पॉपूलेशन ज्यादा है, जमीन को देखते हुए। जमीन को मापदण्ड मानें तो पांच गुना ज्यादा। कहने का मतलब यह है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार दस से अठारह एकड़ जमीन फिक्स करती है तो हम राजस्थान में 50 एकड़ तक सीमा लगा सकते हैं और उसके बाद भी हम यू. पी. के बराबर रहेंगें। अब दूसरे प्रान्त को लीजिए जो कि बहुत अशान्त है और वह है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अन्दर आबादी है साढ़े चार करोड़ और जमीन का क्षेत्रफल है 0.87 और हमारा है 3.4 तो यह निश्चित मानिए, अदरथिंग्स इक्वल, सिंचाई की सुविधाएं बराबर मानें, पहाड़ वगैरह बराबर माने तो भी ज्यादा है। जमीन ज्यादा है और हमारी पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल से कम है। आबादी को देखते हुए यह आठ गुना मेरा कहने का मतलब है कि पांच एकड़ वहां पर मानें तो हम यहां पर 40 एकड़ कर सकते है और तब भी उसके बराबर रहेंगे। रहा सवाल, मद्रास और केरल का। मैं समझता हूं कि मेरे साम्यवादी दल के साथी इन प्रान्तों की आर्थिक स्थिति को देखने में इन्ट्रेस्टेड होंगे। केरल के अन्दर आप देखिए। करीब दो करोड़ की आबादी है और हमारे पास में ढाई करोड़ की आबादी है। करीब करीब बराबर है। जमीन उनके पास में है 0.38 स्क्वायर लाख। इसका मतलब है हमारे से उनके पास में 9 गुना कम है और आबादी हमारे बराबर है। जमीन और आबादी को मिलाते हुए केरल के पास में 7 गुनी कम है। यदि हमारे यहां पर 18 स्टेंन्डर्ड एकड़ को सीलिंग लगाते हैं तो केरल के अन्दर यह ढाई एकड़ सीलिंग लगानी होगी तब जाकर प्रत्येक व्यक्ति को जमीन मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली है। इसी प्रकार दूसरे प्रान्तों के आंकड़े मैंने तैयार किए हैं। इस प्रकार देश के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान के अन्दर चार से लेकर 8 गुना अधिक जमीन है। जमीन के सीलिंग को घटाने के बारे में मैं सैद्धान्तिक तौर से विरोध नहीं करना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति जो खेतीहर मजदूर है, जिसका पैतृक धन्धा खेती है, जिसके बाप दादा पीढ़ियों से खेती करते है। मैं कह सकता हूं कि मैं खेतीहर मजदूर हूं। मैं खेतीहर किसान हूं। अगर मुझे माफ करें यदि रामानन्दजी कहें कि मैं किसान हूं तो वे खेतीहर किसान नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन क्या आप हल चलाते हैं खेती का काम करते हैं ?

श्री भगराज चौधरी : मेरे घर वाले चलाते हैं मेरा भाई चलाता है, मेरे पिता चलाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भाई का सवाल नहीं है।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, मेरा आरग्यूमेंट सीधा और साफ है और उसके नाते मैं भी किसान नहीं हूं। मेरा पेशा खेती करना नहीं है। मैं वकालत का धन्धा करता हूं। मैं किसी भी प्रकार से जमीन पाने का हकदार नहीं हूं। बड़े बड़े व्यापारी भी हकदार नहीं है, दूसरे सरकारी अधिकारी भी नहीं, कर्मचारी भी नहीं है, उद्योगपति भी अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार के लोगों का जमीन से सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। पीछे कुछ लोग रहते हैं जिनका धन्धा खेती है। उन्होंने कोई दूसरा धन्धा नहीं अपनाया है। सिवाय खेती के दूसरा जरिया अपने पेट पालने का उनके पास नहीं है। वे लोग हैं पशु-पालन का काम करने वाले, वे लोग हैं गांव में रहने वाले जो कि सही मायने में किसान हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी हमारे पास में जमीन की विपुलता होते हुए भी सीलिंग की सीमा घटाने की क्या जरूरत पड़ रही है। मुझे माफ करें जिस प्रकार से जागीरदारी का उन्मूलन होने के बाद में जो जो भूमि सुधार कानून बनें उसमें एक कानून भूमि की सीलिंग सम्बन्धी भी था, मगर उसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि जिनके पास में जमीन जायदाद थी वह बेचते गए और वह लोग लेते गए जिनका जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं था। ऐसे लोगों से जमीन लें। इस प्रकार से यह दूसरा भूमि सीमा कानून बनाने जा रहे हैं और इस विधेयक के जरिए यह प्रोवीजन होने जा रहा है कि भूमि सीमा एक फेमिली के लिए 18 एकड़ रहेगी, और साथ में हम यह कर दें कि लैंडलेस को जमीन का एलाटमैंट हम करेंगे तो लैंडलैस का मतलब यह होगा कि सही मायने में जो कृषक होगा और जिसका मुख्य धन्धा खेती होगा, और साथ में एक प्रोवीजन और जोड़ा जाय एडिशन के रूप में कि जिन लोगों के पास में बहुत सी जमीन हैं और खेती वाले लोग नहीं हैं तो उनसे जमीन लेंगे। इस प्रकार का प्रावधान मैं समझता हूं होना चाहिए। जो टेनेन्सी एक्ट आज से दो दिन पहले इस सदन में पास हुआ था उसमें देखने को यह प्रावधान मिला। मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि टेनेन्सी लॉ तो राजस्थान में जो लैंण्ड टेन्योर है उसको रेग्युलेट करने के लिए है और उसकी व्यवस्था करने के लिए होता है कि कौन आदमी खातेदार माना जाता है, किसके पास में जमीन रहेगी, और बहुत ज्यादा इसका संबन्ध सीलिंग कानून से नहीं है। भूमि सीमा घटाने जा रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर करें। इस सिद्धान्त के मैं पक्ष में हूं। 18 एकड़ की लिमिट रख रहे हैं और केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने 18 एकड़ की राय दी है तो उसके साथ में उन्होंने सिंचाई के साधन भी जोड़े हैं। सिंचाई के साधन राजस्थान में, यह मानी हुई बात है कि, बराबर नहीं हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं उनको दृष्टिकोण में रखते हुए सोचना पड़ेगा कि कितनी सीमा रखो जाय। या तो एक्जम्प्ट करना पड़ेगा कि जो जमीन सिंचित नहीं होती है, जहां पर दो फसलें साल में नहीं होती हैं या तो इस प्रकार की जमीनों को सीलिंग के परव्यू से बाहर रखें या उनकी इस प्रकार की जमीन को 18 एकड़ न रख कर मैं समझता हूं उससे ढाई गुना और तीन गुना रखना पड़ेगा।

(श्री भगराज चौधरी)
हम चाहते हैं कि भूमिहीन काश्तकारों को भूमि मिलनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले वाला जो कानून पास हुआ है उसको कहां तक हमने क्रियान्वयन किया है। आज आप देखेगें कि पुराना जो कानून था सीलिंग का जो कि आज प्रभाव में है उसके तहत हमने फेमिली की डेफिनिशन जो बनाई है वह यह है Family includes husband and wife, minor children and widowed mother, dependant on him...इस प्रकार की डेफिनिशन हमने दे रखी है, मगर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की डेफिनिशन जो हमने दी वह होते हुए भी क्या आज उस डेफिनिशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के सीलिंग के मुकद्दमों को फ़ैसल करवा पाये हैं? मैं समझता हूं वह नहीं करवा पाये हैं। बहुत से लोगों ने प्रिसाईडिंग आफिसर से मिलावट करके, मुझे माफ़ करें मुझे नहीं कहना चाहिए, और सरकार ने जो वकील मुकर्रर किये थे उनसे मिलकर गलत फ़ैसले करवा दिये या डेफिनिशन्स और रूल्स को वायड करवा दिये वाइफ के नाम से अलग फैमिली मुकर्रर कर दी, बेटे के नाम से अलग करली, बहू के नाम से अलग फैमिली मुकर्रर कर दी, और खुद के नाम से कर ली। कहने का मतलब यह है कि जो भी दांव लगा वह दांव काम में लेकर उन्होंने यह किया है। पुराना जो कानून बना हुआ है उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडेवाइजरी 'कमेटी क्यों नहीं मुकर्रर कर रहे हैं और उस एडवाइजरी कमेटी को वह पावर्स क्यों नहीं देते हैं? मैं खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वकील होने के नाते मेरे पास में ऐसे केसेज में सीलिंग के और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5-10 पर्सेन्ट ऐसे फैसले हुए हैं जिनमें अभी तक अपीलें नहीं हुई हैं और न अब अपील होने वाली है। बिल्कुल ही गलत फैसले हुए हैं। इस तरह के केसेज से हर डिस्ट्रिक्ट में 5, 10 हजार बीघा जमीन मिलने वाली है। तो सरकार को इस प्रकार के केसेज़ को रिचेक कराना चाहिए। उनकी अपील नहीं हुई है और न अपील होने वाली है। उनके चैकिंग से जमीन मिल सकती है उस जमीन को अपने हाथ में लें। जो भी एलाटमेंट आज तक हुए हैं उनको कलेक्टर के भरोसे पर और अपील होने के भरोसे पर न छोड़े जाएं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनानी चाहिए जिसमें कलेक्टर भी हो और विधान सभा के सदस्य भी हों और जो जिम्मेदार आदमी बैठकर सारे जिले में जो एलाटमेंट हुए हैं उनको चैक करें और जहां भी एलॉटमेंट गलत हुए हों उनको उसी वक्त खारिज कर दें। यदि यह कर देगें तो हर जिले में 4-5 हजार एकड़ जमीन और मिल जायेगी केसेज का रिचैकिंग करवायेंगे तो उन केसेज के अन्दर 15-16 हजार प्रत्येक जिले में जमीन मिलने वाली है। जहां तक बाड़मेर जिले का सवाल है सीलिंग काफी ऊंचा है। इस तरह के केसेज वहां पर कम होने चाहिये।

उस कमेटी में कौन कौन होने चाहिए? ग्रामीण स्तर पर भी कमेटी होनी चाहिए ऐसा कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, लेकिन मेरी इससे अलग राय है। अगर आपकी सीलिंग के संबन्ध की कमेटी होती

(श्री भगराज चौधरी)
तो उसमें किस ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इसको देखने के लिए इसके अन्दर ऐसे जानकार आदमी होने चाहिएं जो इस बारे में सारी जानकारी रखते हों और वह यह देख सकें कि यह एलॉटमेंट ठीक हुआ है कि नहीं, किसी की रजिस्ट्री होने की बात थी तो वह हुई कि नहीं, कितना वेल्युएशन ऑफ प्रॉपर्टी का होगा यह सारे कानूनी मुद्दे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री हुई कि नहीं, इस तरह की बातों की जानकारी रखने वाला हो। विधायक उसमें जा सकते हैं, एक दो वकील भी हो सकते हैं, कलेक्टर भी हो सकता है। वह कमेटी का सुपरवाइजरी कमेटी का रूप हो और वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। हर जिले में 400-500 केसेज होंगे उनका दुबारा चैकिंग कराया जाय तो उससे भी कुछ जमीन निकल सकती है।

राजा महाराजाओं के पास में लाखों बीघा जमीन है। जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा के पास साढ़े तीन लाख बीघा जमीन है। स्वतन्त्र पार्टी की अध्यक्षा महारानी गायत्री देवी के पास में आज 4 लाख बीघा जमीन है। इस प्रकार से भूतपूर्व राजा महाराजा जो राजस्थान में हैं 26 या 22 उनके पास में कुल मिलाकर 40-50 लाख बीघा जमीन है। जो उनसे मिल सकती है।

कुछ भूमिहीन कहे जाने वाले काश्तकारों को गलत एलॉटमेंट हुआ है वह जमीन उनसे मिल सकती है। कुछ पुराने सिलिंग के कानून को इम्प्लीमेंट कराकर 50-60 हजार बीघा जमीन ले सकते हैं। कुल जमीन यह हो जायेगी 2-3 लाख बीघा और 4-5 लाख बीघा जमीन मिल जायेगी उनसे। यह मैं टेन्टेटिव फीगर्स दे रहा हूं। सही आंकड़े नहीं हैं। जालौर को बेस मानकर दे रहा हूं। जहां तक राजा-महाराजाओं का सवाल है यह फीगर्स मैंने सही दिये हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजा महाराजा के फीगर्स का क्या आधार है?

श्री भगराज चौधरी : गवर्नमेंट ने फीगर्स जगह जगह दिये हैं और इन बातों को पब्लिश भी किया है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी जमीन आ जायेगी और उसका एलॉटमेंट कराने के लिए कितने भूमिहीन काश्तकार हैं बदली हुई परिस्थितियों के अन्दर। प्रत्येक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वह काश्तकार है। शॉप कीपर आज नहीं कह सकता है कि वह भूमिहीन काश्तकार है। कोई क्लास वाला नहीं कह सकता है कि वह भूमिहीन काश्तकार है, मेरा वकालत का प्रोफेशन है तो मैं नहीं कह सकता कि मैं काश्तकार हूं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जमीन का चाहते हैं। जमीन उसको मिलनी चाहिए जिसका वाकई में पेट पालने का जरिया खेती हो और जिसका काम धन्धा भी वही हो। जिस प्रकार से जो जमीन मैंने बताई वह जमीन सरकार के पास में आ जायगी। इस प्रकार से जमीन एवेलेबल होगी तो एलॉटमेंट हम कर देंगे।

और यह देंगे तो मेरी मान्यता है कि ऐसी कोई फेमिली नहीं मिलेगी जिसको 15-20 और 25 बीघा जमीन नहीं दे सकेंगे। जालौर जिले में ऐसे गांव हैं,

Page No. 119

(श्री भगराज चौधरी)

जहां 5, 10, 15 फैमिली आदिवासी है। हरिजन है। उनके पास में भूमि नहीं है। उसका कारण यह है कि जागीरदारी प्रथा के समय वह सेवा में रहते थे। उस समय उनको सेवा का काइन्ड मिलता था। जिस समय यह हुआ तो वह वफादारी में रह गये। इस तरह से उनको कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसे भी हैं जिनको मिला भी है। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अनाप शनाप जमीन है। हमारे सामने जैसे कि वेस्ट बंगाल है, केरला है, उसकी तरह से मानकर चलते हैं तो हमारे यहां काश्तकार भी नहीं हैं। हमारे यहां जैसे लुहार है। उनके पास धन्धा रहता है। वह भूमिहीनों में नहीं आते हैं। लेकिन हमने उनको माना है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनका धन्धा भूमि से सम्बन्धित है। इस कारण हमें पहले वाले कानून के बारे में सोचना है। ऐसे लोगों के पास जिनके पास बांटने के लिए जमीन है, तो आप शौक से दे दीजिये। लेकिन जो पहले वाला सीलिंग कानून था, उस का क्या हुआ है?

सभापति महोदय, पहले वाले कानून के चेप्टर 5 बी और चेप्टर 3 बी' 'बी' के नाम से राजस्थान टीनेन्सी अमेण्डमेन्ट बिल (2) नया जोड़ा गया। फिर उसका नाम राजस्थान टीनेन्सी संशोधन अधिनियम 72 हो गया। यानी सीलिंग कानून के बारे में सीलिंग प्रावधान के बारे में दो प्रकार के एक्ट होंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी है। क्यों नहीं पहले वाले को अमेण्डमेन्ट करवा लेते हैं। यह अलग अलग होने के कारण न तो कानून जानने वालों के समझ में आते हैं और न किसी को सुविधा मिलती है। आखिर उसके बाद में विचार कर लेते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि 1960 में लाये थे ट्रान्सफर और बेचान वह वैसे ही मान लिये। 31 दिसम्बर, 1971 तक मान लिये हैं। उसमें संशोधन कर लिया। कहने का मतलब यह है कि 30 अप्रेल 1970 और इसमें 1 जनवरी, 1971 ला रहे हैं। यानी एक साल आठ महीने का समय बीच में रह गया।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यह आज तक जो पुराना कानून है, उसको इल्लीगल मान रखा है लेकिन इस कानून के जरिये से उसको लीगलाइज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार यह नहीं चाहती है कि सीलींग कानून लागू हो। आप इससे पहले वाले कानून से ट्रान्सफर बन्द कर रखा है ताकि एक साल आठ महीने में जो ट्रान्सफर हुये हैं, उनको इल्लीगल डिक्लेयर कर रखा है। मतलब यह है कि यह एक कानूनी प्रश्न है। इसलिए लागू करना है तो उसी समय से लागू करना है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह तारीख क्या है।

श्री भगराज चौधरी : 31 अप्रेल, 1970 है।

आखिर हमारा ध्येय जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मैं समझता हूं कि

(श्री मगराज चौधरी)

जो ऐसे काश्तकार हैं, जो कि शामिल रहते आरहे हैं। 40-50 व्यक्ति तक एक संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। आपने ऐसी फेमिली 5 की मानी है या 8 मेम्बर तक ही माने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ...

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

हम ज्वाइण्ट सिस्टम को मानते नहीं हैं। जो पहले वाले को याद करके रह रहे हैं। उनकी काफी संख्या होगी। आप आठ के बजाय 15 का करके फायदा दीजिये। 15 मेम्बर तक फायदा देते रहना चाहिये। ये मुख्य मुख्य बातें आपसे मैंने निवेदन की हैं। कुछ बातें मैं और निवेदन करूंगा। इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इसका स्पेसिफिक ढंग से मिसयूज होता है। इसलिए जो बनने वाला कानून है, मैं समझता हूं कि इसके लिए रूल्स को अमेण्ड करना होगा। दूसरी सवाल यह है कि एग्जम्पशन क्यों किया है। पहले वाले में बड़े बड़े एग्जम्पशन Exemptions in favour of persons holding mechanised farms, exemptions in favour of co-operative farms, etc. etc,

इसको हमने डिलीट कर दिया।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस नये बिल में को-ऑपरेटिव सिस्टम एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग को दे रहे हैं। माफ करें, ऐसा कौनसा को-ऑपरेटिव सिस्टम है जो चालू हैं जिनकी चैकिंग हो रही हैं।

(4.08 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जालौर का प्रश्न है, जालौर के बारे में मेरी जानकारी है, मुझे आश्चर्य है दो कृषि सहकारी समितियां हैं, जिनके पास चार सौ बीघा जमीन है, लेकिन कौन मेम्बर हैं, यह केवल कागजों में बताया है, मेम्बर्स को ही पता नहीं है कि मैं किस समिति का सदस्य हूं। हम रजिस्ट्रार से पूछते हैं, क्या इस प्रकार की सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, तो वह कहते हैं कि वह सोसाइटी लिक्वीडेट कर दी गई है। सोसाइटी लिक्वीडेट कर देते हैं लेकिन उसकी जमीन पड़ी है उस पर सोसाइटी द्वारा खेती नहीं हो रही है, उस पर खेती एक व्यक्ति कर रहा है और एक ही व्यक्ति उसका फायदा उठा रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तरह की सोसाइटी से सम्बन्धित मामलों का फैसला हो जाता है, उसका एस. डी. ओ. और उससे सम्बन्धित अधिकारी फायदा उठाते हैं। जब उनके पास कागज जाते हैं और सम्बधित कागजात को देख कर जो सोसाइटी में व्यक्ति था उसको बुलाते हैं और वह कह देता है कि अब जमीन मेरे पास नहीं है, मैंने सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया है। तो वह उस जमीन का फायदा उठा लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले से एक्जेम्पशन्स नहीं देने चाहिए। जो भी सोसाइटी हैं जिन्हें आप एक्जेम्पशन देना चाहते हैं, वह एक्जेम्पशन देने से पहले आप जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनसे ले लें और उसके बाद में एक्जेम्पशन दें। पहले से एक्जेम्पशन देंगे तो मेरे ख्याल में जो इस सीलिंग के पीछे

(श्री भगराज चौधरी)

मन्शा है, उस मन्शा को पूरा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की जो इस बिल में खामियां हैं, इन सब पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति को भेजना चाहिए ताकि कुछ अर्से तक वह समिति बैठ कर इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर सके और वह जो निर्णय ले उन निर्णयों के आधार पर संशोधित रूप में इस सदन में बिल पेश हो। मैं सैद्धान्तिक रूप से मानता हूं कि इस सदन में सलेक्ट कमेटी से अमेंडेड रूप में यह विधेयक आना चाहिए। इतना निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में इसको प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव दिया है, जो तीन दिन के अन्दर अन्दर इस पर प्रतिवेदन इस सदन में पेश करे और वह विधेयक इसी सत्र के अन्दर इस सदन द्वारा पास कर दिया जाय। इस दृष्टिकोण से मैंने अपना प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व छः माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोल चुके हैं। अभी जो दो माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोले हैं—एक जनसंघ के माननीय गिरधारीलाल जी, और दूसरे कांग्रेस की ओर से माननीय भगराज चौधरी। उनकी भाषा, उनका दृष्टिकोण-च है उन्होंने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए बेशक कहा हो, मूलतः उनका प्रस्ताव इस विधेयक का विरोध करने का है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा भी। जनसंघ के माननीय सदस्य की बात तो मेरी समझ में आ सकती है। उन्होंने बहुत खुले शब्दों में कहा कि यह विधेयक लोगों में, किसानों में जमीन बांटने का नहीं है बल्कि गरीबी बांटने का है। उन्होंने वकालत भी की, यह अठारह स्टेन्डर्ड एकड़ की बात तो एक मजाक की बात है, उस बात को वह चबा गये क्योंकि वह भागलपुर का रिजोल्यूशन अभी पास करके आये हैं, उन्होंने जो अन्दाज लगाया कि तीस स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से तीन सौ रुपये प्रति मास एक परिवार की आमदनी बनती है। जिस समय 1963 में यह आंका गया था—यह सही है कि इसका आधार यह है, जनसंघ के भागलपुर के रिजोल्यूशन के अनुसार जमीन की सीलिंग 1500 रुपये माहवार की आमदनी के आधार पर तय की जानी चाहिए और इस हिसाब से तीन सौ का पन्द्रह सौ यानि पांच गुना, तो तीस स्टेन्डर्ड एकड़ के बजाय एक सौ पचास स्टेन्डर्ड एकड़ राजस्थान के अन्दर सीलिंग मुकर्रर होनी चाहिए। यह जनसंघ के भागलपुर के रिजोल्यूशन के अनुसार होता है। और मुआवजा कम है, इसे ज्यादा बढ़ा कर देना चाहिए इस बात को भी उन्होंने खुल कर कहा और इसलिए जो बात हम कई बार इधर बैठने वाले माननीय सदस्य कई बार कहते हैं कि जनसंघ के माननीय सदस्य ने अब चुनाव के बाद यह सबक कुछ सीखा है कि कोई भी मजदूरों का सवाल आये तो पहले बोलें, किसानों का सवाल आये तो पहले बोलें, पूंजीपतियों का सवाल आये तो पहले बोलें और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जरूरत पड़े तो वाक आउट कर दें, सी. आई. ए. का सवाल आये तो वाक आउट कर दें। तो मैंने कहा था, यह बनावटी बात ज्यादा दिन चलेगी नहीं, असली चेहरा सामने आकर रहेगा। वास्तव में जनसंघ निहित स्वार्थों की रक्षा करने वाली संस्था है और आज खुले तौर पर जनसंघ के माननीय सदस्यों ने उस बात पर से पर्दा हटा दिया। उनके वाक आउट होने से किसी का बनता बिगड़ता नहीं है। सी. आई. ए. की मदद के बारे में साफ हो गया है, उन्हें मदद दे दी जाय, चुनाव में जो ठीक, और को दे दें तो वाक आउट हो जायेगा। इस कानून के बनते फौरन असर होगा, उस असर का नतीजा उन तमाम फीलिंग पर, उन तमाम आधारों पर पड़ेगा जिन आधार पर जनसंघ टिका हुआ है। मैं समझता हूं उन्होंने प्रवर समिति की बात तो केवल इसलिए कही ताकि संसदीय तरीके से तालमेल हो सके और कुछ बातों को छिपाया जा सके। इस रूप से तालमेल किया, वरना इस सारे सदन के जो छः माननीय सदस्य बोले हैं उनमें से एक माननीय सदस्य ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि मुआवजा बहुत कम है और सीलिंग ज्यादा कम है और उसको पांच गुना भागलपुर रिजोल्यूशन के अनुसार डेढ़ सौ एकड़, स्टेण्डर्ड एकड़ पर ले जाना चाहते थे। जनसंघ की बात तो हम समझते लेकिन माननीय भगराज जी ने जो दलील दी और उनकी तरफ से जो विचार व्यक्त किये गये, विशेष तौर से व्यक्तिगत भगराज जी की ओर से, उससे मुझे अवश्य आश्चर्य हुआ यद्यपि वैसे आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि कांग्रेस दल में कई मानोलैथिक है, एक इन्ट्रेस्ट नहीं, यह दल भी दो कॉन्ट्रेडिक्ट्री इन्ट्रेस्ट की संस्था है, उसका आज देश के सामने बहुत स्पष्ट रूप है कि कांग्रेस में एक लेंडलार्ड्स की कुनक लाबी है, जो हर तरह का प्रयत्न कर रही है लेंड लार्ड्स के इन्ट्रेस्ट को बचाने का, दूसरी कांग्रेस में लाबी है, जो वास्तव में सोशलिज्म की तरफ अण्डर डोग है, उसकी तरफ संघर्ष कर रही है और संघर्ष लगातार जारी है। यह कन्ट्राडिक्शन कांग्रेस के अन्दर है, माननीय भगराज जी ने एक विचारधारा को व्यक्त किया, जो मैं समझता हूं, माननीय शंकरलाल जी, माननीय शिवचरण माथुर, और कांग्रेस जनों की विचारधारा से भिन्न थी ....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सही काश्तकार के परिवार से आते हैं, दूसरे नहीं आते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी भाषा का पूर्वाभास मिल गया, यह ठीक है.......

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं जवाब दूंगा।

श्री भगराज चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, अठारह एकड़ की बात मैंने स्वीकार की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह मानता हूं।

श्री भगराज चौधरी : I don't oppose it in principle. I challenged this Bill rather I

(श्री भगराज चौधरी)

suggested that whether the Govt. should go for ceiling or not at this stage especially in Rajasthan in view of the availability of land availability of irrigation resources and in view of the population. I don't mean to say that I am against the ceiling. My Friend Hon'ble Shri Ramanand knows that I am an Extremist in the party and I am proud of that.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह तो जानता हूं, माननीय भगराज एक डिसीप्लीन के रूप में पार्टी का जो डिसीजन होगा उसको मानेंगे लेकिन डिसीप्लीन मानना दूसरी बात है। और अन्तरिमा की बात दूसरी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मिनिट के लिए मैं अर्ज कर दूं। आपको मालूम नहीं है भगराज जी की कम्युनिटी जो है वह काश्तकार कम्युनिटी राजस्थान में, क्या देश में नहीं है, तीन लाख की उनकी मारवाड़ में जनसंख्या है। हाथ से एक एक बच्चा काम करने वाला है। मेहनती है, एक साधारण को आप कुलक कहते हैं, साधारण काश्तकार, अपनी कौम में पहले पढ़े हुए व्यक्ति हैं, इनकी कौम में सबसे बड़ा अधिकारी एक रेवेन्यू इन्सपेक्टर हैं और अभी एक छोकरे को छः साल में नौकरी मिली है। इनका व्यू पॉइन्ट है उसको आसानी से मत लीजिये। मैं बोलूंगा तब जवाब दूंगा। कमाऊ परिवार में से नहीं है और समाजवाद में भी आस्था कम नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं नहीं जानता हूं कि इनकी घरेलू स्थिति क्या है...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप समझदार व्यक्ति हैं और ऐसी बात कहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो विचार इन्होंने व्यक्त किये हैं उनके बारे में मैंने अपना दृष्टिकोण रखा है। यह जरूरी नहीं है। बहुत गरीब परिवार के होते हुए भी विचार दूसरे रखते हों। स्वतंत्र पार्टी में मैं नहीं मानता कि सारे राजा-महाराजा लोग ही बैठे हैं। आदिवासी हरिजन भी उन लोगों में आते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : कम्युनिस्टों में भी आप जैसों के पास लाखों रुपयों की प्रापर्टी है। फर्क यह है कि आपकी बात समझ में नहीं आती, आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको राजस्थान में एक ही लखपति नजर आया।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपके पास कई मुरब्बा जमीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारा राजस्थान ऐसा प्रांत है जिसके पास क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और जनसंख्या हमारी बहुत छोटी है, इसलिए हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा है। आपने उदाहरण यू. पी. और केरल के दिए। मैं माननीय सदस्य के इस दलील के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न यह है कि जमीन तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है लेकिन वह जमीन किन लोगों के पास है और कहां होनी चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बारे में राज्य सरकार लैंड होल्डिंग्स का पूरा आंकड़ा अप्टुडेट तो नहीं रखती लेकिन जो भी ऑथेंटिक आंकड़े हमारे पास हैं एक तो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में ही दिए हुए हैं जो राज्य सरकार ने बनाई थी और उसकी रिपोर्ट 1958 की है। इसके पेज 48 में एपेन्डिक्स एम है। इसमें बताया गया है कि 10 एकड़ से कम वाले किसान हमारे यहां 17,85,855 हैं, उनके पास 63,51,481 एकड़ जमीन है। कुल टोटल किसानों की संख्या 34,01,259 है। और कुल एरिया कल्चरेबुल 2,03,78,612 एकड़ है। तो आप देखेंगे कि 50 प्रतिशत याने 34 लाख में से आधे लोग 17 लाख 84 हजार हैं उनके पास 30 प्रतिशत जमीन है। 2 करोड़ 30 लाख में से केवल 63 लाख करीब 30 प्रतिशत से कुछ कम आते हैं। 51 प्रतिशत लोगों के पास 30 प्रतिशत से भी कम जमीन और 49 प्रतिशत लोगों के पास 70 प्रतिशत जमीन है। यह कुल हमारे यहां पर जमीन बटी हुई है और आगे जायं तो यह मेरे पास नेशनल सैम्पुल सर्वे की रिपोर्ट है जो कि 1959-60 की है, इससे भी अप्टुडेट है। इसका कहना है कि लैंड रिफार्म्स के बाद जो एक तो इन्होंने सर्वे किया 1953–54 में, दूसरा सर्वे किया 1959–60 में। तो 1959–60 वाले सर्वे में आप देखेंगे कि हम दूसरी पंच वर्षीय योजना के दौर में थे। पहली योजना खत्म हो गई थी और लैंड रेफार्म्स के बड़े मुद्दे स्टेचूटरी जो भी इन्टरमोजियरी थे उनको खत्म कर चुके थे देश भर में, उसके बावजूद जो सैकेंड राउण्ड में सामने फिगर्स आई हैं कि कन्सनट्रेशन ऑफ लैंड कुछ लोगों में पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई और जो कम भूमि वाले या भूमिहीन लोग थे उनकी संख्या उल्टे ज्यादा बढ़ गई। 1959–60 में पोजीशन उल्टी वर्स हुई है और उसमें राजस्थान की क्या स्थिति थी वह माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं····

ऐसे परिवार जिनके पास जमीन नहीं थी 11.84 प्रतिशत थे,

ऐसे परिवार जिनके पास आधा एकड़ या उससे कम 14 प्रतिशत,

ऐसे परिवार जिनके पास एक एकड़ से कम 15.56 प्रतिशत,

और इस तरीके से 5 एकड़ तक वाले किसान हाउसहोल्ड 43.47 प्रतिशत थे। 5 एकड़ या उससे कम वाले इनके पास कुल 6.68 प्रतिशत जमीन थी, 43.47 प्रतिशत लोगों के पास केवल 6.89 प्रतिशत जमीन याने राजस्थान के आधे लोगों के पास केवल 7 प्रतिशत जमीन और आधे लोगों के पास 93 प्रतिशत जमीन। तो इस तरीके से उस जमीन का बटवारा करके इन आधे लोगों को देखेंगे जिनमें 93 प्रतिशत है उसमें भी एक बहुत अच्छा आंकड़ा है जिनके पास बहुत बड़ी संख्या है 93 प्रतिशत में से और थोड़ी मात्रा में जो इन्टरमीजियरीज हैं उनके पास भी बहुत थोड़ी संख्या है। आपने एक माइने में दलील दी जब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
आपने कहा राजाओं के पास इतने लाखों की जमीन है। कितने राजा ? 22 राजाओं के पास 26 लाख बीघा जमीन आपने बताई। इस तरीके से इन आंकड़ों को देखें। ऐसे लोग जिनके पास एक हजार एकड़ से ज्यादा है वे 562 हैं, उनके पास 10,82,316 एकड़ जमीन है। इस तरह से 29 हजार लोगों के पास 55,80,928 बीघा जमीन जो कि आप देखेंगे बहुत छोटो परसेंटेज के साथ में जमीन का बहुत बड़ा भाग कन्सनट्रेटेड है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में जमीन के क्षेत्रफल को देखते हुए और जन संख्या को देखते हुए और भूमि का बंटवारा ईविन या बहुत बड़ी डिस्पैरिटीज के साथ नहीं होता तो माननीय सदस्य की दलील में वजन होता। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भ्रम में है जैसे कि सारे देश में हमारा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल इन्कम बढी है, इससे कोई दूसरा देश अंदाजा लगाए कि हमारी जनता तरक्की कर गई, तो वह रॉग कन्कलूजन होगा। हम जब पर कैपिटा इन्कम को देखेंगे और डिफरेन्ट सेक्शन्स को देखेंगे तो इसी दौरान 25 वर्षों में जहां हमारा जी. एन. पी. बढ़ा है वहां डिस्पैरिटीज भी बढ़ी हैं, गरीबों की संख्या बढ़ी है, उनकी पर कैपिटा इन्कम कम है और कुछ सेक्शन्स मोनोपोलिस्ट्स 75 हाउसेज हैं उनकी इन्कम ज्यादा बढ़ गई। तो इस रूप में अगर राजस्थान में यह जमीन है, यह कन्सनट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में है। इसलिए ही सीलिंग आवश्यक है, इसलिए ही हमारे राज्य में जो इतनी बड़ी जनसंख्या करीब 78 प्रतिशत आज देहातों में रहती है, खेती पर निर्भर करती है, किसी न किसी रूप में उन लोगों को ज़मीन पर बसाना है, उनको इकॉनामिक होल्डिंग देनी है और उनको रोजगार देना है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय मैंने तो अभी बोलना शुरू किया है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं आपको 20 मिनिट हो गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको ज्यादा समय दें। क्योंकि मैंने जो, मेरे समय का उपयोग नहीं किया है वह आप इन्हें दे दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जनसंघ वाले देहातों में जो भाषण देते हैं उसमें यह अक्सर देखा गया है कि वो इस प्रकार की हवा बना रहे हैं कि किसान के पास से सभी जमीन ले ली जायेगी। क्योंकि सीलिंग कानून आने वाला है और उसमें ऐसा प्रावधान रखा जायेगा कि उसमें छोटे छोटे काश्तकारों की जमीन भी सीलिंग में आ जायेगी। इस प्रकार आज जनसंघ वाले गावों में किसानों के खिलाफ हवा बना रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि देहात में हमें सन् 1972 में वापिस यह आरग्यूमेंन्ट देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं देर आये दुरुस्त आये। आज देहातों में मेजोरिटी ऐसे किसानों की है जिन्हें जमीन की सख्त जरूरत है। आज देहातों में उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड हंगर बहुत है। आज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है कि उन्हें सीलिंग द्वारा जमीन लेकर जल्दी से जल्दी दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल की जो कुमारप्पा कमेटी थी उसने यह रिपोर्ट दी कि सीलिंग लागू किया जाये। हमारे फर्स्ट प्लान और सैकेण्ड प्लान और थर्ड प्लान में उस कमेटी की रिपोर्ट लागू की जायेगी। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के कानून लागू होने से राजस्थान सरकार के आंकड़े जो कि मेरे पास हैं 30-4-71 के उनके हिसाब से मैं आपसे निवेदन करूं कि सारे राजस्थान में 34 लाख किसान हैं। और उसमें से 33,510 किसान ऐसे हैं जिन पर सीलिंग कानून लागू होगा तो जिन पर यह सीलिंग लागू होगा वह है उन किसानों के लिए जिनके पास 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि से ज्यादा है। उस 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से 1 परसेंट पहले के हिसाब से होगा और जिन लोगों के पास यह जमीन आयेगी वह जमीन होगी 16,50,628 एकड़ जमीन। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ....

एक माननीय सदस्य : ये आंकड़े आप कहां से बोल रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये आंकड़े गवर्नमेन्ट ने हमें सप्लाई किये थे जबकि गंगानगर आन्दोलन हुआ था। उस वक्त सरकार ने सप्लाई किये थे। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि यह तो 30 स्टेण्डर्ड एकड़ के हिसाब से हुआ ? लेकिन कुछ लोग जैसे माननीय सदस्य श्री भगराज जी चौधरी उन एक परसेन्ट लोगों का भला चाहते हैं पर उन 99 परसेन्ट लोगों को जो लाभ हो सकता है उनका फायदा नहीं चाहते। अब अगर हम 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि से घटाकर अगर 18 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि करते हैं, तो 18 एकड़ के हिसाब से सीलिंग के अन्तर्गत 10 परसेन्ट या 15 परसेन्ट लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। तो आपको उन 33 हजार में से 4 लाख एकड़ भूमि और मिल जाएगी। तो उस हिसाब से 10 परसेन्ट लोगों पर असर विपरित पड़ सकता है और उसके बदले 90 परसेन्ट लोगों को इससे फायदा होगा। तो यह गम्भीरता से विचार करने की बात है। आज राजस्थान में मेजोरिटी ऑफ पॉपूलेशन खेती पर निर्भर करती है उसे इससे फायदा होगा। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्कीम जो बिल की आपने पेश की है उससे तो मैं सहमत हूं लेकिन आपने जो कानून बनाया है उसमें डिफेक्ट है। आपने जो एक्ट के अन्दर सेक्शन 3 बी को कायम रखा है और चेप्टर 3 (बी) (बी) और जोड़ने का प्रावधान इस बिल में रखा है। और उसमें सेक्शन 30 (सी) भी रहेगा तो जो आपने पहले 30 स्टेण्डर्ड एकड़ सीलिंग भूमि 1-1-72 के पहले वाले लोगों पर लागू होगा और 1-1-72 के बाद में आपने 18 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि सीलिंग के लिए रखी है। तो इससे कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों के पास 1-1-72 के पहले से है उन पर तो 30 स्टेण्डर्ड एकड़ तक भूमि रहेगी और 1-1-72 के बाद वाले लोगों के पास 18 एकड़ भूमि रहेगी। तो इसके लिए मैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समझता हूं कि क्यों न सेक्शन 30 (सी) को रिपील किया जाये। इसके अलावा मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके 17वां कॉन्स्टीट्यूशनल एमेन्डमैंट बिल है उसमें आपने लोगों को प्रोटेक्टेड कर रखा है। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि और इस प्रकार की कानूनी खामियां रह जाने से उस पर अटैक होगा और फिर हमें 30 (सी) को वापिस लेना पड़ेगा। नहीं तो सब अल्ट्रा-वायर्स होगा लोग कोर्ट में जायेंगे। तो यह प्रश्न गम्भीरता से सोचने का है। तो मेरा निवेदन है कि आपकी दिक्कत क्या है? आप इसके बारे में ग्राह वास क्यों नहीं कर लेते हैं। आप 18 एकड़ ही क्यों नहीं सभी के लिए लागू करते हैं और इस 30 (सी) को रिपील कर दीजिए। अब तो 25वां कॉन्स्टीट्यूशन एमेन्डमैंट बिल पास हो गया है। इसके बाद में भी आर्टिकल 39 उनको प्रोटेक्शन दे सकता है। एक तरफ आप यह दृष्टिकोण रखते हैं दूसरी तरफ आप उन्हें प्रोटेक्शन देते है। ये स्थिति आपने बना रखी है। तो इस प्रकार के प्रोविजन्स आप रखते ही क्यों हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ट्रेजरी बेन्चेज के मेम्बर्स पर इस प्रकार से लान्छन लगा रहे हैं, यह कहां तक उचित है। मेरा निवेदन है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय को भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री यशवंतसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अटैक है और आप कह रहे हैं कि स्थान ग्रहण करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। ट्रेजरी बेन्चेज के सदस्य अपना जवाब देंगे तब स्थिति स्पष्ट कर देंगे। उनको भी मौका मिलेगा।

श्री यशवंतसिंह नाहर : He can be challenged at any time.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Let me finish.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा ना कि ट्रेजरी बेन्चेज को मौका मिलेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा ना कि आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो नाहर साहब ने एक लीगल पॉइन्ट उठाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य ने एक लीगल पॉइन्ट उठाया है मैं निवेदन करदूं कि...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : When there is an attack on the party....

श्री रामानन्द अग्रवाल : Don't be too sensitive, about the criticism of your Government.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !

श्री रामानन्द अग्रवाल : You have a right to reply and you can reply when you get an opportunity.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब जल्दी ही समाप्त कर दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं । बिल पर शुरू किया है । 15 मिनिट में समाप्त करूंगा ।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कि ये सारी कन्ट्रोवर्सीज देश में चल रही हैं प्राइवेट सोर्सेज और गवर्नमेंट सोर्सेज । इस बिल में बावजूद सेन्ट्रल डाइरेक्शन के प्राइवेट रिसोर्सेज इर्रीगेशन के थे उनको अलग रखा गया है उनको बारानी जमीन के बराबर रखा गया है यह बिलकुल फ्लाउटिंग दी clearly flouting the directions of the Central Planning commission ...... है जो कि नहीं करना चाहिये ।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो दिया जा रहा है वह 1-1-72 से दिया गया है । जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि बिल में 30-सी में अन्दर अमेन्डमेन्ट कर देते तो 30 के बजाय 18 एकड़ हो जाती । ट्रान्सफर्स हुए उनको इनवेलिड करने की बात थी । तो इस बारे में भी मैं समझता हूं कि राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं । 60 के बिल में जो आया था वह बिलकुल साफ था कि नाइन्थ दिसम्बर, 60 को जो भी ट्रान्सफर्स हुए हैं वह इल्लीगल हैं । सन् 70 में 30-वी जोड़ कर इनवेलिड ट्रान्सफर्स को लीगेलाइज कर दिया इसलिये 30-वी को समाप्त करके उस रूप में लाना चाहिये । सेन्ट्रल द्वारा जो इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये हैं मंत्री महोदय ने उनको नहीं माना । सारे देश में इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये हैं । 26 सितम्बर, 70 को कम से कम इस बात को तो माना

I am telling about the Bill.

अब उस बात को न मानकर तीसरी बात एग्जम्प्शन के बारे में क्लीयरली कहा है कि उसमें एग्जम्प्शन चाहें तो हटायें, प्लान्टेशन की बात कही है, रिलिजियस इन्स्टीट्यूशन्स की बात कही है एक्जम्प्शन्स नहीं रहने चाहिये लेकिन एन्यूटी देनी चाहिये । प्राइवेट सोर्स हो, रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने की या एग्जम्प्शन देने की बात हो ये जो प्रोबलेम्स हैं इन तीनों में इस बिल में क्लीयरली फ्लाउट किया गया है । बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर सोचा, मैं नहीं कहता कि आप कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो के प्रति लॉयल हो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपनी पार्टी का जो मैनीफेस्टो है, आपके हाई कमान के जो डाइरेक्शन्स हैं, इन्द्रा गांधीजी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
के जो डाइरेक्शन्स हैं, पार्टी के जो डिसिजन्स हैं उनके प्रति तो लॉयल हों। एक लॉबी ऐसी बन जाय कि तमाम प्रोग्रेसिव मेजर्स को, तमाम डाइरेक्शन्स को फ्लाउट करके चलें तो कांग्रेस दल को सीरियसली इस बात पर सोचने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इम्पलीमेन्टेशन की बात है वह पूर्ण महत्वपूर्ण है और माननीय शिवचरण जी ने जो बात कही है मैं उससे शत प्रतिशत सहमत हूं।

अन्त में एक बात निवेदन करना चाहूंगा, कि एक बहुत बड़ा कन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। यह 60 से लागू नहीं होगा, रिटर्न्स न दें इसलिये कि बिल में पीनल सजा नहीं है। एक मिनिस्ट्री को माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब होल्ड कर रहे हैं, उनका बिल एक एग्रीकल्चर सीलिंग पर पेश हुआ है और दूसरा नगरीय सम्पत्ति का बिल है। दोनों एक किस्म के बिल हैं। अगर नगरीय भूमि के रिटर्न्स वक्त पर दाखिल न करें तो सजा है, दो साल की कैद और रेवेन्यू के रिटर्न्स दाखिल न करें तो केवल एक हजार रुपया जुर्माना और कोई सजा नहीं। नगरीय भूमि के सीलिंग से ज्यादा खरीद लें तो आपको जेल के सीकचों में जाना पड़ेगा और इस सीलिंग से ज्यादा खरीद लें तो आप पर कोई दंड नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इस रूप में इस बात को तो मैं वेलकम करता हूं सीलिंग का रिडक्शन करने के लिये बिल यह सरकार लायी है। 10 से 18 तक की रेट रखी जानी चाहिये। एक आदमी के दस रख कर दो दो एकड़ बढ़ाते चले जाइये और 18 रख दीजिये और मेक्सिमम 27 एकड़ से अधिक न लेजाइये। कितनी ही बड़ी फेमिली हो। इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल को प्रवर समिति के समक्ष रखने का प्रस्ताव, प्रस्तुत करते हुए, जिसकी तीन दिन में रिपोर्ट आ जाय, मैं चाहता हूं कि यह बिल इस सत्र में पास हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरुदयालसिंह संधु!

श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि यह बिल प्रवर समिति को भेज दिया जाय। मैं यह समझ पाया हूं कि यह बिल सिर्फ नहरी इलाके के लिये बनाया गया है। इसमें गंगानगर का जिला और चम्बल का क्षेत्र आता है, वह अनइर्रीगेटेड लेंड मानी जावेगी और बारानी लेंड मानी जावेगी 18 एकड़ जो मानी जावेगी वह सिर्फ नहरी क्षेत्र में मानी जावेगी और वह गंगानगर का इलाका है या चम्बल का इलाका है। मैं अर्ज करूंगा कि मुझे तो इससे ऐसी बड़ी चिन्ता नहीं होने वाली है। मैं यह मानता हूं कि जिस क्षेत्र से हम आये हैं उसमें पहले जो 30 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि मंजूर की गयी उसकी वेल्यूएशन गलत हुई। वेल्यूएशन ठीक होती तो जितनी भूमि हमारे पास ऑलरेडी है वह 30 स्टेन्डर्ड एकड़ नहीं है। फिर भी अर्ज करूंगा कि सीलिंग लाना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र में यह भावना

(श्री गुरुदयालसिंह संधु)

बन गयी है कि उस क्षेत्र के लोगों की यह भावना है कि कुछ लोग शहरों में बैठ कर जमीन की बात करते हैं और शहरी प्रॉपर्टी पर सीलिंग की बात नहीं करते हैं। और जब हमारे सामने वह बिल आया तो उससे और भी स्पष्ट हो गया कि शहर में तीन लाख की प्रॉपर्टी रहेगी। सिनेमा पर कोई सीलिंग नहीं होगा, डाक घरों पर कोई सीलिंग नहीं होगा देहातों में सीलिंग चलेगी वह किस बात पर चलेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर सरकार सीलिंग करना चाहती है तो उसको चाहिए कि प्रॉपर्टी की ज्यादा से ज्यादा खर्चे की हद कर दे। यदि खर्चे की हद कर देंगे तो जमीन और प्रॉपर्टी की सीलिंग हो जावेगी। लोग कहां ले जावेंगे आमदनी को।

मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे क्षेत्र में कोई भी भूमि इसमें ऐसी अंकित नहीं की गयी है कि वह भूमि 18 एकड़ किस प्रकार की होगी। सेन्ट्रल रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है वह दो फसली होनी चाहिये, वहां रेनफाल पच्चीस इन्च के आस पास होनी चाहिये, वाटर टेप होना चाहिये। हमारे क्षेत्र में नहरों से पानी मिल रहा है वह भी बहुत कम मिल रहा है और गंग कैनाल में तो भाखरा से ज्यादा पानी मिलता है और वेल्युएशन है, वह कम है। राजस्थान कैनाल में तो ज्यादा पानी मिल रहा है। भूमि की वेल्युएशन करने से पहले ही यह तय कर दें कि 18 एकड़ किसको कहते हैं इसलिये प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये निवेदन कर रहा हूं। उस क्षेत्र की जमीन पहले ही 18 एकड़ से कम है। कर लीजिये उसका उसमें ऐतराज नहीं है लेकिन इसे प्रवर समिति में भेज कर इस बात का निर्णय कीजिये वहां 18 एकड़ कीजिये जिसमें 200 पर्सेन्ट पानी है, रेनफाल ज्याद हो और दो फसल उगायी जा सके। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यही निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये और इस बात का ध्यान रखा जाये कि जो नहरी जमीन है उसी को मैं समझता हूं कि स्टेन्डड एकड़ माना जाये जिसमें 200 पर्सेन्ट पानी हो, दो फसलें बोई जा सकती हों और जिसमें पानी की वही मात्रा होनी चाहिए जैसा कि पंजाब में सीलिंग एक्ट पेश किया है। उनका एक्ट कहता है कि 11 हैक्टर जमीन की सीलिंग मानी है और हालांकि पानी वहां 90 परसेन्ट है और हमारे यहां पर पानी 60 पर्सेन्ट है और वहां पर वाटर अलाउन्स 3.5 है और हमारे यहां पर 2.6 है। इस प्रकार से डेढ़ गुना वाटर डेन्सिटी होते हुए उन्होंने वहां 11 हैक्टर सीलिंग माना है और उन्होंने गार्डन के लिए अलग जमीन देने की बात की है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां 18 स्टेन्डर्ड एकड़ की बात आती है उसके लिए हमें ऐतराज नहीं है लेकिन 18 स्टेन्डर्ड एकड़ की वेल्यूएशन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कि यह सीलिंग एक्ट है इसका असर पड़ रहा है तो नहरी क्षेत्र पर पड़ रहा है। दूसरे सारी जमीन को आप बारानी मानना चाहते हैं। चाहिए तो यह कि ट्यूबवैल की जमीन में गवर्नमैन्ट सोर्स है, गवर्नमैन्ट बिजली देती है गवर्नमैन्ट ग्रान्ट इन एड देती है लेकिन आप कैसे भी मान लें नहरी क्षेत्र में इसको मानते समय पंजाब के आधार को मान

(श्री गुरुदयालसिंह संधु)
लेना चाहिए कि जो सेन्ट्रल कमेटी ने हिदायत दी है कि दो फसली जमीन होनी चाहिए और पानी पूरा होना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह कहूंगा कि यह प्रवर समिति को भेज दिया जाये और वहां इस पर गौर होना चाहिए ताकि कोई ऐसी बात नहीं हो जाये जिससे वहां के रहने वाले लोगों को अनइकॉनामिक होल्डिंग मिल जाये और उससे वह अपना धंधा पूरी तरह नहीं चला सकें।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब तक प्रस्तुत विधेयक पर निर्णय न लिया जाये तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय बढ़ाने की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो 7 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह मामला बहुत ही गम्भीर है और महत्त्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि कोई काश्तकार सीलिंग में आता है या नहीं आता है सब में खलबली मची हुई है। जो वास्तव में काश्तकार हैं और अपने हाथ से खेती करते हैं वह लोग इससे बहुत कम प्रभावित होते हैं लेकिन आमतौर से बात यह कही जाती है और खास तौर से वह लोग इस बात को चलाते हैं जो कि या तो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है या ज्यादा सम्पत्ति है और दूसरे बिलकुल एक्सट्रीमिस्ट हैं और अपने आपको सच्चे समाजवादी मानते हैं। एक का इरादा यह है कि लोगों को साथ जोड़ा जाये ताकि हम हमारी जमीन को बचा सकें और दूसरों का इरादा यह है कि जो आम काश्तकार हैं उसके अन्दर ऐसी हवा पैदा कर दो या सीलिंग इतनी नीची कर दो कि वह होल्डिंग इकॉनामिक नहीं रहे और अन्त में जाकर वही व्यवस्था जो रूस या चीन देशों में जिस प्रकार से खेती चलाई जाती है सामुहिक ढंग से वह व्यवस्था यहां आ जाये। गांव का मैं रहने वाला हूं, काश्तकार परिवार से हूं, हाथ से काश्त की हुई है, चीन भी देखा हुआ, कोरिया भी देखा और रूस भी देखा हुआ याने तरह तरह के सिस्टम देखे हुए हैं। तो आज लोग जो इससे प्रभावित नहीं होते हैं वह भी इससे अपने आपको प्रभावित समझने लगेतो इस बात को हमेशा के लिए हमें समाप्त कर देना चाहिए।

इस बिल में बहुत से ऐसे मुद्दे रह गये हैं जिनके ऊपर विचार नहीं किया गया है और न उनको हल किया गया है। तो पहले तो मैं यह चाहूंगा कि कभी भी टिनेन्सी एक्ट या सीलिंग एक्ट बने उसके अन्दर यह प्रावधान होने चाहिएं कि जब तक असिंचित क्षेत्र सिंचित नहीं हो जाये या जो ऊबड़-खाबड़ या घटिया जमीन है उसकी उन्नति सरकार या और किसी माध्यम से नहीं हो जाये तब तक इस बार सीलिंग आने के बाद में इतनी अवधि तक सीलिंग को कम नहीं किया जायेगा। अगर यह नहीं किया जाता है मेरे पास कागज आ रहे हैं जगह जगह से और आप जानते हैं कि वह लोग

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं लेकिन काम न आ रहे हैं कि आपके पटवारी, रेवेन्यू इन्सपेक्टर 300 रुपये से 1000 रुपये फीस है उसको लेकर समाजवाद ला रहे हैं। लोग इस गलती को क्यों कर रहे हैं। वह यही कारण है कि एक हवा बन गयी है। तो इस बात का जो शक है उसको निकालना पड़ेगा। हम इस बुनियाद को लेकर चले थे चूंकि गंगानगर का किस्सा कुछ और है और हमारे मारवाड़ का किस्सा कुछ और है। मैं बहुत ही अच्छे काश्तकार परिवार का हूं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 55 तक हम खुद शेयर काश्तकार थे जिस समय मैंने एम. ए., एल.एल. बी. पास की उस समय तक हम खुद बेगार देते थे और जितनी जमीन है वह सब पुश्तैनी जमीन है तो हमारे यहां का किस्सा कुछ और है। हमारे यहां की जमीन कोई गैर जिनाइन काश्तकार रख नहीं सकता था जागीरदारी प्रथा के अन्दर। क्यों नहीं रख सकता था कि पड़त जमीन रखते तो पैसा लगता और बांटा लाटा देना पड़ता था। इसलिए काश्तकार उतनी ही जमीन रखता था जितनी वह बो सकता था और यह मैं और कह दूं कि आप माननीय सदस्यों की धारणायें और अनुभव कुछ और होंगे क्योंकि आपका मिलना हमसे ज्यादा हो सकता है। हम जैसे लोगों से या प्रभावशाली लोगों से ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो जिनाइन काश्तकार हैं, 99 पर्सेन्ट जिनाइन काश्तकारों ने अपनी जमीन को गैर कानूनी किसी भी तरीके से नहीं बढ़ाया है, यह बात आप मानकर चलिये। जमीन बढ़ाने वाले और हैं जिस प्रश्न पर मैं बाद में आऊँगा। तो वह लोग जो आदत से भोलेभाले हैं, सच्चे आदमी हैं मैं यह कहूं कि आपने और हमने राजनैतिक दृष्टि से पचासों छलांगे इधर उधर मारी होंगी, गलत प्रस्ताव किये होंगे, उनको विथड्रा किया होगा, दल बदले होंगे, कभी शहरों के अन्दर जनसंघ में चले गये, कोई गाय की पूंछ पकड़कर कहीं और चले गये, कभी कम्युनिस्टों के साथ चले गए लेकिन इस देश का जो सच्चा काश्तकार है वह हमेशा जनतन्त्रवाद के पक्ष में रहा है और यदि मैं यह कहूं कि उसी की बदौलत इस देश में जनतन्त्रवाद कायम है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरे आपने अरबों रुपये खर्च कर दिये बड़े बड़े कारखानों में और दूसरे साधनों में लेकिन अब भी जितने हमने टारगेट्स मुकर्रर किये उन सब में हम पीछे हैं।

अगर अनाज के मामले में आत्म निर्भर हुए हैं तो अमेरिका और दूसरे देशों के एक्सपर्ट कहते थे कि 1972 और 71 में भारत के अन्दर निश्चित ही भूखमरी की स्थिति पैदा होगी लेकिन इस साल बावजूद कई क्षेत्रों के अकाल के, लड़ाई के कारण और भी कई कारणों के, अगर हम आत्म निर्भर हो पाये हैं तो उन भोलेभाले सीधे साधे व्यक्तियों के कारण। तो कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे वह व्यक्ति प्रभावित हो जावे। मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं और मेरा खुद का अनुभव है, चाहें तो जो अपने आपको हम से ज्यादा समाजवादी मानते हैं, हमारे साथ चलें, हमारे घर चलें, परिवार में चलें, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे काश्तकार न मानें तो, वरना मेरे जैसा काश्तकार शायद नहीं होगा, हाण्डा साहब

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

शायद हो सकते हैं। तो इन लोगों की बात ही मैं आपके सामने रख रहा हूं और यह भी कह देना चाहता हूं कि उनके लिए 18 एकड़ जिसकी परिभाषा कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी है, पर्याप्त है। कोई काश्तकार परिवार पांच व्यक्तियों का 45 बीघा सिंचित भूमि जिसमें साल भर पानी लगता है, इससे अधिक खेती कर ही नहीं सकता, सम्भव नहीं है। ठीक है कि बहुत से साहब कारखानों की तरह मजदूर लगा कर करवा लें। इसमें जो भी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, इसलिए इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। वह इसलिए किया जाय कि कांग्रेस मेनीफेस्टो में सीलिंग का आधार कुछ और है और इस बिल के अन्दर आधार कुछ और लिया गया है। मेरा मानना यह है कि जो मेनीफेस्टो का आधार है वह ज्यादा वैज्ञानिक है और इससे एक रूपता आएगी भारत भर में और आगे भी यदि कोई पेरबदल लाना चाहेंगे तो इसी को आधार मान कर चलेंगे।

दूसरी जो कमी इस बिल के अन्दर है वह टीनेंट के डेफिनेशन की है। मैं नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस मायने में पुराने रजवाड़े हमारे से ज्यादा प्रगतिशील थे। उन्होंने खुद कुछ कौमों को खेती से वंचित कर दिया। अब तो कौम के नाम पर आज के युग में भेदभाव नहीं बरत सकते। फलां यह काम करेगा और फलां वह काम करेगा यह नहीं हो सकता; लेकिन कम से कम फंक्शनल बेसिस पर जो वास्तव में जेन्यून काश्तकार हैं उसके पास भूमि जावे। जमीन किसकी जो जोते उसकी। तो इस सिद्धान्त को हमें लागू करना है और जब तक यह लेकूना रहेगा मैं आपको कहता हूं कि आखिर में मुझे एक बात का डर लगता है कि मारवाड़ में एक कहावत है कि "गोयरे के पाप से पीपली बले"। गोयरे पर बिजली गिरे, वह जाकर पीपली में जो कि बिलकुल निर्दोष वृक्ष है, उसमें कोई जहर नहीं, कोई कांटा नहीं, अच्छी छाया देने वाला, उसमें गोयरा चला गया, उस पर बिजली पड़ जाती है। उसी तरह से इस जेन्यून काश्तकार को खत्म करने के लिए ये काश्तकार जिनका काश्त से लेना देना नहीं है, तो इस बीमारी से यदि हमको बचना है, खून खराबी से बचना है तो हमको टीनेंट की परिभाषा को बदलना पड़ेगा और जमीन को उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिसके पास जमीन नहीं है और जो जमीन को अपने काम में लेता है, अपने हाथ से खेती करता है। काश्तकारों को इसमें तकलीफ होगी, भविष्य में तकलीफ होगी इसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। उसकी सबकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है जिन्होंने भूमि सुधार के मामले में पिछले बीस सालों में अनाप शनाप ढ़िलाई वर्ती। आज जमीन किसके पास चली गई। आज जमीन राजाओं के पास भी है, जागीरदारों के पास भी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास गई है, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के पास गई है। जिनको ब्लैक मनी को ह्वाइट में कन्वर्ट करना था उनके पास जमीन गई है, जिनका खेती से लेना देना नहीं था उनके पास गई है। लेकिन काश्त की जमीन पर जन संख्या के बढ़ने से, भाव बढ़ने से सभी के मन में लालच पैदा हुआ कि कुछ न कुछ जमीन रखें। नतीजा यह हुआ है कि जो व्यक्ति वास्तव में लैंडलेस था उसको तो अलॉटमेंट

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कमेटी ने जमीन दी हो तो दी, वरना दूसरों से लेकर जमीन उस आदमी के पास नहीं गई, वह तो दूसरों के पास ही गई। आप भी यह कहते हैं और मैं भी यह कहता हूं कि जमीन में छोटे काश्तकारों को छेड़ने का इरादा नहीं। लेकिन काश्तकारों के एक सिस्टेमेटिक तरीके से दुश्मन पैदा होंगे। किस तरह से दुश्मनी पैदा होगी? आज भेड़ पालक है और पशु पालक है उसके पास एक इंच जमीन भी नहीं है। रोजमर्रा कई गांवों में झगड़े पशु पालक और खेती करने वाले के बीच में हो रहे हैं। पशु पालक के पास पशुओं को ठहराने के लिए इंच भर जमीन भी नहीं हैं। दूसरा गांव के अन्दर कई धन्धे करते थे लोग बाग। सुथार का काम करते थे, लुहार का काम करते थे, रंगाई का काम करते थे, छपाई का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे। कई लोग गाने बजाने का काम करते थे। कोई नाटक करते थे। कठपुतली के खेल होते थे। पचासों तरह के काम धन्धे इस देश में होते थे लेकिन विज्ञान ने परिस्थितियों को बदल दिया। मनोरंजन के लिए सिनेमा आ गया लेकिन सिनेमा उन लोगों के पास नहीं गया, सिनेमा उनके पास गया जिनके पास लाखों रुपया है। बहुत से लोग माल ले जाने का काम करते थे जैसे बणजारे और बारदिए। सामान ढोने के लिए रेल आ गई, जगह जगह मोटरें जाने लगी सड़कों की वजह से तो वह बेकार हो गए। सुथार आरा मशीन के कारण बेकार हो गया, लुहार बेकार हो गए, रंगाई छपाई का काम अहमदाबाद और बड़े बड़े शहरों में होने लगा और वे बेकार हो गए। अब इसमें फर्ज किसका है। फर्ज राजस्थान सरकार का था कि पूंजीवाद को बढ़ने नहीं दे। आपको याद होगा कि जिस वक्त हमने इस देश में औद्योगिकरण का नारा दिया उसके साथ समाजवाद का प्रस्ताव भी पारित किया था, क्यों उस वक्त किया? उस वक्त के नेता इस बात को जानते थे कि इस देश में अगर हम औद्योगिकरण करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा इसलिए उनके साथ में अन्य संस्थाओं को लिया। सहकारी संस्थाओं और दूसरी संस्थाओं को जिससे क्या होगा कि पूंजीवाद का जोर कम हो और जो बुनियादी लोग हैं उनको फायदा मिले। आज तांगे वाला बेकार हो गया स्कूटर के कारण। होना यह चाहिए था, यह आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम तांगेवालों को संगठित नहीं बना पाए, बैंक से लोन नहीं दिला सके। इसका परिणाम यह हुआ कि स्कूटर का फायदा तांगे वाले को नहीं मिल कर पैसे वालों को मिला। खेराती जो लकड़ी को चीरने का काम करता है, खाती है उसके पास मशीन नहीं गई, अगर वह मशीन नहीं खरीद सकता था तो को-ऑपरेटिव बना कर उसको मशीन देते लेकिन वह मशीन गई पैसे वाले के पास। घाणी से जो तेल निकालता था उसके पास नहीं, पैसे वाले के पास तेल निकालने का साधन गया। और आज यह इतने बेकारों की फौज है यह किसकी मेहमान है? यह मेहमान है राज्य सरकार की जिन्होंने अपनी नीति का पूरा पालन नहीं किया। यह मेहमान होने चाहिए पूंजीपतियों के। लेकिन आज मेहमान किसके बनना चाहते हैं? मेहमान बनना चाहते हैं काश्तकारों के। आज

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

काश्तकारों के दुश्मन है ये सभी चाहे उसके पास पांच बीघा धरती हो। आज रंगाई छपाई करने वाला काश्तकार का दुश्मन है चाहे उसके पास दस बीघा जमीन हो। आज लकड़ी चीरने वाला दुश्मन है उसका और दूसरे काम करने वाले उसके दुश्मन हैं। एक चपरासी है तो और राज्य सरकार का कोई अधिकारी है तो वह उसका दुश्मन है। क्या हो रहा है? लोगबाग यह सोचते हैं कि काश्तकार जमीन से बड़ा फायदा उठा रहे हैं, हमको भी जमीन होनी चाहिए और दूसरे जिस आदमी के पास पूंजी नहीं वह भी सोचता है कि जमीन हो जाय तो कम से कम कुछ तो गुजारा चले। आप तो अच्छे अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं और आधुनिकतम नीतियों से परिचित हैं, अच्छी तरह से जानते है, क्या यह उचित होगा कि खेती के ऊपर, विकासशील देशों का इतिहास कह रहा है, विकसित देश वे माने जाते हैं जहां खेती पर पर्सेन्टेज कम किया जाय और उद्योग धन्धों पर पर्सेन्टेज बढ़ाया जाता है। आप इस पर्सेन्टेज को बढ़ाना चाहते हैं। जमीन जो सरप्लस थी उसको हमने बांटा। सबसे पहले राजा गए उन्होंने कहा कि हमारे शिकार के लिए जमीन रहनी चाहिए। ठीक है साहब, देश को स्वतन्त्रता के लिए, देश की एकता को बनाए रखने लिए जमीन दी। बहुत अच्छा किया। इसके बाद जागीरदार आए। क्षमा कीजिए, मैं जागीरदारों को काश्तकार मानता हूं लेकिन उनका भी नारा यह था कि जो हल के हाथ लगाता है वह जागीरदार नहीं है। जिसको बुरा कहते हैं बुरा समझा जाता था। खैर, आपने मुआवजा दिया। इसके बाद काश्तकार नहीं होते हुए भी उनको जमीन पर बसाना है, उनका पुर्नवास किया, इसका मैं स्वागत करता हूँ कि वे काश्तकार हो गये। उनके पास कोई धन्धा नहीं था। उद्योग नहीं थे उनका मुआवजा भी खत्म होने वाला था। आ गये तो उनका स्वागत है। इसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट आ गये, पूंजीपति आ गये, और सत्ताधारी लोग आ गये। वह फौज दिनोदिन जमीन पर बढ़ रही है और नतीजा आखिर में क्या होगा, बुरा होगा। मैंने लेनिन को पढ़ रखा है। उसने काश्तकारों को तीन हिस्सों में बांटा है। पहले तो वे बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास में जमीन की मिल्कीयत है। जिनके पास में जमीन है और बंटाई पर देते हैं। दूसरा वह आम काश्तकार है जो अपने यहां पर है। उसने इसका मार्मिक वर्णन किया है। यह आदमी अपने को पूंजीपतियों के साथ मानता है क्योंकि वह जमीन का मालिक है। वह सोचता है कि कभी न कभी वह भी मालदार हो जायेगा। वह मालदार अपनी जिन्दगी में नहीं बन सकता है क्योंकि वह कर्जे में डूबा रहता है और हाथ से मेहनत करने वाला व्यक्ति है। उसकी दयनीय स्थिति है। जमीन का मालिक है इसलिए वह पूंजीपति के साथ है वरना उसका पूंजीपतियों से कोई लेना देना नहीं हैं। तीसरे भूमिहीन लोग हैं। उसके सामने प्रश्न आये। स्टालीन ने उसको किसी तरह जोड़ जुटाकर इकट्ठा किया और कहा कि जो दूसरे कैटेगरी के काश्तकार हैं उनको उसी तरीके से रहने दो। उनके साथ में किसी तरीके

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

का जोर, जुल्म न हो, ऐसा कोई अमानवीय कार्य नहीं हो। उसको गलती जरूर है परन्तु वह आगे नहीं आ सकता। उसके पास साधन सीमित हैं और वह हाथ से काम करने वाला है। इसलिये इसकी जमीन अभी नहीं ली जाये। तीसरी केटेगरी के जो लोग हैं उसके बारे में उसने कहा है कि ये जमीन पर काम कर रहे हैं इन्हें जमीन दे दी जाये परन्तु वह सहकारिता के आधार पर हो, कलेक्टिव फार्मिंग के आधार पर हो और उनको आधुनिकतम साधन दिये जायें। ये भूमिहीन हैं और इसमें सम्मिलित होंगे। वे भी सोचेंगे कि इससे हमारा भला ही होने वाला है और उनकी आर्थिक उन्नति होगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसमें उनकी ग्रॉनरशिप नहीं होगी।

श्री पूनमचंद विश्नोई : This is all a matter of details. That also, we have already said.

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज।

श्री पूनमचंद विश्नाई : यह परिपाटी नहीं है। खरीदने बेचने वाला कोई नहीं है। मैं खुद चीन गया हूं। ऐसी बात नहीं है। तो दूसरी तरफ सिर्फ चार, पांच एकड़ की बात कह रहे हैं। तो मुझे क्षमा करियेगा, ये वे लोग हैं जिनके हींग, तेल कुछ नहीं लगना है। ये वे लोग हैं जब मुगल आ गये तो मुगलों के साथ हो गये, उनकी जय बोलते थे, जब अंग्रेज आ गये तो उनके साथ हो गये, उनकी जय बोलते थे, जब कांग्रेस आई तो उसके साथ हो गये और अब इन्दिराजी के साथ हो गये और उनकी जय बोल रहे हैं। एक भाई नौकर है एक कांग्रेस में है, एक कम्युनिस्ट और मौका मिला तो समाजवादी हो गया। जैसा मौका मिला वैसे हो गये। यह अवसरवादी नीति है। यह किसान के हित में नहीं है। बच्चों को पढ़ने नहीं देते है। मजदूरों को काम करने नहीं देते है। कोई भूमिहीन मिल जायेगा तो कह देंगे यह हरिदेव जोशी की जमीन है, यह पो. के. चौधरी की जमीन है इस पर कब्जा कर लो। इस तरह से ये नारे गड़ रहे हैं, इस प्रकार के नारे बना रहे हैं और दूसरी तरफ जमीन को अन इकोनोमिक बना रहे हैं और इसके पीछे वे अनिश्चितता का वातावरण पैदा कर रहे हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या आप यह मानते है कि हरिदेव जोशी से जमीन ले लेनी चाहिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं ली जानी चाहिये। उनके पास दूसरा धन्धा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर आपका वह प्रिन्सीपल नहीं रहा कि हाथ से खेती करने वाला हो जमीन रखे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह ग्रॉनरशिप का सवाल है। इसको आप टिनेन्सी एक्ट में डिफाइन कर देना।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि हमारी चिन्ता

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उस व्यक्ति के लिये है, उस व्यक्ति की तरफ जिसके पास चार, पांच एकड़ तक ही जोत है और इस प्रकार उसकी वह जोत अलाभकारी हो जाये। इस देश की परम्पराएं ऐसी रही हैं कि इसमें साम्यवादी तरीके की सामूहिक खेती चल नहीं सकती। चीन में मैं देख कर आया हूं। जैसे केवेज के सूप में से चार चम्मच एक एक को दे देते। इस व्यवस्था से कोई फायदा नहीं है। सामूहिक खेती से कोई फायदा नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम तो चीन अभी तक जाकर नहीं आये हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : रूस का नहीं कह रहा हूं। रूस से तो अपना दोस्ताना है। मैं यह बात विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने जनतन्त्र के माध्यम से समाजवाद लाने का नारा दिया है और जनतन्त्रवाद का नारा दिया है। इसमें जो गरीब है, क्या आपने कभी सोचा है कि उस गरीब का कोई संगठन है और वह गरीब आज हड़ताल कर सकता है या और कुछ कर सकता है। अगर बिजली पड़ने लगी तो हम सब यहां से भाग जायेंगे, अपने मकानों के अन्दर घुस जायेंगे और वही इस जमीन पर बैठने वाला है। यहां उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। गांव के सब वर्गों के साथ इसको बसाने की जिम्मेदारी हमारी थी, राज्य सरकार की थी। उसको संगठित करना चाहिये था, वह नहीं किया। उसको मरने के लिये छोड़ रखा है और आज पांच बीघा, दस बीघा की सीमा बांध रहे हैं। यह हवा बन रही है कि जिसके पास में भूमि, जमीन नहीं है उसको जमीन मिले मेरा नम्र निवेदन है कि इन सब को समाप्त कर लेना चाहिये। आप इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि जिसने गैर कानूनी तरीके से जमीन को हड़प लिया है, ग्रो मोर फूड के नाम से जमीन ले ली है, को-ऑपरेटिव फार्मिंग के नाम से जमीन ले ली है, गलत तरीके से अलॉटमेन्ट करा लिया है, उनके लिये आप एक कमीशन बिठा कर उनसे ये जमीनें वापिस ली जाये और जो वास्तव में काश्तकार हैं, जो मजदूर क्राप शेयरिंग करता है, उनको आप जमीन दें। नहीं तो इसमें लेना देना कुछ नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप किसका विरोध कर रहे हैं। हम तो स्वयं इस बात के लिये तैयार हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये। ये सब मुद्दे हैं इन पर विचार किया जाना है। इस दलील पर कि इनसे जमीन वापिस ली जाये। इसके अलॉटमेन्ट की कौन मशीनरी होगी। एक माननीय सदस्य ने यहां पर एक बात कही थी, नई तकनीकी आ गई है, काफी उत्पादन बढ़ा है, मैं उनका नाम भूल गया हूं उनकी यह बात सिंचित जमीन के लिये ठीक हो सकती है। हमारे मारवाड़ के लिये ये क्या काम आयेंगे। वहां सुधारने की कोई गुन्जाइश नहीं है। तो इसका अध्ययन करने की जरूरत है। एक ऑर्डिनेन्स आ जाये और चार, पांच आदमियों को दिखा लिया तो यह ठीक नहीं होगा। उससे काम नहीं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

होने वाला है। पहले इस पर सदन विचार करे और उसके बाद आप ऑर्डिनेन्स लावें। वरना इसका ऑर्डिनेन्स का असर यह होगा कि जमीन ले ली जायेगी–याने जो शादी नहीं होनी चाहिये वह हो जायेगी तो वेलिड मान ली जायेगी, यह ला है। मेरा निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर इसको प्रवर समिति को सौंपना चाहिये और यह जो मशीनरी है, इसमें जमीन को किस तरह से लेना है, उसके लिये एक ऐसी मशीनरी होनी चाहिये जिसकी सहानुभूति उन लोगों के साथ हो जो कि वास्तव में काश्तकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गहरा प्रश्न हमारे सामने है सीलिंग का। हमारी आजादी की लड़ाई के साथ में जमीन के बटवारे का प्रश्न जुड़ा हुआ था। गांधीजी इसके लिए बहुत आन्दोलन करते थे। वह हिन्दुस्तान में जमीन के बंटवारे के लिए तत्पर रहते थे और कांग्रेस का आन्दोलन भी जमीन के बंटवारे का था.........

श्री उपाध्यक्ष : आई रिक्वेस्ट टू बी ब्रीफ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आई विल बी ब्रीफ, सर।

पहले पहल कुमारप्पा कमेटी यहां पर नियुक्त की गई थी जिस वक्त कि जागीरदार और जमींदार हमारे यहां पर बड़ी तादाद में थे, और इतने जागीरदार और जमींदार थे कि 60 पर्सेन्ट जमीन लैण्ड होल्डर्स के पास में थी। उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त जागीरदारों का हमने हटाया और जमींदारों को हटाया तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वही के वही आज धनी किसानों के आर्ग्यूमेंट्स थे, उनसे मिलते-जुलते हुए आर्ग्यूमेंट्स थे। उस वक्त भी यह कहते थे कि सामाजिक ढांचे में इतना रद्दोबदल किया तो सारे का सारा जो गांवों का जीवन है, ग्राम्य-जीवन है, किसान इकोनोमी है वह पूरी की पूरी तहस-नहस हो जायेगी। तो किसी भी तरह से जागीरदारी, जमींदारी प्रथा को खत्म करने में हम कामयाब हुए। इसके बाद में जो किसान थे उन किसानों का उत्पादन लगातार गिरता गया, और इस हद तक गिरा कि हमें अमेरिका से धान मंगाकर हमारी जिन्दगी को पालना पड़ा। तो हमने जो हमारा प्रोग्राम था लैण्ड डिस्ट्रिब्यूशन का उसमें कुछ ढील करके हमने सोचा कि किसी तरह से उत्पादन को बढ़ाया जाय, और खाद्य-समस्या हल हो जाय तो ज्यादा अच्छा हो। तो नई टेक्नोलाजी है, नये बीज हैं, मैक्सिकन व्हीट है, बाजरा है, कई फर्टीलाइजर्स हैं और आई. ई. डी. पी. और आई. एन. डी. पी. के हाई यील्डिंग वैराइटी के जो प्रोग्राम थे हमने चलाये, और कुछ हद तक खेती के प्रोग्राम के बढ़ाने में काफी तरक्की भी की।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरक्की करने में देश में जो भारे बड़े काश्तकार हैं उनका योगदान 15 पर्सेन्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब गोखले इन्स्टीट्यूट का सर्वे हुआ जो कि मेरे ख्याल से एग्रा-इकोनामी की मानी हुई इन्स्टीट्यूट है तो उनके यहां जो यह योगदान निकाला गया तो उसमें 40 पर्सेन्ट उन

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

काश्तकारों का है जिनके पास में 5-10 एकड़ जमीन है। यह उन काश्तकारों को योगदान है। इसलिए हमें यह मानकर चलना है कि जो इकोनामिक होल्डिंग की बात यहां पर कही जाती है तो इकोनामिक होल्डिंग स्थाई नहीं रहती हैं। उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है और उसका हमारा मापदण्ड ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में पूरे का पूरा बदल गया है। इस व्यापक दृष्टि से और विशेषकर एग्रोइकोनामी के ज्ञान की दृष्टि से इस बात को सोचना चाहिए कि इसमें क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हरियाणा के छोटे काश्तकारों की एक स्टडी हुई जिसके हिसाब से—अभी मैं सिंचित जमीन की बात कह रहा हूं एरिड जोन पर बाद में आऊंगा—12 एकड़ तक तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट ग्रोन प्रॉडक्टिविटी है उससे प्रॉडक्टिविटी बढ़ती है और 12 एकड़ से ऊपर हम पहुँचे कि वह डिमिनिशिंग रिटर्न्स शुरू हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, गोखले इन्स्टीट्यूट ने यह तय किया है कि अगर आपके पास में असिंचित जमीन है तो उसमें 60-70 एकड़ से आगे बढ़ते हो तो डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको अवगत होना चाहिए और मिनिस्टर महोदय को अवगत होना चाहिए कि जिनके पास में बड़ी बड़ी जमीनें हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वे कन्ट्रोल नहीं हो सकती हैं। मान लो कि किसी के पास में 100 एकड़ जमीन है 1000) रुपया पर एकड़ आपने इन्वेस्टमेंट माना है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। न तो वे इतना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और न सम्हाल सकते हैं, और न कोई बात। इस लिए अभी जिस तरह की व्यवस्था है उसमें यह आवश्यक है कि छोटे छोटे फार्म किये जायं। मैं नहीं कहता कि इकोनामिक होल्डिंग नहीं होना चाहिए। इकोनोमिक होल्डिंग के बारे में हम निर्णय कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि कौन सी जमीन कितने एकड़ इकोनोमिक होल्डिंग हो सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी जमीनें इकोनोमिक होल्डिंग्स नहीं हो सकती हैं, यह मेरा निश्चित मत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लैण्ड रिफार्म्स को सोशियेलिस्ट एक्ट नहीं मानता हूं। लैण्ड रिफार्म्स को मैं इस बात के लिए मानता हूं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है वह अवरुद्ध हो गया है, टैक्नोलॉजी रिवोल्यूशन के बाद उत्पादन अवरुद्ध हो गया है। हम इस बात में आगे नहीं बढ़ पायेंगे जब तक कि जमीन का पुनः बंटवारा नहीं करेंगे। अगर हमें प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो इसको करना पड़ेगा। एक मुद्दा तो यह साफ है।

दूसरा मुद्दा यह है कि जो 1.33 लाख हैक्टर टोटल जमीन है राजस्थान में और 33 लाख 30 हजार खेतिहर परिवार हैं, और इन खेतिहर परिवारों में से, उपाध्यक्ष महोदय, 11 पर्सेन्ट के पास तो एक एकड़ भी जमीन नहीं है, वे लैण्डलेस फेमिलीज हैं। उपाध्यक्ष महोदय और उसके बाद में करीब करीब 15 पर्सेन्ट के पास में 0.003 एकड़ जमीन है और उसके बाद में 14 पर्सेन्ट के पास में .13 एकड़ जमीन है। इस ढंग से हमारे गांवों की स्थिति है। बड़े काश्तकार कोरे किसान ही नहीं हैं। इनको जमीन मिलना चाहिए और जमीन मिलना आवश्यक है?

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

सबसे पहले साधारण बात तो यह है कि 60 में सीलिंग एक्ट लाया गया था और उसके लाने के बाद में उसका कतई इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ। म्यूटेशन गलत हुए, बेदखलियां गलत हुई और इस तरह से गलत आदमियों को जो कि बड़े काश्तकार थे उन्होंने जमीनों को अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों में किसी तरह से बांटकर जो आने वाली सीमा थी उस हिसाब से बांटकर सीलिंग एक्ट को लागू नहीं करने दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीति में ये बड़े बड़े बुलक, बड़े बड़े धनी किसान घुस गये थे और इनका राल हो गया था। ये राज्य के अन्दर घुस गये थे और राज्य के अन्दर घुसने के बाद जो पोजीशन थी उसका सबसे बड़ा फायदा इन धनी किसानों ने उठाया। इन्होंने न तो पुराने सीलिंग एक्ट को लागू होने दिया और न इस सीलिंग एक्ट को लागू कराने की उनकी तैयारी है। जब 30 एकड़....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (श्री पूनमचन्द जी के सदन से जाने पर) पूनमचन्द जी, क्या इसके अगेन्स्ट प्रोटेस्ट में वाक आउट कर रहे हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब यह लैण्ड सीलिंग एक्ट आगया था तो 1971 की जनवरी के अन्दर एक सक्यूंलर, सेक्रेटरी रेवेन्यू का आया और उसने कहा कि भाई, तुम्हारे पास में जो चाचा, बाबा की जमीनें पड़ी हुई हैं और कुछ बड़ी होल्डिंग्स हैं तो उसका तहसीलदार बंटवारा करा सकता है। यह सबसे बड़ी एजेन्सी ला के इन्फ्रिन्जमेंट की थी। ला में यह दिया हुआ है कि बंटवारे की एप्लीकेशन्स एस. डी. ओ. के पास में जाना चाहिए और वही बंटवारा करा सकता है और सेक्रेटरी के सक्यूंलर में यह बता दिया गया कि तहसीलदार के आगे एप्लीकेशन्स कर सकते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच के आगे एप्लीकेशन्स कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय यह हालत हुई कि एक एक वकील ने इन मामलों में लाखों रुपये बनाये और लाखों रुपये पटवारियों ने कमाये। इस प्रकार का धन्धा ये आज तक करते आये हैं कि बंटवारे को किसी तरह से रोका जाय और इन्होंने रोका है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी धारणा थी, मन्शा थी लैण्ड सीलिंग के बारे में वह पूरी की पूरी मजबूत है, और आज जो इंदिरा गांधी ने नारा दिया है और जो कांग्रेस मेनिफेस्टो में जो धारणा है उसमें दो बातें मुख्य हैं। एक तो यह है कि लैण्ड 10-12 एकड़ रहना चाहिए, और इसी प्रकार के लेजिस्लेशन्स मध्यप्रदेश और दूसरे प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं आया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसी सिलसिले में विचार किया जाय........

श्रीमती सुमित्रासिंह : आसाम में क्या फिक्स किया है?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इन्दिरा गांधी के सपोर्टर हैं खास।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सबसे बड़ी बात जो शिवचरणजी ने कही थी वह थी इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेन्टेशन के बारे में आज तक जितने भी एक्ट हुए हैं उनमें बेनिफिशियेरीज की कोई कमेटी नहीं बनाई

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

गई है । लैण्ड क्या मिलेगा, किसको मिलेगा यह तय करती है ब्यूरोक्रेसी और आज ब्यूरोक्रेसी सबसे संगठित जमात है। वह घपले नहीं कर पाये इसलिए ऐसी कमेटीज की आवश्यकता है। इस तरह के एक्सपेरीमेंट वेस्ट बंगाल में हुए हैं। वहां पर कांग्रेस सरकार है। उन्होंने पीपल्स कमेटी विलेज लेवल पर बनाई है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन के विचार से वहां पर काम किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ एरिड-जोन के बारे में कहना चाहता हूं। कई माननीय सदस्य एरिड जोन के बारे में बोले हैं। एरिड जोन के बारे में जो हमारा तकनीकी ज्ञान है वह आज काफी बढ़ा हुआ है। उसके आधार पर हम कहते हैं कि राजस्थान के 62 पर्सेन्ट एरिया में जो खेती होती है वह घाटे की खेती होती है और उस घाटे की खेती में किस तरह से हम बड़ी ऑनरशिप्स रखना चाहते हैं कि 400-400 एकड़ जमीन होना चाहिए। तो इस तरह से घाटे की खेती को हम नफे की खेती में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आज तक अकाल पर 160 करोड़ से अधिक रुपया खर्च हुआ है। यह कहते हैं कि पशु पालन करेंगे। बड़े बड़े काश्तकार पशु-पालन नहीं करते हैं और पशुओं की रक्षा के लिए हमें करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है तो इस घाटे की खेती को नफे में कैसे परिवर्तित किया जाय? जमीन की वहां पर समस्या नहीं है, पर वे चाहते हैं कि इस खेती से नफा कैसे मिले। रेगिस्तान में सिंचाई की कैसे व्यवस्था हो, कैसे डेवलपमेंट हो, क्या इन्वेस्टमेंट उस डेवलपमेंट के लिए हो। अभी चम्बल रेवीन्स के डेवलपमेंट के लिए 8,000 करोड़ की योजना बना रहे हैं। इसी तरह से रेगिस्तान का मसला नहीं लेंगे हाथ में तो चाहे 800-900 बीघा रेगिस्तान में जमीन हो काश्तकार के पास में, चाहे 500 बीघा जमीन हो उससे कोई सुधार नहीं हो सकता है और न ही हमारे राजस्थान में परिवर्तन आ सकता है। जो अधिक उत्पादन का ढांचा है उस दृष्टि से जब तक रेगिस्तान के मसले को एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लेवल पर हाथ में नहीं लेंगे तब तक हम अपनी दशा में सुधार नहीं कर सकते हैं। कितनी जमीन हो यह तो गौण है, लेकिन जब तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम कोई परिवर्तन नहीं कर पायेंगे और उत्पादन की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि पहले साल जो भी लैंण्डलैस बचे हैं, जो मार्जिनल काश्तकार हैं, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूलट्राइब्स हैं, उनको जितनी जमीन मिलनी चाहिए, दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून जो बनाया है, 1972 से लागू किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से लागू किया गया तो हमें अन्दाजा नहीं है कि कितनी मिलेगी। इसलिए जबसे सीलिंग एक्ट आया है और लागू नहीं किया गया है, इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाना चाहिए। जिनके नाम गिरदावरी में दर्ज थे। जो बिना खेती के, मार्जिनल फार्मर हैं-....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आज लाखों रुपये हम देते हैं, बैंक देते हैं; तब खेती होती है । आज छोटे काश्तकारों को खेती के मुनाफे की तरफ ले जाने की आवश्यकता है । उनको अलग रख दें तो आज जो को-ऑपरेटिव का नारा देते हैं, आज जोधपुर में को-ऑपरेटिव की यह हालत है कि उनके चैक भी कोई नहीं सिकारते हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बार बार विश्नोई जी की ओर क्यों देख रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी तरफ ही देख रहे थे, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत बड़ी जमीन को टच करने वाला और असर डालने वाला है । मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है....,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन मिले । अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला !
(अनुपस्थित)

श्री शीशराम ओला !

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सीलिंग पर विचार हो रहा है । तरह तरह की बातें माननीय सदस्यों ने फरमाई हैं । मैं आपके द्वारा उनको यह कहना चाहूंगा कि काश्तकार क्या है ? काश्तकार को क्या तकलीफ है । काश्तकार को क्या करना पड़ता है ? मैं यह कहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने सीलिंग के बारे में कहा है, वह उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो बिल लाये हैं, उनको भी ज्ञान है या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : वह मजबूर हैं ।

श्री शीशराम ओला : मैं समझता हूं कि मुझको बोलने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर- ऑर्डर ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपसे अच्छा गुरु काश्तकारी सीखने के लिए और कौन मिलेगा ।

श्री शीशराम ओला : यों तो मैं कई मामलों में गुरु हो सकता हूं ।

मैं निवेदन कर रहा था, काश्तकार अपनी बीबी को साथ लेकर बच्चों को साथ लेकर खेत में काम करता मिलेगा ।

(व्यवधान)

खेत में उसकी बीबी घड़े में पानी लेकर जायेगी । खेत में कोई दरख्त होगा, उसको काटेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़ा करुण वर्णन है ।

श्री शीशराम ओला : कहने का मतलब यह है कि सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं। अगर मजदूर को 500 रु. मिलता है तो काश्तकार को 4 आना प्रति व्यक्ति के हिसाब से नहीं मिलता है। जब कि वह 12 महीने खेती में लगा रहता है। कभी सर्दी हो, कभी वर्षा हो। कभी फसल में रोग लग जाये। कभी किरांची वाली हवा आ जाये। कभी जिसको झोला मारना कहते है, वह जानवर आ जाये। तो आप रोक नहीं पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि काश्तकार को प्रकृति की ओर ही देखते रहना पड़ता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कभी इन्द्रा जी को सीलिंग करने का विचार आ जाये।

श्री शीशराम ओला : काश्तकार को हमेशा प्रकृति की ओर देखना पड़ता है। उसको यह कहना सम्भव नहीं है कि इतना निश्चित पैदा हो जायगा। हर चार साल में अकाल पड़ जाता है। कभी कोई बीमारी लग जाती है। ऐसी चीज को हम कहें कि बटवारा किया जाये। मैं कहूं कि मेरे पिता जी के पास जमीन थी। हमारे भाइयों के पास जमीन थी। वह अब दो हिस्सों में होने जा रही है। आज यहां बैठकर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई है। आज जमीन पर इतना प्रेसर है कि वह अपने आप कम होती जा रही है। उसमें आपत्ति करने की बात क्या है ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जमीन निश्चित रूप से कम होती चली जा रही है। स्थिति यह होती जा रही है कि जो जमीन पर आधारित हैं, कुछ ही सालों में वह बेकार हो जायेंगे। एक और नई प्राब्लम और पैदा होगी। नई प्राब्लम एक और पैदा करें यह उचित नहीं है। जो काश्तकार हमारे पिता जी की उमर के हैं, वह नंगे शरीर केवल धोती बांधकर खेती करते थे। आज शरीर पर पहनने के लिए एक कुरता या कामली जरूर मिली है वह काश्तकार गांवों में कच्ची ढानियों में रहते हैं। यहां पर कोई रहता है तो हम उस पर नजर करते हैं, यह कहते हैं कि वह कच्चे झोंपड़े में रहता है। कोई और दूसरा आदमी काले सांप के साथ रह कर दिखाये। काश्तकार की औरत पीसती है तो वहां सांप पड़ा रहता है। कभी उसे सांप खा जाता है। हमने उनको सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं की है। उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं की है। काश्तकार ने जो थोड़ी बहुत जमीन काश्त के लायक बनाई है, वह कर्जा लेकर बनाई है। जिसमें सब काश्तकारों को ठीक रूप से न तो सरकार से मिला है, न और बैंकों से मिला है और न जो आपकी नेशनेलाइज्ड बैंक हैं उन बैंकों से कर्ज मिला हैं। किसान ने खुद अपने घर के जेवर बेच कर, जेवर गिरवी रख कर या अंगुठा लगा कर साहूकार से रुपया उधार लिया है और अपनी हिम्मत और रुपये से कुए को सुधारा है, न कि सरकार के प्रयत्नों से उसका कुआ सुधरा है। उससे जमीन को लेकर क्या आप उसको मार देना चाहते हैं। यह दयनीय स्थिति है, गम्भीर स्थिति है। इस पर आपको गम्भीरता से सोचना होगा। हम आज बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो, इससे कम नहीं हो। अगर आप कम देना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप दो दो कोठरी उनके लिए बना दीजिये, दो, दो कमरे बना दीजिये। काश्तकार आज झुग्गी झोंपड़ी

Page No. 144

(श्री शीशराम ओला)

में रहता है। किसी किसी के पास कच्चे मकान हैं, किसी के पास झोंपड़ी हैं, जो फूस और लकड़ी के बने हैं। जहां आज इतनी दुर्दशा है काश्तकारों की वहां आज यह सोचते हैं, जैसी कि आज विचारधारा बन गई है, जो ट्रेण्ड बन गया है कि काश्तकारों के पास में इस कदर वेल्थ पड़ी है जिसका कि पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। यह धारणा बिल्कुल गलत है। मै नम्रतापूर्वक, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा, इस गलत धारणा को दूर करते हुये आप काश्तकारों को इस बात की गारन्टी दें, इतनी व्यवस्था उनके लिए करें कि उनके बच्चे पढ़ सकें, उनको कपड़ा मिल सके, उनको मकान मिल सके। यह सारी व्यवस्था होने के बाद उनके पास जमीन ज्यादा है तो निश्चित रूप से जमीन ले लीजिये उसमें हमें ऐतराज नहीं है। हम उन्हें गारन्टी दें, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करें, उनके लिए दवाई की व्यवस्था करें, उनके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि उन्हें खाना दो वक्त मिल सके, रहने के लिए साधारण मकान मिल सके। अगर यह न दें और जो उनके पास हैं वह ले लें तो इससे ज्यादा और अन्याय हम कर नहीं सकते। इसलिए मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में विचार करने के लिए जो बिल आया है इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय, जो इन मुद्दों पर गहराई से विचार करके अपनी रिपोर्ट दे। सीलिंग लागू करने की जो व्यवस्था की है और जो सीमा लगाई है वह इस हद तक पहुंचनी चाहिए कि जो काश्तकारों की जरूरत की चीजें हैं, वह सब उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सकें। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह !

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख जो राजस्थान टेनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, 1972 विचारार्थ प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में मैं प्रस्ताव करूंगी कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो इस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करे क्योंकि हम एक ऐसा महत्त्वपूर्ण बिल पास करने के लिए जा रहे हैं जो हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को बहुत प्रभावित करेगा। गांधी जी कहा करते थे, और गांधीजी ही क्या कहते थे, हिन्दुस्तान की जो अर्थ व्यवस्था है, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने कहा, हमारी जो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था है, उसकी विशेषता यह है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में हिन्दुस्तान की भूमि पर सबसे ज्यादा दबाव है, सबसे ज्यादा प्रेसर है। हिन्दुस्तान की आबादी का अस्सी प्रतिशत आज हमारे गांवों में रहता है। इस कानून के बनने के बाद इस ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा-इस बात के लिए तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ माननीय सदस्य और कुछ इस तरह के शायद लोग हैं जो प्रगतिशीलता की होड़ में एक दूसरे से अधिक प्रगतिशीलता दिखाने के लिए इस कानून को जल्दबाजी में पास करना चाहते हैं। मैं उन सभी लोगों से बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूं, हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है, उसके मुताबिक और वैसे भी मैं आपसे निवेदन

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

करना चाहती हूँ, हिन्दुस्तान का जो संविधान है, उस संविधान का सामाजिक न्याय और समता प्राण हैं, या कहिये रूट है। यह सामाजिक न्याय या समता ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में भी हो, शहर की अर्थ व्यवस्था में भी हो—इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। चाहे इस सम्बन्ध में स्वयं मेरे बारे में लोग कैसी भी धारणा बनायें, मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है, मैं एक बात बहुत नम्र शब्दों में कहना चाहूँगी, हमारे समाजवाद में भूमि को बहुत बड़ा महत्त्व दिया है। किसी भी देश का समाजवाद बिना श्रम के आगे बढ़ नहीं सकता है, किसी मुल्क में समाजवाद आगे आ नहीं सकता है बिना श्रम के, तो श्रम के महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के अन्दर कहीं जल्दबाजी के अन्दर प्रगतिशीलता की होड़ के अन्दर कहीं ऐसा काम न कर जायं जो हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दे। मैं इस सम्बन्ध में चुनाव घोषणा-पत्र को पढ़ कर साफ कर देना चाहती हूँ। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है :

"बारह मासी सिंचित भूमि अथवा दो फसली उगने वाली सिंचित भूमि के क्षेत्र में पांच सदस्यों के एक परिवार के लिए भूमि की अधिकतम सीमा दस से अठारह एकड़ के बीच होनी चाहिए। अन्य श्रेणियों की भूमियों के लिए जल की उपलब्धि, उत्पादकता, भूमि का वर्गीकरण, उगाई जाने वाली फसलों आदि को ध्यान में रखते हुए रूपान्तरण अनुपात निर्धारित किये जाने चाहिए।"

मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, मौजूदा बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत है, यह बिल जो हमारा राष्ट्रीय महत्त्व का प्रोग्राम है परिवार नियोजन, उसके भी विपरीत है, जहां पांच सदस्यों के परिवार के लिए अठारह एकड़ जमीन निर्धारित की है, वहां एडीशनल हर मेम्बर के लिए पांच एकड़ की व्यवस्था कर दी है, जो अन्याय है। मैं समझती हूं जिन लोगों ने पिछले दिनों राष्ट्रीय महत्त्व का प्रोग्राम मानते हुए आबादी कम करने के उद्देश्य से परिवार नियोजन के तरीके अपनाये, उनके लिए फेमिली प्लानिंग अभिशाप हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगी (व्यवधान) मेहरबानी करके माननीय सदस्य मुझे बीच में इन्ट्रप्ट न करें, मुझे अपनी बात कहने दें। तो मैं निवेदन कर रही थी कि पांच सदस्यों के परिवार के लिए अठारह एकड़ जमीन की सीमा रखी गई है और उस परिवार में बढ़ने वाले हर मेम्बर के लिए पांच एकड़ देने का प्रावधान रखा है, यह न्यायसंगत नहीं है। जहां पांच सदस्यों के परिवार के लिए, जब कि बच्चों की अधिकतम सीमा तीन रखी है, अठारह एकड़ और एडीशनल मेम्बर के लिए पांच एकड़ दें—तो मैं यह उपयुक्त नहीं समझती, न्यायसंगत नहीं समझती और यह परिवार नियोजन की मूल भावना के विपरीत बात है। मैं निवेदन कर रही थी, माननीय सदस्य इस बात पर भी गौर करें। जहां सेन्ट्रल लैंड रिफार्म्स कमेटी ने कहा है, वहां संसद के अन्दर हमारे कृषि मन्त्री जी ने भी इस सम्बन्ध में जो घोषणायें की थीं उन घोषणाओं के मुताबिक जो मन्शा है, मैं

(श्रीमती सुमित्र सिंह)

उन घोषणाओं को एक मिनिट में आपको पढ़ कर सुना देना चाहती हूं। सेन्ट्रल लैंड रिफार्म्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसके बाद हमारे कुछ प्रान्तों ने अपने भूमि सुधार कानूनों के अन्दर सीलिंग के कानून में कुछ परिवर्तन भी किये हैं। वैसे तो, सदन के माननीय सदस्यों को भी इस बात का फख होना चाहिए और मुझे भी फख इस बात का है, राजस्थान भूमि सुधार के मामले में अग्रणी प्रान्त रहा है। हमने बहुत पहले जमीन के ऊपर जो जमीन जोतने वाला है, टिलर ऑफ द सॉइल है, उसको सब प्रकार की सहूलियतें दी हैं, और जिनके पास बहुत होल्डिंग है, उसको घटाने की कोशिश की थी। उसके बाद में दूसरे प्रान्तों ने सीलिंग की सीमा को घटाया है। अन्य प्रान्तों में क्या-क्या सीमायें की हैं वह मैं बता देना चाहती हूं :

"However, in accordance with the decision of the Conference, Tamil Nadu had already reduced by half the ceiling limit which varied between 24 and 120 acres, to a level between 12 and 60 acres depending on the class of land. In Kerala, the ceiling varying between 15 and 36 acres had been reduced to between 12 and 15 acres. In Assam, the ceiling limit was reduced from 50 to 25 acres, in West Bengal form a ceiling level of 25 acres to 5 hectares in case of irrigated land and 7 hectares in case of other land."

सेवन सेक्टर का मतलब है 10.3 एकड़ लैंड। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँ, यह वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल इस तरह के प्राविन्स हैं जिन प्राविन्स को राजस्थान से कम्पेअर नहीं किया जा सकता। राजस्थान में डेन्सिटी ऑफ पॉपूलेशन आज के दिन 75 है जबकि केरल की 548 है, डेन्सिटी ऑफ पॉपूलेशन वेस्ट बंगाल में 507 है। तो एक तरफ डेन्सिटी ऑफ पॉपूलेशन का सवाल है, दूसरी तरफ ऐसे प्रान्त हैं, इन प्रान्तों के अन्दर काजू, इलाइची, चाय, बादाम बहुत सी इस तरह की चीजें उगाई जाती हैं, जिन चीजों की तुलना गेहूं से नहीं की जा सकती है। केरल में जो जमीन पर प्रेसर है, वहां का जो एवरेज है होल्डिंग का, उसके मुकाबले में राजस्थान की होल्डिंग कहीं ज्यादा है, इसलिए केरल में 15 एकड़ जमीन मैक्सिमम मानी जाती है, उसी अनुपात के अन्दर कम और ज्यादा है। चुनाव घोषणा-पत्र में दस से अठारह रखी गई है, अठारह मैक्जिमम है और दस मिनिमम है लेकिन केरल और वेस्ट बंगाल जैसे राज्य जब मैक्सीमम को मिनिमम मान रहे हैं तो आखिर राजस्थान में रहने वाले लोग जहां पेरीनियल सिंचाई नहीं क्योंकि मैं समझती हूं कि चुनाव घोषणा-पत्र में जो कुछ घोषणा की है और सेंट्रल लैंड रेफार्म्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं भी डेवीएट होने का सवाल पैदा नहीं होता। कोई आदमी डेविएट

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

नहीं होना चाहती क्योंकि 18 एकड़ पेरिनियल लैंड का मतलब अपने आप आटोमैटीकली दोनों इर्रीगेशन्स जिनमें स्कियुअर हो और शुअरटी हो उसके अनुसार राजस्थान में ऑटोमैटीकली अपने आप वह जमीन 36 एकड़ हो जाती है लेकिन राजस्थान की तुलना प्रगतिशीलता की होड़ के अन्दर आप लोग केरल और पश्चिम बंगाल से करें तो राजस्थान के किसान के साथ न्याय नहीं होगा। मैं इस बात का पक्ष बिल्कुल नहीं लेना चाहती कि जिन लोगों के पास आज सैकड़ों और हजारों बीघा जमीन है और जो वास्तव में धनाढ्य हैं उनके पास ज्यादा जमीन रहे, यह कतई मेरी दलील नहीं। मैं चाहती हूं कि ऐसे लोगों से जमीन ली जाए। आखिर हमें एक मिनीमम स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा जो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के लिए हम निर्धारित करना चाहते हैं, जिनका केवल खेती ही पेशा है और जो केवल खेती करते हैं। मैं दावे के साथ कहती हूं कि जो माडर्न टेक्नालाजी की बात करते हैं जो फर्टीलाइजर्स को यूज करने की बात करते हैं हाई-ईल्डिंग वैराइटीज की उगाई की बात करते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि 18 एकड़ जमीन रखने वाला आदमी ट्रैक्टर से काश्त नहीं कर सकता। जिसके पास 18 एकड़ जमीन होगी, मुझे माफ करेंगे, एक-एकड़ जमीन उसको छोड़ देनी पड़ेगी घर के मकान के लिए, अपने पशुओं को बांधने के लिए, क्योंकि जो आदमी खेती करता है वह बिना पशुओं के नहीं रह सकता। तो उसको एक एकड़ जमीन उसकी घास के लिए छोड़नी पड़ेगी इसलिए दो एकड़ जमीन निकाल दीजिए तो 16 एकड़ बचते हैं। उसमें से आप ट्रैक्टर जिसकी कीमत 25,000 रु. है, उस ट्रैक्टर........

कई माननीय सदस्य : 40,000 है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कम से कम बता रही हूं। सीलिंग होनी चाहिए। मैं सीलिंग के पक्ष में हूं लेकिन सीलिंग इन्कम बेस्ड होनी चाहिए, इन्कम तय कर दी जाए। गांवों में तो आप स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं कि इससे आगे आप नहीं रखना चाहते क्योंकि एक तरफ इस तरह के लोग हैं जिनके पास अनाप शनाप दौलत है चाहे किसी और जरिए से कमाई हो, दूसरी तरफ डिस्पैरिटी को कम करने की बात केवल गांवों के अन्दर की जाए और डिस्पैरिटी बाकी जगह रहने दी जाए तो गांवों में रहने वालों के साथ न्याय नहीं होगा उस आदमी के साथ न्याय नहीं होगा जो रात दिन मेहनत करके, सर्दी को नहीं देखते, गर्मी को नहीं देखते, बरसात को नहीं देखते। जब सारी दुनिया सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों में लिपटी रहती है, उस समय खेत में खड़ा वह किसान पानी के अन्दर पांव रखता है, उस पानी के अन्दर जो पानी न जाने कहां से 300 मील दूर से बहकर, जिन कैनाल्स के अन्दर पानी आता है या जहां पर इतनी ठंडे मौसम में आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो मेरा मतलब है कि आप इस बात को ठंडे दिल से सोचें, गम्भीरता से विचार करें। हमको गांवों के अन्दर जो लोग खेती का पेशा करते हैं जैसे भीनमाल से आने वाले

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

माननीय सदस्य ने कहा था, मैं भी उस बात को दोहराना चाहती हूं सब विकासशील देश जो हैं जिनकी अर्थ-व्यवस्था अच्छी है, ऐसे सारे देशों में धरती पर, कम से कम प्रेशर होना चाहिए । आज हमारी धरती पर सबसे ज्यादा प्रेशर है और इस प्रेशर को हम दूर करना चाहते हैं तो आखिर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का क्या होगा ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए जो बहुत सोच समझकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और उसके बाद ही इस सम्बन्ध में आगे कुछ कार्यवाही की जाए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को फिर से दोहराती हूं कि सीलिंग में सब चाहते हैं कि समानता के साथ, न्याय के साथ इसका बंटवारा किया जाए लेकिन एक विचारणीय विषय और भी है उस सम्बन्ध में भी माननीय सदस्यों की राय अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब इस बात को एक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है तो वही इस सम्बन्ध में सोच विचार करके आपनी राय देगी। फिर भी एक प्रश्न माननीय सदस्यों के लिए छोड़ना चाहती हूँ, वे इस सम्बन्ध में भी विचार करें। आज एक तरफ हम लोग कहते हैं कि जमीन भूमिहीनों को दें, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जो लोग खेती पर मजदूरी का पेशा करके रह रहे हैं उनकी भी आखिर कोई व्यवस्था होनी चाहिए और जो सरप्लस लेंड हैं उनको भी मिलनी चाहिए लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इन 8-10 सालों में जमीन पर कौन लोग गये हैं इस बारे में प्रवर समिति निर्णय लेगी। नॉन-एग्रीकल्चरल इन्कम जिन लोगों की 2 हजार रुपये से ज्यादा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ी जानी चाहिए····

(श्री पूनमचंद विश्नोई के कुछ कहने पर)

मेरे पास है तो छीनी जायेगी, आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं ? तो मैं निवेदन कर रही थी कि यहां सब लोग कह रहे थे कि आज ज्यादातर उद्योगपति, ज्यादातर बड़े बड़े अधिकारी, जिन्होंने पिछले 5,7,10 सालों में अपनी ब्लैक मनी को ह्वाइट में कन्वर्ट करने के लिए बड़े बड़े फार्म्स बना लिए हैं लेकिन जिनका पैतृक धंधा खेती नहीं है, उनके लिए मैं फिर से कह रही हूं कि जिनकी नॉन-एग्रीकल्चरल इन्कम चाहे व्यापार से हो चाहे नौकरी से हो चाहे किसी और जरिए से हो ऐसे सारे लोगों के पास जिनकी नॉन-ऐग्रीकल्चर इन्कम दो हजार रुपये महीना या 24,000) साल से ज्यादा है ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ी जानी चाहिए और वह सारी जमीन चाहे आप भूमिहीनों को दें लेकिन भूमिहीनों से भी ज्यादा मैं प्रीफर करना चाहती हूं कि जिन लोगों के पास अन-इकॉनामिक होल्डिंग है, आज जिनके पास 5 बीघा, 4-4 बीघा या 2-2 बीघा के टुकड़े हैं, आज उनकी सारी जिन्दगी इस प्रकार भूखे ही मरते रहेगी क्योंकि जैसे भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आज उनके पास एक बीघा जमीन का टुकड़ा होता है तो उसकी मनोवृत्ति इस बात की होती है पूंजीवाद की तरफ

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

होती है, वह समझता है मेरी जमीन न चली जाए चाहे उस जमीन से कुछ भी न मिलता हो। दूसरी तरफ भूमिहीन, जिनकी वकालत करते हैं, कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उनसे लेकर आप भूमिहीनों को दें, इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन लोगों की तरफ आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि भूमिहीन लेबर जो आज जमीन पर काम करता है, उसकी स्योरिटी है, सुबह को जाता है, शाम को 4) रु. कमा कर आता है लेकिन उसकी स्योरिटी क्या है जिसकी 2 बीघा जमीन है. 5 साल के अन्दर, एक साल फसल होती है उसमें कभी टिड्डी, कभी शीत लहर कभी चूहे खा जाते हैं, कितनी प्राकृतिक विपदायें हैं, जो कुछ वह मेहनत करता है उसका उसको फल नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की तरफ सोचना आवश्यक है। भूमिहीनों की सब वकालत करते हैं, वह 4 रुपए का काम करता है और शाम को 4) रु. लेकर चला जाता है लेकिन जिसके पास दो बीघा जमीन का टुकड़ा है, प्राकृतिक आपदायें जिसको सहनी पड़ती हैं और उस पर एक परिवार की बात तो छोड़िए, एक आदमी का पेट भी नहीं भर सकता ऐसे लोगों के बारे में आपने क्या सोचा है, क्या उनका सारा जीवन इस प्रकार से आप आधे भूखे पेट रहने देना चाहते हैं? इसलिए जिनके पास कुछ नहीं है, उनको कुछ देने का इरादा नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय निवेदन यही है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे वह जमीन ली जाय और जो भूमिहीन है उसे जमीन दी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, हमने हमारे चुनाव घोषिणा-पत्र में यही कहा है। लेकिन भूमिहीन की परिभाषा क्या होगी, जमीन किसको दी जाय यह सब गम्भीर मामले है जिन्हें गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। इसके लिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाय ताकि हम इन पर विचार करके, इस टिनेन्सी बिल से जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल सके। वह जल्दी से से जल्दी दिलाने की व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह !

श्री सज्जन सिंह (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय आज सदन में लैण्ड सीलिंग के लिये टेनेन्सी अमेन्डमेन्ट बिल पर बहस हो रही है। टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाय । इसके लिये मैं कुछ विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो बुनियादी तौर से आर्थिक समस्या है, उसका राजनैतिक तौर से समाधान नहीं किया जाना चाहिये। आज ग्रामीण क्षेत्रों की जनता जो करोड़ों की संख्या में है वह इस टिनेन्सी बिल पर अपनी आंख लगाये बैठी है कि इस बिल से हमें काश्त करने को जमीन मिलेगी और इधर जितनी हिमायती करने वाले राजनैतिक दल हैं उनमें भी होड़ लगी हुई है। भूमिहीन किसानों को जल्दी से जल्दी जमीन उपलब्ध करवाई जाये। आज राजस्थान में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो बे जमीन है। आज ऐसे लोगों को जिनका जीविकोपार्जन का साधन ही

(श्री सज्जनसिंह)

ज़मीन है उनके बारे में निर्णय लिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहली बात इससे निर्णय लेने से पहले यह सोचने की है कि धरती-राजस्थान की धरती कैसी है। इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। सीलिंग से आपको कितनी जमीन आज तक मिली है—अब यह संशोधन हो जाने से कितनी जमीन आपको मिलने की गुन्जायश है। यह सोचने का विषय है। आज सदन में लोग कई तरह की बातें करते हैं जैसे पूनमचन्दजी विश्नोई ने कहा कि मैं रूस गया, चीन गया वहां मैंने इस प्रकार की व्यवस्था देखी लेकिन माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वहां देखा होगा यहां पर आपने कुछ नहीं देखा। सिद्धान्तों के आधार पर आज आप आर्थिक मसलों को राजनैतिक दृष्टि से राजनैतिक बिन्दुओं के आधार पर इस बिल को जल्दी से पास करना चाहते हैं। आज आप करोड़ों किसानों के भाग्य का फंसला इस उतावले पन से करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आपको ऐसी क्या आपत्ति है, आपने बिना इस टिनेन्सी बिल को गम्भीरता से सोचे आप इसे कानून का रूप दे रहे है। आज मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मेरी सुमेरपुर कान्स्टीटुयेन्सी के दुजाना और साण्डेराव दो ऐसे गांव है, जो जवाई बांध के नीचे जमीन आती है, जहां पर 6 हजार बीघा जमीन पड़ी है जिसको आप आज तक नही ले सके हैं। सीलिंग कानून पहले भी पास हो चुका था पर राज्य सरकार के भ्रष्ट अधिकारी श्री सी. डी. वेल आर. ए. एस., श्री उमरावसिंह एस. एच. ओ. पुलिस अधिकारी और श्री जालिमसिंह सी. ओ. आर लैण्ड ग्रेस देअर। उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीन द्रोपदी के चीर की तरह है। आज वह जमीन इन उपरोक्त अधिकारियों ने दाब रखी है। इधर वहां की जो गरीब जनता है जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं जो भूमिहीन आज आतुर हैं उस जमीन को प्राप्त करने के लिये। वे बेचारे तरस रहे हैं लेकिन वह जमीन आज तक नहीं ली जा सकी है। आज उपाध्यक्ष महोदय कुछ माननीय सदस्य प्लान्ड करते हैं कुछ माननीय सदस्य बदले की भावना से, राजनैतिक आधार पर अपना प्रकोप का भाजन इस जनता को बनाना चाहते हैं, आज राजस्थान की जमीन कैसी है इसके अन्दर कैसी कैसी जमीन आयेगी यह सोचने का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भगराज चौधरी, माननीय श्री पूनमचन्द विश्नोई, माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई और भी ऐसे कई माननीय सदस्य हैं जिनके पूर्वज काश्तकार थे वे अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान की धरती कितना सोना-चांदी उगलने वाली धरती हो सकती हैं। आज यहां पर गरीब किसानों का मखौल उड़ाया जा रहा हैं। कितने ही राजनैतिक पार्टीज अपने मोटिव्ज को पोलीटिकल मोटिवेटेड की तरह अपना काम करवा रही है। उपाध्यक्ष महोदय हम सीलिंग के विरोधी नहीं हैं, हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि ये सीलिंग के विरोधी हैं। मैं आपको नम्र निवेदन करूंगा कि हमने फ्लीज सॉइल किया है और इस पर हम दृढ़ हैं। हम जनता के सामने अडिग रहेंगे। सिद्धान्तों के आधार पर, हमें पूर्ण विश्वास

(श्री सज्जनसिंह)

है कि हमारे प्रति यह भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि हम इस कानून को नहीं लाने के पक्ष में है और हम इस कानून को ढिलाई से लेना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से जानकारी देना चाहता हूं कि हम अपने सिद्धान्त पर अडिग हैं हम उसे नहीं बदलने जा रहे, लेकिन हम अपने फैसलों को इतना उतावलेपन से नहीं कर सकते। हमें न्याय की बात भी आपको कहनी पड़ेगी–हमारा न्याय करने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिये जिससे कि हम डेमोक्रेसी की मजाक उड़ायें। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि क्या यही हमारा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम है। अगर इस तरीके से आप बिल उतावले पन में पास कर देंगे तो मैं समझता हूं शायद आप जो हमारा ध्येय है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, पूरा नहीं कर पायेंगे। इस तरह से आप गलत तरीके से बिल पास कर, उल्टे भोंडे तरीके से पास करने के प्रयत्न कर रहे है। उपाध्यक्ष महोदय आंकड़ों के आधार का तरीका न्याय संगत नहीं है आज आप यह बिल ला रहे हैं इससे किस प्रकार प्लानिंग करेंगे, किस प्रकार आप कब्जा करेंगे। मैं तर्क देने के पक्ष में नहीं हूं। मैं ऐसा तर्क देना चाहता हूं जिससे कि इस बिल के प्रावधानों की क्रियान्विति हो जाय। मैं व्यवहारिकर्ता के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप राजस्थान के किसान के साथ न्याय नहीं करना चाहते। आज राज्य सरकार किसान की हिमायत करती है, लेकिन आप उस बिल को ऐसे विकृत और भोंडे तरीके से अपनी बात सिद्ध करने के लिये ऐसे प्रयत्न कितने उतावले पन से कर रहे हैं। आज पोलिटिशियन्स विकृत हैं हमारे सामने आ रहे है। मेरा निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। बाद में इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। आखिर यह करोड़ों लोगों का जीविकोपार्जन का प्रश्न है। आप प्लान्ड वे में काम नहीं कर रहे हैं और एक सेन्टीमेन्टल हरेशमेन्ट से ही काम कर रहे हैं आज किसान आपकी तरफ टकटकी लगाये हुए हैं। आज इन्सान यह सोच रहे है कि हो सकता है हमें भी करोड़ों बीघा जमीन मिल जाय। जो हमें सोना, चांदी उगले। हो सकता है उस जमीन से हमारे भी मोटर, बंगला, महल हो। वह सोच सकता है, आज मेरा लड़का भी आंखों पर चश्मा डाल कर नेता बन जाय। हमारे पास भी राजनैतिक सत्ता हो। लेकिन हमारा ध्येय जनता को झूठे स्वप्न दिखाने का नहीं है। मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले भी सीलिंग कानून बनाया अब और सीलिंग कानून में संशोधन कर रहे हैं मैं कहता हूं कि कानून तो बन जायेगा पर उसका इम्प्लीमेन्टेशन कौन करेगा। आज जो इम्प्लीमेन्टेशन करने वाले हैं वे राजस्थान के गौनरेट के ब्यूरोक्रेट्स हैं। जो जमीन आप लोगे वह जमीन उन्हीं लोगों को मिलेगी जो उनके रिश्तेदार हैं या उन लोगों को मिलेगी जिनके पास सिफारिश है। लेकिन उन लोगों को जमीन हाथ नहीं आयेगी जिनका कि जीविकोपार्जन जमीन से ही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपने स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन पेरीनियल इरीगेटेड लैण्ड, और फोर प्रोड्यूसिंग लैण्ड,

(श्री सज्जनसिंह)
उसके बारे में भी गम्भीरता से बैठकर प्रवर समिति में विचार करना होगा।

यह स्टेन्डर्ड एकड़ का तरीका निश्चित किया था पुराने सीलींग एक्ट के समय वह तरीका बदल चुका है। कई जमीनें ऐसी थीं जिनके कुओं में पानी सूख गया वे चाही जमीनें बारानी हो गयी, कई भूमि ऐसी हैं जिनको गिरवी रख दिया, पंचायत समिति के रख दिया, को-आपरेटिव बेंक भूमि बंधक बेंक के रख दिया, मनी लेंडर्स के गिरवी रख दिया। उसने जिन्दगी भर की कमाई उस पर लगाई अब उसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने का सोच रहे हैं तो यह भूमि का पुनर्वितरण ऐसा गलत होगा कि जिससे लोगों की न आर्थिक हालत में सुधार हो सकेगा और माननीय सदस्य गम्भीरता से बात करते हैं विकास की, भूमि हीन किसानों के साथ हमदर्दी होनी चाहिये और उनका जीवन स्तर उठाना हमारा कर्त्तव्य है, लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि राजस्थान की हर जमीन बंट चुकी हैं और ऐसी बाकी रही है जो इनफीरियर से इनफीरियर क्वालिटी की हैं, यदि उस पर लागत लगा देंगे, साल दो साल आर्थिक सहायता दे नहीं सकेंगे, बैल आप दे सकेंगे नहीं। बीज आप दे सकेंगे नहीं और पॉइन्ट जीरो जीरो पर्सेन्ट ऐसे लोगों का भला करेंगे जो आशायें लगा कर बैठे हैं कि जमीन का उनको अलॉटमेन्ट होगा और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। आप कहेंगे उनके जीवन को सुधार दिया। मेरी तो यह दृढ़ धारणा है कि यह भ्रामक रूप में किया जा रहा है। प्रवर समिति को इस पर सोचना चाहिये। फिर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो जमीन अलॉट होगी, जो जमीन आपके पास आवेगी उसके आंकड़े आपको मालूम नहीं है। कितने परिवार ऐसे हैं जिनका उनसे फायदा होने वाला है और उन परिवारों को कितनी जमीन अलॉट कर देंगे उस जमीन पर निर्वाह कर सकेंगे या नहीं, वह वायोबल इकोनोमिक यूनिट होगी या नहीं इसका निर्णय भी प्रवर समिति में बैठ कर नहीं करना चाहते हैं केवल हैपहैजर्ड वे में पोलिटिकली मोटीवेटेड होकर जल्दी में करते हैं तो बिना जाने बात गलत हो जावेगी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे मालूम है कि घंटी बजाने में आप फुर्ती कर दिया करते हैं और ऐसे लोग जिद्द किया करते हैं, आपकी घंटी की उपेक्षा करते हैं चाहे वे अपने विचारों का रिपीटीशन ही करते रहें और उसी को वे पार्लियामेन्टरी तरीका मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि अपने विचार रख दूं।

इस कानून को इतनी फुर्ती से पास करना गांवों की जनता के साथ अन्याय होगा और इसके हर पहलू पर सोचना राजस्थान की जनता के प्रति न्याय होगा और राजस्थान की जनता मोरली ड्यूटी बाउन्ड है कि सोच समझ कर इस कानून को पास करवाये।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण समिति का गठन

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि माननीय अध्यक्ष

(श्री उपाध्यक्ष)
ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कल्याण तथा सर्वांगीण विकास करने के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की जांच करने हेतु इस सदन की समिति के लिये निम्नांकित सदस्यों को मनोनीत किया है:

1. श्री भीखाभाई
2. श्री बिरदाराम
3. श्री रामगोपाल मीणा (वि.स.123)
4. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया
5. श्री जेठमल बरवड़ (46)
6. श्रीमती जमना सोलंकी
7. श्री मनफूलराम
8. श्री सुन्दरलाल
9. श्री रमेशचन्द्र
10. श्री नाथूराम
11. श्री बनवारीलाल बैरवा (75)
12. श्री रामचन्द्र (126)
13. श्री मूलचन्द सामरिया।
14. श्री विट्ठल भाई
15. श्री वृद्धिचन्द्र जैन

श्री भीखाभाई को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है।

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार

श्री बरकतुल्लाखां (मुख्य मन्त्री)। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्टरवीन कर लूं।

श्री उपाध्यक्ष। यस।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्षजी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह बात निश्चित की थी कि भूमि पर सीलिंग लगेगा, हमने यह भी वायदा किया था कि अगर जनता हमारे साथ है और हमें वोट देगी तो हम भूमि पर सीलिंग लगायेंगे। यह गवर्नमेन्ट कांग्रेस की है, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेन्ट है और सीलिंग लगाना चाहती है। आज जो सीलिंग बिल आया है उसमें कुछ कमियां हैं। मिसाल के तौर पर एक तो तारीख है वह 1-1-72 है उसकी जगह हमने यह तय किया है कि सितम्बर 1970 होगी। इसी के साथ साथ राजस्थान सरकार ने यह भी तय किया है कि जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है उसके अन्दर किसान की डेफीनिशन ऐसी होनी चाहिये कि दूसरे लोग उसका फायदा नहीं उठा सकें और इस के ऊपर जो दिमाग राजस्थान गवर्नमेंट का चल रहा है वह यह है कि जिसका कोई परमानेन्ट ओक्योपेशन दूसरा हो सिवाय खेती के, वह जमीन का मालिक नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर अगर कोई वकील है उसका दूसरा ओक्यूपेशन है वह जमीन पर काबिज नहीं रह सकता। कोई गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट है, सेठ है-साहुकार है, ज्वेलर्स हैं, जवाहिरात का काम करते हैं और दूसरा धन्धा करते हैं, कोई परमानेन्ट ओक्यूपेशन दूसरा है तो फिर वह काश्तकार नहीं रह सकता।

मैं माननीय सदस्यों की भावना को समझता हूं। ज्यादातर माननीय सदस्य इस बात को चाहते हैं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के पास चला जाय। मैं उनका आदर करता हूं लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस बिल पर आज से नहीं पिछले कई वर्षों से बहस चल रही है और कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रही है कि

(श्री बरकतुल्ला खां)

जो सब तरीके से डिस्कस न हुई हो। हम लोग यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह कानून आये। हम यह भी चाहते हैं कि ऐसा पैटर्न हो जिसमें राजस्थान फिट हो सके। यह भी जानते हैं कि बाकी भारत से राजस्थान की समस्यायें दूसरी हैं। रेगिस्तान है, बारिश नहीं होती है अकाल पड़ता है और ऐसा इलाका है जहां दो इंच बारिश होती है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 7 इंच, आठ इंच दस इंच बारिश होती है। इन सारी चीजों को देख कर मैंने कमेटी में और दूसरी जगह भी कहा है कि राजस्थान की परिस्थिति अपनी जगह पर है। हम उत्तरप्रदेश और दूसरे प्रान्तों से मुकाबला नहीं कर सकते जहां बारिश भी अच्छी होती है और सिंचाई के भी अच्छे साधन हैं। सब ने इत्तिफाक किया है राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए उसमें इतना जरूर है कि वहां लगाना चाहिये जहां 20 इंच से कम हो। कई जगह ऐसी हैं जहां 20 इंच से ज्यादा वर्षा होती है और कई जगह ऐसी है जहां कम होती है। ज्यादा होती है तो प्रोटक्शन वैसा न हो। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आदि यहां पर बारिश कम होती है। जहां नहर पहुंच गई है वहां काश्त अच्छी है। जहां नहीं पहुंची है वहां काश्त अच्छी नहीं है। सब ने माना है कि राजस्थान उस कैटेगरी में नहीं आता है। सब ने माना है कि 18 एकड़ आखिरी सीमा होनी चाहिये ज्यादा नहीं होनी चाहिये। जितना धीरे करेंगे उतने ही कम्पलीकेशन्स बढ़ेंगे। 29 तारीख को दिल्ली में मीटिंग है और 2-3 जून को कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। वहां पर बातचीत करेंगे और मेन मुद्दों पर कायम रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा फिर सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लाना चाहेंगे और जरूरत पड़ी तो आर्डिनेन्स लावेंगे और सदन के सामने आवेंगे और सदन को अधिकार होगा कि गलतियां की हैं तो उनको दुरुस्त करे लेकिन ज्यादा देर करने से सिवाय गलतफहमी और भ्रम के कुछ नहीं है। किसानों में घबराहट है और बिना सोचे समझे जमीनों को बेच रहे हैं। वह भी घबरा गये है और लोग बहका रहे हैं कि तुम्हारी सारी जमीन जा रही है, रजिस्ट्रीज हो रही हैं, ट्रान्जेक्शन्स हो रहे हैं। इन सब चीजों को हम कवर करना चाहते हैं। बेनामी ट्रान्जेक्शन्स को हम कवर करना चाहते हैं और जो किसानों की जरूरत है हम उसके अन्दर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। इसी तरीके से कलेक्टर्स, को भी पावर्स दी हैं और आखिर में रेवेन्यू बोर्ड को रखा है ताकि ज्यादा लिटिगेशन्स न हों और लोग ज्यादा परेशान न हों और जिन लोगों ने जमीनों के ऊपर नाजायज तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की है उनको वापिस जमीन देना चाहिए क्योंकि सीलिंग का जैसे ही नाम आता है वैसे ही बड़े लोगों के मन में होता है वह बड़ा हो जाये और बड़ा काश्तकार बन जाये और बड़ा जमींदार बन जाये। हमने जागीरदारी, जमींदारी और बिस्वेदारी को खत्म कराया, नये तरीके के जागीरदार भी अब आने लग गये हैं। और किसान अपनी जमीन को बेचे और पड़ौसी को बेचे तो शायद हजार रुपया एकड़ होगी लेकिन दूसरे लोग 1500

(श्री बरकतुल्ला खां)

रुपये एकड़ में खरीदते हैं और उसके बाद किसान को लैण्डलेस कर देते हैं और उससे नाजायज फायदा उठाकर दुसियों तरीके के धंधे करते हैं। हम इसको रोकना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि किसान के नाम पर दूसरे लोग फायदा उठायें। फायदा मिलता है तो किसान को मिले और यदि फायदा नहीं मिलता है तो किसी को भी नहीं मिले। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं यह निवेदन करूंगा कि हम प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले रहे हैं और प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने के अन्दर ज्यादा देर नहीं करनी चाहिये। हमारी जनता को और हमको सब को मिलकर इसको बहुत क्लियरली दिमाग में रखना पड़ेगा कि न तो कलेक्टिव फार्मिंग चाहते हैं और न ओनरशिप से डिप्राइव करना चाहते हैं और न नयी क्लास एरिस्टोक्रेसी की पैदा करना चाहते हैं। जो जमीन को जोतने वाला है उसी को हम मालिक बनाना चाहते हैं और जो दूसरों के जरिये अपना काम करवाते हैं, खेती करवाते हैं और जिनका धंधा नहीं है खेती का, वह नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं उसको तो पूरा सदन मानेगा कि उसको यह फायदा नहीं देना चाहिए। आखिर हमने जागीरदारी खतम की, जमींदारी खतम की और बिस्वेदारी खतम की और वह इसलिए की थी और टेनेन्सी के अन्दर राइट्स इसलिए दिये गये थे कि लोग जो जमीन के ऊपर काश्त कर रहे हैं वह उसके मालिक बनें। हमने इसलिए यह राइट्स थोड़े ही दिये थे कि कोई को-ऑपरेटिव बनायेंगे, लखपति कोई को-ऑपरेटिव बनायेंगे, करोड़पति कोई को-ऑपरेटिव बनायेंगे, गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स जमीन लेंगे, डॉक्टर्स और इन्जीनियर्स जमीन लेंगे। लेकिन कानून का जब उन्होंने नाजायज फायदा उठाया तो हमें भी मजबूर होना पड़ा और हम करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि यह लोग जो जमीन के ऊपर नाजायज तरीके से आने ब्लेक को व्हाइट करना चाहते हैं नाजायज तरीके से जमीन की होल्डिंग को एक स्टेट्स सिम्बल बना लिया है हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे।

तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यही निवेदन करूंगा सदन से माफी चाहते हुए कि हम इसके ऊपर बहस कर चुके हैं और मैं दुबारा रिपीट करता हूं कि इसको सलेक्ट कमेटी के अन्दर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जल्दी से जल्दी इसका कानून बनाना चाहते हैं और इसको इम्पलीमेन्ट करना चाहते है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को डेफर कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार स्थगित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पर विचार स्थगित किया गया।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 मई, 1972 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बज कर 25 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 26 मई, 1972 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या—768 की सूची)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में सन् 1957–से 1960 तक अन्दर व बाह्यरोगी जो उपचार हेतु उपस्थित हुए उनकी प्रत्येक वर्ष की संख्या निम्नलिखितानुसार है:—

वर्ष	संख्या अन्तर रोगी	संख्या बाह्य रोगी
1957	237363	487949
1958	246292	181100
1959	249835	184116
1960	252461	196171
1961	252750	210404
1962	258270	230687
1963	279554	246665
1964	289197	246650
1965	276983	246514
1966	293533	594552
1967	293337	558189

जिन वर्षों का अभिलेख इस समय उपलब्ध है वह निम्नलिखितानुसार है:—

वर्ष	रकम जो औषधियों के मद से व्यय हुई	बजट
1966-67	457772 रु.	4,55000
1967-68	396211 रु.	4,55000
1968-69	588388 रु.	4,55000
1969-70	631765 रु.	6,30,900
1970-71	628440 रु.	6,00,900

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 781 की सूची)

'रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत पाली जिले के स्वीकृत लघु सिंचाई कार्य व एनोकट।'

क्रम संख्या 1	कार्य का नाम 2	तहसील 3
अपूर्ण अकाल राहत कार्य		
1.	केसूली सिंचाई परियोजना	देसूरी
2.	गोराधड़ा सिंचाई परियोजना	,,
3.	फुलाद सिंचाई परियोजना	खारची
4.	रेजिंग ऑफ हेमावास	पाली
5.	खारड़ा बांध	,,
6.	बोमादड़ा खारडा फीडर	,,
7.	भाडोगढ़ बांध	देसूरी
8.	मालपुरिया कानावास सिंचाई परियोजना	सोजत
9.	मोनिया वाला	रायपुर
10.	बडेरका बास	खारची
11.	चोप्डा बांध व केनाल	सोजत
12.	चन्दावला खडोन	,,
13.	बोरो नाड़ा फीडर	,,
14.	पोटलिया टेंक	,,
15.	सिन्दरु सिंचाई परियोजना	बाली
16.	गिरोलिया सिंचाई परियोजना	पाली
17.	तखतगढ़ टेंक	,,
18.	इम्प्रूवमेंट ऑफ रानी टेंक	देसूरी
19.	जोगरावास बांध	खारची
20.	एन्डला टेंक	पाली
21.	बोको का बाला	बाली
22.	सोनगिरी का बाला	,,
23.	गोगरा केनाल	बाली
नये कार्य		
24.	इनकम्पलीट फेमीन एनोकट 32 नं.	देसूरी
25.	इम्प्रूवमेंट ऑफ सादडी केनाल	,,
26.	रेजिंग व इम्प्रूमेंट फोलार बांध व केनाल	,,
27.	रेजिंग ऑफ मगर तालाब फीडर एन्ड इम्प्रूवमेंट केनाल	देसूरी
28.	रेजिंग ऑफ वाल एन्ड इम्प्रूवमेन्ट ऑफ केनाल	,,
29.	भेरु का नाका	रायपुर
30.	रेनिया	खारची

सूची क्रेश प्रोग्राम के कार्यों की जिला पाली।

क्रम. सं.	कार्य का नाम	तहसील
1.	खेतावास का धोरा	पाली
2.	मान्गेश्वर तालाब	पाली
3.	चांगवा तालाब	पाली
4.	कीरवा तालाब	,,
5.	भगवान पुरा तालाब	,,
6.	चीलों का बोड़	,,
7.	डूंगरपुरा तालाब	,,
8.	वास्सी धोरा	,,
9.	ओडवारीया।	,,
10.	इटेन्दरा मेरतीया	,,
11.	सूरायंता तालाब	सोजत
12.	खांखुरा तालाब	,,
13.	खारचिया नाड़ा (मामावास)	,,
14.	सिन्दरली तालाब	देसूरी
15.	सुन्दरी तालाब	,,
16.	मोरला तालाब	,,
17.	मोरानिया तालाब	,,
18.	फुटेलाव तालाब	बाली
19.	वचवादा तालाब	,,
20.	बीठूरा तालाब	,,
21.	जगमालपुरा	रायपुर
22.	रेवतसर	,,
23.	दूदोर तालाब	खारची
24.	चिर पाटीयां	,,
25.	मसानिया वाला	जैतारण
26.	बलाड़ा तालाब	,,
27.	लाम्बीया तालाब	,,
28.	पालीयावास तालाब	,,
29.	हाथी का नाला तालाब	,,
30.	बीजा गुड़ा	सोजत

Page No. 159

सूची क्रेश प्रोग्राम के कार्यों की जिला अजमेर।

क्रम संख्या 1	कार्य का नाम 2	तहसील 3
1.	बड़लिया फीडर	अजमेर
2.	मान सागर जोटया	केकड़ी
3.	बारोली टैंक पुराना	सरवार
4.	विजय सागर फतेहगढ़	,,
5.	कछरिया बांध	किशनगढ़
6.	नावा बांध नया	,,
7.	भगत सागर जुनिया	केकड़ी
8.	पारा II	,,
9.	सरधाना दरा	अजमेर
10.	दुधलेश्वर टैंक	ब्यावर
11.	सरधाना फीडर	,,
12.	कानिया का बाला	,,
13.	नीम सागर	,,
14.	कयार टैंक	अजमेर
15.	भीमसागर टोहरी	,,
16.	बोराज टैंक	अजमेर
17.	नेपोली टैंक	अजमेर
18.	दन्द तालाब सोनोडिया	केकड़ी
19.	दयालपुरा टैंक	,,
20.	ताज सरवर टैंक	सरावर
21.	गडिया टैंक भागेरा	केकड़ी
22.	अलोल टैंक महरु काला	,,
23.	भवानी सागर टैंक	किशनगढ़
24.	सूरज सागर जैतपुरा	,,
25.	नारायण सागर	,,
26.	डावरेला टैंक	पी. एस. बीनाई
27.	सुरखेडी टैंक	,,
28.	माला टैंक	,,
29.	ऊम्मेदसागर टैंक	किशनगढ़
30.	मदन सागर जुन्दातियोद	,,

1	2	3
31.	हनुमान सागर	किशनगढ़
32.	बाल सागर भैंहरू	,,
33.	मदन सागर सुरसरा	,,
34.	जवाजा टैंक	ब्यावर
35.	राता भाटा बजैरा फीडर	,,
36.	कालेसरा कैनाल	अजमेर
37.	भट सूरी टैंक	,,
38.	नाद टैंक	,,
39.	तिलोरा टैंक	,,
40.	जैतपुरा टैंक	,,
41.	खारिया टैंक	ब्यावर
42.	गनेशपुरा तालाब	,,
43.	मोरीया टैंक	,,
44.	देवता टैंक	,,
45.	भवानी सागर	किशनगढ़
46.	अहेदा टैंक	अजमेर
47.	पुष्कर फीडर खुदाई	,,
48.	ब्यावर नाला	ब्यावर
49.	काली कंकर टैंक	ब्यावर

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 791 की सूची)

समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1970-71 में अटरू व बोरदा के जिन जिन हरिजन व्यक्तियों को व्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया के नामों की सूची

क.सं.	नाम व्यक्ति मय पिता के	जाति	ग्राम	कुल स्वीकृत राशि	चालू वर्ष में देय प्रथम किश्त
1.	सर्व श्री गोविन्द पुत्र भंवरिया	मेहतर	अटरू	2500)	1000)
2.	प्यारा पुत्र मथुरालाल	,,	,,	2500)	1000)
3.	मदनलाल पुत्र कालू	,,	,,	2500)	1000)
4.	घासी पुत्र कालू	,,	,,	2500)	1000)
5.	फूलिया पुत्र मांगीलाल	,,	,,	2500)	1000)
6.	गोवरिया पुत्र मांगीलाल	,,	,,	2500)	1000)
7.	छोगा पुत्र गोविन्दा	,,	,,	2500)	1000)
8.	बिहारी पुत्र गिरधारीलाल	,,	,,	2500)	1000)
9.	छोटा पुत्र मांगीलाल	,,	,,	2500)	1000)
10.	राजू पुत्र बिहारी	,,	,,	2500)	1000)
11.	गजानन्द पुत्र घासी	,,	,,	2500)	1000)
12.	मोतीलाल पुत्र गिरधारी	,,	,,	2500)	1000)
13.	मथुरालाल पुत्र नाथू	,,	,,	2500)	1000)
14.	जगन्नाथ भंवरलाल	बैरवा	बोरदा	2000)	800)
15.	लछमण पुत्र कबैरा	जाटव	,,	2000)	800)
16.	गेंदोलाल पुत्र छोटेलाल	,,	,,	2000)	800)
17.	काना पुत्र रामचन्द्र	,,	,,	2000)	800)
18.	छीतरलाल पुत्र रतनलाल	,,	,,	2000)	800)
19.	नारायण पुत्र तेजा	,,	,,	2000)	800)
20.	बंशीलाल पुत्र तेजा	,,	,,	2000)	800)
21.	बिरधीलाल पुत्र चंगालाल	,,	,,	2000)	800)
22.	रेवेलाल पुत्र किशनलाल	,,	,,	2000)	800)
23.	बद्रीलाल पुत्र हरचन्दा	,,	,,	2000)	800)
24.	गोवर्धन पुत्र लालजी	,,	,,	2000)	800)
25.	बालचन्द पुत्र जुगराम	,,	,,	2000)	800)
26.	केशरीलाल पुत्र रतनलाल	,,	,,	2000)	800)

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

उदयपुर-भीलवाड़ा मार्ग का राष्ट्रीयकरण

794. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कई मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो गया है पर उदयपुर से भीलवाड़ा तक के मार्ग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया ?

(2) इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने में क्या कठिनाइयां हैं और अब सरकार इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक करवा लेगी ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा भीलवाड़ा-उदयपुर मार्ग की राष्ट्रीयकरण योजना 18-12-65 को प्रकाशित कर दी गई थी । जिस की संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा सुनवाई की जा रही है। अनेक कानूनी अड़चनों के कारण इस योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(2) इस योजना की सुनवाई संयुक्त विधि परामर्शी के यहां चल रही है सुनवाई पूर्ण होने व उनके द्वारा योजना अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करना सम्भव हो सकेगा।

राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन

795. श्री हनुमानसहाय (बैराठ) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, जयपुर का गठन कब किया गया है ? क्या इसके पुनर्गठन करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर एवं सदस्यों के पद पर कौन कौन है तथा नियुक्ति में योग्यता एवं सार्वजनिक सेवाओं का क्या आधार रखा गया है ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत समाज कल्याण खण्ड सलाहकार समिति, बैराठ का गठन किया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को और किस किस को सदस्य एवं किसको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है ? उनकी योग्यता, निवास स्थान एवं सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी दी जावे और यह किन नियमों के अनुसार नियुक्ति की गई है ? बैराठ खण्ड को संचालन समिति की अध्यक्षा ने अपने इस पद पर नियुक्त होने के बाद अब तक किस किस तारीख को किस किस केन्द्र का निरीक्षण किया है तथा किस किस वर्ष में कितना कितना टी. ए. एवं डी. ए. प्राप्त किया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या 642,60 दिनांक 4-11-70 के द्वारा किया गया है। विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है। वर्तमान में बोर्ड के कार्यकाल समाप्त होने के पहले पुनर्गठन करने का कोई विचार नहीं है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर, नियुक्त व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। बोर्ड के गठन सम्बन्धी नियमों का अंश सदन की मेज पर रख दिया गया है। अशासकीय, सदस्यों की योग्यता का आधार उनकी सार्वजनिक क्षेत्र में अनुभव, ज्ञान तथा स्वेच्छा से कार्य करना है।

(2) राज्य बोर्ड द्वारा बैराठ संचालन समिति का गठन दिनांक 3-2-67 को किया गया था। जिसकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रखदी गई है। उक्त समिति में श्रीमती कमला माथुर ने दिनांक 3-2-67 से दिनांक 5-5-67 तक अध्यक्षा के पद का कार्य किया तथा इसके पश्चात् दिनांक 6-5-67 से 9-6-68 तक विकास अधिकारी पंचायत समिति बैराठ ने कार्यवाहक अध्यक्ष पद के पर कार्य किया। इसके उपरान्त राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 23-5-68 को श्रीमती गुणवन्त कुमारी को योजना अध्यक्षा के पद पर मनोनीत किया गया। इन्होंने दिनांक 10-6-68 से कार्यभार संभाला और अब तक इसी पद पर कार्य कर रही हैं। सदस्यों के निवास स्थान की सूचना परिशिष्ट 'ब' में दी हुई है। तथा अध्यक्षा शाहपुरा में ही रहती हैं। इनकी योग्यता इनका ज्ञान, अनुभव एवं स्वेच्छा से कार्य करना है। सूची में सदस्यों के नाम के साथ उनका पद भी दिया है जो उनका सार्वजनिक सेवाओं का द्योतक है और इनकी नियुक्ति जिस नियम के अनुसार की गई है उसकी प्रति भी सदन की मेज पर रखदी गई है।

योजना अध्यक्षा ने जिन जिन केन्द्रों का निरीक्षण किया वह निम्न प्रकार है:—

केन्द्र का नाम	निरीक्षण दिनांक
1. रामपुरा	18-5-71
2. भामरू व आंतेला	27-5-71
3. मेड	28-5-71
4. नवरंगपुरा	1-6-71
5. अतिला	3-6-71
6. रामपुरा	5-6-71

योजना अध्यक्षा ने अपने कार्यकाल में किसी प्रकार के यात्रा भत्ता व दैनिक भत्तों की अभी तक कोई मांग प्रस्तुत नहीं की है।

ग्राम बागडोली में सीपेज की समस्या

796. श्री फारुक हुसैन (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम बागडोली तहसील बोंली के कितने काबिल काश्त रकबे में नहर की भैरन (सीपेज) के कारण पानी भर जाता है ?

(2) उक्त पानी के भर जाने के कारण होने वाले नुकसान की कभी कोई शिकायत ग्रामवासियों की तरफ से विभाग में प्राप्त हुई ?

(श्री फारुक हसन)

(3) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार झरन वाले नहर के स्थान को सीमेंट से पक्का कराने का इरादा रखती है ?

(4) बन्ध सूरवाल व गोपालपुरा (ढील) तहसील सवाईमाधोपुर से कितना कितना रकबा आबपाश होता है और कितना रकबा कमाण्ड एरिया में है ?

(5) यदि पूरा कमाण्ड एरिया आबपाश नहीं होता है, तो क्यों और क्या इस पूरे एरिया को आबपाश करने की कोई योजना सरकार के पास है ?

उत्तर

(1) लगभग 80 एकड़ भूमि में।

(2) जी नहीं।

(3) (अ) कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(ब) इस समय कोई विचार नहीं है।

(4) बन्ध सूरवाल व बन्ध ढ़ोल से इन्टेन्सिटी के अनुसार क्रमशः 5104 तथा 8900 एकड़ सिंचाई होती थी। इनसे क्रमशः लगभग 5000 व 9000 एकड़ भूमि सिंचित होती है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुंडारा व सेवाड़ी ग्रामों में चिकित्सा की व्यवस्था

797. श्री मोहनराज (बाली) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाली तहसील के मुंडावर व सेवाड़ी काफी बड़ी आबादी के गांव हैं और पिछले कई वर्षों से वहां चिकित्सा हेतु केवल एड-पोस्ट चल रही है और डॉक्टर के अभाव में वहां की और वहां के आस पास के क्षेत्र की करीब 20-25 हजार जनता समुचित चिकित्सा व्यवस्था के अभाव से पीड़ित है ?

(2) क्या यह सही हैं कि स्थानीय जनसहयोग से उपर्युक्त दोनों स्थानों पर आवश्यक भवन बने हुए मौजूद हैं जहां पर एड-पोस्ट चल रहे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त दोनों स्थानों पर चल रही एड-पोस्ट को अप ग्रेड कर डिसपेन्सरी के अस्पताल का आदेश जारी करेगी और डॉक्टर की नियुक्ति करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां किन्तु आस पास में 10 मील के अन्दर ही समुचित सुविधा उपलब्ध है।

(2) जन सहयोग से बने भवन एड-पोस्टों के लिये ही उपयुक्त है।

(3) जी नहीं।

नांवा सड़क की मरम्मत

798. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नांवां से सांभर के बीच डावसी नदी पर जो सड़क टूटी हुई है और वहां वर्षा के दिनों में नदी में बाढ़ आ जाने के कारण रास्ता बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई "रपट" बनाने की स्वीकृति हुई है ? यह कार्य कब शुरू होगा और अब तक कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां। वर्ष 1971-72 में सहायता कार्यों में रपट निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। अर्थाभाव के कारण यह कार्य आरम्भ नहीं कराया गया है।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 774 की सूची)

क्र.सं.	सम्वत्	खसरा न.	काबिज का नाम	रकबा
1.	2018	113	1. श्री हनुमानसिंह	25 बीघा
2,			2. श्री रमेश	25 बीघा
2.	2019	113	1. श्री प्रताप	10 बीघा
3.	2020	113	1. श्री हनुमानसिंह व रमेश	40 बीघा
			2. श्री प्रताप	10 बीघा
4.	2021	113	1. श्री हनुमानसिंह	24 बीघा
			2. श्री रमेश	24 बीघा
			3. श्री प्रताप	8 बीघा
5.	2022	113	1. खातेदार की काश्त	48 बीघा
			2. श्री प्रताप	10 बीघा
6.	2023	113	1. श्री हनुमानसिंह	5 बीघा 6 बिस्वा
			2. श्री रमेशचन्द्र	7 बीघा

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 775 की सूची)

वर्ष वार बकाया राशि का विवरण

वर्ष	मंडल की बकाया राशि जिनके बिल भेजे गये थे	विद्युत कर
1962-63	2,18,384.13	—
1963-64	6,36,296.72	—
1964-65	5,94,718.48	—
1965-66	51,325.41	—
1966-67	3,73,449.76	4,74,448.23
योग	18,74,194.50	

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने एक कमेटी बनाई थी जिसने कि बोर्ड की 53 वीं मीटिंग के पहले के फैसले के मुताबिक बकाया राशि निम्न प्रकार बताई

	13,21,378.78	6,58,856.78

कम्पनी ने विद्युत कर के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी। उसके फैसले के अनुसार विद्युत कर अब 3,97,448.23 केवल देय है।

(2) बकाया राशि की वसूली के लिये दिये गये नोटिसों का विवरण

क्रम संख्या	संख्या	दिनांक
1	4208	16-12-66
2	2507	9-2-67
3	582	17-5-67
4	918	28 6-67
5	2165	25-9-67
6	4631	12-5-69
7	1582	23-5-69
8	4755	9-6-69
9	800	24-6-69
10	ए 458	8-7-69
11	4925	11-7-69

परिशिष्ट 7

(प्र. प्र. सं. 305 की सूची)

नक्शा ग्राम पंचायतवाईज चरनोट का तहसील चित्तौड़गढ़

क्र. सं. 1	नाम ग्राम पंचायत सर्किल 2	रकबा एकड़ों में 3	वि. वि. 4
1.	कश्मोर	584	
2.	आलमपुरा	635	
3.	तुमड़िया	591	
4.	देवरी	864	
5.	नेतावल महाराज	616	
6.	नारेला	539	
7.	पोण्डोली	662	
8.	बडोदिया	715	
9.	सहनवा	847	
10.	सैमलिया	128	
11.	सामरी	719	
12.	खावा	725	
13.	घोसूण्डा	857	
14.	ओछूण्ड	186	
15.	चिकसी	139	
16.	चित्तौड़गढ़	661	
17.	अरनियापंथ	996	
18.	गिलुण्ड	125	
19.	घटियावली	630	
20.	नेतावल गढपाछली	789	
21. 22.	सेती) घणोत)	825	
23.	सेमलपुरा	726	
24.	सादी	1172	
25.	पाल	1137	
26.	विजयपुर	307	
27.	अमरपुरा	752	
	योग—	17087 एकड़	

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. सं. 316 की सूची)

प्रश्न संख्या 1 की सूची

1. विकास अधिकारी, केकड़ी।
2. सीनियर सुपेरिन्टेन्डेन्ट, आर. एम. एस. जे. डिविजन, अजमेर।
3. जिला वैद्य सभा, बून्दी।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर विद्यालय, शिमला।
5. वित्त सचिव, जोधपुर डिविजनल मुस्लिम वक्फ कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच जोधपुर।
6. जिलाधीश महोदय, बूंदी।

प्रश्न संख्या 2 की सूची

(1) वैद्य कल्याण दत्त की अपील सुनी गई, प्रमाण-पत्र रद्द किया गया तथा कोर्ट द्वारा न्यायसंगत न बतलाने पर पुनः प्रमाण-पत्र दिया गया।

(2) वैद्य सूर्यभानु शर्मा, पुनः पंजीयन पत्र यथावत् रखा गया।

(3) हकीम निशार अहमद, स्वर्गवास हो जाने से अपील पर विचार नहीं किया गया व पत्रावली फाइल कर दी गई।

(4) गंगाधर शास्त्री, साक्षात्कार के पश्चात् पंजीयन पत्र दिया जावे।

(5) गोपाललाल गुप्ता, आगामी बोर्ड में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

(6) शम्भुदयाल, पंजीयन पत्र यथावत् रखा गया। चेतावनी दी गई।

(7) लक्ष्मी धर दाधीच, साक्षात्कार कर प्रमाण-पत्र दिया जावे।

(8) रतनलाल जैन
(9) रामवल्लभ चतुर्वेदी } दोनों का साक्षात्कार कर प्रमाण-पत्र दिया जावे।

(10) शम्भूदत्त
(11) वारिश अली | दोनों को साक्षात्कार कर प्रमाण-पत्र दिया जावे।

परिशिष्ट 9

(अ. ता. प्र. संख्या 321 की सूची)

शहर नागौर के भवनों की सूची जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण सूची में हैं।

क्रमांक	नाम भवन
1.	रिहायसी क्वार्टर, केटिल ब्रीडिंग फार्म, नागौर
2.	सहायक अभियन्ता नागौर के चौकीदारों के क्वार्टर्स
3.	नागौर डाक बगलों के क्वार्टर्स
4.	वैटरीनरी हॉस्पीटल के पास क्वार्टर्स
5.	सब जेल क्वार्टर्स
6.	सिविल जज के कोर्ट के चौकीदारों के क्वार्टर्स
7.	जिलाधीश कार्यालय के क्वार्टर्स
8.	जिला अधीक्षक पुलिस के चौकीदारों के क्वार्टर्स
9.	हॉस्पीटल बिल्डिंग के क्वार्टर्स
10.	पुलिस स्टेशन नागौर के क्वार्टर्स
11.	तहसील बिल्डिंग के क्वार्टर्स पहली मंजिल के
12.	लड़कियों के हाई स्कूल के क्वार्टर्स
13.	जगत सागर मिडिल स्कूल के क्वार्टर्स
14.	रिजर्व पुलिस लाइन नागौर के क्वार्टर्स
15.	जिला पुलिस अधीक्षक के बिना मकान बंगला
16.	सब डिविजन ऑफीसर बंगला बिना मकान का
17.	सिविल जज बंगला
18.	जिलाधीश बंगला नागौर बिना मकान का
19.	अतिरिक्त जिलाधीश बंगला, नागौर
20.	ई.टाईप क्वार्टर्स परलोन के पास–50
21.	—उपरोक्त—
22.	—उपरोक्त—
23.	एफ टाईप क्वार्टर्स कांग्रेस कार्यालय के पास नागौर
24.	—उपरोक्त—
25.	जी. टाईप क्वार्टर्स बासनी सड़क पर
26.	—उपरोक्त—
27.	एच. टाईप क्वार्ट ' बासनी सड़क पर
28.	पांचवीं प्रकार के क्वार्टर्स नागौर डाक बंगला से जुड़वां
29.	पांचवीं प्रकार के क्वार्टर्स
30.	पांचवीं प्रकार के क्वार्टर्स परलीन के पास

क्रमांक	नाम भवन
31.	उपरोक्त पांचवी प्रकार के क्वार्टर परलीन के पास
32.	पांचवी प्रकार क्वार्टर्स
33.	चारवी प्रकार क्वार्टर्स डाक बंगले के पीछे
34.	—उपरोक्त—

आवासीय गृह

35.	पशु संवर्धन फार्म, नागौर
36.	सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय
37.	डाक बंगला, नागौर
38.	सब जेल बिल्डिंग नागौर
39.	वेटरनरी हॉस्पीटल, नागौर
40.	सिविल जज न्यायालय, नागौर
41.	जिलाधीश कार्यालय कोषालय सम्मिलित
42.	जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नागौर
43.	हॉस्पीटल बिल्डिंग, नागौर
44.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साइन्स और कॉमर्स ब्लाक सम्मिलित
45.	पुलिस स्टेशन, नागौर
46.	गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, बालसमद
47.	तहसील बिल्डिंग, गांधी चौक के पास
48.	कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नागौर शहर में
49.	मिडिल स्कूल बिल्डिंग, जगतसागर, नागौर
50.	वेटरनरी हॉस्पीटल, केटिल ब्रीडिंग नागौर फार्म के पास में
51.	वेटरनरी पारदीसत एक्सीक्युटरी ग्राउन्ड, नागौर
52.	रिजर्व पुलिस फोर्स, पुलिस लाईन, नागौर
53.	शीप सेहरिडा सेड, नागौर
54.	औद्योगिक प्रशिक्षण वर्कशाप, हॉस्पटिल के पास
55.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
56.	सब डिविजन मजिस्ट्रेट न्यायालय, नागौर
57.	ए. आर. सीड, नागौर

परिशिष्ट 10

(अ. ता. प्र. संख्या 326 की सूची)

डूंगरपुर जिले में देहाती रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 में किये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.		नाम कार्य	कार्य पूर्ण या अपूर्ण	व्यय राशि	कामगरों की सख्या
1		2	3	4	5
1.	खुदेरडा नाला	बन्डींग	पूर्ण	24,818)	104
2.	मुंडन का वेला	,,	,,	32,555)	155
3.	डेडकों का बेला	,,	,,	17,482)	109
4.	पारडा मेड़तों का	,,	,,	20,251)	101
5.	वेडसा नाला	बेंडिग	,,	61,559)	162
6.	कुआ	,,	,,	40,321)	120
7.	ओडा	,,	,,	36,165)	130
8.	मेसला	,,	,,	38,188)	130
9.	आमझारा	,,	,,	16,273)	117
10.	बींछीवाड़ा	,,	,,	37,085)	100
11.	बीलपन	,,	,,	34,257)	132
12.	बेड़ा	,,	,,	35,578)	110
13.	माथुगामड़ा	,,	,,	33,829)	227
14.	गडा मोरैया	,,	,,	30,552)	166
15.	पोहरी	,,	,,	3,661)	50
16.	थाना मेवाड़ा	रोड	अपूर्ण	76,623)	207
17.	फलोज देव सोमनाथ	रोड	,,	1,36,417)	553
18.	सावला बेणेश्वर	रोड	,,	71,912)	223
19.	भीलूड़ा लिफ्ट	सिंचाई	,,	7,759)	14
20.	भीलूड़ी	,,	,,	8,028)	22
21.	डैयाना	तालाब	,,	4,288)	14
22.	जालन	तालाब	,,	18,665)	24
23.	सवगढ़	तालाब	,,	13,741)	49
24.	दामड़ी	तालाब	,,	14,665)	30
25.	मनपुर	,,	,,	2,890)	15
26.	पोहरी	,,	,,	16,558)	60
27.	खेरमाल	,,	,,	13,717)	78
28.	रामा	तालाब	,,	11,070)	90

Page No. 173

1	2	3	4	5	6
29.	वेन्जा	एनिकट	अपूर्ण	2,291)	20
30.	नागरीया पचेला	तालाब	,,	13,003)	35
31.	बनजारीया वासीया		,,	22,360)	30
32.	नेवड़ा	तालाब	,,	12,981)	122
33.	सामलिया मथाडिया	तालाब	,,	7,046)	60
34.	कनोडिया	तालाब	,,	25,978)	209
35.	मादेला		,,	18,897)	124
36.	पुंजेला	,,	,,	25,459)	245
37.	पीठ	नाला बन्दी	,,	40,699)	80
38.	गन्धवा	नाला बन्दी	,,	34,633)	90
39.	धीशोद	तालाब कार्य शुरू नहीं हुआ			

परिशिष्ट—11

(क. ता. प्र. संख्या 328 की सूची)

वर्ष 1971—72 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न छात्रवृत्ति के लिये प्रावधान रखा गया

क्रम सं.	नाम योजना	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति			पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			आतिरिक्त एव मेरिट कम-नीड छात्रवृत्ति			योग		
		आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय	योग	आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय	योग	आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय	योग	आयोजना भिन्न व्यय	आयोजना व्यय	योग
1.	अनुसूचित जाति	900000	—	900000	730000	360000	1090000	338000	240000	578000	1968000	600000	2568000
2.	अनुसूचित जन जाति	600000	—	500000	420000	240000	660000	112000	110000	222000	1032000	350000	1382000
3.	विमुक्त जाति (अन्य पिछडी हुई जातियों का कल्याण)	24400	—	24400	40000	15000	55000	—	10000	10000	64440	25000	89440
4.	केन्द्रीय अर्थ प्रबन्धित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति	—	607000	607000	—	—	—	—	—	—	—	607000	607000
5.	नोमेडिक ट्राइब्स	—	—	—	10000	—	10000	—	—	—	10000	—	10000
6.	अनुसूचित जन जाति	—	459000	459000	—	—	—	—	—	—	—	459000	459000
	योग....	1424440	1066000	2490440	1200000	615000	1815000	450000	360000	810000	3074440	2041000	5115440

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 25 मई, 1972)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
1		16	गुरुदयालसिंह	गुरदयालसिंह
9		24	तैयारी	तैयारी पर
10		3	क्लीनि	क्लीनिक
10		22	उप स्थत	उपस्थित
11		26	ऑपरेटस	एपरेटस
12		2	ऑपरेटस	एपरेटस
12		9	गुरुदयालसिंह	गुरदयालसिंह
13		9	गुरुदयालसिंह	गुरदयालसिंह
13		9	म्हा	सही
13		11	।	?
13		13	गुरुदयालसिंह	गुरदयालसिंह
13		17	गुरुदयालसिंह	गुरदयालसिंह
13		19	।	?
14		1	गुरुदयालसिंह	गुरदयालसिंह
14		10	।	?
15		1	रघुनाथ	रघुनाथ
15		7	।	?
16		18	रघुनाथ	रघुनाथ
18		2	।	?
8		5	गुरुदयालसिंह	गुरदयालसिंह
[illegible]		18	विभाग	
[illegible]		15	।	?
21		29	।	?
22		1	( )	(2)
22		17	उल्लेखखित	उल्लेखित
24		12	रि-नियुअल	रिन्यूअल
25		13	स्पष्टिकरण	स्पष्टीकरण
29		7	(लूनकरनसर)	(लूणकरणसर)
39		33	सांभर	फुलेरा
41		16	पल्ली	पाली
41		19	पल्ली	पाली
44		28	पच्चास	पचास
46		24	गुरुदयालसिंह संधु	गुरदयालसिंह संधु
49	नीचे से	9	06	66
50	,,	7	वि या	किया

1		2	3	4
53	ऊपर से	2	अ धनियम	अधिनियम
53	,,	4	मनी	मन्त्री
53	,,	9	विषेयक	विधेयक
60	,,	2	जांव	जांच
62	,,	14	कर ाई	कराई
62	नीचे से	12	ष्ट	कष्ट
66	,,	12	10	15
74	,,	12	राह	यह
77	ऊपर से	8	म रम्मत	मरम्मत
79	नीचे से	3	डिजाइम	डिजाइन
79	,,	16	भूि	भूमि
90	,,	11	अस ताल	अस्पताल
91	,,	10	1040277	1046277
93	,,	4	वी	जी
95	,,	18	तसबीक	तसदीक
95	,,	1	विघुद्	विद्युत्
96	,,	10	ूनिट	यूनिट
96	,,	9	वी	श्री
96	,,	2	सर्जिवल	सर्जिकल
133		20	सीनियोरिटो	सिनियोरिटी
145		30	सम्वन्धि	सम्बन्धित
146		5	च ली	चालीस
149		21	सहू	सकूं
150		36	समाजवदा	समाजवाद
154		13	दिए जायं	दिया जाय
190	ऊपर से	2	स	इस
191	,,	5	बीघोड़ी	बिघोड़ी
194	,,	4	ती	तो
202	,,	12	ग्राज	
206	,,	17	नवेदन	निवेदन
215	नीचे से	6	5 0	500
221	,,	8	राजनीनि	राजनीति
265	,,	15	पेरबदल	फेरबदल
296	,,	17	ऐग्रीकल्चर	एग्रीकल्चरल
305	,,	2	वरकतंतुल्ला	वरकततुल्ला
305	,,	12	विठ्ठल	विट्ठल
306	,,	8	माननीम	माननीय
306	,,	13	साहुकार	साहूकार
306	,,	18	ग्रोक्योपेशन	ग्रोक्यूपेशन
310	ऊपर से	8	स्टेट्स	स्टेटस
318	नीचे से	12		परिशिष्टं
120	,,	2	उपर्युक्त	उपयुक्त